खण्ड-292, अंक-6
गुरूवार, 25 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(16 सितम्बर, 1971 ई0)

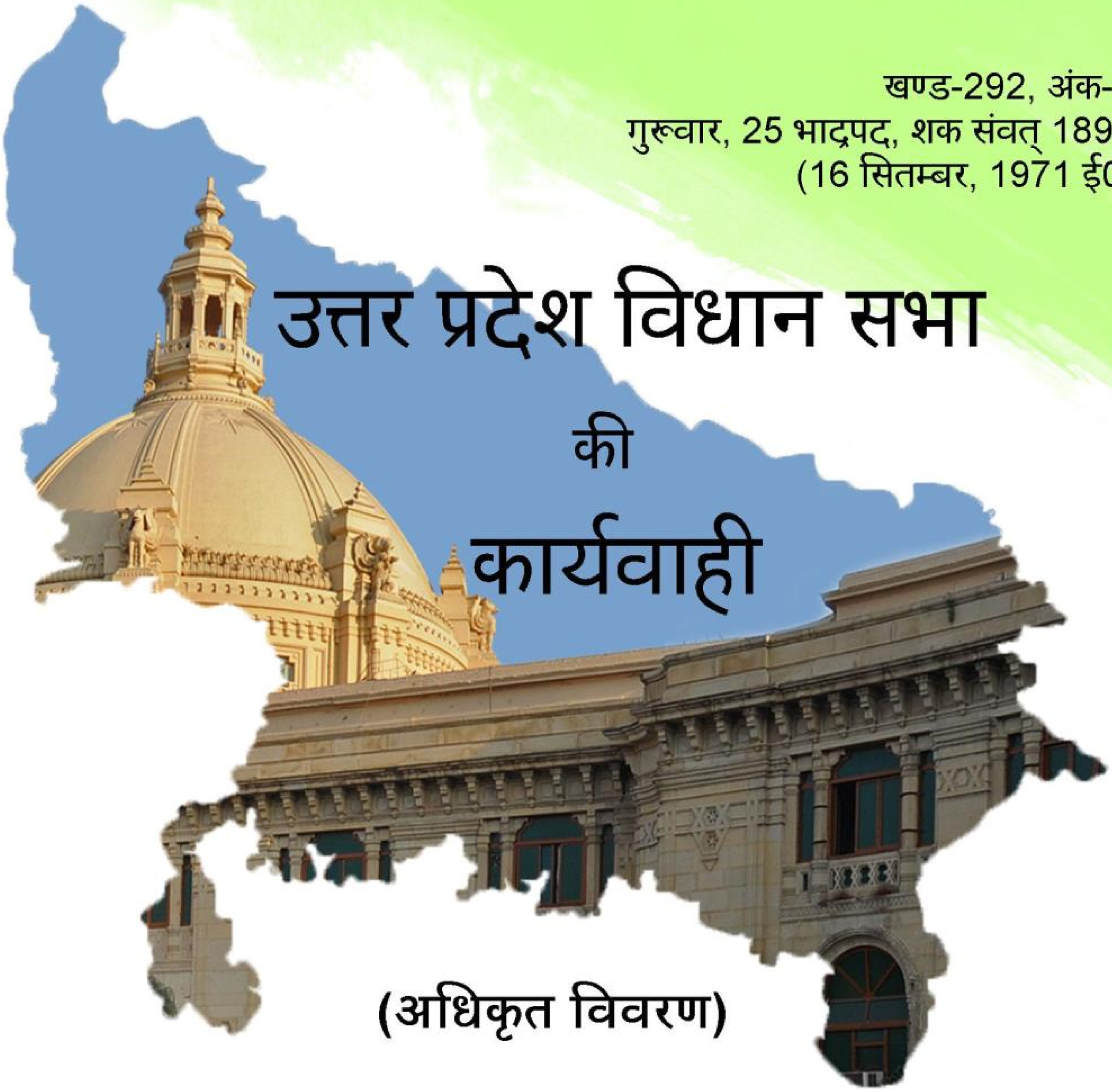

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 292 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	609–613
प्रश्नोत्तर	614-658
गन्ना ग्राम सेवकों की मांगों की पूर्ति के संबंध में वक्तव्य ..	659-661
विविध विषय	661–662
पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	662–663
कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह के भाषण की सदन से बाहर टीका किये जाने के संबंध में राजा रामकुमार भार्गव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)	663-666
श्री अनन्तराम जायसवाल व श्री मंजूर अहमद द्वारा एक दूसरे के प्रति कहे गये आपत्तिजनक शब्दों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	666–667
सदन में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके जाने की घटना (जारी) ..	668–669
गन्ना किसानों के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय में जानकारी की मांग	669
सदन में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके जाने की घटना	670
मथुरा जिले में नसबन्दी के आधार पर अध्यापकों की पदोन्नति आदि पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	671–673
वाराणसी विश्वविद्यालय की हड़ताल के मामले में मुख्य मन्त्री का वक्तव्य ..	673–675
उत्तराखंड विश्वविद्यालय गढ़वाल जिले में खोले जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	675–680
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	680–681
संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थनार्थ संकस्ल्प (जारी)	681–687
जलपान गृह में विधायकों को असुविधा होने के संबंध में शिकायत ..	687–688
संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प को विचारार्थ लिये जाने के संबंध में वैधानिक आपत्ति ..	688–691
संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (जारी)	691–715
नियम 51 की सूचनाएं	715–717
देहरादून में राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत उठाया गया विषय	717–722
लखनऊ नगर गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्र तथा बलिया में बाढ़ के प्रकोप से हुई क्षति के संबंध में चर्चा (समाप्त)	722–736
नत्थियां	737–755

प्रेषक
विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 16 सितम्बर 1971

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—379

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, शेरवानी श्री,
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलामशाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, कुंवर
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम श्री,
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)

के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजाशंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह राजा, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादब, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतरामसिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री

प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मन्सा राम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखन सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल ,श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह लम्बा, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीला धर, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री

शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव वक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतल प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंस राज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन, तथा पंचायती राज मन्त्री श्री बलदेव सिंह आर्य, भी उपस्थित थे।

अध्यक्ष दर्शन विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 16 सितम्बर, 1971

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग की स्थापना

**1—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कहां और कब तक?

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री देवकीनन्दन विभव)—

अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सम्मुख नहीं है। आने पर विचार किया जायगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गत जून मास में औद्योगिक निगम तथा अन्य योजनागत संस्थाओं के प्रतिनिधि बलिया में गये थे और उन्होंने जन प्रतिनिधियों से बातचीत की और बलिया में कागज का उद्योग लगाने की सम्भावना पर विचार किया?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

अगर सरकार पूर्वी जिलों को उद्योगों में पिछड़ा हुआ मानती है तो क्या देवरिया में कागज का कारखाना स्थापित करने पर विचार करेगी?

श्री देवकी नन्दन विभव—

पूर्वी जिलों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र तो सरकार मानती है और उसने ३६ जिलों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित भी कर दिया है। अब यह कारखाना देवरिया में लगे या कहां लगे इस पर समय आने पर विचार किया जावेगा।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

कागज के कारखाने के लिये जो रा मेटीरिअल चाहिये होते हैं वह सभी मिर्जापुर में मौजूद हैं तो क्या सरकार मिर्जापुर में इस उद्योग को लगाने पर विचार करेगी?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, यह सभी प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन हैं और जो उपयुक्त स्थान समझेंगे वहां लगायेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या उस निगम के पास कागज उद्योग के विकास के लिये कोई योजना प्रस्तावित है?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, यह निगम तो कार्य कर ही रहा है और पूर्वी जिलों में औद्योगिक विकास पिछड़ा हुआ है, तो यह सारी योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं?

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या यह सही है कि 12 दिसम्बर को जब श्री टी० एन० सिंह मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये एक बैठक बुलायी थी और बलिया या देवरिया के लिये यह निश्चित हुआ था कि कागज का उद्योग लगाया जाय, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट पर विचार करेगी?

श्री देवकीनन्दन विभव—

श्रीमन्, मैंने तो कई बार कह दिया है कि यह सारे प्रश्न विचाराधीन हैं और जहां उपयुक्त स्थान होगा वहां यह लगाया जावेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या यह उचित है कि प्रश्नोत्तर काल में कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है, क्या यह सदन का अवमान नहीं है?

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है कि कैबिनेट स्तर का मंत्री यहां होना चाहिये लेकिन अगर नहीं आये हैं तो राज्य मन्त्री तो आ गये हैं। आपने कहा कि एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि यह उद्योग आप कायम करना चाहते हैं अथवा नहीं। कई सदस्य तो प्रश्न पूंछ चुके हैं।

श्री श्रीप्रकाश मालवीय, ए० डी० जी० सी० (फौजदारी), इलाहाबाद के विरुद्ध कार्यवाही

**2—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री श्रीप्रकाश मालवीय एडवोकेट अभी तक ए० डी० जी० सी० (फौजदारी), इलाहाबाद में काम कर रहे हैं? क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री श्यामसूरत उपाध्याय, वर्तमान राज्य कृषि मन्त्री के 8 अगस्त, सन् 1969 के एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन न्याय मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद सिंह ने कहा था कि उक्त श्री श्रीप्रकाश मालवीय ने सेशन्स जजों द्वारा उनको प्रदत्त सर्टीफिकेट में जाल किया था? अतः उनका प्रार्थना-पत्र नामंजूर कर दिया गया है? यदि हां, तो सरकार क्या उक्त सज्जन के विरुद्ध अब भी कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

जी हां, श्री श्रीप्रकाश मालवीय, ए० डी० जी० सी (फौजदारी), इलाहाबाद के पद पर पर कार्य कर रहे हैं। श्री स्वामी प्रसाद सिंह, तत्कालीन न्याय मंत्री, ने सदन में ऐसा उत्तर नहीं दिया। श्री मालवीय के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मालवीय जी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है परन्तु जो जाली सार्टिफीकेट 1967 में दाखिल किया गया था तो क्या मंत्री जी के पास उसकी कोई शिकायत है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इस तरह का एक आरोप लगाया गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी जांच हुई थी और जांच के बाद उन आरोपों में कोई जान नहीं पाई गई। इस लिये यह मामला खत्म कर दिया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जांच किसने की?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जांच हमारे विभाग ने की। जितना उचित कदम था वह उठाया गया। उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

इस आरोप के सिलसिले में जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने जो रिपोर्ट सरकार को भेजी है क्या उसको पढ़ कर आप सुनायेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने बताया कि जब इन्क्वायरी कन्क्लूड की गई तब इन सभी बातों पर विचार किया जा चुका था। इस कारण मैं किसी पर्टीकुलर कागज के बारे में नहीं बता सकूंगा।

श्री धर्मवीर—

चूंकि जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने इस आरोप के बारे में अपनी एक निश्चित राय भेजी है। जो पत्र उन्होंने भेजा है वह क्या है उसको पढ़ दीजिये। यह बड़ा गम्भीर मामला है। वहां के वकीलों के बीच में बड़ा असन्तोष है। उसने इतना बड़ा फ़ाड़ किया और वह अब भी कन्टीन्यू कर रहा है। मंत्री जी उस पत्र को पढ़ दें।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

उसके लिये सूचना की आवश्यकता है। आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया जा चुका है। अब जो नया प्रश्न पूछा है उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है हर रोज यह होता है कि सदन में जिस प्रश्न को पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि सूचना की आवश्यकता है अथवा वह आखीर में चला जाता है। पूरे डाकूमेंट के आने की आवश्यकता है। प्रायः सवाल टल जाता है। जिलाधिकारी ने लिखकर भेजा है जो इनके पास फाइल है उसके अन्दर यह भी पत्रावली होनी चाहिये। वह तो बड़ा रेलेवेंट पेपर है। उसको पढ़ कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—

वह पेपर को न लाये होंगे। जो प्रश्न था उसका उत्तर उन्होंने दे दिया। उसके बाद और भी प्रश्न किये गये। पत्र को पढ़ने की बात जो कह रहे हैं वह पत्र फाइल में नहीं होगा। जब उन्होंने कह दिया कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता है तब फिर कोई प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, इसमें स्पष्ट है कि अपना एक प्रार्थनापत्र इस आशय का सरकार को दे दिया है कि चूंकि वह नयी कांग्रेस से संबंधित हैं और वर्तमान फूलचन्द्र जी पुरानी कांग्रेस के हैं (व्यवधान) तो जो आरोप है उनकी पूरी जानकारी मंत्री जी को होनी चाहिये। आप मंत्री जी से कहें कि सारे संबंधित कागजात सदन की मेज पर रखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वहां की बार एसोसियेशन में और वहां के लोगों में बड़ा असंतोष है कि एक व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है और सरकार उसके दोष को छिपाने की कोशिश करती है .....

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहस कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

सूचना नहीं है तो उनसे मंगवाकर इस प्रश्न को शाम को ले लीजिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामधारी शास्त्री—

माननीय मंत्री जी के पास जिलाधिकारी की कोई रिपोर्ट है ? यदि हां, तो उसको पढ़ने की कृपा करें ।

श्री यादवेंद्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर रहा था कि वह जो भी कागजात चाहें उसकी सूचना मुझे दे दें । कागजात छिपाने का कोई अभिप्राय नहीं है । जो प्रश्न किया था उससे संबंधित जानकारी मैंने आपको करायी । आप सूचना दे दें, हम कागज आपको मंगा देंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री—

जब कोई कागज नहीं है तो जांच क्या की गयी ? उन्होंने कहा कि जान नहीं पायी गयी । तो क्या जांच की गयी और क्यों जान नहीं पायी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि आप सूचना दे दें, हम कागज आपको दिखा देंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री—

जब वह कहते ह कि जांच की और जान नहीं पायी, तो बतायें कि किसने जांच की और कैसे इस निश्चय पर पहुंचे ?

श्री अध्यक्ष—

किसने जांच की, यह जानना चाहते हैं ।

श्री यादवेंद्र सिंह—

विभाग के लोगों ने जांच की । अध्यक्ष महोदय, इतनी मोटी फाइल है । मैं सदन का बहुमूल्य समय इस पूरी फाइल को पढ़ने में नहीं लेना चाहता हूं। अगर आपको समय हो तो आप फाइल देख लें ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, यह फाइल सदन की प्रापर्टी बन जाय।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट नहीं है तो आज प्रश्न को स्थगित कर दें और कल रिपोर्ट सदन में रख दें तब प्रश्न कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आपका जो सवाल था उसके हिसाब से तो उत्तर ठीक दिया है।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

श्रीमन्, मेरा सवाल तो इसीलिये था कि चूंकि उन्होंने जज के सर्टीफिकेट में कुछ लफ्ज बढ़ा लिए । जजेज ने गवर्नमेंट को लिखा, डी०एम० ने लिखा कि इन्होंने फ्राड किया है । इसीलिये उनकी नियुक्ति नहीं हुयी । उन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट में बढा लिया । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कल सदन के पटल पर रख दी जाये और इस प्रश्न को कल तक क लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं ?

श्री सुरेंद्र विक्रम—

मैं जिलाधीश की रिपोर्ट, वह सर्टिफिकेट जो उन्होंने पेश किया ओरिजिनल रूप में तथा उस सर्टीफिकेट की कापी जो उन्होंने गवर्नमेंट को पेश किया, चाहता हूं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—
क्या इधर नजर इनायत नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष—
ठीक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आप चाहते हैं, उसे वे कल सदन में बता देंगे।

श्री यादवेंद्र सिंह—
आपने क्या आदेश दिया, मैंने नहीं सुना।

श्री अध्यक्ष—
आपके विभाग के अधिकारियों ने जांच की होगी। इनक्वायरी रिपोर्ट और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कल सदन में बता देंगे।

श्री यादवेंद्र सिंह—
पूरे कागजात की आवश्यकता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—
नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—
मंत्री लोगों से सही उत्तर दिलवाने की कृपा करें। जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—
वे तो फाइल दिखाने को तैयार हैं।

श्री धर्मवीर—
जो आपने आदेश दिया है क्या कल वे सदन में कागजात रखेंगे या नहीं ?

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—
अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष —
आप बैठिये कृपा करके, आपका कोई प्रश्न नहीं है, दूसरों को प्रश्न करने दीजिये।

हिन्दुस्तान अल्मुनियम फैक्ट्री मिर्जापुर में श्रमिकों की मांग

**3—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—
क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हिन्दुस्तान अल्मुनियम फैक्टरी, मिर्जापुर के श्रमिकों ने संयुक्त श्रमिक मोर्चा के माध्यम से जून सन् 1971 में 17 सूत्रीय मांगें सरकार एवं व्यवस्थापकों को प्रस्तुत की थीं ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं मांगें तथा सरकार ने अब तक उनको पूरा कराने के लिये क्या प्रयास किया ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—
जी हां, हिन्दुस्तान अल्म्यूनियम फैक्टरी, मिर्जापुर के श्रमिकों के संयुक्त मोर्चा ने 17 सूत्रीय मांगे सरकार एवं व्यवस्थापकों के समक्ष 9 जून, 1971 को प्रस्तुत की। मांगों की सूची संलग्न है। शासन ने उनमें से 9 मांगों को औद्योगिक न्यायाधिकरण (1), इलाहाबाद को दिनांक 16 जुलाई, 1971 को अभिनिर्णय हेतु भेज दिया है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 737 पर)

श्री राम प्यारे—
क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिकों की 17 मांगें क्या हैं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

उनकी मांगें हैं (1) प्रोडक्शन बोनस संस्थान में लागू किया जाये, (2) मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जाये (3) कैन्टीन की ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाये तथा कैन्टीन सेवायोजकों द्वारा चलाई जाये, (4) सभी श्रमिकों को 12 रु० प्रतिमास की दर से तदर्थ (एडहाक) वेतनवृद्धि, (5) छुट्टी की सुविधा, (6) निवास की सुविधा-हाऊस रेंट, (7) कारपोरेशन अस्पताल में श्रमिकों की मुफ्त चिकित्सा, (8) ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति (9) पाटरूम में ड्यूटी वाले श्रमिकों को मिलने वाले मुफ्त कूपनों का मूल्य 40 पैसे से बढ़ाकर 80 पैसे कर दिया जाये ।

इसके अलावा जो निकाले हुए मजदूरों का मामला है उस पर श्री जे० एन० तिवारी का एवार्ड आ गया है ।

श्री राम प्यारे--

मजदूरों की 8 और मांगें हैं । क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि वे मांगें भी मजदूरों के हित में हैं उन मांगों के स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मान्यवर, उसमें तीन मांगें अस्पष्ट हैं, बाकी पर कानूनन कार्यवाही करके दिलवाने पर विचार कर रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जिन मांगों को अभिनिर्णय के लिये नहीं भेजा गया उसके क्या कारण हैं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

17 में से 9 को भेजा। एक दसवें के बारे में एवार्ड हो गया है। 3 मांगें अस्पष्ट हैं । 4 पर कानून के अनुसार कार्यवाही करके हम हल करना चाहते हैं। इनको अभि- निर्णय के लिये भेजने की कोई जरूरत नहीं थी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या उस मांग पत्र में वहां के व्यवस्थापक के विरुद्ध भी कुछ आरोप थे ? 3 यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

यह प्रश्न तो 17 मांगों के ही संबंध में था । इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री रामगोपाल संड--

जो 3 मांगें अस्पष्ट हैं उन्हें, कृपया पढ़ेंगे सदन में ?

श्री अध्यक्ष--

उसमें समय लगेगा, मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री राम प्यारे--

क्या मंत्री जी उन 45 आदमियों को जो सन् 66 में निकाले गये थे और जिनका मामला अभी तक विचाराधीन है, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनका शीघ्र अभिनिर्णय हो जाय ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, मैं बतला चुका हूं, उनका निर्णय हो गया, एवार्ड हमारे पास आ गया है । उसको प्रकाशित करने के लिये भेजा है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जो 9 मांगें भेजी गयी हैं उनकी क्या प्रगति है, क्या उनको जल्दी से जल्दी मनवाने के लिये माननीय मंत्री जी प्रयत्न करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मैंने तो अभी बताया कि दसवीं के बारे में एवार्ड हो चुका है । 3 अस्पष्ट हैं । 4 पर कानून के अनुसार कार्यवाही करके उनका समाधान करेंगे ।

श्री राम प्यारे—

मामला न्यायाधिकरण को देने के बाद फैक्टरी के मालिकों ने प्रतिशोध के रूप में संयुक्त मोर्चे के कुछ आदमियों को निकाल दिया तो क्या उन निकाले गये आदमियों को भी वापस लेने के लिये मंत्री जी कहेंगे उनसे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

यह तो नया प्रश्न होना चाहिये, इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री रामप्यारे—

जब मांगें रखी गयीं तो उन लोगों को सेवा से निकाल दिया प्रतिशोध की भावना से क्योंकि उन्होंने यह सब मांगें रखी थीं तो क्या उनको रखवाने में मुख्य मंत्री जी सहायता करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

अवश्य, सहायता इस रूप में करेंगे, जो कुछ भी कानूनी ढंग से संभव हो वह किया जाता है और किया जायेगा ।

इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, बाम्बे की कानपुर शाखा की स्थापना

**4—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, बाम्बे द्वारा संयुक्त विभागीय टीम से अविकसित क्षेत्रों का उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण कर जो रिपोर्ट तैयार की है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेंगे तथा क्या यह सही है कि उक्त बैंक की एक शाखा कानपुर में गत सप्ताह से खोली गई है? यदि हां, तो उसका कार्यक्षेत्र क्या है?

श्री देवकीनन्दन विभव—

संख्या 1—बैंक की रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुयी है । अतः इसकी प्रति का सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

यह सही है कि बैंक की शाखा एक सम्पर्क केंद्र के रूप में कानपुर में खुली है जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मैं जानना चाहता हूं कि सर्वेक्षण में किन-किन विषयों का सर्वेक्षण किया गया था, क्या उसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, सर्वेक्षण का विषय यह था कि जो ३६ जिले पिछड़े घोषित किये गये हैं उनका औद्योगिक विकास किस तरह से किया जाये और इन जिलों की कार्य क्षमता क्या है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या उसने कृषि का उत्पादन बढ़ाने के बारे में भी कोई सर्वेक्षण किया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

अभी रिपोर्ट नहीं आई है, वे कैसे बता सकते हैं ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

कृषि, छोटे उद्योग और बड़े उद्योग के विषय तो बता सकते हैं । इनके बारे में उनकी रिपोर्ट में एक्सपेक्टेड है या नहीं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

अब श्रीमन्, कृषि के संबंध में तो मुझे कोई सूचना नहीं है । जो विषय वहां है, वह तो यह है कि वहां का औद्योगिक विकास किस तरह से किया जाये और उनकी कार्यक्षमता क्या है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी यह बतला दें कि जो रिपोर्ट आयेगी, क्या उसे सभी माननीय सदस्यों को सरकुलेट करना पसन्द करेंगे जिससे उनके भी सुझाव आपके पास आ जायें ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जब रिपोर्ट आयेगी तो उसको सदन की मेज पर भी रखने का विचार कर लिया जायेगा।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

उन्होंने जो यह कहा कि जो जिले औद्योगिक तौर से पिछड़े हुए हैं, उन जिलों की सहायता के लिये इस बैंक की शाखा खोली गई है, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सिलसिले में पावर-लूम और हैन्डलूम की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी इस बैंक के जरिये कर्जा देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री देवकीनन्दन विभव —

श्रीमन्, हैन्डलूम बोर्ड का खादी कमीशन, खादी बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यह विषय भी उसमें शामिल कर सकते हैं । लेकिन रिपोर्ट आने से पूर्व कोई निश्चित बात मैं नहीं कह सकता ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि यह जो कानपुर में शाखा खोली गई है, यह गवर्नमेंट की राय से खोली गई है या बैंक ने स्वयं कानपुर को चुना है?

श्री देवकीनन्दन विभव—

केंद्रीय फाईनेंश कारपोरेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, लिमिटेड के आदेशों से यह सर्वेक्षण किया जा रहा है और उन्हीं के आदेशों से यह शाखा खोली गई है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राजकीय आदर्श विद्यालय अध्यापक समिति, उत्तर प्रदेश के महामंत्री द्वारा अनशन

*1—श्री राजेंद्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालय अध्यापक समिति, उत्तर प्रदेश के महामंत्री ने दिनांक 13 जुलाई, 1971 को विधान सभा भवन के सामने अनशन करने का शिक्षा विभाग को कोई नोटिस दिया है ? उनकी मांगें क्या हैं तथा सरकार इस संबंध में क्या करने का विचार रखती है?

श्रम उपमंत्री (श्री सोहनलाल धुसिया)—
जी हां मांगों की तालिका संलग्न है । मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 738 पर)

श्री राजेंद्रकुमार शर्मा—
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन किन मांगों पर विचार कर लिया गया है?

श्री सोहनलाल धुसिया—
अभी किसी मांग पर विचार नहीं किया गया है । सब पर विचार हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—
क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को ये मांगें कब प्राप्त हुयी थीं ?

श्री सोहनलाल धुसिया—
मांग सरकार को 24 सितम्बर, 1970 को प्राप्त हो चुकी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—
क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 24 सितम्बर, 1970 से लेकर 24 सितम्बर, 1971 तो आ गया, कब तक वह उस पर विचार कर लेंगे ?

श्री सोहनलाल धुसिया—
मांगों पर एक एक करके फैसला लिया जायगा । जब पूरा फैसला हो जायगा तो बता दिया जायगा ।

श्री राजेंद्र कुमार शर्मा—
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मांगों के औचित्य को देखते हुए सदन को आश्वासन देंगे कि कब तक इन पर निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री सोहनलाल धुसिया—
शीघ्रातिशीघ्र, श्रीमन् ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—
क्या मांगों के औचित्य को स्वीकार करते हैं और कितनी मांगों के औचित्य को स्वीकार करते हैं और कितना विलम्ब लगेगा निर्णय लेने में ?

श्री अध्यक्ष—
वह तो गोल बात रह गयी जब विचार कर रहे हैं ।

श्री हिम्मतसिंह—
माननीय मंत्री ने कहा कि एक एक करके विचार कर रहे हैं, वह कितनी मांगें हैं, और किन-किन मांगों पर आपने विचार कर लिया है ?

श्री सोहनलाल धुसिया—
श्रीमन् मांगों की सूची संलग्न है । माननीय सदस्य देख सकते हैं उसे कहिये, गिन कर बता दूं ।

श्री हिम्मत सिंह—
कौन-कौन सी मांगें हैं जिन पर विचार कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि एक एक पर विचार कर रहे हैं इसलिये प्रश्न उठता है।

श्री सोहनलाल धुसिया—

श्रीमन्, विचार एक-एक पर होगा, सब पर इकट्ठा थोड़े ही होगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करें कि शीघ्रातिशीघ्र की कुछ अवधि निर्धारित कर दी है या नहीं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, मांगों की सूची माननीय सदस्य के पास है । उन पर समझौते के आधार पर विचार विमर्श हो रहा है उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और वह समझौता की वार्ता शांतिपूर्वक चल रही है यह प्रयास किया जा रहा है कि बहुत जल्द से जल्द जो बातें हैं, जो उपयुक्त मांगें हैं उन पर निर्णय ले कर सूचित कर दिया जाय ।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मांगों में से जो विचाराधीन हैं कितनी मांगों पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, और कितनी बाकी रह गयी हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी जब तक पूरी समस्या का समाधान न हो जाय, अंतिम निर्णय पर न पहुंच जायं, अंतिम रूपरेखा न आ जाय तब तक कोई निश्चित सूचना कैसे दी जा सकती है ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या, मंत्री जी स्वयं एक अध्यापक हैं, इस बात को देखते हुए 12 महीने में अध्यापिकाओं के बारे में निर्णय नहीं किया गया क्या एक महीने में निर्णय ले लेंगे, यह सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जब वह कह रहे हैं ....।

श्री राम गोपाल संड—

12 महीने हो गये और यह कहते हैं कि एक मांग पर भी विचार नहीं किया, माननीय हिम्मतसिंह के प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार नहीं किया कि एक भी मांग को स्वीकार किया है । क्या एक महीने में वह निर्णय ले लेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इतनी निश्चित तिथि तो नहीं दी जा सकती, लेकिन प्रयास यह है कि शीघ्रातिशीघ्र इस पर निर्णय लिया जाय ।

प्रदेश में छोटे उद्योगों को दिये गये माल के उपयोग की जांच

*2—श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत छोटे उद्योगों को दिये जा रहे कच्चे माल क दुरुपयोग-सदुपयोग की बाबत, जो जांच निदेशालय द्वारा कराई जा रही थी, वह जिन जिलों की मुकम्मिल हो चुकी है वहां की बोगस व सही काम करने वाली इकाइयों की संख्या अलग अलग जिलवार देने की कृपा करेंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

अब तक जांच केवल अगरा नगर की लोहा और इस्पात के मांग पत्र भेजने वाली इकाइयों की हुई है । आगरा सहित सभी जिलों में जांच का काम जारी है—पूरा नहीं हुआ है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

यह जांच के आदेश किस तिथि में दिये गये और क्या कोई निश्चित तिथि इंक्वायरी की रिपोर्ट दन के लिय फिक्स की गयी है?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जांच के आदेश जुलाई के आखिरी दिनों में दिये गये थे और 31 अगस्त तक उसके लिए समय निर्धारित हुआ था, लेकिन मेरे पास सूचना आई है कि कुछ इकाइयां बहुत ज्यादा हैं इसलिये कुछ समय और लगेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या यह शिकायत भी आई थी कि जितना कच्चा माल है वह कुछ फर्जी कम्पनियों को कुछ खास स्थानों पर दे दिया जाता है जिससे वास्तविक लोगों को कच्चा माल नहीं मिल पाता है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

हां, इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ इकाइयों को जो असली काम करने वाले हैं उनको माल नहीं मिलता है जब कि कुछ फर्जी काम करने वालों को मिल जाता है । इस समस्या को सुलझाने के लिये यह निश्चय किया गया कि यह मालूम किया जाय कि सही काम करने वाले यूनिट्स कौन हैं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

जो जांच समिति नियुक्त की गयी है वह समिति सारे प्रदेश का दौरा करके रिपोर्ट देगी अथवा डिवीजनल डिप्टी डायरेक्टर्स के सुपुर्द यह काम किया गया है।

श्री देवकी नन्दन विभव—

जिले के जो अधिकारी हैं वे हमको सही सही जांच करके रिपोर्ट देंगे । अगर उसमें फिर कोई कमी पाई जायगी तो हम उस अधिकारी के प्रति सीधी जिम्मेदारी आयद करेंगे ।

श्री राम करनसिंह (जिला गोरखपुर)—

आगरा शहर की जो रिपोर्ट आई है उसमें कितने बोगस हैं और कितने असली हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

मेरे पास पूरी रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं लेकिन वहां पर जो फर्जी यनिट्स हैं यानी जो मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं करत और व्यापार का काम करते हैं ऐसे 46 और 26 यूनिट्स हैं जिनके संबंध में कहा जाता है कि उनको अधिकार नहीं था, लेकिन वह कच्चा माल प्राप्त करते रहे अथवा करने का प्रयत्न करते रहे हैं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

जो 46 व 26 इकाइयां हैं तो शायद 26 ऐसी हैं अथवा 46 ऐसी हैं जो बोगस थीं और गलत तरीके से कच्चा माल प्राप्त करती रही थीं तो कितने दिनों से वे ऐसा करती रहीं और क्या उसके लिये कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी भी जिम्मेदार था ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

मैंने बताया कि अभी उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[illegible] यह जो उत्तर दिया गया है कि आगरा कमेटी द्वारा लोहे और स्पात की जांच हो चुकी तो आगरा की रिपोर्ट बतला दें ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

श्रीमन्, वहां पर जो चार इंस्पेक्टर्स हैं फिलहाल हमने उनको ट्रांसफर कर दिया है और एक टेक्निकल आफिसर थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। और हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि इन अधिकारियों की जिम्मेदारी किस-किस काम के लिये हम फिक्स करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

मान्यवर, आगरा के सिलसिले में मैंने पूछा था कि जो जांच मुकम्मल हो चुकी है उसी के बारे में बता दें कि क्या जांच हुई है और कितनी फर्जी है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

श्रीमन्, 26 जो इकाइयां हैं वे तो केवल स्टाकिस्ट और व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। 46 जो इकाइयां हैं जो कि बन्द पायी गईं या बोगस थीं अथवा जिनका पता नहीं लग सका।

श्री धर्मवीर—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन जिलों में इस प्रकार की अनियमिततायें बरती गई हैं वहीं के जिलाधिकारियों को जांच के लिये निर्देश गये हैं और जिन उद्योगों को कच्चा माल दिया जाता है उनकी सिफारिश जिलाधिकारियों के माध्यम से दी जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार जिन जिलों में अनियमिततायें बरती गई हैं उनकी जांच किसी दूसरे बाहर के अधिकारियों से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

इसकी जांच के लिये बरेली क्षेत्र के जो ज्वाइंट डाइरेक्टर हैं, उनके सुपुर्द की गई है और अभीतक उनकी रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे की तरह, जिस प्रकार की आगरे में जांच का कार्य हुआ है उसी तरह से प्रदेश में अन्य जगहों पर भी जांच करायेंगे कि कितनी ऐसी बोगस फर्में हैं जिनको कच्चा माल मिल रहा है। ऐसी फर्मों की एक सूची विधायकों को भी वितरित करेंगे ताकि वे भी इसमें कुछ मदद कर सकें ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, हम तो सारे प्रदेश में जांच करा रहे हैं और जब हमारे पास सूची आयेगी कि ये बोगस हैं उसे, यदि माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो उन्हें देखने को मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष—

श्री नित्यानन्द स्वामी·····

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय मंत्री जी ने हमें जो जिलेवार सूची दी है·····

श्री अध्यक्ष—

आप बहस करने लगते हैं। आप कृपा करके बैठ जायं। (श्री सुखपाल पांडेय के बोलते रहने पर) मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जांच आप जिलेवाइज कर रहे हैं तो उस जांच के जो मुद्दे हैं कि किस-किस विषय पर जांच की गई·····

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने पहले ही बता दिया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

टर्म्स आफ रिफरेंस क्या-क्या हैं मोटे-मोटे तौर पर बता दें । मैं डिटेल में नहीं पूछना चाहता हूं । कोई टाइम माननीय मंत्री जी फिक्स कर देंगे कि तब तक यह जांच पूरी हो जायेगी ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

हमने तो यह आदेश दिये हैं कि 3 प्रकार की लिस्ट बनायी जायं । एक तो जो कार्यरत हैं । एक जो ऐसे हैं जो कि सुप्त अवस्था में हैं लेकिन जिनको सहायता करके जाग्रत किया जा सकता है और एक वह जो कागजी सिर्फ हैं । यह तीनों हम सही-सही सूचना बनाना चाहते हैं और उस पर कार्य करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस पर 15 मिनट दे दिये, वीरेंन्द्र वर्मा जी से कहना चाहता हूं। कहिये तो 10–15 मिनट इसी पर और बोलें ? कल कदाचित् आपने कहा था, इसलिये कहता हूं । कह रहे थे कि 7 प्रश्न से अधिक न होने चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

एक प्रश्न के ऊपर 20–20 सदस्य खड़े होंगे और जब तक आप बुलाते रहेंगे वह तो क्वेश्चंस होते ही रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं और इजाजत नहीं देता हूं ।

बन्द किये जा रहे राजकीय सेकेन्ड्री टेक्निकल स्कूलों के भवनों, संयंत्रों और कर्मचारियों का उपयोग

*3—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि राजकीय सेकेंड्री टेक्निकल स्कूल जो प्रांत में 13 स्थानों पर स्थापित थे अब बन्द किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इनमें प्रयुक्त भवनों, संयंत्रों एवं कर्मचारियों के संबंध में सरकार के क्या विचार हैं ? क्या इनकी सबकी खपत सरकार अन्यत्र यथा पोलिटेक्निक स्कूलों में करने की योजना बनायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

यह सही है कि 13 राजकीय सेकेंड्री टेक्निकल स्कूल शैक्षिक सत्र 1971–72 के बाद बन्द हो जायेंगे । इन स्कूलों के भवनों एवं संयंत्रों को यथासंभव बहुधंधी संस्थाओं के लिये तथा अन्य विभागों में उपयोग में लाने का प्रस्ताव है । जहां तक फालतू होने वाले कर्मचारियों का प्रश्न है उन्हें प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत प्राविधिक संस्थाओं तथा अन्य विभागों में सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है ।

*4—श्री कल्याण सिंह—

[9वें गुरुवार के लिये स्थगित]

क्वींस एग्लों संस्कृत इन्टर कालेज लखनऊ में शासन द्वारा प्रशासक की नियुक्ति

*5—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि किन-किन शिकायतों के कारण क्वींस ऐग्लो संस्कृत इंटर कालेज, लखनऊ, दिनांक 2 नवम्बर, 1970 से सरकार के अधीन किया गया और उनकी अब तक जांच कराने का क्या कारण है और क्या सरकार उसे पुरानी प्रबन्ध समिति को पुनः सौंपने जा रही है ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

उक्त विद्यालय में आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं और अध्यापकों द्वारा हड़ताल तथा कुप्रबन्ध के कारण प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 4 नवम्बर, 1970 से शासन द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया । अनियमितताओं की जांच जारी है । पुरानी प्रबन्ध समिति को प्रशासन पुनः सौंपने का अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि ऐसी ही शिकायतों पर जो कि पहले भी प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसके बाद फिर पुरानी प्रबन्ध समिति को मामला सौंप दिया था तो उस वक्त जो जांच हुई थी उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समिति के पहले भी प्रशासक नियुक्त हुआ था इसकी सूचना नहीं है लेकिन इस पर प्रबन्ध समिति ने ही प्रशासक की मांग की और वहां इतनी अनियमितताएं पायी गयीं कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपचार नहीं था और ए० डी० एम० (ई०) की नियुक्ति इस संबंध में की गयी और उनसे आवश्यक जांच करवाई जा रही है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

बताया कि अनियमिततायें बहुत हद तक पहुंच गयी थीं, तो उन अनियमितताओं में दो, चार मोटी-मोटी पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रबन्ध समिति ने स्वयं अपने स्कूल की अवस्था देखकर चार्टर्ड एकाउन्टेंट नियुक्त किया और आडिट करवाया और उसमें वित्त संबंधी अनियमितताएं थीं, एम्बैजिलमेंट का संदेह होने लगा था । इसके अलावा वहां पर कुछ हड़ताल हुई विद्यालय में और अव्यवस्था फैली और अशान्ति की शंकाएं होने लगीं, इसलिए प्रशासक नियुक्त हुआ ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि जो एम्बैजिलमेंट की बात कही तो कोई केस एम्बैजिलमेंट का पकड़ा गया और पुलिस को दिया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जब यह एम्बैजिलमेंट की शंकाएं होने लगीं तो शिक्षा निदेशक द्वारा भी उसका आडिट करवाया गया तीन बार आडिट पार्टियां भेजी गयीं । अभी पूरी तरह से सारे कागजात उपलब्ध हो नहीं पा रहे हैं । प्रशासक प्रयास कर रहे हैं और आडिट करवाया जा रहा है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह जांच कितने दिनों तक चलेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी यह सारी कार्यवाहियां पूरी हो जायं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस बात को देखते हुये कि ऐसी शिकायतों की जांच में बरसहा-बरस लग जाते हैं फिर भी शिकायतें रह जाती हैं तो कोई निश्चित तारीख बता देंगे कि यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एक दम निश्चित तारीख बताना तो संभव हो ही नहीं सकता है, प्रयास किया जा सकता है और वह हो रहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि संबंधित विद्यालय को सरकारी सहायता पूर्णरूपेण जारी है या खत्म कर दी गयी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अब अध्यापकों को वेतन देने का उत्तरदायित्व सरकार पर है तो वित्तीय सहायता बन्द कर दी गयी, ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो अब तक की जांच हो गयी है क्या शासन उसको मंगाकर के उसकी रिपोर्ट के बारे में जानकारी करेगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो आडिट रिपोर्ट है उसको कम्प्लायेंस के लिए प्रशासक को दे दिया गया है और अनियमितताएं जो होती हैं उस संबंध में आडिट की रिपोर्ट मांगी जाती है। वह मांगी गयी है और उस पर कार्यवाही होगी।

उन्नाव जिले में ग्राम मबलिया के श्री राजबहादुर सिंह के यहां डकैती

*६—श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी), श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली), श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर), श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री अमरनाथ दुबे (जिला वाराणसी), श्री इन्द्र मणि (जिला टिहरी-गढ़वाल), श्री शेरसिंह दानू (जिला गढ़वाल) तथा श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि श्री राजबहादुर सिंह, निवासी ग्राम मबलिया, थाना असोहा, जिला उन्नाव के यहां १२/१३ जुलाई को भयानक डाका पड़ा जिसकी रिपोर्ट दिनांक १३ जुलाई, १९७१ को थाने में दर्ज हुई किन्तु रिपोर्ट नामजद देने पर भी आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? क्या श्री राजबहादुर सिंह ने अनेक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारियों को और गृहमन्त्रालय को भेजे हैं जिनमें कहा गया है कि नामजद मुलजिमान खुलेआम घूमते हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

गृह मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

दिनांक १३-७-७१ को श्री राजबहादुर सिंह ने थाना असोहा, जिला उन्नाव पर अपने यहां १२/१३-७-७१ को रात में डकैती पड़ने की सूचना दर्ज कराई जिसके आधार पर

एक मुकदमा ३९५/३९७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अंकित किया गया और विवेचना की जा रही है ।

श्री राजबहादुर सिंह के कुछ प्रार्थना-पत्र जिनमें मुलजिमानों के खुलेआम घूमने की शिकायत की गई है, प्राप्त हुए हैं । जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार घटना कुछ सन्दिग्ध प्रतीत होती है, अतः समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने पर ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही की जावेगी ।

उक्त शिकायतों तथा घटना के बारे में जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपे जाने के आदेश शासन द्वारा दे दिए गए हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो सी० आई० डी० की जांच हुई है उसमें वह प्रार्थना-पत्र भी शामिल होंगे जो राजबहादुर सिंह ने पुलिस के खिलाफ दिये हैं, भ्रष्टाचार के संबंध में ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, सभी पर दोनों पार्टियों के संबंध में और पुलिस के संबंध में जो जांच हुई है वह सी० आई० डी० करेगी ।

श्री हबीबुर्रहमान—

उप मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सी० आई० डी० मुलजिमों के खिलाफ जांच करेगी या मुलाजिमान के खिलाफ भी जांच करेगी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मुलजिमान के खिलाफ भी शिकायत है और जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भी जांच हो जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

डकैती की रिपोर्ट जब नामजद थाने में हुई तो उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और अगर नहीं हुई गिरफ्तारी तो दफा ८७/८८ की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जैसा निवेदन किया, नामजद रिपोर्ट जरूर है लेकिन साक्ष्य इतना उपलब्ध नहीं हुआ है जिसके अनुसार गिरफ्तारी की जाय परन्तु बार-बार शिकायतें एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी के खिलाफ की गयी हैं, पुलिस के खिलाफ भी शिकायतें हैं, सारे प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए हमने इसे सी० आई० डी० के सुपुर्द किया है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उत्तर में कहा गया कि पूरा साक्ष्य नहीं लिया गया है तो फिर किस आधार पर आपने यह कह दिया कि संदिग्ध मालूम पड़ती है डकैती, उसका आधार क्या है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने यह कहा कि पूरा साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है इसलिए हम उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं ।

श्री पारसनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी जिन मुलजिमान या मुलाजिमान के खिलाफ शिकायतें हैं उनको हटा कर सी० आई० डी० द्वारा ठीक तौर से जांच कराकर कार्यवाही करायेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

सी० आई० डी० की जांच हो रही है। अगर अधिकारी दोषी पाये जायेंगे तो ट्रांस्फर भी होगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप मंत्रियों से उत्तर नहीं दिलवा पाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह आक्षेप गलत कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं व्यवस्था चाहता हूं। मैंने सवाल किया था। उत्तर में कहा गया कि मामला संदिग्ध मालूम पड़ता है तो मैंने प्रश्न किया कि किस आधार पर उसे संदिग्ध पाया? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि पूरी जांच नहीं हुई इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। ऐसे ही माननीय सुखपाल पांडेय ने प्रश्न किया था उद्योग मंत्री से कि क्या सूची पूरी दे देंगे, इस प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो . . . . .

श्री अध्यक्ष—

कहां-कहां की बातें करते हैं?

श्री मैनेजर सिंह—

सही उत्तर दिलवाइये। आप कहते हैं कि बैठ जाइये। आप ही कह दीजिये कि सही उत्तर है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य शायद उस उत्तर को उत्तर समझते हैं जो उत्तर उनके मन का हो। सरकार जो उत्तर ठीक समझती है वह देती है। उन्होंने कहा कि सारे मामले की जांच की गयी तो संदिग्ध पाया गया। दोनों ओर से रिपोर्ट हुई हैं। आज यह घटना घटी है और किस तरह से घटी है, हुई है या नहीं है हुई सारी चीजें संदिग्ध पायी गयी हैं। इसलिए सी० आई० डी० को यह मामला सौंपा गया। यही उत्तर हो सकता है। जो उत्तर वह ठीक समझते हैं वह उत्तर तो सरकार नहीं देगी।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं नहीं कहता कि जो मैं कहता हूं वह उत्तर दिया जाय लेकिन जो प्रश्न है वैसा उत्तर दिया जाय। आप ही बता दीजिये कि संदिग्ध किस आधार पर कहा गया है। आप मंत्री जी को समझाते नहीं हैं उल्टे कहते हैं कि जैसा सदस्य उत्तर चाहते हैं वैसा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपको मैंने उनसे बहस करने की इजाजत नहीं दी है।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

जिसके यहां डकैती पड़ी थी उसने रिपोर्ट लिखाई है या बाद में पुलिस ने उनको बचाने के लिये उनसे रिपोर्ट लिखाई तो पहले रिपोर्ट किसने लिखाई थी?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

पहली रिपोर्ट दूसरी पार्टी की उनके खिलाफ है जिन्होंने एप्लीकेशन दी है।

जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा श्री लखपत सिंह का असलहा लाइसेंस का निलम्बन तथा जैतीपुर के बदमाशों की गिरफ्तारी

*7—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि मार्च, 1971 में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा लखपति सिंह निवासी नगरिया थाना जैतीपुर के असलहा निलम्बित किये गये तो आज तक क्या थानाध्यक्ष जैतीपुर ने जमा नहीं कराये ? क्या गृह मन्त्री को पता है कि जैतीपुर इलाके के अनेक बदमाश बरेली पुलिस ने पिछले सप्ताह पकड़े जिन्होंने राज मार्ग 24 पर बरेली-शाहजहांपुर के बीच ट्रक, टैक्सी, बस व रोड डकैती की और 10 अथवा 11 जून, 1971 को श्री राजा राम आदि निवासी महमूदापुर थाना जैतीपुर ने लल्लू सिंह आदि खतरनाक बदमाश मय 3 बन्दूक और 35 विलायती भरे हुये कारतूसों के पकड़े और थाने ले गये किन्तु पुलिस ने गिरफ्तारी अपने द्वारा दिखाई ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

श्री लखपत सिंह का असलहा लाइसेंस जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा 17 मार्च, 1971 को निलम्बित किया गया था जब कि मुकदमे में अन्तिम (फाइनल) रिपोर्ट 10 मार्च, 1971 को लगा दी गई थी। जिलाधिकारी ने लाइसेंसों को 13 अगस्त, 1971 को बहाल कर दिया लेकिन इस बीच असलहे जमा नहीं कराये गये ।

जहां तक जैतीपुर इलाके के बदमाशों के पकड़ने का सम्बन्ध है, बरेली पुलिस द्वारा जैतीपुर पुलिस के सहयोग से कुछ बदमाश पकड़े गये ।

जहां तक श्री लल्लू सिंह आदि बदमाशों के पकड़े जाने की बात है उनकी गिरफ्तारी जनता (पब्लिक) व पुलिस के आदमियों ने मिलकर की ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के तीन हिस्से हैं। पहला यह कि श्री लखपत सिंह के असलहा जमा करने के लिये जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद पुलिस जैतीपुर को 13 मार्च से लेकर अगस्त तक उनको जमा करने का मौका नहीं मिला जब कि वह गांव थाने से केवल दो मील है, तो क्या दरोगा जैतीपुर के खिलाफ मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह सही है कि इसमें बिलम्ब हुआ है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

दूसरी बात यह है कि लल्लूसिंह आदि खतरनाक बदमाशों को मय तीन बन्दूकों के श्री राजाराम आदि निवासी महमूदापुर ने पकड़ा और मेरे यहां लाये। मैंने उनको थाने पर भेजा। उस समय पुलिस का कोई आदमी नहीं था। दूसरे दिन मालूम हुआ कि पुलिस ने उनको पकड़ा तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है अगर इस तरह की शिकायत है तो हम इसकी भी जांच करालेंगे अगर वह लिख कर देंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, मैं तो एस० पी० और डी० एस० पी० को लिख कर दे चुका हूं कि राजाराम आदि को इनाम मिलना चाहिये क्योंकि इन्होंने ही लल्लू सिंह आदि को पकड़ा है, पुलिस ने नहीं पकड़ा है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

आपकी सूचना को सूचना मान कर जांच करा लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, मेरा मोशन था कि नेशनल हाई वेज पर डकैती की घटनायें हुईं राज मार्ग पर और उसमें बरेली के कुछ लोगों को पकड़ा गया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सारी बातों की जांच करा लेंगे जो आपने कही हैं ।

(व्यवधान)

जिला चमोली में श्रीमती तुलसीदेवी व कुमारी पार्वतीदेवी की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु

*8—श्री शेरसिंह दानू, श्री नित्यानन्द सिंह स्वामी, श्री इन्द्रमणि, श्री गोविन्द सिंह नगी (जिला टिहरी गढ़वाल) तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि ग्राम सुनाऊ (ग्वाड़) पटवारी क्षेत्र देवराड़ा विकास क्षेत्र थराली, जनपद चमोली में 1969–70 में श्रीमती तुलसीदेवी व कु० पार्वती देवी को जहर देकर मार डाला गया तथा चार अन्य महिलाओं को बड़ी कठिनाई से जहर के प्रभाव से बचाया जा पाया तथा मृतकों का पोस्टमार्टम भी हुआ लेकिन रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बाद आज तक भी अभियुक्तों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में सी० आई० डी० द्वारा जांच के आदेश देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10–12–69 को परगना मजिस्ट्रेट कर्ण प्रयाग, जिला चमोली को इस आशय का एक तार प्राप्त हुआ कि श्री देव सिंह भण्डारी, ग्राम ग्वाड़ के परिवार के दो व्यक्तियों की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और दो घायल हैं। परगना मजिस्ट्रेट ने तुरन्त पटवारी को जांच हेतु घटनास्थल पर जाने का आदेश दिया। प्रारम्भिक जांच से ज्ञात हुआ कि 9–12–69 की रात में 6 महिलाओं ने एक साथ भोजन किया था और खाने के बाद बेहोश हो गईं । 2 की मृत्यु हो गई थी और 4 बेहोश महिलाओं को अस्पताल भेजा जा चुका था। वे उपचार के बाद 14–12–69 को अस्पताल से डिस्चार्ज की गई। मृत महिलाओं का पोस्टमार्टम परीक्षण कराया गया किन्तु मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हो सका ।

कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर इस घटना के संबंध में 328/302, भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम किया गया। चूंकि पोस्टमार्टम परीक्षण से मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हो सका अतः मृत महिलाओं के विसरा का रासायनिक परीक्षण भी कराया गया किन्तु किसी विष आदि का होना ज्ञात नहीं हुआ। इस मुकदमे में 12–9–70 को जांच अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई, जो न्यायालय द्वारा स्वीकृति हो गई ।

तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

इस घटना की जांच न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने के लिए शासन द्वारा आदेश दिए गए हैं ।

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् के पदाधिकारियों को सुविधायें तथा बंगला देश सहायतार्थ वसूल की गई धनराशियां

*9—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद के पदाधिकारियों को आनरेरियम, भत्ता आदि सम्बन्धित कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गई हैं? तथा क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् के किन-किन पदाधिकारियों ने बंगला देश के सहायतार्थ फैजाबाद जिले में किन-किन व्यक्तियों से कितना चन्दा वसूल किया तथा कितने दिन बाद उन्हें रसीदें जारी करके दी गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् के पदाधिकारियों को आनरेरियम, भत्ता आदि सम्बन्धित प्रदान की गई सुविधाओं की तालिका †संलग्न है ।

परिषद् के महामंत्री को उनके टांडा दौरे पर 5 हजार का चेक भेंट किया गया और अकबरपुर में 501 रुपये का ड्राफ्ट भेंट किया गया था । उक्त दोनों धनराशियां यू० पी० सिटीजेन्स काउन्सिल के खाते में जमा हैं । उक्त दोनों धनराशियों की प्राप्ति की सूचना 4 अगस्त, 1971 को नागरिक परिषद् के महामंत्री द्वारा भेज दी गई थी ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 739 पर)

कानपुर के थाना सचेंडी में डकैती की जांच

*10—श्री उपेन्द्र नाथ (जिला कानपुर), श्री हरवंश सहाय (जिला देवरिया), श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर), श्री राम चरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद), श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा), श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर के थाना सचेंडी के अन्तर्गत ग्राम रायपुर कठार में 29/30 जून, 1971 की रात्रि में डाकुओं द्वारा भीषण डकैती 3 मकानों में पड़ी जिसमें लगभग 50,000 (पचास हजार) का नुकसान हुआ तथा कई व्यक्ति घायल हुए । पुलिस की कार्यवाही संतोषजनक नहीं हो रही है, तो क्या सरकार इसमें कोई विशेष कार्यवाही करने की शीघ्रता करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम रायपुर कठारा थाना सचेन्डी, जिला कानपुर में दिनांक 29/30-6-71 की रात एक डकैती में तीन घरों के लूटे जाने की घटना की रिपोर्ट दिनांक 30-6-71 को थाना सचेन्डी में दर्ज कराई गई । इस डकैती में लगभग 18,465 रु0 का सामान लूटा जाना बताया गया तथा केवल एक व्यक्ति घायल हुआ । इस मुकदमे की जांच थाना सचेन्डी की पुलिस द्वारा आरम्भ की गई थी परन्तु अब स्पेशल इन्वेस्टीगेशन स्क्वाड द्वारा जांच की जा रही है ।

ग्राम गंगेहरा गुलालगंज जिला रायबरेली के निबासी श्री भोला की हत्या

*11—श्री राजेंद्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)तथा श्री राम प्रसाद—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भोला निवासी गंगेहरा गुलालगंज थाना मुस्तफाबाद, जिला रायबरेली न 28 अप्रैल, 1971 को अपनी हत्या हो जान के लगभग एक सप्ताह पहिले

[श्री० राजेन्द्र प्रताप सिंह [

पुलिस कप्तान को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक राजनीतिक दल के नेता ने उसके गांव वालों को लाउड स्पीकर से एलान करके उसकी हत्या कर देने के लिये उत्साहित किया ? यदि हां, तो पुलिस ने उसकी जीवन रक्षा के हेतु क्या कार्यवाही की और हत्या के पश्चात् अब तक कितने अभियुक्तों को पकड़ा गया है और कितने फरार हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उस गांव में अब तक आतंक बना हुआ है और भोला के अन्य साथियों का भी जीवन खतरे में है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम गगेहरा गुलालगंज जिला रायबरेली के निवासी श्री भोला को कुछ व्यक्तियों द्वारा मारे पीटे जाने के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाने के बारे में दिनांक 28 मई, 1971 को थाना मुस्तफाबाद में सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा 147/148/149/302/323 भारतीय दंड विधान का मुकदमा कायम हुआ। घटना से सम्बन्धित 8 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा एक अभियुक्त फरार है। इन सभी का चालान हो चुका है।

यह सत्य है कि हत्या के पहले एक प्रार्थना पत्र दिनांक 7 मई, 1971 का पुलिस अधीक्षक को दिनांक 10 मई, 1971 को प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप था कि एक राजनीतिक पार्टी एस के नेता ने एक सभा में भोला तथा उनके अन्य साथियों की हत्या करने की बात कही थी। चूंकि मुकदमा न्यायालय जा चुका है अतः इस सम्बन्ध में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

ग्राम गगेहरा में उक्त हत्या के कारण आतंक होने तथा भोला के अन्य साथियों को खतरा होने की बात सत्य नहीं है। फिर भी पुलिस को उस गांव की ओर विशेष ध्यान देने के आदेश दिये गये हैं।

*12—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[9वें गुरुवार के लिये स्थगित]

जिला गोंडा के ग्राम पूरे पलवार के श्री लालता सिंह की मृत्यु

*13—श्री त्रिवेणी सहाय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम पूरे पलवार, थाना तरबगंज, जिला गोंडा में दिनांक 11 अगस्त, 1971 को हाकिम तहसील तरबगंज द्वारा मृतक श्री लालता सिंह, पुत्र धर्म देव सिंह की लाश खुदवा कर निकाली गई ? यदि हां, तो वह किन कारणों से निकाली गई और क्या निकालने के उपरान्त उस लाश की शल्य क्रिया भी हुई ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ? तथा क्या सरकार बतायेगी कि श्री लालता सिंह ने दिनांक 18 जुलाई, 1971 को कोई रिपोर्ट थाना तरबगंज में कुछ आदमियों द्वारा मारे जाने तथा लूट किये जाने की लिखाई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमती मुनिया निवासी ग्राम पूरे पलवार जिला गोंडा ने दिनांक 8 अगस्त, 1971 को थाना तरबगज, जिला गोंडा पर लिखित सूचना भिजवाई कि गांव के चन्द्रभान सिंह तथा बदली सिंह न दिनांक 17/18-7-71 की रात म उसके पुत्र लालता सिंह पर आक्रमण करके उसे घातक चोटें पहुंचाई थी, जिनके कारण दिनांक 7 अगस्त, 1971 को उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व लाश दफनाई जा चुकी थी। अतः जिलाधीश के आदेश प्राप्त करके परगनाधीश, तरबगंज की उपस्थिति में मृतक लालता सिंह की लाश 11 अगस्त, 1971 को पंचायतनामा व पोस्टमार्टम परीक्षा के लिए जमीन से खुदवा कर निकाली गई।

पोस्टमार्टम परीक्षा से मृत्यु का कारण, पसलियों के टूटने से फेफड़े में हेमरेज होना ज्ञात हुआ।

लालता सिंह ने दिनांक 18 जुलाई, 1971 को थाना तरबगंज पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 394 के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर मुकदमा कायम होकर जांच हुई। लूटपाट की बात असत्य पाई गई, अतः मुकदमा धारा 323 में बदलाकर अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई थी। पुनः श्रीमती मुनिया के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 8 अगस्त, 1971 के उपरोक्त मुकदमों को धारा 304 भारतीय दंड विधान में बदला गया और उपरोक्त कार्यवाही की गई। जांच अभी जारी है।

सुखवासी जिला इटावा की दुकान को लूटे जाने की शिकायत

*14—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर), तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बतायेगी कि इटावा नगर के दक्षिणी भाग में जमुना के पार बड़पुरा ब्लाक में सड़क के दोनों तरफ पिछड़ी जाति के लोगों की छप्पर की बीसों वर्ष की पुरानी छायी हुई दुकानों को अगस्त, 1971 के वित्तीय सप्ताह के रात्रि में ब्राह्मण जाति के युवकों के एक गिरोह ने उनसे जबरदस्ती पर छुआने के हठ में लूटा और आगे लगा दिया जिसकी नामजद रिपोर्ट थाने में भी की गयी है? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है? और अब तक अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार अगस्त के द्वितीय सप्ताह में नहीं वरन् दिनांक 17 जुलाई 1971 को श्री सुखवासी पुत्र श्री मिट्ठी लाल निवासी मढ़इया पुल जिला इटावा ने थाना बढ़पुरा मे राम बिहारी, मनुआ, हरी ओम तथा सन्तोष कुमार व 8–10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उसकी दुकान में आग लगाने तथा मिठाई व नगदी लूट लेने की एक रिपोट लिखाई। इसम जबरदस्ती पैर छुआने की कोई शिकायत नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा 395/397/436 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम कर जांच आरम्भ की गई। नामजद 4 अभियुक्तों में से एक गिरफ्तार किया गया, 2 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया और शेष एक के विरुद्ध दफा 87/88 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की गई। तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आये 5 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी दफा 87/88 की कार्यवाही की गई।

अध्यक्ष जिला परिषद् प्रतापगढ़ के सहायक अध्यापकों के शैक्षिक प्रमाणपत्र न होने की शिकायत तथा परिषद् के कक्ष निर्माण हेतु दी गई सहायता

*15—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिला परिषद् के अन्तर्गत श्री रुद्रदत्त सहायक अध्यापक, जामताली तथा श्री दुर्गा प्रसाद सहायक अध्यापक, दलापुर आदि के पास कोई भी शक्षिक प्रमाण-पत्र नहीं है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की? क्या सरकार जांच करके अविलम्ब कार्यवाही करेगी? क्या शिक्षा मन्त्री को यह भी जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिला परिषद् को 1969 तथा 1970 ई० में दो लाख 37 हजार अनुदान

[श्री रामदेव]
अतिरिक्त अध्यापकों के कक्ष निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ था और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? क्या जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने कोई डी० ओ० शासन को लिखा है कि "एक हजार रुपया अतिरिक्त अध्यापक कक्ष हेतु अपर्याप्त है और कम से कम एक विद्यालय के लिये दस हजार रुपयों की स्वीकृति दी जाय ताकि एक विद्यालय भवन ठीक से बनाया जा सके।" यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी हां ---

जिला परिषद् द्वारा उन्हें शो काज नोटिस दी गई है।

जी हां।

जी हां।

जी हां।

अध्यक्ष, जिला परिषद्, प्रतापगढ़ ने सूचित किया है कि 1000 रु० में अतिरिक्त कक्ष नहीं बन सकता एवं जिला परिषद् मैचिंग ग्रान्ट देने में असमर्थ है।

मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्पर्क स्थापित किया गया है एवं सूचना प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

प्रेस संवाददाताओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में सरकार के निर्णय की मांग

*16---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार बतायेगी कि प्रेस मान्यता समिति के सम्बन्ध में विधान सभा में दिनांक 27 जुलाई, 1971 को मुख्य मन्त्री द्वारा यह आश्वासन देने के बाद कि 10 दिन में दोनों एसोसियेशनों के लिये सन्तोषजनक हल निकालेंगे तथा दिनांक 17 अगस्त, 1971 को पुनः राजस्व मन्त्री द्वारा फिर यह घोषणा किये जाने के बाद भी कि शीघ्र ही ऐसा निर्णय होगा जिसमें सभी संघों को प्रतिनिधित्व मिल सके। अब तक सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)---

समस्या का सन्तोषजनक हल निकालने के लिये सरकार के प्रयत्न जारी हैं।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोदीनगर मुगलसराय के भूतपूर्व प्रबन्धक और तत्कालीन प्रधानाचार्य के विरुद्ध मुकदमा

*17---श्री वीरेन्द्र वर्मा तथा श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)---

क्या शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोदी नगर, मुगलसराय वाराणसी के भूतपूर्व व्यवस्थापक एवं भूतपूर्व प्रधानाचार्य के ऊपर भ्रष्टाचार, गबन और अनियमितताओं के गम्भीर आरोप में पुलिस ने दफा 408 का मुकदमा कायम किया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोदीनगर मुगलसराय के कुछ रेकर्ड गायब कर दिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना मुगलसराय पर धारा 408 भारतीय दंड विधान के अन्तगत एक मुकदमा विद्यालय के भूतपूर्व प्रबन्धक और तत्कालीन प्रधानाचार्य के विरुद्ध कायम किया गया, इस मुकदमा में अभी जांच जारी है।

कस्बा मानिकपुर थाना कुण्डा जिला प्रतापगढ़ में रिटायर्ड कांसटेबिल श्री सयद अब्दुल राफे के घर पर डकैती

*18--श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इधर साल भर के अन्दर कस्बा मानिकपुर, थाना कुंडा, जिला प्रतापगढ़ में डाका, चोरी व कत्ल के अनेकों घटनायें हुईं तथा दिनांक 15 मई, 1971 को इसी कस्ब के मुहल्ला शाहाबाद में श्री अब्दुल राफे, रिटायर्ड कांस्टेबिल के यहां डाका पड़ा और डाकुओं ने उनको गोली से घायल करके उनकी बन्दूक व अन्य सामान लूट लिय, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कस्बा मानिकपुर, थाना कुंडा, जिला प्रतापगढ़ में गत एक वर्ष (20-8-70 से 20-8-71) के अन्दर कत्ल की कोई घटना नहीं हुई है तथा डकती की केवल 2 और चोरी की 13 घटनाएं हुई हैं।

मुहल्ला शाहाबाद, कस्बा मानिकपुर में श्री सैय्यद अब्दुल राफे के घर पर दिनांक 15-5-71 को डकैती पड़ने तथा बदमाशों द्वारा उनकी बन्दक उठा ले जाने और उन्हें गोली से घायल कर दिये जाने के सम्बन्ध में थाना कुंडा पर धारा 395/387, भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसकी जांच की जा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अभियुक्तगण का पता नहीं लगा है।

मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल

*19--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह ज्ञात है कि मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज में गत 2 अगस्त, 1971 से 500 कमचारी तृतीय तथा चतुर्थ श्रणी के हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? मन्त्री जी हड़ताल समाप्त करने के लिये क्या पग उठा रहे हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दिनांक 3 अगस्त से 25 अगस्त तक हड़ताल पर थे। दिनांक 25 अगस्त को हड़ताल समाप्त हो गई तथा 26 अगस्त से कर्मचारी काम पर आ गये ह उनकी मांगों की सूची जो हड़ताल के समय प्राप्त हुई थी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 740-741 पर)

*20--कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री देवेन्द्र सिंह तथा श्री शिवराज सिंह--

[9वें गुरुवार के लिये स्थगित]

टेम्पो चालकों की हड़ताल

*21--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार यह बतायेगी कि लखनऊ शहर में टेम्पो मालिकों तथा टम्पो चालकों ने पुलिस अधिकारियों द्वारा चारबाग तथा हजरतगंज स्थित स्टैन्डों को जबरदस्ती तोड़ दिय जान तथा उन्हें पकड़कर जल में बन्द करने के विरोध में दिनांक 17 अगस्त, 1971 से हड़ताल

[श्री त्रिवेणी सहाय]

कर रखी है ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या-क्या है और उनकी हड़ताल को समाप्त कराने का सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ? क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन टेम्पो चालकों तथा मालिकों ने दिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

लखनऊ में चारबाग स्टेशन के पास और हजरतगंज में हनुमान मन्दिर के पास टेम्पो-टैक्सियों के खड़े होने के लिये न तो कोई निर्धारित स्टैन्ड था और न उनका कोई शेड ही बना था। अतः स्टैन्ड तोड़े जाने का प्रश्न नहीं उठता। दिनांक 17 अगस्त, 1971 को जी० आर० पी० अधिकारियों ने चारबाग में कुछ टेम्पो वालों का चालान रेलवे ऐक्ट की धारा 123 के अन्तगत किया और उन्हें रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने घटनास्थल पर टैम्पो चालकों पर जुर्माना किया और उन्हें छोड़ दिया जेल में कोई नहीं बन्द किया गया था।

हजरतगंज में हनुमान मन्दिर के पास टैम्पो खड़े होने से ट्रैफिक के सुव्यवस्थित संचालन में बाधा पड़ती थी। यातायात परामर्शदात्री समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार टेम्पो चालकों से कहा गया था कि वे अपने टैम्पो कैपिटल सिनेमा के सामने खड़े किया करें।

टेम्पो चालकों की हड़ताल दिनांक 17 अगस्त, 1971 से 19 अगस्त, 1971 तक रही। उनकी मांग थी कि उक्त दोनों स्थानों पर टैम्पो खड़े किये जाने की सुविधा दी जाय तथा उन्हें इसके सम्बन्ध में परेशान न किया जाय। चारबाग स्टेशन के पास वाले स्टड के सम्बन्ध में रेलवे अधिकारी ही निर्णय ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें लिखा जा चुका है। हनुमान मन्दिर के पास टेम्पो खड़े करने की सुविधा दिये जाने के बारे में मामला यातायात परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखा जायेगा। फिलहाल टेम्पो चालकों को सुविधायें दे दी गई ह और उन्हें अब कोई आपत्ति नहीं है।

शासन को टैम्पो ओनर्स एसोसिएशन की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें मांग की गई थी कि हनुमान मन्दिर हजरतगंज और चारबाग में टैम्पो खड़े किए जाने की अनुमति दी जाय। यह ज्ञापन आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गवर्नमेंट इण्टर कालेज, कर्णप्रयाग, गवर्नमेंट इंण्टर कालेज अगस्तमुनी, गवर्नमेंट हाई स्कूल, फाटा, जिला चमोली के अध्यापकों के वेतन का बकाया

*1---श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)---

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि गवर्नमेंट इन्टर कालेज, कर्ण प्रयाग, गवर्नमेंट इन्टर कालेज, अगस्तमुनी, गवर्नमेंट हाई स्कूल, फाटा, जिला चमोली के कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनके वेतन 1 वर्ष से बकाया हैं वह कब तक दिये जायंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

केवल एक अध्यापक का 20 दिसम्बर, 1968 से 28 जनवरी, 1969 तक का अवकाश काल वेतन अभी तक नहीं दिया जा सका, बिल प्री आडिट के लिय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, को भेजा गया है।

फर्रुखाबाद जिला परिषद् द्वारा बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों की नियुक्तियां

*2—श्री राजेंद्र कुमार शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिला परिषद द्वारा बी०टी०सी० प्रशिक्षण हेतु चुने गये तथा 1968 में प्रशिक्षण पूर्ण किये गये व्यक्तियों की सूची जिला परिषद म अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसमें से कितने व्यक्तियों को अध्यापक पद पर नियुक्त कर दिया गया तथा जिनको नियुक्त नहीं किया गया उसका कारण क्या था ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां ।

277 अध्यापकों को नियुक्त किया गया । रिक्त स्थान न होने के कारण शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

*3—श्री राजेंद्रकुमार शर्मा—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सन 1968 की सूची में नाम शेष रहने के बाद भी 1969 की दूसरी सूची बनाकर उसके व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और 1968 के शेष लोगों की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि एसा है तो कारण क्या है तथा 1968 के शेष लोगों को कब नियुक्त किया जायेगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां

वर्ष 1969 में अध्यक्ष, जिला परिषद् के आदेशानुसार केवल ऐसे व्यक्तियों की सूची बनायी गई थी जो प्रशिक्षण में जाने के पूर्व परिषद में अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत थे ।

वर्ष 1968 की सूची के सभी शेष व्यक्तियों को वर्ष 1969 की सूची में सम्मिलित न करने के कारण इन्हें नियुक्त नहीं किया गया । परिषद् में पद रिक्त होने पर यदि इनके आवदन पत्र प्राप्त होंगे तो नियुक्ति हेतु विचाराधीन रखा जायगा ।

*4—5—श्री इन्द्रलाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगिता तथा विभागीय कर्मचारियों की नियुक्तियां

*6—श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा नवम्बर, 1969 में सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगिता की परीक्षायें हुयी थीं और आज तक उनका नतीजा नहीं आया ? यदि हां, तो क्या कारण है ? क्या यह सच है कि इस मध्य नियुक्तियां भी कर ली गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कथित परीक्षा नवम्बर, 1969 में हुई थी । परीक्षा-फल लोक सेवा आयोग द्वारा 29 जुलाई, 1971 की प्रेस विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर दिया गया है । इस घोषणा से पहले कुछ सेवाओं में आयोग द्वारा चुने हुए अभ्यर्थियों क उपलब्ध होने तक काम चलाने के लिये विभागीय कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्तियां कर ली गई हैं ।

राजकीय आदर्श विद्यालय, बस्ती के संस्कृत के सहायक अध्यापक को वेतन न मिलने की शिकायत

*7—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत राजकीय दीक्षा विद्यालय सलग्न राजकीय आदर्श विद्यालय, बस्ती में विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाने के लिये शासनादेश संख्या बी-1/24/2-64-15, दिनांक 23 अगस्त, 1968 के अनुसार एक अध्यापक की नियुक्ति हुई थी जो 31 मई, 1971 तक चलती रही ? इसी बीच में शासनादेश, दिनांक 18 माच, 1970 द्वारा विद्यालय को यह आदेश दिया गया कि स्वीकृत संस्कृत की जगह उर्दू अध्यापक को वतन दिया जाय जिसक फल स्वरूप उर्दू और संस्कृत के अध्यापक अपने-अपने विषय का अध्यापन कार्य करते रहे परन्तु संस्कृत अध्यापक को आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

त्रिभाषासूत्र योजना के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या बी1/24/2/64/15, दिनांक 3 नवम्बर, 1966 म अन्य पदों के साथ-साथ राजकीय आदर्श विद्यालय, बस्ती के लिये एक सहायक अध्यापक उर्दू का अस्थायी पद सृजित किया गया था । राजाज्ञा संख्या बी1/24/2/64/15 दिनांक 23 अगस्त, 1968 के अन्तर्गत जब उल्लिखित पद की अवधि दिनांक 28 फरवरी, 1969 तक बढ़ाई गई तो त्रुटिवश राजाज्ञा में सहायक अध्यापक उर्दू के स्थान पर सहायक अध्यापक सस्कृत अंकित हो गया । उपशिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल ने उक्त राजाज्ञा के आधार पर उर्दू के सहायक अध्यापक के साथ साथ एक संस्कृत अध्यापक की भी नियुक्ति कर ली । इस त्रुटि का ज्ञान होने पर शासन ने राजाज्ञा संख्या ख1/24/2/64/15 दिनांक 20 मार्च, 1970 में उक्त त्रुटि सुधारने हेतु यह संशोधन जारी कर दिया कि सहायक अध्यापक सस्कृत क स्थान पर सहायक अध्यापक उर्दू पढ़ा जाय । इस राजाज्ञा के प्राप्त होने पर अतिरिक्त शिक्षा निदेशक ने दिनांक 17 जून, 1971 को सहायक अध्यापक संस्कृत की सेवायें समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये और दिनांक 30 जून, 1971 के अपरान्ह से संस्कृत अध्यापक की सेवायें समाप्त कर दी गईं । इस प्रकार संस्कृत के सहायक अध्यापक का कोई पद स्वीकृत न होन क कारण, सहायक अध्यापक सस्कृत को नवम्बर, 1970 से 30 जून, 1971 तक की अवधि का वतन अभी तक नहीं मिला है । इनको वेतन दिलाने के लिये आवश्यक कायवाही शीघ्र ही की जायेगी ।

बाराबंकी जिला परिषद् में अध्यापिकाओं को आवास भत्ता

*8—श्री शेषनारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को पता है कि बाराबंकी जिला परषद में अध्यापिकाओं का आवास भत्ता सन् 1967 से अब तक का भुगतान नहीं हुआ है ? उसका भुगतान कब तक हो जायगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बलिया जिला परिषद् में हरिजन अध्यापकों की संख्या

*9—श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला परिषद् में कुल कितने अध्यापक 70-71 में नियुक्त हुए और उनमें कितने हरिजन लिये गये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

टिहरी की संस्कृत पाठशालाओं में एल० टी० वेतन-क्रम में सहायक अध्यापकों के पदों का सृजन तथा हेड पंडितों का वेतन क्रम

*10—श्री शेर सिंह दानू—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी में राजाज्ञा सं0बी-10066/15-233(9)-1952, दिनांक 2 अप्रैल, 1954 के अनुसार संस्कृत पाठशालाओं में एल0टी0 वेतन-क्रम में सहायक अध्यापकों के पद सृजित किये गये और हेड पंडितों को पुराने सी० टी० वेतन-क्रम में ही रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों की स्पेशल क्वालीफाइंग परीक्षा तथा अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की संख्या

*11—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय के एडहाक अवर वर्ग सहायकों के लिये स्पेशल क्वालीफाईंग परीक्षा पुनः कब होगी और सचिवालय में अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की संख्या इस समय कुल कितनी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सचिवालय के एडहाक अवर वर्ग सहायकों के लिये स्पेशल क्वालीफाइंग परीक्षा को शीघ्र आयोजित किये जाने की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लिखा गया है। आयोग के द्वारा कोई तिथि निश्चित किए जाने पर उक्त परीक्षा होगी। अब तक सचिवालय में भर्ती किए गए अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की संख्या 169 है।

*12—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि स्पेशल क्वालीफाइंग परीक्षा पास सन् 1957 के कितन एडहाक अवर वर्ग सहायकों को अभी तक अवर वर्ग कडर के स्थायी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और शेष रह गये सहायकों की संख्या अब कितनी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1957 की विशेष अर्हतादायक परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों में से अब तक 496 सहायकों को स्थायी किया जा चुका है। शेष सहायकों की संख्या 373 है।

इलाहाबाद रीजन में प्रसार अध्यापकों का स्थायीकरण तथा ग्रेजुएट अध्यापकों को एल०टी० ग्रेड दिये जाने की मांग

*13—श्री गजेंद्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पुनर्व्यवस्था योजना में इलाहाबाद रीजन में ऐसे कितने प्रसार अध्यापक हैं जो लगभग 15 सालों से इस विभाग में सेवा कर रहे हैं और उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया तथा जो बी0ए0 और एम0ए0 हैं लकिन उनको भी अभी तक ग्रजुएट (एल०टी०) ग्रड नहीं दिया जा रहा है, और वे वर्षों स सी0टी0 ग्रेड में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

(1) 24 प्रसार अध्यापक ।

(2) 62 प्रसार अध्यापक। रिक्तियों के अभाव में ।

[दिनांक 16-9-71 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर ऋण एवं अनुदान

*1—श्री राम गोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर 31 मार्च, 1971 तक कितने का ऋण है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

32,36,028.97 रुपये ।

*2—श्री रामगोपाल संड—

सरकार उक्त विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष कितना अनुदान प्रदान करती है । क्या सरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अनुदान बढ़ाने के विषय में सोच रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

विश्वविद्यालय के स्वीकृत व्यय से विश्वविद्यालय की आय घटाकर जो धनराशि निकलती है उसे अनुरक्षण अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष दिया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष विश्वविद्यालय को तदर्थ आधार पर विकास अनुदान भी दिया जाता है । विश्वविद्यालय के अनुदान बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

*3—श्री सुरेंद्र विक्रम—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई

*4—श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने प्रदेश की चीनी मिलों को यह आदेश दे दिये हैं कि बांड किया हुआ सारा गन्ना पेर कर ही चीनी मिलें बन्द हों ? यदि हां, तो कुछ चीनी मिलें बन्द क्यों हो गईं ? क्या इन्होंने बांड किया हुआ सारा गन्ना पेर दिया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 15 के अन्तर्गत चीनी मिलों को केवल समस्त वापस किया हुआ गन्ना खरीदने का विधेयक उत्तरदायित्व है। जिन चीनी मिलों के क्षेत्र में ऐसी आशंका पाई गई कि वह समस्त पूर्ति हेतु गन्ना समाप्त करने के पूर्व बन्द होने वाली हैं, उनको समय-समय पर आदेश दिये गये। सीजन 1970-71 के लिये प्रदेश की समस्त चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं । गन्ने की बाहुल्यता के कारण बाजपुर, गोला एवं ऐरा चीनी मिलों को माह जुलाई में भी पेराई जारी रखनी पड़ी । इन चीनी मिलों के क्षत्रों में निरन्तर वर्षा के फलस्वरूप खेतों में पानी भर गया व रास्ते अत्यधिक खराब हो गये, फलतः कृषकों का कुछ गन्ना पूर्ति होने से रह गया । अन्य सभी मिल क्षेत्रों का सम्पूर्ण उपलब्ध गन्ना मिलों ने बन्द होने से पहले पेर लिया ।

देहरादून सर्किट हाउस में ठहरे मेहमानों की संख्या तथा उन पर व्यय

*5—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून सर्किट हाउस में दिनांक 1 सितम्बर, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक कितने सरकारी मेहमान ठहराये गये तथा उन पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या व्यय किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देहरादून सर्किट हाउस में 1-9-69 से 31-12-69 तक कुल 12 सरकारी मेहमान ठहराये गये और उन पर औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 13-36 पैसे व्यय हुआ ।

*6—श्री निप्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के लिये लाइसेंसों की संख्या

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1971-72 में उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये जिलेवार कितने लाइसेंस दिनांक 1 जून, 1971 तक दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये वर्ष 1971-72 में 1-6-71 तक 11 लाइसेंस दिये गये हैं जिनमें से निजी क्षेत्र के लिये 10 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लिये 1 लाइसेंस दिया गया । जिलवार विवरण निम्नलिखित है:—

कानपुर	..	..	4
नैनी (इलाहाबाद)	..	..	2
गाजियाबाद (मेरठ)	..	..	3
रेनूकूट (मिर्जापुर)	.3	..	1
शिकोहाबाद (मैनपुरी)	..	..	1
			11

*8—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[7वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत उत्तरित]

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुये क्षेत्रों के लिये विकास योजना

*9—श्री इन्द्र मणि—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाते समय सरकार ने पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये कोई विशेष योजना बनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चौथी पंचवर्षीय योजना बनाते समय प्रदेश के तीन पिछड़े क्षेत्रों के लिये सामान्य से अधिक परिव्यय देने का प्रयत्न किया गया। इन क्षेत्रों के परिव्यय इस प्रकार हैं:—

	करोड़ रु0
पूर्वी क्षेत्र	219.62
पर्वतीय क्षेत्र	65.06
बुन्देलखंड	53.72
	338.40

उपरोक्त राशियों के अतिरिक्त इन क्षेत्रों को उन परियोजनाओं से भी लाभ पहुंचेगा जो बहुक्षेत्रीय हैं तथा जिनका क्षेत्रवार विभाजन सम्भव नहीं है।

टेहरी गढ़वाल जिले के लिये विकास योजना

*10—श्री इन्द्रमणि—

क्या मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला टिहरी-गढ़वाल है ? यदि हां, तो उसको अन्य जिलों के समकक्ष लाने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या कोई विशेष योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1960-61 में जनगणना निदेशालय द्वारा एकत्र विवरण से जो निष्कर्ष निकाले गये उनके अनुसार टिहरी-गढ़वाल प्रदेश के 13 अन्य जिलों की तुलना में अधिक विकसित था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में टिहरी-गढ़वाल के विकास के लिए 7.07 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त टिहरी-गढ़वाल को अन्य जिलों की तरह बहुक्षेत्रीय योजनाओं से भी लाभ पहुंचेगा।

शिक्षा विभाग में सृजित पदों पर नियुक्तियां

*11—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या ख-1/11/1/71, दिनांक 5 मई, 1971 द्वारा शिक्षा विभाग में कुछ पद सृजित हुये हैं जिन पर नियुक्ति होनी थी ? यदि हां, तो कुल कितने पद सृजित हुए हैं और उनमें जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर अनुसूचित जाति के लोगों की क्या शासनादेश के अनुसार भर्ती की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

ऐसी कोई राजाज्ञा जारी नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

डाला सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में वेज बोर्ड और फैक्ट्री ऐक्ट की सुविधाएं

*12—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डाला सीमेन्ट फैक्ट्री, मिर्जापुर में इस समय उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो वहां के श्रमिकों को वेज बोर्ड और फैक्टरी ऐक्ट की सुविधा प्राप्त न होने क क्या कारण हैं और सरकार ये सुविधा श्रमिकों को कब तक प्रदान करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

द्वितीय वेज बोर्ड की सिफारिशों में यह प्राविधान है उसकी सिफारिशे नई सीमेंट फैक्टरियों पर उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 18 महीन तक लागू नहीं की जायेंगी । इस अवधि में नई फैक्टरियों के कर्मचारियों को वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित नए वेतन क्रम, महंगायी भत्ता आदि का केवल 75 प्रतिशत ही देय होगा । डाला सीमेंट फैक्टरी नयी फैक्टरी है । यद्यपि उसमें उत्पादन आरम्भ हो गया है परन्तु अभी मशीनों का परीक्षण चल रहा है तथा प्लान्ट फैक्टरी को हस्तान्तरित नहीं हुआ है । अतः नए वेतन-क्रम आदि का 75 प्रतिशत तभी से देय होगा जब फैक्टरी पूर्ण रूप से उत्पादन देने लगेगी ।

जहां तक फैक्टरी एक्ट की सुविधाओं का प्रश्न है, अवकाश नियमों को छोड़ कर, अन्य सुविधायें दी जा रही हैं । फैक्टरी के लिये स्टैन्डिग आर्डर्स बनाए जा रहे हैं । उसमें अवकाश नियम भी शामिल होंगे ।

सहायक अभियन्ता, ढकरानी श्री हरीश चन्द्र उपाध्याय की मृत्यु की जांच

*13—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 29-30 मार्च, 1971 को देहरादून में डाक पत्थर ढालीपुर क्षेत्र के कार्यरत एस0 डी0 ओ0 (सिंचाई विभाग) श्री हरीश चन्द्र उपाध्याय की मृत्यु पुलिस की हिरासत में हुई ? यदि हां, तो सरकार ने उस विषय में कोई जांच कराई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सहायक अभियन्ता, ढकरानी श्री हरीश चन्द्र उपाध्याय की मृत्यु दिनांक 29,30-3-71 की रात में हुई, परन्तु उनकी मृत्यु पुलिस की हिरासत में नहीं हुई । पुलिस की जांच से मामला आत्महत्या का पाया गया । धारा 174 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है ।

जिला मेरठ गन्ना मिलों में सकौती टांडा व मुहीउद्दीनपुर पर राज्य चीनी निगम का नियंत्रण

*14—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना मिल सकौती व मुहीउद्दीनपुर, जिला मेरठ किसके नियन्त्रण में है तथा इन पर किसानों के गन्ने के मूल्य का कितना धन शेष है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सकौती, टांडा व मोहीउद्दीनपुर, जिला मेरठ की चीनी मिलें उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत 3 जुलाई, 1971 से उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के नियंत्रण में है । इन मिलों पर किसानों का 31-7-71 को निम्नलिखित गन्ना मूल्य बकाया था:—

मिल	पुराना बकाया	सीजन 1970-71 का बकाया	योग
	लाख रुपया	लाख रुपया	लाख रुपया
1—सकौती टांडा	2.35	27.12	29.47
2—मोहीउद्दीनपुर	5.21	38.02	43.23

एच० बी० टी० आई० कानपुर में गबन

*15—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि दिनांक 20 जून, 1971 से 10 जुलाई, 1971 तक की अवधि में एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर के सम्बन्ध में गबन का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है ? यदि हां, तो गबन कितनी धनराशि का है और उसमें कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी है तथा सरकार न उनक विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

एच० बी० टी० आई० कानपुर में दस लाख रूपये के गबन का मामला दिनांक 1० जुलाई, 1971 के "पायनियर" समाचार के माध्यम से सरकार की जानकारी में आया है। शासन के पास इससे पूर्व संस्थान के वाचनालय में 40,656.13 रुपये की पत्रिकायें न मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में गुप्तचर विभाग से जांच करायी जा रही है और सम्पूर्ण वाचनालय के विशेष आडिट के आदेश भी दे दिये गये हैं। समाचार प्रकाशन के बाद ज्ञात करने पर 1,95,000 रु0 का सामान संस्थान में न मिलने की सूचना भी प्राप्त हुयी है जिसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा जांच के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभी किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता ।

जिला सीतापुर के ग्राम अटरिया में ट्रक मोटर साइकिल दुर्घटना

*16—श्री श्याम लाल रावत (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ व सीतापुर राजमार्ग पर ग्राम अटरिया में दिनांक 25 जून, 1971 को समय लगभग साढ़ बारह बजे दिन में ट्रक मोटर साइकिल की दुर्घटना में दो मोटर साइकिल सवारों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मोटर साइकिल सवारों के मेडिकल उपचार करवाने में लगभग 6 घन्टे की देरी की गई और दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला सीतापुर के ग्राम अटरिया में 25-6-71 को साढ़े बारह बजे दिन में एक मोटर साइकिल जिस पर दो व्यक्ति सवार थ और एक ट्रक के बीच टक्कर होन की घटना की सचना थाना सिधौली पर उसी दिन दो बजे दिन को प्राप्त हुई । घटनास्थल स थाना लगभग 16 कि0 मी0 पर है । सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तुरन्त घायल व्यक्तियों को ट्रक से लखनऊ अस्पताल चिकित्सा हतु भजा गया। व 6 बजे शाम स पहले ही अस्पताल पहुंच गय थ ।

जिला जालौन के थाना रामपुरा में श्री गजराजराय के विरुद्ध श्री खुशीराम आर्य की रिपोर्ट

*17—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपाकर यह बातयेगी कि दिनांक 10-11 मई, 1971 की रात्रि को श्री खुशीराम आर्य, सहायक अध्यापक, राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, रामपुरा, जिला जालौन में थाना रामपुरा में एक रपट श्री गजराज राय, सहायक अध्यापक, राजकीय ट्रेनिंग कालिज, रामपुरा, के विरुद्ध लिखाई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या धारायें लगाई गई थीं और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 506 लगाई गई थी । अपराध नानकागनीजिबुल होने के कारण उस पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

जिला शाहजहांपुर में मिर्जापुर पुलिस चौकी को थाना बनाना

*18—श्री केशव चन्द्र सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मु य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले के अन्तर्गत मिर्जापुर पुलिस चौकी को पूरा थाना बनाने का निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति सरकार से कब तक प्राप्त हो जावेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। मिर्जापुर में थाना बनाने की स्वीकृति की विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है ।

जिला एटा में सहायक विद्यालय निरीक्षक पद

*19—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि एटा जिला प्रथम श्रेणी में है और जिले में मान्यता प्राप्त 60 हाई स्कूल कालेज हैं परन्तु असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स का पद वहां नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहायक विद्यालय निरीक्षक के पद की नियुक्त करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां ।

चूंकि एटा में निर्धारित मापदन्ड से कम स्कूल हैं इसलिए वहां सहायक विद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कसिया जिला देवरिया में मुन्सिफ के न्यायालय कोर्ट की स्थापना पर विचार

*20—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार कृपया जिला देवरिया में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

कसिया, जिला दवरिया, में मुन्सिफ के न्यायालय को स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । उच्च न्यायालय से परामर्श चल रहा है । परन्तु अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कसिया में मुन्सिफ के न्यायालय की स्थापना होगी अथवा नहीं ।

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन देना

*21—श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को हर माह की 20 तारीख तक नियमित रूप स वतन मिलता है इसक लिये आदश निर्गत कर दिये गये या नहीं ? यदि हां, तो क्या और कब ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

राज्य के सहायता प्राप्त हाई स्कूलों तथा इन्टरमीडियेट कालेजों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को प्रत्यक मास की 20 वीं तिथि तक उनका वतन वितरित कर दिय जान का प्राविधान

[डाक्टर रामजीलाल सहायक]

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 में कर दिया गया है जो 30 अगस्त, 1971 को असाधारण गजट में विज्ञाप्ति किया गया है।

जिला इटावा के श्री जन सहयोगी माध्यमिक विद्यालय, अमावता के प्रधानाचार्य, प्रबन्धक व अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

*22—श्री होती लाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जन-सहयोगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमावता, जिला इटावा के प्रधानाचार्य, प्रबन्धक व अध्यक्ष आदि के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतों से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। जांच के समय ज्ञात हुआ कि गबन सम्बन्धी मुकदमा न्यायालय में दायर था जो सितम्बर, 1969 में खारिज हो गया। इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में रिवीजन हुआ था जो खारिज हो चुका है। जांच में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

पिथौरागढ़ में लीसे की यूनिट खोलना

*23—श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ में लघु उद्योगों की श्रेणी में लीसे के कितने यूनिट 1971–72 में खोले जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला पिथौरागढ़ में सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1971–72 में कोई लीसे की इकाई स्थापित नहीं की जा रही है, तथापि जिला अधिकारी, पिथौरागढ़ ने सूचित किया है कि उक्त वर्ष में उनके जिले में दो लीसे की इकाइयां खोली जावेंगी जिसमें से एक निजी क्षेत्र में तथा दूसरी सहकारी क्षेत्र में होगी।

हाई स्कूल व इन्टर के विज्ञान अध्यापकों का वेतन

*24—श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हाई स्कूल व इन्टर कालेज के विज्ञान अध्यापकों का वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मामला विचाराधीन है शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

*25—श्री शेरसिंह दानू—

[7व शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय इन्टर कालेज, कर्णप्रयाग के भवन की मरम्मत के लिये स्वीकृत धनराशि का ब्योरा

*26—श्री शेर सिंह दानू—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, कर्णप्रयाग के भवन की वार्षिक मरम्मत के लिये वित्तीय वर्ष 1970-71 में पैंतीस सौ की जो धनराशि स्वीकृत थी वह कहां-कहां खर्च की गई ? क्या यह सच है कि उक्त धनराशि से विद्यालय के मुख्य भवन की कोई मरम्मत नहीं हुई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकारी सहायक अध्यापकों का स्थायीकरण

*27—श्री उमाशंकर शुक्ला—

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि सन् 1959 से नियुक्त अथवा पदोन्नत एल० टी० एवं सी० टी० वेतनक्रम के सरकारी सहायक अध्यापकों का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय इन्टर कालेज, शाहजहांपुर में प्रवेश में कठिनाई

*28—श्री उमाशंकर शुक्ला—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय इन्टर कालेज, शाहजहांपुर की कक्षा 6 में केवल दो सेक्शन होने के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हो पाता और वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, को ध्यान में रखते हुए वहां छठी कक्षा में एक और सेक्शन खोलने की व्यवस्था करेगी।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां।

इस साल एक और सेक्शन खोलने में कठिनाई है।

जिन विद्यार्थियों का प्रवेश राजकीय विद्यालय की कक्षा 6 में नहीं हो पाता उनका प्रवेश शाहजहांपुर के और विद्यालयों में हो जाता है।

जिला मुरादाबाद के परगणित जाति के सब-इन्सपेक्टरों को थानाध्यक्ष बनाना

*29—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1970-71 में जिला मुरादाबाद में किन-किन सब-इंसपेक्टरों को थानाध्यक्ष बनाया गया तथा किस आधार पर उनमें से कितने परिगणित जातीय बनाये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1970 में 16 सब-इंसपेक्टरों एवं 1971 में 8 सब-इंसपेक्टरों को थानाध्यक्ष बनाया गया। इनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं।

उपरोक्त थानाध्यक्षों का चयन वरिष्ठता, योग्यता, ईमानदारी अच्छा कार्य एवं उनकी चरित्र पंजिकाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया।

वर्ष 1970 तथा 1971 में एक-एक परिगणित जाति के सब-इंसपेक्टर को थानाध्यक्ष बनाया गया।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 742 पर)

जिला मुरादाबाद के पुलिस स्टेशनों को जीप गाड़ी देने की व्यवस्था

*30—श्री जितेंद्रपाल सिंह—

क्या सरकार जिला मुरादाबाद के पुलिस स्टेशन, आदमपुर व असमोली को जीप प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जिला मुरादाबाद के पुलिस स्टेशन असमोली को जीप देने की व्यवस्था कर दी गई है। भविष्य में अन्य थानों को और जीपें स्वीकृत किये जाने पर पुलिस स्टेशन आदमपुर को जीप दिये जाने पर विचार किया जायगा।

*31--श्री कल्याण सिंह--

[7वें गुरुवार के लिये स्थगित]

सूचना विभाग द्वारा समाचार पत्रों का खरीदा जाना

*32--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग द्वारा कौन-कौन समाचार-पत्र किस-किस संख्या में खरीदे जाते हैं और कहां-कहां भेजे जाते हैं।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 743-744 पर)

पिथौरागढ़ में राजकीय जूनियर हाई स्कूल, डोर का भवन निर्माण

*33--श्री गोपाल दत्त--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ में जूनियर हाई स्कूल, डोर का भवन निर्माण हेतु दो बार टेंडर मांगा गया? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां।

राजकीय जूनियर हाई स्कूल, डोर (जिला पिथौरागढ़) के भवन का निर्माण सम्भवत इसी सितम्बर माह में प्रारम्भ हो जायगा।

श्री बख्शीशअली खां की हत्या की सी० आई० डी० द्वारा जांच

*34--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में श्याम देउरवा थाना में श्री बख्शीश अली खां नाम के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता का कत्ल 1969 के मध्यावधि चुनाव के समय कुछ व्यक्तियों द्वारा कर दिया जब कि श्री खां श्याम देउरवा क्षेत्र से विधान सभा के उम्मीदवार थे, क्या इस घटना की जांच सरकार ने कराई? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्री बख्शीश अली खां की हत्या दिनांक 8 जनवरी, 1969 को हुई थी। इस मामले में श्याम देउरवा थाने में अपराध संख्या 2, भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। पहले स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की गई किन्तु बाद में मामला अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दिया गया।

जांच के सभी सम्भव प्रयत्नों के बाद भी अपराधियों का कोई पता नहीं लग सका और इसलिये कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

अधिकारी प्रशिक्षण कालेज का स्थायीकरण

*35—श्री राजेंद्र कुमार शर्मा तथा श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिकारी प्रशिक्षण कालेज का स्थानान्तरण इलाहाबाद से नैनीताल करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल सन् 1962 में ही इलाहाबाद से बख्शी का-तालाब लखनऊ, स्थानान्तरित हो चुका था।

*36—श्री राम निहोर राय—

[8वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय में वैयक्तिक सहायक (ग्रेड–2) को अस्थाई पदों के लिये अनुमोदित वैयक्तिक सहायकों से ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ दिखाया जाना

*37—श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कार्य कर रहे कतिपय वैयक्तिक सहायक (ग्रेड 2) जो सन् 1958 तथा 1960 में अस्थाई पदों के लिये अनुमोदित हुए थे तथा जिन्हें सन् 1960 में स्थाईकरण के लिये भी अनुमोदित किया जा चुका है को सन् 1962, 1963 तथा 1964 में केवल अस्थाई पदों के लिये अनुमोदित वैयक्तिक सहायकों से, सामान्य ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ कर दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1962–1963 और 1964 में जो अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की परीक्षा द्वारा अस्थायी नियुक्ति के लिये चुने गये थे। उनको लोक सेवा आयोग के परामर्श से स्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित कर दिया गया था और उनकी ज्येष्ठता वर्ष 1959 के विशेष अर्हतादायक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के नीचे रखी गई थी। वर्ष 1964 के अर्हतादायक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को उनसे नीचे ज्येष्ठता दी गई है परन्तु इन समस्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के प्रश्न पर शासन पुनर्विचार कर रहा है और उस सम्बन्ध में आयोग से परामर्श किया जा रहा है।

राजकीय हैन्डलूम स्टोर के सहायक अधीक्षक, उत्पादन, अमरोहा को नौकरी से निकालने की लोक सेवा आयोग द्वारा सलाह

*38—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हैन्डलूम स्टोर के सहायक अधीक्षक उत्पादन, हैन्डलूम स्टोर, अमरोहा (मुरादाबाद) को किन कारणों से 1962 में अलग किया गया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री आले हसन जाफरी को सरकारी धन के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में 16 अगस्त, 1963 को नौकरी से अलग किया गया था।

*39—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि उनका केस गत पांच वर्षों से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्मुख है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। आयोग की सलाह शासन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

*40—41—श्री शिवानन्दन नौटियाल—

[9वें सोमवार में प्रश्न संख्या 30—31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राबर्ट्सगंज व दुद्धी की खनिज सम्पदा की लीज एवं उसका निष्पादन

*42—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज व दुद्धी तहसीलों की खनिज सम्पदा की लीज इस समय किन-किन पार्टियों के पास है और इन पार्टियों ने पिछले तीन वर्षों से उस खनिज सम्पदा से क्या-क्या उद्योग स्थापित किये ?

क्या कोई पार्टी ऐसी भी है जो लीज लेने के बाद कोई उद्योग स्थापित नहीं सकी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज तहसील में चूनापत्थर तथा डोलोमाइट की एक लीज सर्वश्री यू० पी० स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, कानपुर के पक्ष में तथा कलसाइट की एक लीज सर्वश्री एन० एस० कारपोरेशन, कलकत्ता के पक्ष में स्वीकृत की गयी है। उक्त जिले की दुद्धी तहसील में उप खनिज चूना पत्थर की एक लीज श्री वी० डी० अग्रवाल, रेनूकूट, मिर्जापुर के पक्ष में भी स्वीकृत की गई है, परन्तु इस पार्टी ने अभी तक पट्टे का निष्पादन नहीं कराया है।

उक्त पार्टियों नेअभी तक कोई उद्योग स्थापित नहीं किये हैं।

रजा बुलन्द शुगर मिल, रामपुर में रिसीवर की नियुक्ति तथा कृषकों को बकाया का भुगतान

*43—श्री राजेंद्र कुमार शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रजा शुगर मिल, रामपुर पर कृषकों का 1969—1970 एवं 1970—1971 का दिनांक 15 जुलाई, 1971 तक कुल कितना रुपया बकाया है ? सरकार इस रकम को दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सर्वश्री रजा बुलन्द शुगर कम्पनी, रामपुर पर 1969—70 सीजन का 31—7—71 को 19.52 लाख और 1970—71 सीजन का 1—7—71 को 77.71 लाख गन्ना मूल्य के रूप में बकाया था। 1969—70 सीजन के बकाया की स्थिति 31—7—71 तक इसलिये दी जा रही है क्योंकि पुराने बकाया के आंकड़े माहवार संकलित किये जाते हैं।

2—बकाया देयों की वसूली हेतु इस मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है। इस मिल ने रिसीवर की नियुक्ति तथा उ०प्र० चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, 1971 के अन्तर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही दोनों के विरुद्ध उच्च न्यायालय से रोधनादेश प्राप्त कर लिया है। बकाया का भुगतान उच्च न्यायालय के नवीनतम अर्थात् 23—8—71 के आदेशों के अन्तर्गत किया जा रहा है जिसके अनुसार 2 लाख की मासिक किस्त जिलाधिकारी के पास जमा की जायगी, चीनी की बिक्री से मिलने वाले धन में से 33 रु० प्रति बोरा भी बकाया की अदायगी में प्रयोग किया जायगा।

*44—श्री मोहन लाल कपूर—

[9वें गुरुवार के लिये स्थगित]

नशिया जी मंदिर, इटावा से भगवान महाबीर की मूर्ति की चोरी

*45—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि इटावा के जैन मंदिर से 25 जून, 1971 को भगवान महाबीर की मूर्ति की चोरी हो जाने के संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 24/25-6-71 की रात्रि में नशिया जी मंदिर, इटावा से भगवान महाबीर की मूर्ति चोरी हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर एक मुकदमा धारा 395 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाना कोतवाली, इटावा में दर्ज किया गया । इस मुकदमें में विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

*46-47—श्री राम देव दुबे—

[9 वें गुरुवार के लिये स्थगित]

थाना खुटहन, जिला जौनपुर में श्री केदारनाथ दुबे की गोली से हत्या की गई अभियुक्तों की गिरफ्तारियां

*48—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय (जिला जौनपुर) तथा श्री राम शिरोमणि (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में थाना खुटहन के अन्तर्गत 29/30 जून, 1971 ई0 की रात में श्री केदारनाथ जी दुबे की हत्या कर दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना खुटहन, जिला जौनपुर में दिनांक 30-6-71 को लिखित सूचना प्राप्त हुई कि श्री केदारनाथ दुबे, निवासी ग्राम बड़नपुर की दिनांक 29/30 6-71 की रात में गोली मार कर हत्या कर दी गई ।

*49—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय तथा श्री रामशिरोमणि—

क्या उस मामले में नामजद रपट भी की गई है ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध ? और क्या कुछ लोग गिरफ्तार भी किये गये ? यदि हां, तो कौन-कौन और उनमें से कितने छूटे और कितने जेल में हैं ? यदि कोई छूटा तो कौन और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उपरोक्त सूचना में कुंज बिहारी सिंह, रामसिंगार सिंह, जमादार सिंह, दलसिंगार सिंह, रामानन्द सिंह तथा रामवृक्ष सिंह, निवासी ग्राम बड़नपुर को नामजद किया गया था । राम सिंगारसिंह को छोड़ कर अन्य पांचों नामांकित अभियुक्त एवं दो अन्य अभियुक्त प्रेमचन्द तिवारी व मतीन जो जांच से प्रकाश में आये, को गिरफ्तार किया गया । पांचों नामांकित अभियुक्त न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े गये एवं शेष दोनों अभियुक्त जेल में हैं ।

अभियुक्त रामसिंगार और एक अन्य अभियुक्त मकबूल, जो जांच से प्रकाश में आया था, बाद में आजमगढ़ जिले की पुलिस से मुठभेड़ में मारे गये ।

ग्राम कनैठा छित्तपदी, जिला आजमगढ़ में डकैती

*50—श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के थाना निजामाबाद के ग्राम कनठा छित्तपदी में 30 जून एवं 1 जुलाई, 1971 की रात्रि में डकैती पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार न उसमें क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, 30 जून व 1 जुलाई, 1971 की रात्रि में ग्राम कनैठा में एक शसस्त्र डकैती पड़ने की सूचना थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में प्राप्त हुयी थी । उसके आधार पर एक मुकद्दमा धारा 396 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया । इस मुकदमें में अब तक की विवेचना से 8 अभियुक्त रोशनी में आये जिसमें से एक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, दो अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में मारे गये हैं । शेष फरार हैं । विवेचना जारी है ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड को सरकार द्वारा 1967–68 में दिये गये धन का व्यय

*51—श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर), श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी) तथा श्री चन्द्र नारायण सिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रशासनिक व्यय के लिये सन् 1966–67 और 1967–68 में राज्य सरकार ने कितना धन दिया था? तथा उसका व्यय हुआ या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1966–67 में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड को प्रशासनिक व्यय के लिये कुल 4,58,600 रु० दिया था जिसमें से 2,07,239.87 रु० का व्यय हुआ था । वर्ष 1967–68 में राज्य सरकार ने कुल रु० 39,38,200 दिया था जिसमें से 33,22,726.74 रु० का व्यय हुआ था ।

1958–59 से 1960–61 तक केन्द्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से राज्य सरकार को सीधे धन की प्राप्ति

*52—श्री रामलाल भाई, श्री रघुनाथ सिंह वर्मा तथा श्री चन्द्रनारयण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1958–59 से 1966–67 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग से कितना धन राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्राप्त हुआ था ? उसका समय के अन्दर उपयोग हुआ था या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1958–59 से 1960–61 तक केंद्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से राज्य सरकार को सीधे धनराशि, प्राप्त हुई । उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन 1960 में हुआ । अतः वर्ष 1961–62 से बोर्ड को धनराशि प्राप्त होना प्रारम्भ हुई जिसका वर्ष 1966–67 तक वितरण उद्योग निदेशालय के माध्यम से होता था । 1961–62 से 1966–67 तक कुल 2,16,46,584.27 रुपया बोर्ड को प्राप्त हुआ जिसमें से 1,50,22,772.79 रुपया वितरित किया गया । शेष 66,23,811.48 रुपया खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग को वापस कर दिया गया ।

अवशेष धन के समय के अन्दर उपयोग न होने का कारण यह था कि वर्ष 1966–67 तक बोर्ड की समस्त योजनाओं का कार्यान्वियन उद्योग निदेशालय के माध्यम से किया जाता था और विभिन्न संस्थाओं, सहकारी समितियों से धनराशि के मांग पत्र जिला उद्योग अधिकारियों के द्वारा ही बोर्ड को प्राप्त होते थे । अतः बोर्ड द्वारा उपरोक्त अवधि में मांग पत्रों पर विचार करने के पश्चात् कुल 1,50,22,772.79 रुपया का उपयोग समय के अन्दर हो सका ।

देवरिया जिले में आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत योग्य व्यक्तियों को रिवाल्वर तथा बंदूक के लाइसेंस

*53—श्री बांकेलाल, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में पहली जुलाई, 1970 से 1 जुलाई, 1971 के बीच कितने व्यक्तियों ने रिवाल्वर तथा बन्दूक के लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र दिया और उनमें से कितनों को लाइसेंस दिया गया तथाउनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देवरिया जिले में पहली जुलाई 1970 से 1 जुलाई, 1971 के बीच 506 व्यक्तियों ने रिवाल्वर तथा बन्दूक के लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र दिया था और उनमें से 217 व्यक्तियों को लाइसेंस स्वीकृत किया गया जिनके नाम व पते संलग्न सूची में दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 745–754 पर)

*54—श्री बांकेलाल, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि के अन्दर कुछ व्यक्तियों को जो कई मुकदमों में सेशन कोर्ट से सजायाफ्ता हैं उन्हें भी लाइसेंस दिये गये हैं। यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उक्त अवधि के अन्तर्गत कोई लाइसेंस ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत नहीं किया गया है जो किसी मुकदमें में सेशन कोर्ट से सजायाफता है और आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य नहीं है ।

*55—श्री हरीसिंह विष्ट—

[8वें शुक्रवार में प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधायकों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर की शिकायतों की जांच

*56—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1971 में जौनपुर के विधायकों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र उन्हें मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके सम्बन्ध में जांच के लिये शिक्षा निदेशक को आदेश भेजे जा चुके हैं ?

जी० टी० रोड, सीतापुर में इन्डस्ट्री में पेट्रोल के प्रयोग से खतरे की सुरक्षा

*57—श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि सीतापुर नगर में रेलवे लाइन और जी० टी० रोड़ से मिली हुई ऐसी इंडस्ट्री लगाई गई है जिसमें पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है ? जिससे किसी समय भी रोड और रेलवे लाईन को खतरा उत्पन्न हो सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षा हेतु कोई कदम उठायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सीतापुर नगर से 3 मील 1 फर्लांग पूर्व की ओर सीतापुर लखनऊ रोड पर जी० टी० रोड से 37 फिट तथा रेलवे लाइन से 15 फिट की दूरी पर एक रबर फैक्ट्री लगाई जा रही है जिसमें रबर से सोल्यूशन बनाने हेतु पैट्रोल का प्रयोग किया जायेगा परन्तु उस सड़क या रेलवे लाइन की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है ।

*58—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा), श्री अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

ग्रामोद्योग मण्डल, जगतपुर को ऋण तथा धन जमा करने का आश्वासन

*59—श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि खादी ग्रामोद्योग सेवा मंडल, जगतपुर (तहसील फूलपुर) जिला इलाहाबाद को गत वर्षों में जो 14 लाख रुपये की धनराशि का अनुदान एवं ऋण दिया गया उसको किस रूप में उक्त संस्था द्वारा प्रयोग में लाया गया ?

क्या उद्योग मन्त्री उक्त संस्था की वित्तीय व्यवस्था की जांच विशेष आडिट पार्टी भेजकर करायेंगे और जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

खादी ग्रामोद्योग सेवा मंडल, जगतपुर, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद को बोर्ड द्वारा गत वर्षों में कोई ऋण अनुदान नहीं दिया गया है। ग्राम सेवा मंडल, जगतपुर, पो० हनुमानगंज, इलाहाबाद को केवल 26 हजार रुपये ऋण तथा 2,500.00 रुपये अनुदान ईंट भट्ठा उद्योग हेतु दिया गया था जिसमें से संस्था ने 20,000.00 रुपये वापस कर दिया है तथा 2377.57 रु० खादी रिबेट का स्वीकृत धन संस्था ने देय ऋण के पक्ष में समायोजित करने हेतु लिखा है जो समायोजित कर लिया गया है इस प्रकार कुल 22,377.57 रु० की वसूली हो चुकी है। शेष धन के लिये संस्था ने सूचित किया है कि उसके 70-71 के 2,284.45 रु० के खादी रिबेट के क्लेम से समायोजित कर लिया जाय। उसके बाद अवशेष धन शीघ्र जमा करने का आश्वासन दिया है अतः विशेष आटित जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

*60–61—श्री मनोहर लाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*62–63—श्री भगवती सिंह विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*64—श्री विश्वनाथ कपूर—

[9वें गुरुवार के किये स्थगित]

*65–66—श्री महराम सिंह—

[9वें गुरुवार के लिये स्थगित]

प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, रामपुर को बच्चों के उपहार के लिए दिये गये तेइस पेटी सोयाबीन के तेल की बिक्री की जांच

*67—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, रामपुर, विकास खंड चाका, जिला इलाहाबाद ने जून, 1971 के लगभग 23 पेटी सोयाबीन के तेल की कीमत लगभग 2,000 रु० जो बच्चों के उपहार के लिये था उसे बेच डाला और उसकी पूछताछ होने पर स्कूल के कमरे में आग लगा दी ? यदि हां, तो उक्त अध्यापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत स्कूल से 23 कार्टन सोयाबीन का तेल जिसका मूल्य 1,851.50 रु० है, गायब है। यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त स्कूल से संलग्न प्रधानाध्यापक के आवास गृह में आग लगाई गयी।

विभागीय जांच के फलस्वरूप सम्बन्धित प्रधान अध्यापक को 14 जुलाई, 71 से सेवा से निलम्बित कर दिया गया है।

*68—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त घटना की कोई सूचना थाने में की गई ? यदि हां, तो अध्यापक को आगे तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और इस मामले की तफ्तीस और अदालत में चार्जशीट भेजने की कार्यवाही सरकार कब तक करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। उक्त दोनों मामलों की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में कर दी गयी है तथा पुलिस द्वारा तफतीश की जा रही है। जांच आख्या उपलब्ध होते ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*69—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[निरस्त]

*70—श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री शफीक अहमद खां, श्री हबीबुर्रहमान श्री सच्चिदानन्द गुप्त, श्री महीलाल तथा श्री सर्वसुख सिंह—

[11वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या 43–44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जिला आजमगढ़ के थाना मधुबन, दोहरी घाट तथा घोसी में कत्ल, डकैती, नकबजनी एवं राहजनी की घटनाएं

1—श्री लालसा (आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1971 तक जिला आजमगढ़ के थाना मधुबन, दोहरीघाट तथा घोसी में कुल कितनी घटनायें कत्ल, डकैती, नकबजनी एवं राहजनी की हुई ? तथा इनमें से कितने की नामजद रपट की गई ? कितने में चार्जशीट तथा फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तथा कितने ऐसे केसेज थे जिनमें नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी फाइनल रिपोर्ट लगाई गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 755 पर)

थाना मधुबन के श्री फेकन पुत्र श्री राम आधार के विरुद्ध मुकदमा

2—श्री लालसा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ थाना मधुबन के अन्तर्गत श्री फेकन पुत्र श्री राम आधार, ग्राम इटौरा खुर्द के विरुद्ध दन्ड विधि संहिता की धारा 363/366 के अभियोग में दिनांक 4 अगस्त, 1970 को कोई मुकदमा कायम हुआ है ?

यदि हां, तो उस पर पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ? फाइल रिपोर्ट लगा दी गई या चार्जशीट भेज कर अदालत में मुकदमा हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला आजमगढ़ के थाना मधुबन पर श्री फेकन पुत्र श्री राम अधार ग्राम इटौरा खुर्द के विरुध धारा 363/366 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दिनांक 4-8-70 को एक मुकदमा अंकित हुआ। विवचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1970 को प्रेषित किया गया।

अल्मोड़ा के प्रभात टाकीज पर अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर का छापा

3—श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या यह सत्य है कि अल्मोड़ा के प्रभात टाकीज पर विगत 1969 में वहां के अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर द्वारा छापा मारा गया था और मनोरंजन कर की कथित चोरी के अपराध में सिनेमा का लाइसेन्स रद्द कर दिया गया था ? जिसके कारण उक्त सिनेमा 8 महीने तक बन्द रहा था ? यदि हां, तो फिर उस सिनेमा मालिक के विरुद्ध अन्य क्या कार्यवाही की गई ? और क्या सरकार बतलायेगी कि उसी सिनेमा मालिक को पुनः सिनेमा का लाइसेन्स क्यों दे दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1969 में अल्मोड़ा में प्रभात टाकीज के नाम का कोई सिनेमा नहीं था, अतः इस सम्बन्ध में और मांगी गई सूचना दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर व डाला से जिलेवार सीमेंट वितरण

4—श्री रामनिहोर राय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर चुर्क सीमेंट फैक्टरी से किन-किन जिलों को सीमेंट दिया जाता है और डाला सीमेंट फैक्टरी से किन जिलों को दिया जा रहा है ? और इसका क्या आधार माना गया है ? क्या यह सही है कि वाराणसी जिले को सीमेंट चुर्क फैक्टरी से दिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस समय मिर्जापुर (रोबर्ट्सगंज तहसील को छोड़कर, इलाहाबाद (सिर्फ वैगन से) जौनपुर (सिर्फ वैगन से), फैजाबाद, लखनऊ बरेली व गोरखपुर जिले के स्टाकिस्टों को डाला फैक्टरी से सीमेंट दी जाती है तथा शेष जिलों को चुर्क से सीमेंट दी जाती है ।

जिलों का बटवारा दोनों फैक्टरियों के निदेशकों ने आपसी बातचीत से किया जिसमें निम्न बातों को ध्यान में रखा गया :—

(क) प्रत्येक जिले के सीमेंट स्टाकिस्टों की संख्या,

(ख) दोनों सीमेंट फैक्टरियों के पास समीप के जिले ट्रक से सीमेंट पूर्ति हेतु हो ।

(ग) उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे के यातायात क्षेत्र में स्थित जिलों के सीमेंट स्टाकिस्टों को शीघ्र एवं सुविधा से सीमेंट प्राप्त हो अतः रेलवे यातायात की समस्याओं एवं सीमेंट स्टाकिस्टों की व्यापारिक सुविधा को ध्यान में रखा गया है । अभी पूर्ण आबंटन नहीं हो पाया है और कुछ अन्य जिले भी डाला को उसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार आबंटित किये जायेंगे ।

जी हां ।

विकास खंड मझवा कोन सिखड़ की डाला सीमेन्ट फैक्टरी से सीमेंट दिलाने का सुझाव

5—श्री रामनिहोर राय—

क्या मंत्री यह व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के गंगा पार के विकास खंड मझवा कोन सिखड़ के सीमेंट लाइसेंसदारों की कठिनाई को देखते हुये डाला सीमेंट फैक्टरी के बजाय चुर्क सीमेंट फैक्टरी से देने की व्यवस्था करेंगे । यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

गन्ना ग्राम सेवकों की मांगों की पूर्ति के संबंध में वक्तव्य

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के नाम पर जो खुला पत्र गन्ना ग्राम सेवकों ने दिया है और कल 17 तारीख को चार गन्ना ग्राम सेवक विधान भवन के सामने आत्मदाह करेंगे। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और माननीय गन्ना मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गन्ना ग्राम सेवकों के संबंध में ऐसी भयंकर परिस्थिति है। अभी काफी समय है गन्ना ग्राम सेवकों का मामला माननीय मंत्री जी तय करा दें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य, प्रदेश की जनता के विभिन्न वर्ग के लोग संकट में पड़े हुये हैं। माननीय मंत्रीगण आश्वासन दे देते हैं और उनको पूरा नहीं करते। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि गन्ना विभाग के ग्राम सेवक लोग करीब डेढ़ महीने से कौंसिल हाउस के सामने हड़ताल कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने उनको जुलाई में कोई तारीख दी थी और उनको आश्वस्त किया था कि एक समिति बना दी गयी है जो उनकी मांगों को देखेगी। ग्राम सेवक जो प्लानिंग में हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा है और गन्ना विभाग में जो ग्राम सेवक हैं उनकी तनख्वाह कम है। कृषि मंत्री जी ने उनको स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे उनकी मांगों को पूरा करने जा रहे हैं। वे तो यह कह कर सो गये अगर वे लोग कल आत्मदाह कर देंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी।

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय राम करन जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया और साथ ही साथ माननीय कृष्णानन्दराय जी ने जो बात अभी सदन के सामने रखी, वह सत्य से परे है। ग्राम सेवकों का एक डिप्यूटेशन मुझसे एक माह पहले मिला था। उस समय गन्ना कमिश्नर भी मौजूद थे। चार दिन के बाद वह हमसे फिर मिला गन्ना ग्राम सेवकों की 5 मांगें थीं। पहली मांग तो उनकी यह थी कि उनका वेतनक्रम 65–90 से बी० एल० डब्ल्यू० के वेतनक्रम के बराबर यानी 120–250 कर दिया जाय। पे रेशनलाइजेशन कमेटी ने जो वेतनक्रम रखा था गन्ना ग्राम सेवकों का वह 75–115 हाई स्कूल पास वालों का था और 65–90 मिडिल स्कूल पास वालों का था। अंग्रेजी टाइम में जब कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त उनका वेतनक्रम 30–37 रुपया था। लेकिन उसके पश्चात् 60–90 हो गया और फिर 75–115 हो गया। यानी महंगाई मिला कर 165 रुपया प्रतिमाह हो जाता है। तीन रुपया उस समय सायकिल एलाउन्स मिलता था।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

कृषि मंत्री जी अंग्रेजों से मुकाबला क्यों कर रहे हैं। उस समय 20 सेर का तो अनाज मिलता था। (व्यवधान)

डाक्टर सीताराम—

ठीक है। 25–26 साल पहले 3 रुपया साकिल एलाउन्स मिलता था बाद में वह 7 रुपया कर दिया गया। फिर 7 रुपया से 10 रुपया जब बढ़ा था तब मैं ही मिनिस्टर था। मिसेज कृपलानी के जमाने में 7 रुपया था, उसको बढ़ा कर 10 रु० कर दिया गया। अब उनकी डिमांड है कि 15 रुपया कर दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

कल वे आत्मदाह करन जा रहे हैं क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने जा रहे हैं कि नहीं कि उनका 120 रुपया कर दिया जायगा ।

डाक्टर सीताराम—

आपको सुनने के पश्चात् सैटिस्फैक्शन हो जायगा । भावुकता में बहने की आवश्यकता नहीं है । अब इनकी डिमांड है कि 15 रुपये कर दिया जाय । अब गवर्नमेंट ने एक पे कमीशन बिठा दिया है जिसके चेयरमैन जहीर साहब हैं उसके सामने ये सब मामले विचाराधीन हैं । यह होते हुये भी हम लोगों ने उदारतापूर्वक विचार किया कि वास्तव में दो ग्रेड नहीं होने चाहिये और केन कमिश्नर से विचार विमर्श करके उनसे कहा कि वह अपनी आख्या इस संबंध में शासन को प्रेषित करें । तो केन कमिश्नर ने 10-15 दिन हुए शासन को अपनी संस्तुति भेजी है । उसपर हम विचार कर रहे हैं । विचार करने के बाद वित्त विभाग सामने आता है, उसके पास यह मामला जायगा । अगर वित्त विभाग सहमत हो जाता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी नहीं तो मुख्य मंत्री जी तक हम पहुंचेंगे । पे कमीशन के सामने भी यह मामला केन कमिश्नर साहब ने भेज दिया है । उनकी यह मांग अनुचित नहीं, ठीक मालूम होती है । लेकिन उनका यह कहना कि गवर्नमेंट अभी मान ले, यह ठीक प्रतीत नहीं होता है कि प्रेशर डाल कर गवर्नमेंट से मनवाया जाय । अभी कृष्णानन्द जी ने बताया कि हम लोगों ने वायदा कर लिया है । माननीय कृष्णानन्द जी भी गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं । वह जानते हैं कि सरकार के सामने प्रत्येक मामला हमेशा विचाराधीन रहता है । तो यह कह देना कि मैंने आश्वासन दे दिया था, यह सही बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय कृषि मंत्री जी, जिस प्रकार से केन कमिश्नर ने एक रिपोर्ट आपको दी है जिस पर आप विचार कर रहे हैं, क्या आप सदन में केवल इतनी बात कहने के लिये तैयार हैं कि 120 रुपये की जो उनकी मांग है गवर्नमेंट उसको उचित मानती है और उसको आप कैबिनेट में या मुख्य मंत्री जी के सामने ला कर विचार करेंगे ? यदि मांग उचित है तो दो दिन के बाद भी दे सकते हैं, जब पैसा आ जाय तब दे सकते हैं, कैबिनेट डेसीजन हो जाय तब दे सकते हैं । केवल आप इतनी बात कह दें ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

इतना तो कृष्णानन्द राय जी को भी मालूम होगा कि एक विभाग का मामला है । केवल वह मंत्री यह नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट ने इसे स्वीकार कर लिया है । विभाग का मामला आयेगा, जैसा कि आपको पता है, वित्त विभाग में, न स्वीकार किया उन्होंने तो मुख्य मंत्री के यहां आयेगा और वहां भी अगर मतभेद हो तो फिर कैबिनेट के सामने जायगा । तो इसमें कुछ समय लग सकता है । अगर उनके प्रति सहानुभूति न होती तो कृषि मंत्री जी केन कमिश्नर से कहते ही नहीं कि आप अपनी आख्या दीजिये और यह भी न बताते कि जो आख्या भेजी है उसमें यह रेकमेंडेशन की है । बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और इस मसले में हकतलफी नहीं होने देंगे ऐसा मेरा विश्वास है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मुख्य मंत्री जी और कृषि मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जो आख्या गन्ना आयुक्त ने उन्हें 15 दिन पूर्व भेजी है अगले 30 दिन के अन्दर उस पर सरकार कोई निर्णय ले सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं समझता हूं कि इससे पहले भी निर्णय ले सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसी बीच में यह घटना हुई कि उनको मिलने के लिये समय दिया गया और वे लोग 10 बजे से 3 बजे तक मुख्य मंत्री जी के दरवाजे पर बैठे रहे लेकिन उनसे मुलाकात न हो सकी। वह आत्मदाह की बात कर रहे हैं। मैंने भी उनको समझाया कि आत्मदाह नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि क्या यह उचित नहीं होगा कि मुख्य जी मंत्री अपने पास उनको बुलाकर इस बात को समझा दें और उनके मसले को हल कर दें ? कल विधान सभा का सत्र समाप्त हो जायगा। अगर उनको समझा देंगे तो 30 दिन के बजाय 31 दिन भी चाहें लग जायं तो उनको आपत्ति नहीं होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नित्यानन्द जी अहिन्सात्मक नीति को मानते हैं और उनको हिन्सा से कोई प्रेम नहीं है। उसी अहिन्सावादी नीति को लेकर इस प्रश्न को सुलझाने की चेष्टा की जायगी।

विविध विषय

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मेरा एक प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद के पदाधिकारियों को आनरेरियम, भत्ता आदि संबंधित कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गई हैं। इसका उत्तर हमको नहीं मिला ?

श्री अध्यक्ष—

उसका जवाब नहीं दिया गया। वह आया ही नहीं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में जो कुछ कहना हो वह आप मेरे कमरे में आकर कहें। आप अब कृपया बैठ जायं। मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

कृषि मंत्री जी ने मेरा नाम लिया कि मैं जब मंत्री था तो कुछ नहीं कर पाया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कृषि मंत्री इस प्रदेश में 6, 6 साल से कृषि मंत्री रहे हैं तो वह कुछ गन्ना ग्राम सेवकों के लिये करेंगे और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे ?

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़-फूलपुर)—

मेरा प्रश्न नम्बर 50 था जिसका लिखित उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आकर कहिये। अब इस समय मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अभी नित्यानन्द स्वामी जी ने एक प्रश्न मुख्य मंत्री जी से किया था। मुख्य मंत्री जी ने उठकर आवेश में उत्तर दे दिया कि "जी नहीं" उन्होंने आवेश में आकर प्रश्न को भी नहीं सुना कि उनका क्या प्रश्न है। जैसा वह चाहें वैसा उत्तर तो नहीं मिल सकता है लेकिन 30 दिन नहीं सुना और 3 दिन की बात सुनकर उत्तर दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि मुख्य मंत्री जी ने 3 दिन समझा। तो यह समझ कर उन्होंने "जी नहीं" में उत्तर दे दिया। जब 30 दिन उनको मालूम हुआ तो कह दिया कि इससे पहले भी हो सकता है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं यह निवेदन करता हूं कि गन्ना ग्राम सेवकों की मांग जायज है कृषि मंत्री जी ने कहा। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मिलेंगे। जब गन्ना ग्राम सेवक मिलने के लिये आते हैं तो समय देकर भी उनसे नहीं मिलते हैं तो इससे क्या यह समझा जाय कि आज एक बात और कल दूसरी बात। यह क्या तमाशा है। मुद्दत से यह विधान भवन के सामने अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग जायज है और आपने आश्वासन दिया है तो आप उसको क्यों बदल रहे हैं। उन लोगों को बुलाकर बात करके शान्ति के साथ बातें समझकर इस प्रश्न को सुलझाने की चेष्टा करें यही मेरा निवेदन है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

एक मिनट हमारी बातें सुन लें.... (व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने और श्री बंशीधर पांडेय ने कल नियम 51 में एक सूचना दी थी जिसके ऊपर आज वक्तव्य होने को था लेकिन आज हमें ज्ञात हुआ है कि सरकार ने उसके लिये चार दिन का समय मांग लिया है। आपको मालूम है कि कल सदन उठ जाने वाला है, एक स्त्री कुमारी रामवती के साथ बलात्कार किया गया और वह गर्भवती भी हो गई, बड़े-बड़े लोग इस मामले में फंसे हुए हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद्, खीरी भी इसमें फंसे हैं, इस मामले के बयान भी मैजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं इसलिये जो कुछ भी सूचना शासन को उपलब्ध है वही जल्द ही आजकल में दे दें। मेरा निवेदन है कि बहुत अहम मसला है, हरिजनों का मामला है, हम उस पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे श्रीमन्, आप केवल वक्तव्य मंत्री जी से दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आ कर बात कर लें, गवर्नमेन्ट ने इसके लिये 4 दिन का समय चाहा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, हम उस पर सप्लीमेन्टरी नहीं करेंगे, उस केस में बयान मैजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं, उसी आधार पर वह वक्तव्य दे दें। वह कल ही आप दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

आप कमरे में आ जाएं, मैं फाइल देख लूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा 2 दिन के बाद उठ जायेगी और इस समय बहुत गंभीर मसले प्रदेश के सामने हैं जो एजेन्डे पर नहीं आए हैं। होम्योपथिक वालों का प्रश्न चल रहा है, उनको यहां डेढ़ मास बीत गया...

श्री अध्यक्ष—

वह एक कामरोको प्रस्ताव आगे है उसमें आप कह दीजिएगा। (व्यवधान)

पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, 1964 से वर्ष 1968 तक किये गये 4 संशोधनों के संबंध में प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस अवसर पर मैं इस प्रतिवेदन में की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशों के संबंध में निवेदन करन उचित समझता हूं। इस सदन की प्रतिनिहित विधायन समिति ने सन् 1956 में यह सिफारिश की थी कि शासन मूल नियमावली में किये गये संशोधनों का क्रमिक संख्यांकन करे। शासन ने उसको 9 साल के बाद विधायिका विभाग द्वारा 12 जुलाई, 1965 को एक कार्यालय ज्ञाप जारी कर

†छापा नहीं गया।

मान लिया था लेकिन उसको स्वीकार करने के बाद शासन के विभिन्न प्रशासनिक विभागों ने उस पर अमल नहीं किया और 17 अप्रैल, 1967 को एक दूसरा कार्यालय ज्ञाप विधायिका विभाग को जारी करना पड़ा और उन्होंने इसकी सूचना प्रतिनिहित विधायन समिति को भी दी थी लेकिन खेद की बात है कि केवल 1 मास और 21 दिन के बाद ही विधायिका विभाग ने एक दूसरा ज्ञाप जारी करके क्रमिक संशोधनों के सिद्धान्त को और सारी परिपाटी को ही बदल दिया और समिति को इसकी कोई सूचना तक नहीं दी। इस तरह से प्रतिनिहित विधायन समिति की उपेक्षा विधायिका विभाग के द्वारा हुई है और उसका परिणाम यह हुआ है कि क्रमिक संख्यांकन संशोधनों का न होने से आज प्रदेश के नागरिकों को यह जानना कठिन हो गया है कि किस नियमावली में अप-टु-डेट अब तक कितने संशोधन हुए हैं और मूल नियमावली का अब क्या रूप हो गया है। समिति ने अब इस प्रतिवेदन में यह सिफारिश की कि अभी तक जितने नियम बन चुके हैं उन सबको अप-टु-डेट परिष्कृत किया जाय और 1 जनवरी, 1972 तक सारे संशोधनों का क्रमिक संख्यांकन किया जाय।

दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश इस संशोधन में यह की गई है कि माननीय सदस्यों को उत्तर प्रदेश के भीतर राजकीय रोडवेज द्वारा यात्रा करने हेतु कूपन के स्थान पर पास दिये जाएं। कूपन जारी करने की परिपाटी से माननीय सदस्यों की बड़ी असुविधा होती है। इस परिपाटी को समाप्त कर कूपन के स्थान पर रोडवेज में यात्रा करने के लिये विधान मण्डल के सदस्यों को पास दिया जाना चाहिये। भारत के अन्य राज्यों में पास देने की प्रथा जारी है। इसलिये कोई वजह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में यह परिपाटी न अपनाई जा सके। इन शब्दों के साथ इस प्रतिवेदन को मैं इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह के भाषण की सदन से बाहर टीका किये जाने के संबंध में राजा रामकुमार भार्गव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना के कुछ प्रश्न उठाए गये हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, कौन-सा विषय आप ले रहे हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

अध्यक्ष जी, आप 301 में तो ले लें। मेरे कागज आपके पास हैं। आप खारिज करें या कुछ ऐसा करें। उसे बतला तो दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं एजेन्डे से चल रहा हूं। विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं का प्रश्न सबसे पहले आयेगा।

श्री सी० पी० एन० सिंह ने कल यह कहा था कि कोई जमीन थी। उस जमीन के बारे में पी० डब्ल्यू० डी० चाहती थी कि बन्द बनाने के लिये उनको जमीन मिल जाय। और उसका काम पूरा हो जाय। लेकिन श्री राम कुमार भार्गव ने हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चलाया और हुकुम निकलवा कर उसे रुकवा दिया। बलराम सिंह के बारे में भी कहा गया था। आपने कहा है या श्री सुरेन्द्र विक्रम ने कहा। उन्होंने भी रुकवाने की कोशिश की। उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं थी। ऐसा श्री राम कुमार भार्गव ने कहा है कि कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है और न हमारा संबंध है और उसकी पुष्टि माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से भी आई है कि कोई मुकदमा नहीं था। यह सूचना मुझे मिली। दूसरे जो बलराम सिंह ने भेजा

[श्री अध्यक्ष]

है, ये श्री त्रिलोकी सिंह के भाई हैं वे मेरे पास आए और उन्होंने भी याचिका पेश की कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं थी। हमारा झगड़ा केवल यह था कि आप जो मुआविजा दे रहे ह वह कम है। लेकिन कब्जा सरकार को बराबर दे देंगे जमीन का, यह उन्होंने लिखा है। इसमें आपका जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है वह केवल इस तरह का है कि राजा राम कुमार भार्गव ने लिखा, उधर मुख्य मंत्री को भी लिखा उधर अखबार में भी छपवा दिया कि इरिस्पान्सिबुल तरीके से किया। यह उनको नहीं करना चाहिये था। लेकिन मैं उनको सूचना दे दूंगा कि आपने अनुचित बात की है। अगर इस छोटे से मामले को जब उनकी बात सत्य है यह मुख्य मंत्री जी भी कहते हैं, विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को इतना बढ़ाएं कि समिति को भेज दें यह उचित होगा या नहीं मैं उनको खुद लिख दूंगा कि यह अनुचित किया है आपने। सदन में किसी सदस्य ने कोई बात कही है उस पर टीका नहीं करनी चाहिये। यह इरिस्पान्सिबुल है। आप यह कहें कि यह बात सही नहीं है अगर प्रतिवाद करना है तो। इतना छपवा देते, उसे गलत लिख देते तथा सदन में कह देते कि ऐसी चीज नहीं है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मैं समझता हूं इस पर मैं वार्निंग दे दूंगा कि इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य को यहां सूचना कहां से होती है, जनता से। जनता ने मुझे सूचना दी और मैंने इस हाउस में कुछ बातें कहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने नेशनल हेराल्ड में बाढ़ आने के पहले यह कहा था कि मैं इसमें इन्क्वायरी करा रहा हूं और जिसकी वजह से बन्ध टूटा है मैं बतलाऊंगा। मैंने आपने भाषण में कहा कि इन चीजों की वजह से यह बाढ़ आयी। हम लोगों की जानकारी जनता से होती है। मुख्य मंत्री ने हमें नहीं बतलाया और हम मंत्री तो हैं नहीं कि पता लग जावे। तो अगर किसी माननीय सदस्य के भाषण के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो मेरा कहना है कि आप इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेज दें और उसकी हाई लेविल जांच करावें कि मेरी बातें सही हैं या नहीं है। दूसरी बात यह है कि कि राजा राम कुमार भार्गव ने अखबार में छपवा दिया कि मेरा स्टेटमेन्ट अटर्ली इरिस्पान्सिबिल और टोटली इन्करेक्ट है। सच ए बेसलेस स्टेटमेन्ट आन द फ्लोर आफ द हाउस लिखा है। यह मैलिशश है और यह विशेषाधिकार में जाना चाहिये। अगर यहां कोई माननीय सदस्य को कुछ कहता है और उसको अखबार में निकलवा दिया जाता है तो सदस्यों की इज्जत नहीं रह जावेगी। मैं कहता हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति में भेजना जरूरी है और इसको हाई लेविल प्रूब करा ली जाय कि बन्ध क्यों टूटा और किन कारणों से नहीं बन सका। अगर माननीय सदस्यों की यह इज्जत होगी तो विधान सभा में मंत्री तो रह सकेंगे लेकिन सदस्य नहीं रह सकेंगे।

श्री बंश गोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)--

यह राजा राम कुमार भार्गव का जो नाम लिया गया है वह बिल्कुल गलत है क्योंकि इस जमीन पर सरकार का 61 में कब्जा हो गया था। उस समय योग साहब पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर थे। अगर जमीन पर कब्जा कर लिया और फिर भी नहीं बना है तो राजा राम कुमार भार्गव का इसमें हाथ नहीं है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ सुना है वह ठीक है।

श्री बंश गोपाल शुक्ल--

जो चीज उठायी गयी है वह गलत है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

प्रश्न यह है कि एक माननीय सदस्य ने एक चीज कही, वह फैक्ट हो सकती है या गलत हो सकती है। रामकुमार भार्गव राजा हैं, बड़े प्रभावशाली आदमी हैं। इस बात से यहां कोई इन्कार नहीं कर सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वाकयात गलत हो सकते हैं लेकिन उसके आधार पर उनको अखबार में नहीं छपवाया जा सकता है। विधान सभा के एक सदस्य के भाषण को अटरली इरिसपान्सिबिल और बेसलेस कहा जाय तो यह प्रिविलेज का मामला हो जाता है। इस पर ला कोर्ट में भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। वह यह कह सकते थे कि यह फैक्ट नहीं है लेकिन जो कुछ कहा गया है वह बहुत गलत है। तो आप कह रहे हैं कि हम भेज देंगे, यह बात ठीक नहीं है। उनसे कहा जाय कि वह रिग्रेट करें, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो इस मामले को प्रिविलेज समिति में भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात का कह रहा हूं कि जो आपने बात कही वह ठीक है। यह गलत है कि यहां किसी प्रकार के भाषण पर इस तरह की टीका करें कि वह इरिस्पान्सिबिल बात कहीं गई थी इत्यादि शब्दों को प्रेस में देकर छपवा दें। मुझे उन्हें सही बात को इन्फार्म करना चाहिए था। उन्होंने जो कुछ किया वह गलत है। इसके लिये रानी राम कुमार भार्गव ने फोन किया था। मैंने कहा कि मेरे पास भेज दीजिए और मैं सदन में कह दूंगा। उन्होंने हाई कोर्ट में कोई दावा नहीं किया था। उन्होंने कह किया कि उनसे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह राजा राम कुमार भार्गव हैं या रानी कहां से आ गईं ?

कुंवर चन्द्रप्रतापनारायण सिंह—

मान्यवर, यह तो अखबार का न्यूज आइटम है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल इस बात का है कि मैंने अगर उनकी भर्त्सना कर दी, वह रिग्रेट एक्सप्रेस करेंगे। उनको यह तो करना ही पड़ेगा।

कुंवर चन्द्रप्रतापनारायण सिंह—

मान्यवर, इस माननीय सदन के सदस्यों का अवमान हो गया। सिर्फ रिग्रेट एक्सप्रेस करने से ही नहीं होगा। इसको विशेषाधिकार समिति में अवश्य भेजें।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने इस बात को इरिपान्सेबुली कहा है। खास तौर से शिकायत करने के बाद याचिका आयेगी। वह कह देते कि सुना दीजिये तो मैं सुना देता। जो सत्य बात है वह कह देते तो कोई बात नहीं लेकिन इस तरह से रिमार्क पास करना इरिस्पान्सेबुल चीज है, गलत है और यह ज्यादती है। आप यह चाहते हैं कि कमेटी के सामने जाय लेकिन यह इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर रेग्रेट एक्सप्रेस कर देते हैं तो वह काफी है। उनको यह रिग्रेट एक्सप्रेस करना होगा।

श्री भानप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

जो रिग्रेट वह शो करें वह आपको पत्र द्वारा द्वारा नहीं बल्कि उसको समाचार-पत्र में अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करना चाहिए। वह उसी अखबार में रेग्रेट का बयान दें तब तो यह पर्याप्त होगा अन्यथा नहीं। केवल आपके पास एक पत्र भेज दिया यह नाकाफी होगा। मुझे इस अवसर पर एक कहानी याद आ रही है कि अखबारों में तो छपवा दें और गुसलखाने में

[श्री भानुप्रताप सिंह]
जाकर माफी मांग लें। आपकी रेग्रेट वाली बात हम लोग स्वीकार कर लेंगे अगर वह रेग्रेट अखबार में निकलता है। वह उसी प्रकार से छपे। अगर वह नहीं छपता है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस माननीय सदन के सदस्यों के मान की रक्षा नहीं हो सकती है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—
मान्यवर, विशेषाधिकार के लिये प्रक्रिया बनी हुई है। आपने इस विषय में एक नियम स्वीकार किया है जिसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि ऐसा होने पर सदस्यों का अवमान होता है और वह विशेषाधिकार का प्रश्न हो जाता है।

श्री सिंह ने यह प्रश्न उठाया कि उनका अवमान हुआ और आपने प्राइमाफेसी उसको स्वीकार कर लिया आपने स्वीकार कर लिया कि गलती हुई। उसकी एक प्रक्रिया है। उसके अन्तर्गत उनको यहां आना चाहिए। जैसा कि भानू बाबू ने कहा, गुसलखाने वाली माफी नहीं मानी जा सकती। यह प्रश्न केवल सी०पी०एन० सिंह जी का ही नहीं बल्कि सभी का है। आपको चिट्ठी लिख देना ही काफी नहीं है। माफीनामा सदन के सामने होना चाहिए ताकि आयन्दा के लिए उदाहरण हो। ऐसे ही चिट्ठी लिखकर देने से हमारी प्रक्रिया नियमावली की अवहेलना भी होगी।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—
1960 और 61 में बाढ़ रोकने का जो प्लान बना, शुरू से आखीर तक अगर हाई लेविल प्रूव हो तो आप देखेंगे कि जो मैंने कहा वह गलत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—
आप इंसिस्ट करते हैं तो मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेजे देता हूं। जब आप इस बात पर राजी नहीं हैं और जब मैंने सदन में एक बार कह दिया कि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो इसे विशेषाधिकार समिति में जाना चाहिए। तो मैं भेज रहा हूं।

श्री अनन्त राम जायसवाल व श्री मंजूर अहमद द्वारा एक दूसरे के प्रति कहे गये आपत्तिजनक शब्दों के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत)†

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—
अब आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेंगे ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—
मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न बहुत दिनों से पड़ा है। अनन्तराम जायसवाल जी के विरुद्ध और जायसवाल जी का श्री मंजूर अहमद के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष—
उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अब उठता नहीं। अब सवाल यह उठता है कि जो शब्द कहे हैं एक माननीय सदस्य ने और चार्ज लगाया है, उसको निकाल देना चाहिये। दूसरे, जो उत्तर में अपशब्द कहे गए हैं उन्हें भी निकाल देना चाहिए। इनको निकाल देना मैं समझता हूं ज्यादा उचित होगा।

---

† 31 अगस्त, 1971 की कार्यवाही से।

श्री रियासत हुसैन—

उस वक्त मैंने खुद यह अपील की थी माननीय उपाध्यक्ष जी से कि ये शब्द निकाल दिए जाएं, लेकिन उपाध्यक्ष जी ने कहा कि इन शब्दों को निकाल देने के बाद, यह मामला ऐसा नहीं है कि इसको समाप्त किया जा सके, लिहाजा ये शब्द नहीं निकाले गये। शायद इसलिये नहीं निकाले कि ये शब्द प्रोसीडिंग्स से निकाल दिये जायेंगे तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनेगा। मैं तो स्वयं चाहता था कि इन्हें निकाल दिया जाय। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इतने दिनों बाद आप क्यों कह रहे हैं कि इन शब्दों को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि कुछ सिद्धान्त किसी के होते हैं। उनका एक सिद्धान्त है कि जो शब्द कहे गये हैं वह बने रहें ताकि लोग आगे चलकर पढ़ें और समझे कि अमुक सदस्य ने ये शब्द कहे और अमुक ने ये शब्द कहे। लेकिन मैं इस तरह से एक्सपेरीमेन्ट करने को तैयार नहीं हूं कि आगे आने वाले लोग कहें कि हमारे सदस्य ऐसे थे जिन्होंने ऐसी गाली दी या ऐसा चार्ज किया और अफवाह के जोर पर किया, क्योंकि दूसरी बार उन्होंने अपने को करेक्ट किया कि कहा था कि मैंने ऐसी अफवाह सुनी थी। मैं समझता हूं उससे सदस्यों का अपमान होता, लोग यह समझते कि ऐसे सदस्य थे। तो इसमें सदस्यों का और पूरे सदन का अपमान हो जाता है। इस पर मैंने विचार किया। उनका सिर्फ यही कहना था कि इसको सदन के सामने रख दिया जाए और अगर सदन की राय इन शब्दों को निकालने की हो तो निकाल दिया जाए, न निकालने की हो तो न निकला जाए। इस पर मैं राजी नहीं हुआ। यह मेरी जिम्मेदारी है कि सदन की मान मर्यादा कायम रक्खूं और यह न हो कि किसी सदस्य की मान मर्यादा खंडित हो जाए। छपाने वाला सारा कार्य मेरे जिम्मे है। मैं देखता हूं कि वह ठीक तरह से छपे। मैं इन शब्दों को निकाल रहा हूं। इससे उनका अपमान भी नहीं होगा और वह भी निकल जायेगा जो चार्ज इनके ऊपर लगाया है। इस बात को खुद चार्ज लगाने वाले ने दूसरे वक्तव्य में कहा कि "मैंने सुना था"। ऐसी हालत में उसकी छानबीन करने की जरूरत नहीं है। तो जिन शब्दों का दोनों ओर से प्रयोग किया गया निकाल दिये जायेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

एक सदस्य को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है और दूसरे सदस्य को उसी विषय पर कम मान्यता दी जाती है। मैंने एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन में धनराशि के दुरुपयोग और उसमें हुई हानि के संबंध में अल्प सूचित प्रश्न दिया था जिसको आपने मंजूर नहीं किया। आपने "तारांकित प्रश्न" स्वीकार किया, जो भी इस सत्र में नहीं आएगा। श्री राम मूर्ति अंचल के लगातार कई अल्पसूचित प्रश्न एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के संबंधमें स्वीकार किये गये। डायरेक्टर, एग्रीकल्चर ने उद्घाटन करते हुए यह कहा था कि एक फ्रूट प्रोसेसिंग कारपोरेशन कायम की जा रही है। यह भी कहा गया कि बाग कटते जा रहे हैं और बागात को सीलिंग ऐक्ट से एग्जेम्प्ट करने के लिये सरकार को लिखा है। सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि इसकी कोई इत्तिला नहीं है। स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से नहीं पूछा गया और जब मैंने प्रश्न किया तो उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। क्या मैं कोई घटिया किस्म का सदस्य रहा हूं जो आपने मेरा अल्प सूचित प्रश्न स्वीकार नहीं किया जबकि दूसरे सदस्य के लगातार अल्प सूचित प्रश्न स्वीकार किये गये। अपोजीशन के सदस्यों को आप मान्यता नहीं देते हैं। क्या यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है।

(इस समय ट्रेजरी बेंचेज के ऊपर वाली दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके गये)

तो यह हमारी अवहेलना है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न बाद में क्यों रखे जाते हैं ?

सदन में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके जाने की घटना

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—
यह पर्चेबाजी बन्द कीजिए।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—
इनको जेल भिजवाइए।

श्री अध्यक्ष—
मार्शल इसके लिये इन्तजाम करेंगे, आप इस पर अधिक ध्यान न दीजिए, आप आगे का कार्य देखिए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—
कुछ दिन पहले इस सदन में पर्चे फेंके गये थे और दो आदमियों को सात-सात दिन की सजा दे दी गयी थी। उसके बाद में लगातार कम से कम 5—6 बार इस प्रकार की प्रक्रिया हो चुकी है। पर्चे फेंकने वालों के साथ नर्मी के साथ व्यवहार किया जाता है। एक दफा उपाध्यक्ष जी ने कह दिया कि सदन में कोई बाधा नहीं पड़ी, लिहाजा पर्चे फेंकने वालों को छोड़ दिया गया। यह लीनियेन्सी और उदारता की नीति मेरी समझ में नहीं आती है। इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिए।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, पहले पर्चे गिराये गये थे। उस समय हम चुपचाप बैठे रहे और अपना काम करते रहे। आज भी पर्चे गिरे हैं। मैं मानता हूं कि यह बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग अपना काम करते रहते हैं और मार्शल वगैरह उनको हटा देते हैं और आप जो सजा देना चाहते हैं दे देते हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि रियासत हुसेन साहब इस पर बहुत ज्यादा भाषण न दें। पर्चे फेंकने के पीछे कुछ सेंटीमेन्ट्स और भावनाएं होती हैं।

श्रीमन्, यह बहस करके या कन्डेम करके इस पर्चेबाजी को हम रोक सकते ? यह पर्चे तो 12 घंटे गिरते रहते हैं, लेकिन आपकी कुछ कृपा रही है, हम सदस्य भी यहां प्रश्न उठाते रहे और माननीय मुख्य मंत्री जी की भी उदार नीति रही है, जिसके कारण यह सदन चल रहा है, वरना यह सदन चल नहीं पाता। अगर होम्योपेथिक कालेज के विद्यार्थियों आदि के विषय में आपने चर्चा करने के लिए समय दे दिया होता तो संभवतः यह परचे न गिरते। मैं माननीय रियासत हुसेन साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इन परचे गिरने के औचित्य के प्रश्न पर भाषण न दें, नियमों के अनुसार काम करें। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रोज सड़कों पर हो रहे हैं, अगर यहां उन पर विचार नहीं होगा तो हम श्रीमन्, पर्चे गिरने से रोक नहीं सकते।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अपने भाई कृष्णानन्द राय जी की बात सुन कर। अभी यहां पर सदन की मर्यादा के विषय में माननीय सदस्य बहस कर रहे थे कि अखबारों में यह छाप दिया गया, ऐसे शब्द लिख दिए गए जो नहीं छपने चाहिये थे आदि। एक वह मर्यादा का प्रश्न यहां उठा था, यह भी इस सदन की मर्यादा का ही प्रश्न है कि यहां पर्चेबाजी न हुआ करे। न जाने कितनी बार यहां पर्चेबाजी हुई है। सजा भी दी है। मैं यह नहीं कहता कि इस पर्चेबाजी के लिए सजा देने की जरूरत है। लेकिन यह एक सदन की मर्यादा का प्रश्न है। आपके कहने से तो ऐसा मालूम होता है कि रोज पर्चेबाजी हुआ करे। आपने कहा दिन भर में १२ बार पर्चे गिरेंगे। इसका मतलब यह है कि उसके लिये उनको प्रोत्साहन मिला। यह गलत है। मान्यवर, देखना यह चाहिये कि जो लोग इजाजत लेकर यहां

आते हैं वे पर्चे लेकर चले कैसे आते हैं। इसको भी देखना चाहिये। पहले यहां बाहर आने जाने में कुछ रुकावट होती थी, उसके लिये कुछ कदम उठाये गये, आने वालों के लिये समय निर्धारित कर दिया गया, उससे यह हुआ कि अब कैरीडार में जो पहले इतनी भीड़ रहती थी वह नहीं होती। यह किया गया कि जिन्हें आना है वे ४ बजे के बाद आएं सेशन के दिनों में। तो यह जो सिक्योरिटी का इन्तजाम है उसको यह देखना चाहिए कि यह लोग पर्चे लेकर कैसे चले आते हैं। जहां तक अभी जो पर्चे गिरे हैं इस पर कोई बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस समय जो सदन का काम है आगे का वह चले।

गन्ना किसानों के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय में जानकारी की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा निवेदन सुन लें। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की बात को सुना। मैंने माननीय कृष्णानन्द राय जी की बात भी सुनी। मैं स्वयं एक परेशानी में हूं कि जब प्रदेश की जनता को अपनी कोई बात यहां पर कहना हो तो उसका माध्यम क्या हो? अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम वह क्या बनाए? माननीय मुख्य मंत्री जी इशारा कर रहे हैं कि वह माध्यम मैं बनूं। हमने आपके सम्मुख नियम 52 के अन्तर्गत गन्ना किसानों का मामला उठाने के लिये प्रार्थना की और वह कई दिनों से दे रखी है और उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उस पर जब यहां बहस नहीं कर सकते, तो प्रदेश का किसान क्या करे? इसी प्रकार गन्ना ग्राम सेवकों का मामला है, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक कालिजों के विद्यार्थियों का मामला है, बाढ़ पीड़ितों का मामला हैं, वे सब असहाय हैं, क्या करें . . .

श्री अध्यक्ष—

क्या वे पर्चे फेंका करें, आप यह चाहते हैं?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा यह कहना है कि यदि कोई सवाल यहां उठाया जाय तो उसका समाधान होना चाहिये। राय साहब ने कहा मुख्य मंत्री जी बड़े उदार हैं। उदारता होगी, लेकिन सरकार के मुख्य मंत्री जी उदार हो सकते हैं, मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार की नीति किस प्रकार की है, उसका प्रतिबिम्ब यह घटनाएं हैं। गवर्नर साहब के भाषण में कहा गया कि हमें तो मैनडेट मिल गया, वास्तव में सदन के लिए उन्हें मैनडेट नहीं मिला था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको आज यह बात तय करनी पड़ेगी। चाहे मुख्य मंत्री जी को आप अपने कक्ष में बुला लें, कि जब सदन उठे तो उसके पहले पहले जो प्रश्न यहां आए हों, उनके लिए कोई तिथि अवश्य निश्चित हो जानी चाहिये। यह सवाल यदि आज न हो तो एक महीने के बाद समय के पूर्व आ जाय जिससे कि सरकार और दूसरे सदस्यों के विचार यहां व्यक्त हो सकें,—यह आपको अवश्य व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं निर्णय कर दूंगा। और यह आगे लिया जायेगा। सदन की कार्य-मंत्रणा समिति ने यह निश्चय किया था कि इस बैठक में सिर्फ आज के मसले को और बाढ़ के विषय को लिया जाए, इसके अलावा यथासंभव दूसरे विषय न लिये जाएं, जिससे कि इन पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय मिल सके। यह बैठक केवल चार रोज की है, फिर सदस्यों को जल्दी अपने क्षेत्र में जाना है, अपनी अपनी जगह बाढ़ का काम करना है। दूसरे प्रश्न उठाए जायेंगे तो इस पर विचार करने का समय चला जायगा। आपका प्रश्न मैं अपने मन में रखे हूं, जिस वक्त सदन फिर बुलाया जाएगा, उस वक्त पहले मैं उसे रखूंगा।

सदन में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके जाने की घटना (क्रमागत)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, अभी इस माननीय सदन में पर्चे फेंके गये। इसके पूर्व भी दो-तीन बार फेंके जा चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कहा और श्री कृष्णानन्द राय जी ने भी कहा, लेकिन उस पर आपनें अपनी कोई व्यवस्था नहीं दी। मान्यवर, इस माननीय सदन की गरिमा और सम्मान कायम रखने के लिए जितनी जिम्मेदारी आप पर है वही माननीय मुख्य मंत्री और सभी अपोजीशन सदस्यों पर है। अगर इसी प्रकार से रोजाना पर्चा फेंकने की परिपाटी चलती रही तो न सदन की गरिमा रह सकती है न आपकी। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि इसमें आप इस प्रकार की व्यवस्था दें, इस प्रकार के कदम उठाएं जिससे इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग निरुत्साहित हों।

श्री अध्यक्ष---

अब "मथुरा में अध्यापकों को नसबन्दी के आधार पर नौकरी, पदोन्नति तथा अन्य सुविधाओं के दिये जाने के संबंध में शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य"।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इस पर आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री अध्यक्ष---

ऐसे मामलों को पहले तो हम डिटेन करते हैं, जिस वक्त यह होता है। पिछली बार हमने 7 दिन की सजा दी थी, लेकिन यह बात कही गई कि सात रोज की सजा बहुत ज्यादा है, छोड़ देना चाहिये। मैंने देखा कि मुख्य मंत्री ने भी फोन पर यह कहा कि मैंने समझा था कि शाम तक आप उनको छोड़ देंगे। तो मैं समझता हूं उनकी भी दयालू राय है, वह भी दया करते हैं। तो जब सख्त सजा दी तो लोग कहते हैं कि आपने ज्यादा सजा दी और जब सजा नहीं दी तो लोग कहते हैं कि आपने सजा नहीं दी। यह तो विचित्र परिस्थिति है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप ऐसी व्यवस्था कराएं कि इसकी आवश्यकता ही न पड़े।

श्री अध्यक्ष---

तो इसका रास्ता यही है कि हम गैलरीज को बन्द कर दें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह कैसे हो सकता है, यह तो बिलकुल अनुचित होगा। गैलरीज में जो लोग बैठे हैं उन्होंने ही आपको और हमको यहां भेजा है। आपको सोचना चाहिये कि हमारे प्रति उनके हृदय में सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, इसीलिये वह पर्चे फेंकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

एक तरफ कहते हैं कि ऐसा कुछ कीजिए कि यह बन्द हो जाय। बन्द करने का तरीका यही है। जो जनता प्रोत्साहित करती है, जो माननीय सदस्य इन लोगों को प्रवेश पत्र दिला देते हैं जानबूझ कर, इस बात को जानते हुए कि ये परचे फेंकेंगे, इस पर भी कहते हैं कि इनको अन्दर आने दो, और सिफारिश करते हैं, ऐसी सब बातें होती हैं, तो यही होगा कि हम सब को बन्द कर दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष जी, अब आगे बढ़िये।

श्री मनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था तो यह हो गयी कि घर में चोरी हो गयी तो घर फूंक दें।

मथुरा जिले में नसबन्दी के आधार पर अध्यापकों की पदोन्नति आदि पर शिक्षा मंत्री की वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मथुरा में अध्यापकों को नसबन्दी के आधार पर नौकरी, पदोन्नति तथा अन्य सुविधाओं के दिये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री वक्तव्य दें ।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री नगीना सिंह)—

उस परिपत्र के सम्बन्ध में जिसके लिये कहा गया है कि विद्यालय उप निरीक्षक, मथुरा ने उस जिले के जिला परिषद् के समस्त अध्यापकों के पास भेजा है और जिसमें कहा गया है कि जो अध्यापक अपनी या अपने पारिवारिक व्यक्ति की नसबंदी करायेंगे तो उन्हें एक मास का अवकाश तथा मनोवांछित स्थान पर स्थानान्तरण या एक पदोन्नति की सुविधा दी जायेगी और अन्य व्यक्ति के नसबंदी कराने पर उक्त व्यक्ति को सेवा-सुश्रुषा हेतु एक सप्ताह का अवकाश तथा पचास रुपया नक़द और पदोन्नति की सुविधा दी जायगी, टलीफोन पर जिलाधिकारी, मथुरा से जानकारी की गई । जिलाधिकारी ने यह बतलाया कि यह सच है कि विद्यालय उप निरीक्षक ने 18 अगस्त, 1971 को कथित परिपत्र को जारी किया था । जिलाधिकारी ने यह भी बतलाया कि चूंकि वे जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं इसलिए विद्यालय उप निरीक्षक को उनकी पूर्व स्वीकृति इस संबंध में लेनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जब उनको मालूम हुआ कि एक ऐसा परिपत्र जारी किया गया है तो उन्होंने तुरन्त आदेश दिया कि उस परिपत्र को निरस्त कर दिया जाए । जिलाधिकारी ने यह भी बतलाया कि विद्यालय उप निरीक्षक ने कुछ प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति इस आधार पर कर दी थी कि उन्होंने परिवार नियोजन के कार्य में अधिक दिलचस्पी ली थी परन्तु उसके लिये भी उनकी पूर्व स्वीकृति नहीं ली गयी थी और जब जिलाधिकारी को यह मालम हुआ तो ऐसी तमाम नियुक्तियों को उन्होंने निरस्त कर दिया । जिलाधिकारी ने यह भी बतलाया कि परिवार नियोजन के कार्य के आधार पर किसी अध्यापक को प्रोन्नति नहीं दी गई और न दी जाएगी । ऐसी परिस्थिति में जबकि किसी को प्रोन्नति नहीं दी गई है और जिन लोगों की नियुक्ति गलत तरीके से कर दी गई थी उसको निरस्त कर दिया गया है और उस परिपत्र को जिसको विद्यालय उप निरीक्षक ने जारी किया था निरस्त कर दिया गया है, किसी ईमानदार और योग्य व्यक्ति के साथ अन्याय होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

वक्तव्य से साफ जाहिर है कि उप विद्यालय निरीक्षक ने अपने पद का दुरुपयोग किया और सरकारी कानून का उल्लंघन किया तो क्या माननीय मंत्री उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने को तैयार हैं ?

श्री नगीना सिंह—

हम उसको देखेंगे और यदि ऐसा किया है तो उस पर हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं तसलीम करते हैं कि उसको निरस्त कर दिया । जब वह बेकायदा था तभी तो निरस्त किया ।

श्री नगीना सिंह—

मैंने कहा कि हम उसको देखेंगे । जैसा मनानीय सदस्य ने कहा है अगर ऐसी बात होगी तो उसकी जांच कराऊंगा ।

श्री शिवकुमार पांडेय---

मेरा स्पष्ट सवाल है कि माननीय मंत्री ने तसलीम कर लिया है कि उस इन्सपेक्टर ने ऐसा आदेश जारी किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था तो क्या माननीय मंत्री उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री नगीना सिंह---

कार्यवाही करूंगा ।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि इस उप विद्यालय निरीक्षक ने भीषण पाप किया है तो क्या मननीय मंत्री विद्यालय निरीक्षक को ससपेन्ड करने जा रहे हैं ?

श्री नगीना सिंह---

मैंने अपने जवाब में कह दिया है कि कार्यवाही करूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

उप विद्यालय निरीक्षक ने आदेश जारी किया था जिसे अब निरस्त किया जा चुका है तो क्या सरकार कृपा करके जांच कराएगी कि कहीं डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा या डाइरेक्टर शिक्षा की तरफ से कोई इस प्रकार का परिपत्र तो जिलों में नहीं भेजा गया जिसके आधार पर उन्होंने इस प्रकार के आदेश प्रसारित किये थे ?

श्री नगीना सिंह---

ऐसी बात नहीं थी ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

उप विद्यालय निरीक्षक ने जो अनधिकृत कृत्य किया है और उसको जो अब तक सजा नहीं दी गयी तो उसका क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

आदेश निरस्त कर दिये गये । उसने गल्ती की उसके लिये उसको चेतावनी दी जायेगी, उसको डाट बतलायी जायेगी कि आगे इस तरह का कार्य वह न करे । इसके लिये कोई फांसी थोड़े ही है दी जायेगी ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या यह सही है कि नसबन्दी हो रही है और हर विभाग के कर्मचारी उसे करा रहे हैं तो क्या उनको ऐसे आदेश मिल गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

नसबन्दी में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये लेकिन वैसे तो हमको और आपको सबको जैसी कि जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए फैमिली प्लानिंग के काम में मदद पहुंचानी चाहिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

अगर उप विद्यालय निरीक्षक अपनी नसबन्दी करा ले तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि उसके खिलाफ फिर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

(प्रश्न हंसी में खो गया)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिसने नसबन्दी करा दी हो उसको 15 रुपया दिया जाता है तो क्या इसी प्रकार जो डिप्टी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर हैं यदि वे नसबन्दी करा दें तो उनको कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बना दिया जाएगा ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया ।)

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें काफी सवाल हो गये। आगे चलें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, जो बगैर नसबन्दी के ही मिनिस्टर बने हैं उनका क्या होगा ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी ने संबंधित उप विद्यालय निरीक्षक से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जो तथाकथित परिपत्र 18 अगस्त, 1971 को जारी किया गया वह स्वेच्छा से किया गया अथवा इसके लिये किसी ने निर्देश अथवा आदेश दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जो भी परिपत्र जारी किया गया था वह निरस्त कर दिया गया चाहे वह कहीं से भी जारी हुआ हो। परिपत्र गलत था ...

श्री अध्यक्ष--

कल मेरे पास एक नोटिस आया था आपने उत्तर दे दिया। अतः उसका भी समाधान हो जाएगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां।

वाराणसी विश्वविद्यालय की हड़ताल के मामले में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बनारस से आए हैं और मेरा प्रश्न बनारस से ही संबंधित है। बनारस में काशी विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें भी हड़ताल हुई और जो हमको सूचना मिली है कल बनारस में भी बन्दी रही ...

श्री अध्यक्ष--

यह तो आउट आफ स्टेटमेन्ट है...

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट में मैं अपनी बात कहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि वे शायद इस पर कोई कार्यवाही कर लें। बनारस में एक टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट है उसमें एक बैड पेपर की प्रथा है जिसका मतलब है कि अगर किसी वर्ष किसी विद्यार्थी के एक दो-तीन पेपर खराब हो जाते हैं और उनमें वह फेल हो जाता है तो भी उसको प्रमोट कर दिया जाता है किन्तु अगले साल जिस नये दर्जे में वह जाता है उसके विषयों में परीक्षा देने के अतिरिक्त उसे उन विषयों में परीक्षा देनी होती है जिनमें वह पिछले वर्ष फेल हुआ है। इस प्रकार वहां पर कोई साल किसी विद्यार्थी का खराब नहीं होता है। किन्तु एकाएक इस साल यह प्रथा रोक दी गई। उससे छात्रों में कुछ उत्तेजना पैदा हो गई है और उसी इश्यू को लेकर अधिकारियों और छात्रों के नेताओं में बातचीत हुई अतः एक रेफेरेन्डम के जरिये से बात तय हो जानी चाहिये। इसके बावजूद भी वहां पर फैसला ले लिया और विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया। दूसरी तरफ दिनांक 12-13 अगस्त को 1 बजे के आसपास काशी विद्यापीठ के कुछ छात्र माननीय विश्वनाथ शर्मा जी के मकान में धावा बोलते हुये पकड़े गये। इसलिये विद्यार्थियों में उत्तेजना बढ़ी। उसका नतीजा यह

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

हुआ कि बनारस शहर में भी बन्दी हो गई और वे भी हड़ताल पर रहे। मामला धीरे-धीरे बढ़ता ही गया। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि वहां पर किसी तरह से हड़ताल खतम हो जाय। यह आपकी नगरी का मामला है इसलिये मैं चाहता हूं कि आप आज ही कोई आश्वासन सदन में दे दें।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, बनारस में जो घटना घटी है उससे मैं स्वयं चिन्तित हूं। इस विषय में मैंने वाइस चांसलर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से बात की थी और वहां के अधिकारियों से भी बात की थी। बनारस शहर में तो बन्दी नहीं हुई यद्यपि बनारस बन्द की आवाज लगाई गई थी किन्तु शहर बन्द नहीं हुआ। यह बात सही है कि हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने पुलिस को चिट्ठी लिख कर बुलाया रात्रि के एक बजे के करीब। उन्होंने कहा कि पी० ए० सी० यहां का इन्तजाम ले नहीं तो विश्वविद्यालय में शांति स्थापित करना मेरे बूते के बाहर है। उन्होंने यह भी बताया कि वहां के दो-तीन अध्यापक पीटे भी गये। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि यह वह विश्वविद्यालय है जहां कि दो-तीन मर्डर हो चुके हैं। विश्वविद्यालय की परिधि के भीतर। इसलिए पुलिस इसमें हस्तक्षेप करे। अधिकारियों ने उनसे कहा कि पुलिस के हस्तक्षेप की मांग तब तक स्वीकार नहीं होती है जब तक कि खास तरह से उप-कुलपति, वाइस चांसलर साहब, इसकी मांग न करें। जब आपको जरूरत होगी तब आप लिखियेगा। तो उन्होंने 12-1 बजे रात को करीब पत्र भेजा कि कंट्रोल आकर संभालिये, स्थिति हमारे हाथ के बाहर है। तब पुलिस वहां गयी है। दूसरे दिन वाइस चांसलर साहब ने यूनिवर्सिटी बन्द कर दी या उसी वक्त घोषणा कर दी। मुझे यह टेलीफोन पर सूचना मिली है, मुमकिन है कि फैक्ट में कुछ इधर उधर हो क्योंकि टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी बन्द कर दी। दूसरे दिन विद्यार्थी वहां से चले गये, होस्टल्स खाली हो गये। ऐसे ही संस्कृत विश्वविद्यालय में भी पहले से झगड़ा चल रहा है। वहां के वाइस चांसलर साहब ने भी मांग की थी और पुलिस वहां भेज दी थी। वहां तो उन्होंने, वाइस चांसलर ने स्वयं अपने जान-माल के लिए बहुत चिन्ता व्यक्त की थी तो उनकी भी सुरक्षा के लिए वहां प्रबन्ध रहा। अब विद्यार्थियों का कोई जलूस निकलने वाला था, कल निकला नहीं और वहां का विद्यालय खुला हुआ है।

यह सही है कि जो बात काशी विश्वविद्यालय में हुई उसकी काशी विद्यापीठ में प्रतिक्रिया हुई और वहां भी गिरफ्तारियां हुईं और हिन्दू विश्वविद्यालय में भी कुछ गिरफ्तारी हुईं और कल डी० ए० वी० कालिज में हड़ताल कराने के लिए लोग गये थे। उनमें से कुछ व्यक्ति पकड़े गये और मेरी यह जरूर इच्छा है और मैंने वाइस चांसलर को भी सूचना दी है कि इस मामले में यह ज्यादा उचित होगा कि विद्यार्थियों को बुला लिया जाय और बैठ कर तय कर लिया जाय। यद्यपि वह कहते हैं कि ये असंभव मांगें हैं और मानते नहीं हैं और जो मांगते हैं वह फिर पेश कर देते हैं और अगर उनको समझाइये और वह मान जायं तो दूसरा ग्रुप उनके अन्दर उस सवाल को उठाता है कि हम इसको नहीं मानते और मार-पीट करते हैं और जान की धमकी देते हैं। तो भी हमने उनके यहां कहलाया है कि आप इस मामले में ऐसा कीजिये कि विद्यार्थियों को बुला करके जो कुछ उनकी जायज बातें हैं उनको कर लें और जो सहायता कार्य आवश्यक हो वह मुझ से सहायता ले सकते हैं।

संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब से भी बात हुई। उनसे भी हमने कहा कि आपके इस विश्वविद्यालय में कुछ बातें हैं जिन पर विचार करके इस मसले को आप हल कर सकते हैं। वहां दूसरे वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी है। कमेटी बन गयी है, अभी तक मीटिंग नहीं हुई। वही चल रहे हैं, यही के हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत के हेड डा० सत्यव्रत सिंह जी। आज भी उनसे भेंट हुई, यहां आये हुए थे। उनसे बातचीत हुई।

यह भी कहा उन्होंने कि अब असेम्बली खत्म होने के बाद एक दिन को आप वहां भी आवें और विद्यार्थियों और अध्यापकों को भी ले लें और बैठ कर कोई भी फैसला निकाल दें तो हम उसे कार्यान्वित करने की कोशिश करें, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि पुलिस रहे और वहां किसी तरह की अशान्ति मचे। तो मैं चेष्टा कर रहा हूं कि शीघ्रातिशीघ्र यह समस्या इस प्रकार हल हो जाय कि अकारण इसकी प्रतिक्रिया और स्थानों में न हो और उससे वातावरण क्षुब्ध न होने पाये।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दूंगा। अब सवालों की बात नहीहै।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक स्पटीकरण चाहता हूं कि क्या उन विद्यार्थियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको माननीय मुख्य मंत्री छुड़वा देंगे, क्योंकि वही तो बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप उलटी बात करेंगे, वही करेंगे जिससे प्रोत्साहन मिले। वह जायेंगे, उसके बाद करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

विद्यार्थी गिरफ्तार रहेंगे तो वाइस चांसलर किससे बात करेंगे?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने कहा कि मैं उलटी बात कर रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं, आप बैठिये।

उत्तराखंड विश्वविद्यालय गढ़वाल जिले में खोले जाने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास काम रोको प्रस्ताव ४ हैं। इसमें से ग्राम सेवक संघ के बारे में चर्चा हो चुकी है, उसमें इजाजत देने की जरूरत नहीं है।

दूसरा जो है वह उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के बारे में है। मुख्य मंत्री जी ने यह बात कह-दी, उसका जवाब आप चाहते हों तो दें। उन्होंने कहा कि आप देख कर एक मत से बता दें कि किस जगह कायम करें, तो हम कर देंगे। यह जवाब आ चुका है। इसलिए कोई तात्का-लिक प्रश्न नहीं उठता।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

एक आपको सूचना देना चाहता हूं। गढ़वाल आज बन्द है। हमको सूचना मिली है कि पूरा यातायात, सरकारी दफ्तर, बाजार वगैरह सब बन्द हैं। गढ़वाल के लोग सशंकित हैं। श्रीनगर में उत्तराखंड विश्वविद्यालय वह चाहते हैं। नैनीताल में तो पन्त नगर विश्व-विद्यालय है वहां और चाहते हैं तो दूसरी तरह से और क्लास खोल कर बना सकते हैं। दूसरा विश्वविद्यालय अगर नैनीताल में ही होगा तो उससे गढ़वाल के लोगों में बड़ी हीनता की भावना आयेगी। उनका कहना है कि उत्तराखंड तो बदरीनाथ और केदारनाथ है और गढ़वाल जिले में है। उस जिले की चीज भी नैनीताल को दे देना तो उचित नहीं होगा। पहाड़ का जो विकास परिषद् है उसका हेड आफिस ननीताल में ह और सैनिक स्कूल भी नैनीताल में है।

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

गढ़वाल में तो यहां तक है कि वहां कोई स्कूल नहीं, रहने को मकान नहीं, कोई सड़क नहीं, दफ्तर नहीं। तो गढ़वाल के लोग सब क्षुब्ध हैं और सब चाहते हैं कि इसके लिए उचित आश्वासन उनको मिल तभी काम चलेगा, वरना जो स्थिति है वह भयंकर है। यहां तक कि गढ़वाल के लोग जो दिल्ली में हैं, ऋषिकेश में हैं और देहरादून में हैं वह लोग भी विक्षुब्ध हैं और मैं समझता हूं ऐसा आश्वासन देने में कोई दिक्कत नहीं है। वहां के लिए आप विश्वविद्यालय के लिए आश्वासन दें। गढ़वाल सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। गढ़वाल के अन्दर बहुत बड़ा असंतोष चल रहा है, आन्दोलन चल रहा है। इस आन्दोलन को समाप्त कर दीजिये। ताकि हम वहां जनता में जाकर कुछ आश्वासन दे सकें इसके लिए मुख्य मंत्री जी सदन के सामने यह आश्वासन कर दें कि जो विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं उस विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या होगा, वह कहां बनाया जायगा ताकि वहां की जनता को कुछ न कुछ हम आश्वास्त कर सकें। मैं समझता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी से हमारी तरफ से निवेदन कर दें, क्योंकि बड़ा भयंकर एजीटेशन चल रहा है। हम नहीं चाहते कि अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल के लोग आपस में लड़ें, हम चाहते हैं कि सब एक साथ मिल कर चलें। लेकिन बदकिस्मती से इस विश्वविद्यालय को लेकर एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। तो आप स्पष्ट कर दें कि यह गढ़वाल मंडल में बनेगा या नहीं या फिर नैनीताल में ही बनेगा जहां पर पहले से पन्त यूनिवर्सिटी भी आपने दे रखी है और सैनिक स्कूल भी दे रखा है वहीं बनाना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, मुझे याद पड़ता है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय सी० बी० गुप्ता जी ने इस विषय पर एक समिति की स्थापना की थी और उस समिति ने भी गढ़वाल में श्रीनगर को इस स्थान के लिए चयन किया था। किन कारणों से उस स्थान को बदल कर अब नैनीताल में इसे ले जाने का प्रयास हो रहा है। मैं समझ नहीं सका। नैनीताल में, जैसा बताया गया पन्तनगर यूनिवर्सिटी है। सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि नैनीताल में ही मेडिकल कालेज खोलने का इरादा है जब कि गढ़वाल में जो पुराना निर्णय समिति का था उसको बदला जा रहा है। मेरी अपनी भी जानकारी है कि वहां के कई जिले हैं 3–4, उनमें इस प्रकार की भावनाएं जरूर उत्पन्न हो गयी हैं। तो मैं प्रदेश के इंटेरेस्ट में और उस क्षेत्र के इंटेरेस्ट में नम्र निवेदन करूंगा कि गढ़वाल में श्रीनगर में ही यूनिवर्सिटी की स्थापना का मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया जाय।

जहां तक नैनीताल की बात है बरेली डिवीजन में सात जिले हैं। वहां भी यूनिवर्सिटी है। बरेली डिवीजन में एक यूनिवर्सिटी कर दें तो इसका भी काम चल जायेगा और यह यूनीवर्सिटी गढ़वाल में होनी चाहिये। यह दोनों के हित में होगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में गढ़वाल में एक विकराल स्थिति पैदा हो गई है और गढ़वाल के प्रत्येक जन-जन के हृदय में ऐसी भावना व्याप्त है कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है और इसका मुख्य कारण बीज रूप में जो समझा जा रहा है वह यह है कि गढ़वाल मंडल की निरंतर उपेक्षा होती चली जा रही है। इसके विषय में जो असन्तोष की भावना व्याप्त हो रही है।

श्री अध्यक्ष---

आप गढ़वाल में यूनिवर्सिटी होने के बारे में कह रहे हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल---
जी हां।

श्री अध्यक्ष---
बार-बार क्यों बोलते हैं। यही तो वह भी सपोर्ट करते हैं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---
मान्यवर, मैं गढ़वाल गया था। वहां पर 25 औरतें गिरफ्तार हुईं जिनमें माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा की बहन भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रेमलाल जी भी गिरफ्तार हुये तथा कई अन्य सम्मानित सदस्य गिरफ्तार हुये हैं। वहां पर सारा कामकाज ठप्प हो रहा है और उनकी न्यायोचित मांग है। गढ़वाल में श्रीनगर स्थान में जो नेगले टेड एरिया है वहां पहाड़ के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ है। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी मजबूत आश्वासन दें।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---
अध्यक्ष महोदय, हम हमेशा से अनुशासन प्रिय रहे हैं। जब बजट समाप्त हुआ था तो हमने प्रश्न उठाया और मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आप सब लोग मिल कर तय कर लें। मेरा निवेदन है कि सरकार इसीलिये है कि जब लोग एक जगह पर बैठ कर कोई निर्णय न कर सकें तो सरकार अपना न्यायोचित फैसला दे दे। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता क्यों हुई? इसलिये हुई कि पर्वतीय इलाके के लिये यूनिवर्सिटी होनी चाहिये और वह मध्य स्थान में होनी चाहिये। नैनीताल के लिये तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ भी तैयार नहीं होंगे। कोई आदमी जाकर देखे कि मध्य स्थान कौन सा है और वहीं पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जब से सत्र चला है हमने बराबर कोशिश की है कि सरकार अपनी निश्चित नीति की घोषणा कर दे। हमने बजट भाषण में भी कहा था लेकिन सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। हमने प्रश्न भी किया था लेकिन सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा निवेदन यह है कि सरकार की क्या नीति है। यह सरकार को घोषित करना चाहिये।

आज स्थिति यह है कि गढ़वाल में आप देखें कि सीमान्त जिला है। उत्तर काशी और चमोली सीमान्त जिले हैं। गढ़वाल की योजना चल रही है। इससे पहले हमने कोशिश की और हर तरह से कोशिश की, जैसे फौज की होती है उस तरह से कोशिश की लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन यह है कि हम चाहते हैं कि सरकार घोषणा कर दे कि वह मध्य स्थान पर यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी। मेरा सजेशन यह है कि नैनीताल में जो यूनिवर्सिटी है उसी में कुमायूं के लिये साइंस, आर्ट्स वगैरा की फैकल्टीज जारी कर दें। इस तरह से नैनीताल के लिये यूनिवर्सिटी हो जाती है और गढ़वाल के लिये श्रीनगर में यूनिवर्सिटी हो जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार के पास बनी बनायी ही चीज है। पन्तनगर यूनिवर्सिटी में सारे विषय खोल दिये जायं और यह यूनिवर्सिटी गढ़वाल में खुल जाय। इससे सारा झगड़ा ही खत्म हो जायगा। हम लोग तो उस पर एक नहीं हो सके लेकिन आपसे हमारा निवेदन है कि आप न्याय की दृष्टि से उचित मांग को स्वीकार करें।

श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)---
श्रीमन्, विश्वविद्यालय गढ़वाल को मिलना चाहिये। गढ़वाल की जनता में इस बारे में बहुत क्षोभ है। इसलिये सरकार इस विषय में यह बता दे कि वह क्या करने जा रही है। सरकार को शीघ्र ही यह घोषणा करना चाहिये कि वह विश्वविद्यालय को गढ़वाल के ही किसी केन्द्र स्थान में खोलने जा रही है।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)--

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल आज अचानक ही पेश हो गया। इस बार सारा सेशन दो माह का हो गया लेकिन मैं नहीं बोला। शिक्षा का अनुदान आया, उस पर बोला लेकिन इस विषय में मैंने कुछ नहीं कहा। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय के संबंध में सब लोग मिल कर किसी खास नतीजे पर पहुंच जायं। लेकिन यह असामयिक प्रश्न यहां उठ खड़ा हुआ। इस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी और नेगी साहब ने जो विचार प्रकट किये उसके बारे में आपके माध्यम से केवल इतना बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय की बड़ी कहानी है। यह भी कहा जा सकता है कि यह राजनीति की देन है। सन् 57 में जब आप ही इसके अध्यक्ष थे, इसी विधान सभा में एक गैर-सरकारी विधेयक पास हुआ था और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी कुमायूं विश्वविद्यालय के नाम से नैनीताल में विश्वविद्यालय होने के नाम से अंकित है यह आप दरियाफ्त कर सकते हैं। यह प्रश्न राजनीति का अखाड़ा नहीं हो सकता। मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय तो हो गये लेकिन आपस की खींचतान की वजह से कुमायूं यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा सकी। सन् 1969 में जब गुप्ता जी की गवर्नमेंट थी, मसूरी में सब माननीय सदस्य इकट्ठे हुए थे। वहां तय हुआ कि एक समिति बना दी जाय और यह भी तय हुआ था कि जो कुछ वह समिति तय करेगी वह सब को मान्य होगा। पर्वतीय विकास परिषद् की भी मीटिंग हुई। उसकी भी यही राय हुई। उसको भी देखा जा सकता है। जब एक बात तय हो गयी तो ईमानदारी के साथ उसको मान लेना चाहिये। अभी जो पंतनगर यूनिवर्सिटी की बात कही गयी वह तो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें एक फी सदी भी नैनीताल का लड़का नहीं पढ़ता। जितने नैनीताल के होंगे, उतने ही गढ़वाल के होंगे उतने ही अल्मोड़ा के होंगे। उसमें तो नैनीताल की 17 हजार एकड़ जमीन और ले ली गयी है। उस कृषि विश्वविद्यालय को माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी, नैनीताल विश्वविद्यालय का नाम देते हैं, वह गलत है। नैनीताल विश्वविद्यालय तो एक फेडरेशन के तौर पर बनाया जा रहा है। उसकी शाखायें तो देहरा दून, श्रीनगर, नैनीताल और अल्मोड़ा, चार स्थानों पर होंगी। यह विश्वविद्यालय रेजीडेंशिल विश्वविद्यालय नहीं होगा। अगर माननीय सदस्य इस तरह का आन्दोलन मचा कर 190 आदमी जेल भेजने की बात करते हैं तो हम भी 1,000 आदमी जेल भेज सकते हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ वाले भी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हो सकते। इसलिये यह प्रश्न असामयिक उठाया गया है और गलत है।

श्री इन्द्रमणि--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

यहां पर नैनीताल और गढ़वाल का झगड़ा चलेगा तो फिर काम हो चुका।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)--

मैं आपके माध्यम से विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में दो शब्द रखना चाहता हूं। आज गढ़वाल मंडल कुमायूं मंडल से अलग है। किसी जमाने में गढ़वाल और कुमायूं एक ही डिवीजन नैनीताल में थे। पन्त यूनिवर्सिटी बहुत वर्षों से चल रही है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, शायद एशिया में ऐसी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। इसमें अगर कुछ कमी है साइन्स और फिजिक्स के क्लासेज की तो वे यहां खोले जा सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी भी अगर नैनीताल में खुलती है तो हमारे बहुत से लड़के जो गरीब हैं वे इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि नैनीताल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेस विलायत की तरह से है। गढ़वाल को श्रीनगर में यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिये क्योंकि गढ़वाल में शिक्षा का प्रसार नहीं है और वहां पर बहुत दिनों से इस बात का एजिटेशन भी हो रहा है। नैनीताल में एक यूनिवर्सिटी आलरेडी है। दूसरे वहां घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल अलग है। अभी हाल ही में हिल बोर्ड की स्थापना भी

नैतीताल में ही हुई है। नैनीताल विलायत है। तीन लाख टूरिस्ट वहां साल में आते जाते हैं। नैनीताल का ही हक नहीं है, और जिलों का भी ख्याल होना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री जी कृपा करके न्याय करें, हम न्याय चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय। एक ही जिले के लिये सब चीजें नहीं होनी चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पहले जो कुछ हुआ है उसकी एक लम्बी सी रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है। अगर मैं उसे पढ़ूं तो सदन का समय कुछ अधिक जायेगा, 5—6 पेज की वह रिपोर्ट है। हमारी कठिनाई यह है कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय इसका नाम पड़ा, केन्द्रीय सरकार ने नैतीताल के लिये तय किया था। मंसूरी में 1969 में जो मीटिंग हुई थी, उस समय हमारे गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने वह मीटिंग कराई थी। बड़ा विवाद हुआ और उस समय कदाचित फिर उन्होंने यह तय किया कि एक एक्सपर्ट कमेटी बना ली जाय जो इस विषय में जांच कर ले और पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों को देख कर यह बताये कि किस जगह विश्वविद्यालय बनना मुनासिब होगा और कौन ऐसा कालेज है जिसे सहायता देकर विश्वविद्यालय का केन्द्र बनाया जा सकता है। उस एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी राय दी कि नैनीताल में बने और नैतीताल का जो राजकीय डिग्री कालेज है वही उसका केन्द्र बनाया जाय। तब से इस मामले में विवाद चल रहा है और आज भी यह झगड़ा उसी कारण से बना हुआ है। कुमायूं और गढ़वाल जो सब के सब उत्तराखंड के जिले माने जाते हैं उनमें एक राय नहीं हो सकी। कुछ की राय यह है कि पन्त यूनिवर्सिटी वहां है, उसी में और फैकल्टीज खोल दी जायं और नैतीताल के लिये वह विश्वविद्यालय हो जाय और गढ़वाल में एक दूसरा विश्वविद्यालय खोल दिया जाय और कुछ की यह राय है, जैसी विष्ट जी की बात आपने सुनी कि अगर वह 10 आदमी ले आयेंगे तो हम 11 आदमी ले आयेंगे और सरकार पर जोर डालेंगे कि हम कभी इसको मंजूर नहीं करेंगे। मैंने यह निवेदन किया था शान्ति प्रपन्न जी से कि वही कन्वीनर हो जायं। ये सब बातें जब मैं सरकार में था उसके बाद हुई, बल्कि सन् 1967 से चल रही हैं—चार साल से। पहले तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ही जो भारत सरकार का है, उससे इजाजत मिलने में काफी समय लगा। अब एक यूनिवर्सिटी बननी है। कहां बने यह प्रश्न है। कुमायूं के हमारे साथी यह चाहते हैं कि नैनीताल में बने। गढ़वाल के हमारे जितने साथी हैं वह चाहते हैं कि गढ़वाल में बने। दोनों में इतना गहरा मतभेद है कि मैं उसको जानता हूं। आज गढ़वाल में इसी प्रश्न को लेकर एक आन्दोलन चल रहा है। बहुत से लोग उसमें गिरफ्तार किये गये हैं। वहां पर बसों का आना जाना भी ठप्प है। एक जोरदार आन्दोलन चल रहा है। मैं तो यह समझता हूं कि इसका कोई न कोई हल निकालना होगा लेकिन जो हल निकलेगा वह ऐसा हल निकले जिससे दोनों सन्तुष्ट हों तो यह सर्वोत्तम बात है नहीं तो कोई एक हल निकाला जाय ऐसा जिससे दूसरा क्षेत्र प्रभावित हो और नाराज हो तो स्थिति आज की हालत से कल और खेदजनक हो सकती है तो और कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। सरकार एक धर्म संकट में फंस गई है। पहले यह एलान हो गया कि एक यूनिवर्सिटी नैनीताल में बनेगी। एक्सपर्ट की राय के मुताबिक और जो और लोगों से राय मिली उसमें एकमत होता नहीं है।

दूसरी प्रक्रिया भी सोची गई कि इस यूनिवर्सिटी को एक फेडरल यूनिवर्सिटी बना दी जाय और जिलों में कालेज हों। वह अलग-अलग फैकल्टी के कालेज हों। कहीं अग्रीकल्चर का कालेज हो तो कहीं पर इंजीनियरिंग का कालेज हो, कहीं पर साइंस की किसी एक ब्रांच का हो और कहीं पर दूसरी ब्रांच का हो। उन शाखाओं को लेकर पूरे कालेज हो जायं। इस तरह से कई जिलों में कालेजेज को खोलकर कांस्टीटयूएन्ट कालेज बना कर आटोनोमस तरीके पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित करके उसके साथ सब कालेजों को संयुक्त करके एक फेडरल यूनिवर्सिटी बना दी जाय। रजिस्ट्रार एक रहे और सब जगह एक-एक रजिस्ट्रार रखा जाय।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जहां कि एक विशेष फैकल्टी है। जैसा कि यहां पर एक यूनिवर्सिटी है और उससे सम्बद्ध डिग्री कालेजेज हैं। उसको खोलते जाते हैं और पृथक भी करते जाते हैं। इस तरह से हो जाय। अभी कोई अन्तिम फैसला इस सरकार ने नहीं लिया है कि हम नैनीताल में खोलेंगे क्योंकि झगड़े से मैं वाकिफ हूं। उसका रास्ता ऐसा जरूर निकालने की कोशिश कर रहा हूं जिससे सबको सन्तोष हो जाय। यदि मान्यवर, इसमें हमारे साथी सहायक हो जाते तो कोई ऐसा रास्ता मिलजुलकर निकाल लेते जिससे सब को सन्तोष हो जाता तो मैं बड़ा कृतज्ञ होता। अगर नहीं निकलेगा तो फिर अपने विवेक के अनुसार सारे प्रश्नों पर विचार करने के बाद निर्णय लेंगे। अभी निश्चय रूप से अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है हमारी ओर से कि हम क्या निर्णय करने जा रहे हैं। मेरा अब भी ऐसा विचार है कि अपने पहाड़ के साथियों को, गढ़वाल के और कुमायूं के साथियों को दोनों को बुला लूं और दोनों आमने सामने बैठ जायं और एक मीटिंग कर लें और इस विषय पर विचार कर लें और गहराई से विचार हो जाय। किसी आवश में नहीं बल्कि गहराई के साथ इस प्रश्न पर निर्णय कर लें तो यह हमारे लिये मार्ग स्पष्ट हो जाय। अगर यह फैसला नहीं हो सके तो फिर सरकार अवश्य अपने उत्तरदायित्व को निभायेगी। हमें तो उत्तराखंड में विश्वविद्यालय स्थापित करना ही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अब इतना तो मालूम होता है कि तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय खोला जाय। यह अन्तिम निर्णय हो गया है। उनकी बात से यह भी मालूम होता है कि यू० जी० सी० ने इसके लिये अपनी रजामन्दी मंजूरी भी दे दी है। यह मामला पिछले 4, 5 साल से चल रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह से पहाड़ी दो पार्टियों में कब तक लड़ाई चलाते रहेंगे क्योंकि इस तरह से यह लड़ाई बन्द नहीं होगी। यह सरकार यातायात की सुविधा, मकानों की सुविधा और कुछ और सुविधाओं को ध्यान में रखकर तुरन्त इस पर फैसला कर ले। पहाड़ी क्षेत्र में यह सारी लड़ाई शासन की दुविधा ग्रस्तता के कारण हो रही है। यह तो चाहते हैं कि हमें वहां विश्वविद्यालय खोलना न पड़े और वहां के लोग आपस में लड़ते रहें और इसीलिये इस मामले को यह आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिये इस लड़ाई को मुख्य मंत्री जी बन्द करायें और वहां जहां वह मुनासिब समझें विश्वविद्यालय खुलवा दें वर्ना यह मामला ऐसे ही पड़ा रहेगा और जीवन भर तय न होगा।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव यह आये हैं इनको मैंने स्वीकार नहीं किया है। एक पर चर्चा भी हो चुकी है। यह 4,500 गन्ना ग्रामसेवकों के बारे में है और बाढ़ के बारे में जो यह श्री शम्भूनाथ जी ने दिया है उस पर आज जो...

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आप यह जो श्री शम्भूनाथ जी का है इसको केवल बाढ़ तक ही सीमित न रखें। बलिया में 3 बांध टूटे हैं, सब के लिये समय दें और चर्चा आप करायें।

श्री अध्यक्ष—

लखनऊ और गाजीपुर की बाढ़ के बारे में एक घंटे की चर्चा का समय है उसीमें एक दो माननीय सदस्यों को इस पर भी बुला देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या बलिया, गाजीपुर और लखनऊ में ही बाढ़ है?

(व्यवधान)

उसमें ही आप बनारस भी जोड़ दीजिये।

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

(अध्यक्ष द्वारा मुख्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मुझे श्रीमन् इस पर वैधानिक आपत्ति है, मैंने आप से इसके बारे में कहा भी था, आप मेरी आपत्ति को सुन लें.....

श्री अध्यक्ष---

मैं आप को अभी इजाजत नहीं दे रहा हूं, पहले संकल्प प्रस्तुत हो जाय उसके बाद...

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं "कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद 368 के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

श्रीमन्, आज...

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते मेरी वैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें, वह बोल रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह संकल्प यहां नहीं रखा जा सकता, आप मेरी बात सुन लें, मैं वैधानिक आपत्ति रखना चाहता हूं, आप ने अभी कहा था कि पहले संकल्प प्रस्तुत होने दें, अब वह प्रस्तुत हो गया, अब आप सुन लें.....

श्री अध्यक्ष---

पहले उन्हें बोलने दीजिये, बाद में आप कहियेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

वह तो शाम तक बोलते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष---

आप क्या उनका बोलना रोकना चाहते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं कह रहा हूं कि यह संकल्प यहां नहीं रखा जा सकता, मेरी वैधानिक आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष----

मैं आपको अभी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आज आपका रवैया उल्टा क्यों हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---

कह तो दिया, आप बाद में कहियेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--
वैधानिक आपत्ति तो आप को इसी समय सुनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--
इस तरह से नियम आप को परमिट नहीं करते।

श्री नित्यानन्द स्वामी--
आज तक कभी श्रीमन्, आप का रुख ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि हमेशा होता है आप को हमें सुनने में क्या आपत्ति है?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--
श्रीमन्, उनको बता दें कि अब तो संविधान ही संशोधित होने जा रहा है और वैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--
वह तो जिद्द करते हैं। मैं इजाजत उनको नहीं दे रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--
श्रीमन्, आप मेरी आपत्ति सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष--
जब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं तो क्यों सुनूं?

श्री नित्यानन्द स्वामी--
मेरी वैधानिक आपत्ति है और यह संशोधन उसके अनुसार उपस्थित नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--
मेरी व्यवस्था है कि यह उपस्थित हो सकता है आप नहीं मानते तो आप बाहर जा सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--
लेकिन नियमावली के अनुसार यह संकल्प उपस्थित नहीं हो सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी--
श्रीमन् आप इसे सुनना क्यों नहीं चाहते?

श्री अध्यक्ष--
उसके बाद कह सकते हैं। आप जो मैं व्यवस्था करता हूं उसको तोड़ना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उदित नारायण शर्मा--
मान्यवर, इस सम्मानित सदन के सन्मुख आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश है। श्रीमन्, यह सभी को अच्छी तरह से विदित है कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे यहां जो कानून बनाये जाते हैं उनकी विवेचना और निरीक्षण जब कोई मुकदमे को लेकर जाते हैं तो इस लिहाज से भी की जाती है कि जिस विधायक सभा ने इसे पारित किया है या पास किया है उसे इसका अधिकार भी था या नहीं था। इस प्रकार का प्रश्न श्रीमन् यह संशोधन जब वहां पर पेश हुआ...

श्री अध्यक्ष--
मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप संक्षेप में कहें। जब आक्षेप हो जायं तब उन पर कहें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

बहुत अच्छा श्रीमन्। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे संविधान में आज तक समय-समय पर अनेक संशोधन हुआ। इन संशोधनों में से अभी तक आप जानते हैं कि 17 संशोधन हो चुके हैं। इनमें 1, 4, 16 और 17 ये संशोधन ऐसे हैं जो हमारे संविधान में दिये गये जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राईट्स हैं जो संविधान के भाग 3 में दिये हुए हैं उस भाग के कुछ अंशों को संशोधन करने के लिये थे। अन्य संशोधन जो हुए हैं उनकी बात थोड़ी सी दूसरी रही है। लेकिन जहां तक इस चार संशोधनों का ताल्लुक है यह विशेष रूप से प्रापर्टी से सम्बन्धित हैं जो संशोधन थे 15, 17, 19 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें हमारे कुछ मूल अधिकार दिये हुए हैं। भाषण सम्बन्धी स्वतंत्रता, हमारी लिबर्टी से सम्बन्धित और उसके बाद आगे चल कर संविधान का अनुच्छेद 31 है। इनमें श्रीमन्, हमारे कुछ फंडामेंटल राईट्स जो सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं वे दिये हुए हैं। श्रीमन्, इन चार संशोधनों का जितना भी जिक्र किया यह अनुच्छेद 31 से सम्बन्धित रहा है।

पहला संशोधन सन् 51 में आया, चौथा संशोधन 55 में आया, 16वां 63 में आया और 17वां 64 में आया और इसके पहले भी जब-जब ये संशोधन पास किये गये तब तब बराबर इन संशोधनों की सांविधानिक स्थिति और वैधानिक स्थिति बराबर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में हमला होता रहा। श्रीमन्, जो प्रश्न आज आपके सामने है यह तो आप जानते हैं कि इस संशोधन के लाने की आवश्यकता संसद् को इसलिये पड़ी कि एक गोलकनाथ केस करके जो मशहूर है उसे सुप्रीम कोर्ट ने तय करते हुए यह कहा कि संसद् को संविधान के फंडामेंटल राइट्स अर्थात् भाग तीन में दिये गये जो हमारे फंडामेंटल राईट्स हैं उनमें संशोधन करने का अधिकार है ही नहीं। यह एक परिस्थिति पैदा हुई श्रीमन्, यह प्रश्न जो फंडामेंटल राइट्स का संशोधित किया जा सकता है यह नहीं किया जा सकता है। इनके पहले भी जिन संशोधनों का मैंने जिक्र किया है जो हो चुके थे, यह बात उनमें भी उठाई गई थी। उसके पहले श्रीमन्, दो केसेज और हुए। एक शंकरी प्रसाद के नाम से मशहूर है और दूसरा सज्जन सिंह के नाम से मशहूर है। इन दोनों मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुये थे। पहले केस में शंकर प्रसाद वाले केस में जजों ने इत्तफाक राय से कहा था कि इस तरह के संशोधन का अधिकार संसद को है। उसके बाद जब सज्जन सिंह का केस आया तो फिर फुल बेंच बैठी। 5 जजों की बेंच थी। उसमें से तीन जजों ने कहा कि यह अधिकार संसद को प्राप्त है और संशोधन सही हुआ है। संविधान इस तरह से संशोधित किया जा सकता है। मौजूदा गोलकनाथ केस में 11 जजों की बेंच बैठी। उसमें से 6 जज इस राय के थे कि इस प्रकार का संशोधन नहीं लाया जा सकता है। संसद को यह अधिकार नहीं है कि जो मूल अधिकार संविधान में हैं उनको संशोधित कर सके। यह ऐसा निर्णय हुआ कि हमारे यहां की जो प्रगति होना चाहिये थी वह अवरुद्ध हो गई।

श्रीमन्, यदि इसको अच्छी तरह से देखें तो आसानी से यह समझ में आ जावेगा कि यह बड़ा ही विवादास्पद विषय था। यह ऐसा विषय नहीं था जिसमें निश्चय-पूर्वक यह कहा जा सके कि यह सही था। क्योंकि यदि हिसाब लगायें तो 5 जज पहले केस में बैठे, सबकी राय यह हुई। फिर 5 जज बैठे उसमें 3 की राय हुई। इस प्रकार 8 जज हो गये। बाद में 11 जज बैठे उनमें 5 की यह राय हुई कि यह संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार संख्या 13 हो गई। 21 में 13 जजों की राय यह है कि यह संशोधन किया जा सकता है और संसद इसके लिये क्षम्य है। लेकिन श्रीमन्, गोलकनाथ केस में केवल एक की मेजारिटी से यह कह दिया कि संसद को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह उनकी संवैधानिक सीमा के बाहर है। जो उनकी कानून बनाने की परिधि है उसके यह बाहर है। यह ऐसा है कि उनकी परिधि को अतिक्रमण करता है। उससे एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई। इसके पहले 51 व 54 में जो संशोधन हो चुके थे वह भी ठीक नहीं थे। सवाल यह था कि उनके बारे में क्या होगा। जजों को मजबूरन यह कहना पड़ा कि यह रिट्रास्पिटेव न होकर प्रासपेक्टिव होंगे और जो पिछले संशोधनों के मातहत काम हुये हैं वह सही माने जायेंगे।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बड़ा नैरो मारजिन है। यह नहीं कहा जा सकता है कि वास्तव में यह जो रूलिंग हुई है वह सही ही है लेकिन श्रीमन्, जनतंत्र में कुछ मान्यतायें होती हैं। जनतंत्र की यह मान्यता है कि इस सदन में बैठ कर भले ही हमको ऐसा मालूम पड़े कि श्रीमन्, की रूलिंग जो रही है वह शायद मुनासिब नहीं है लेकिन जनतंत्र चलाने के हेतु हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो निर्णय हुआ है उससे सहमत न होते हुये भी जो फैसला हुआ है उसके सामने सर झुका दें। यह एक तरीका है जनतंत्र को चलाने का अन्यथा वह चल नहीं सकता है। हम अदालत में जाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अदालत का निर्णय हमेशा सही ही होता हो लेकिन हम उसको सर झुका कर बरदाश्त करते हैं। इसी तरह से हमारी एक जनतंत्र प्रणाली है, परम्परायें हैं। उसमें यह मान्यता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिस फैसले को दे दे चाहे वह एक की मैजारिटी से हो और चाहे वह कितना ही विवादास्पद प्रश्न क्यों न बन जाय, लेकिन उसको हम मान लें। इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न उठता है कि जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके सामने यह प्रश्न आता है कि क्या किया जाय। जो त्रुटियां बताई जाती हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है ताकि जो लक्ष्य है वह पूरा हो। हम अपने कर्तव्य को भी निभा सकें और जो मान्यतायें हैं वे भी बनी रहें। साथ ही अपना जो प्रोग्राम है और जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जन कल्याण की, उनको भी करते रहें। हमको जन कल्याण के रास्ते पर ही चलना है और इसको प्राप्त करने के लिये हमको कई छोटी चीजों का ध्यान न करके बड़ी चीजों को करना पड़ता है। उसी लिहाज से यह संशोधन पेश किया जा रहा है। इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि अनुच्छेद 13 है। हमारे संविधान में जिस समय यह कहा गया है कि इसमें दी हुई बातों का विरोध यदि कोई कानून करता है या कोई कानून बनेगा तो वह मान्य नहीं होना चाहिये। वह अल्ट्रावायरस माना जायगा। एक अनुच्छेद 368 है जो संविधान की शक्ति को बढ़ाने से सम्बन्धित है। आया वह इसको कर सकते हैं या नहीं। गोलकनाथ का जो केस हुआ वह इन दोनों प्वाइन्ट्स से सम्बन्धित था। वह इस केस का बहुत ही रेलेवेन्ट हिस्सा है जिसको मैं अंग्रेजी में कोट करना चाहूंगा। उसको पढ़ने की मुझको आज्ञा दें।

"The first question is whether amendment of the Constitution under Article 368 is law within the meaning of Article 13(2). The marginal note to Article 368 describes that Article is one prescribing the procedure for amendment. The Article in terms only prescribes various procedural steps in the matter of amendment. . . . The argument that the completion of the procedural steps culminates in the exercise of the power to amend may be subtle but does not carry conviction. If that was the intention of the provisions, nothing prevented the makers of the Constitution from stating that the Constitution may be amended in the manner suggested. . . ."

"We, therefore, hold that there is nothing in the nature of the amending power which enables the Parliament to override all the express or implied limitations imposed on the power. Our Constitution adopted a novel method in the sense that Parliament makes the amendment by the legislative process subject to certain restrictions and that the amendment so made being law is subject to Article 13(2).

मैंने दोनों ही अंशों को आप को इसीलिये पढ़ कर सुना दिया।

एक सदस्य—

यह तो आपने अंग्रेजी में पढ़ा। हिन्दी में भी इसका आशय बता दें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

उन्होंने यह कहा है कि 368 जो अनुच्छेद है, हम जब अपने कान्सटीटयूशन को संशोधित करने जा रहे हैं जो उसकी प्रक्रिया से सम्बन्धित है। उसमें यह शक्ति दी गई है कि वह इस

प्रकार के संशोधन को कर दे। दूसरा हिस्सा जो है उसमें उन्होंने कहा है कि संशोधन का जो कानून बनाया जायगा उसको ला कानून की संज्ञा देना चाहिये। 13 (2) में कहा गया है कि कोई भी कानून जो बनाया जायेगा जो कि हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर आघात करता है तो वह आपत्तिजनक है। तो उस हद तक वह कानून नहीं माना जा सकता है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसके पहले जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस सुप्रिम कोर्ट में तय हुए थे इनमें भी दोनों प्वाइन्ट ठीक इसी तरह से उपस्थित हुये थे और दोनों फैसले हुए कि 368 में हमको संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त है और उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 13(2) में जो मुमानियत दी गयी है वह जो हम कानून बनाते हैं जो ला मेकिंग पावर है, उसकी मुमानियत है, और उसमें यह कहा कि संसद के पास दो प्रकार की पावर्स होती हैं, एक कानून बनाने की और एक संविधान बनाने की। दि कांस्टीटुएंट पावर ऐंड दि लेजिस्लेटिव पावर। इनको डिफरेंशियेट करके कहा कि अनुच्छेद 13(2) में जो रेस्ट्रिक्शन रखा गया है वह उसके लिये है जो लेजिस्लेटिव पावर में हम करते हैं, जो हमारा संविधान संबंधी अधिकार है उससे वह संबंधित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 368 को यदि अच्छी तरह से देखें तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह केवल प्रक्रिया से ही संबंध रखता है। उसके कोई मानी नहीं होंगे यदि वह अधिकार से भी संबंध न रखे। वह बेमानी हो जायेगा। श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं ये दोनों अनुच्छेद पढ़ दूं....

श्री अध्यक्ष—

वह तो काफी पढ़े हुए हैं।

श्री उदितनारायण शर्मा—

तो श्रीमन्, आप संक्षेप में चाहते हैं इसलिये मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिये तीन-चार बातें निवेदन करना चहता हूं। गोलकनाथ का इतना लम्बा-चौड़ा जजमेंट है कि शायद सभी माननीय सदस्यों को उसे पढ़ने का समय न मिल पाये इसलिये उसकी जो मुख्य बातें हैं जिन के आधार पर यह कहा गया था कि हमको संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त नहीं है, निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात यह थी कि अनुच्छेद 368 में केवल हमारे संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया मात्र दी है और इसको संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया है। दूसरी बात यह थी कि यह जो अधिकार दिया गया है, यह जो संशोधन हो सकता है, उसमें बड़ा लम्बा-चौड़ा विवेचन है कि जब हम संविधान का संशोधन करते हैं तो वह कानून किस अनुच्छेद के अनुसार बनता है आया 368 के अनुसार या 248 के अन्तर्गत जिसमें कि सभी साधारण कानून बना करते हैं। उसको कहते हुए उन्होंने यह कहा। श्रीमन्, हमारे संविधान में शेड्यूल सात है। जिसमें कुछ सूचियां दी हुयी हैं। पहली लिस्ट में उन विषयों को गिनाया गया है जिनके मुताल्लिक कानून केवल केंद्र बना सकती है। दूसरी सूची का संबंध स्टेट से है और तीसरी सूची का संबंध समान रूप से स्टेट्स और केंद्र दोनों से है। यह इन तीनों में नहीं आता है। पहली सूची के अन्त में यह दिया हुआ कि जिस बात का इन तीनों सूचियों में जिक्र न हो उसके मातहत केन्द्र यदि चाहे, कानून बना सकता है। उसमें उन्होंने यह कहा है कि अनुच्छेद 248 और हमारी जो अनुसूची है' जो आखिरी आइटम है, शायद 7 है, नहीं 7 नहीं है, खैर मैं बाद में बता दूंगा। उसमें यह दिया हुआ है कि उन दोनों के मातहत यह बन जाता है। उन्होंने यह तय कर दिया कि अनुच्छेद 368 में संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है और वह केवल प्रक्रिया से ही संबंधित है। वह इसलिये लिखा गया है कि अनुछेद 248 और शेड्यूल 7 के मुताबिक जो पहली सूची दी गयी है उसके मुताबिक यह कानून बनता है। उस से एक नतीजा निकलेगा और नतीजा इसलिये निकलेगा कि यह कानून की एक शक्ल है। 13 (2) में यह कहा गया है कि कानून जो बनेगा वह फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं होगा।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

इन धारों बातों को ले कर वे इस निर्णय पर पहुंचे कि यह अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। भाग 3 में मूल अधिकारों के सिलसिले में दिया हुआ है। इन धारों के बारे में मैं थोड़ा सूक्ष्म में निवेदन करना चाहता हूं कि इन धारों का उत्तर क्या है। इन धारों का उत्तर आप के सामने है। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि यह विचार नहीं है उनका इस प्रकार का जो इन्टरप्रेटेशन है, शायद वह सही हो, कम से कम 11 जजेज ऐसे हो चुके हैं...

कुछ सदस्य---

11 नहीं 13

श्री उदित नारायण शर्मा---

13 नहीं ज्यादा हैं, शायद 15 हैं-15 जजेज ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने इसके विरुद्ध अपनी राय रखी है और इसलिये अपनी जगह पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इनकी राय वास्तव में सही है। दूसरी बात यह है कि जब आप 45, 46 तथा 48 को पढ़ेंगे तो यह पायेंगे कि 45 व 46 में दोनों अनुच्छेदों में यह दिया हुआ है "subject to the provisions of the Constitution." यह कह कर आरम्भ किया गया है। अगर वास्तव में यह "suject to the provisions of the Constitution" है तब फिर उस सूरत में यह कभी कहा ही नहीं जा सकता कि इनके मातहत संविधान में संशोधन हो सकता है। यह इसी से गलत हो जाता है।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इससे पहले रूलिंग्स हो चुकी हैं। जजेज ने जो अपनी राय दी थी वह इस प्रश्न को लेकर दी थी "subject to the provisions of the Constitution." तब फिर यह नहीं कहा जा सकता कि अनुच्छेद 245 व 246 में वह कानून बनाया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी है।

श्री अध्यक्ष---

संक्षेप में कहिये।

श्री विश्वनाथ कपूर---

श्रीमन्, बार-बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह अपनी अपनी समझ की बात है।

श्री अध्यक्ष---

(सदन में श्री पन्नालाल, द्वारा सदस्यों में पर्चे बांटने पर) यह सब क्या हो रहा है? पन्नालाल जी, यह गलत तरीका है। (व्यवधान)

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि जो पावर्स कहीं न दी गयी हों, उन्हें रेसीड्यूरी पावर्स कहते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय यह राय व्यक्त की गयी थी यह रेसीड्यूरी पावर्स स्टेट्स में रहेंगी। ऐसे संविधान भी हैं जहां पर कि फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां स्टेट्स को ज्यादा अधिकार दिये हैं (व्यवधान) मैं अमेरिका के संविधान की बात कहना चाहता हूं। वहां पर रेसीड्यूरी पावर्स स्टेट्स के पास हैं। जब यह संविधान बनाया जा रहा था तो पहले यह ख्याल था कि रेसीड्यूरी पावर्स हमलोग भी स्टेट्स में रखेंगे। हम लोगों ने 1935 का गवर्नमेंट आफ इंडिया कानून भी देखा था जिसमें राज्यों को बहुत कम अधिकार दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय हो चुका है। 2-4 मिनट में समाप्त करें।

श्री उदितनारायण शर्मा--

ठीक है। मान लीजिये यह पावर्स स्टेट्स में होती तो यह कानून कैसे बनता ? 368 अपनी जगह पर रहता और अमेंड करने की प्रक्रिया फिर भी रहती । तो अगर 368 को ही आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो यह चीज समझ में आ जायेगी····

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर--

368 में क्या संशोधन रखा जाय यह तो बतायें ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं यह सब निवेदन कर चुका हूं । 13 (2) में अमेंड किया है । उसमें यह कहा गया है कि यह जो 368 है उसमें "प्रोसीजर टु अमेंड" की जगह "पावर टु अमेंड" कर दिया है और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान में संशोधन कर सके । यही संशोधन है ।(व्यवधान)

तो श्रीमन्, मैं इसलिये कह रहा था कि उन दो को देखते हुए जब 368 को आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जायगा कि वास्तव में हमको उसका अधिकार है । लेकिन चूंकि एक न्यायपालिका ने जो सर्वोच्च है, उसका यह मत था कि जब तक इन अनुच्छेदों में यह अधिकार नहीं होंगे, अनुबन्ध का भी प्राविधान नहीं होगा, तब तक इनका सहारा लेकर संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकेगा । इसलिये उस मान्यता को पूरा करने के लिये यह संशोधन है । इसके अनुसार दो प्राविधान संशोधित किये जा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि इसके बाद, मान्यवर, जब आप हमें समय दें तो अधिक समय दें, क्योंकि काफी विस्तार से उस पर हमें अपने विचार प्रकट करना होगा ।

श्री अध्यक्ष--

श्री नित्यानन्द स्वामी ने एक आक्षेप दिया है कि यह नियमों के खिलाफ है । उनका कहना है कि यह संकल्प नियमों के खिलाफ आया है यह नहीं लाया जा सकता । तो चूंकि उनका प्रश्न नियमानुकूल है, इसलिये मैं पांच मिनट के लिये सिर्फ उनको इजाजत दे रहा हूं ।

जलपान गृह में विधायकों को असुविधा होने के संबंध में शिकायत

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, हमारे सामने एक बड़ी ज्वलन्त समस्या उपस्थित हो गई है । मान्यवर यहां हम लोगों को खाने पीने के लिये 1 व 2 के बीच में छुट्टी नहीं होती है और एक रेस्ट्रां यहां है जहां हमारे विधायक खाने और नाश्ते के लिये जाते हैं । लेकिन वहां बड़ी अव्यवस्था मची हुई है । हमारे विधायकों के बैठने के लिये वहां जगह नहीं है, मेम्बरों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, आज तो वहां पानी भी नहीं है । वहां पर बाहरी लोग भीड़ के भीड़ जमे रहते हैं और वहां पर अजीब राउडिज्म की हालत बनी रहती है । आप हमें लंच के लिये 1-2 के बीच में समय दें और इस रेस्ट्रां को यहां से हटा दें । वहां न तो लेजिस्लेचर्स को सामान मिलता है और न जगह मिलती है । लोग इधर उधर घूमा करते हैं । लोगों ने आज गुस्से के मारे ग्लास वगैरह तोड़ कर फेंक दिये हैं । इस पर आप विचार करें, क्योंकि आप कोई हमें ब्रेक नहीं देते हैं । ऐसी स्थिति चलेगी तो हम कैसे खाने और जलपान करने जायेंगे । इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वह इस पर कोई व्यवस्था करें ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

हम लोग बिना खाये पिये संशोधन विधेयक पर विचार करने जा रहे हैं । माननीय नित्यानन्द जी को यह अवसर तो मिलेगा ? ही कि वह अपनी बात, अपने विचार रख सकते हैं । अभी समय लेने की क्या जरूरत है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरे विषय पर आप लोगों में से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इस पल पर मुख्य-मंत्री का उत्तर आ जाना चाहिये, यह तो एक मिनट की बात है ।

श्री अध्यक्ष—

होगा, लेकिन तत्काल कैसे हो सकता है । आज तो नहीं हो सकता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यही सिर्फ, मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ होना ही चाहिये ।

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प को विचारार्थ लिये जाने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

368 में बहुत स्पष्ट है, लोक सभा या पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पास कर दिया है । आर्टिकिल 368 में दिया है । उसके अन्तर्गत यह आया है । किसी को विरोध करना होगा वह उसका विरोध करे और जिसको समर्थन करना हो वह इसका समर्थन करे, इसमें कोई विवाद की बात कैसे हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

5 मिनट का समय मैंने उन्हें एलाऊ कर दिया है, यह नियमानुकूल है । उन्हें अपनी बात कहने दिया जाए ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस तरह से यह नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है । विधान के अनुच्छेद.....

श्री अध्यक्ष—

विधान के बारे में आप नहीं बोल सकते, नियमावली की बात आपने कही है, उसी में आक्षेप सीमित रखें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, विधान में ही तो लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स में पास होगा ।

श्री अध्यक्ष—

संविधान में है कि—

".....the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent."

".....कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहिले उस संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान मंडलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा ।"

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अब यह रेलेवेंट हुआ या नहीं । आधी विधान सभायें जो हैं उनके अन्दर यह संकल्प पारित होगा और सही रूप से पारित होगा, यह आवश्यक है । आर्टिकिल 368 में जो यह प्राविधान किया गया है कि आधी विधान सभाओं में संकल्प पारित होगा, आर्टिकिल 368 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता ।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरिट्स पर जा रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरिट्स पर नहीं जा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

नियमावली के अनुरूप कैसे नहीं, वह बताइये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इसको आर्टिकिल 13 तक साथ ही पढ़ेंगे । आप सुन क्यों नहीं लेते ? आप मुझे टाइम लिमिट कर दीजिये कि दस मिनट बोलूं ।

श्री अध्यक्ष--

पांच मिनट ले लीजिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आर्टिकिल 13 (2) में जो प्राविजन है उसके अन्दर है उसके अमेंडमेंट के लिये कानून नहीं बनाया जा सकता, यह प्राविधान है । उसके अन्दर जहां अनेकों राइट्स हैं, उनमें राइट टु प्रापर्टी भी है । राइट टु प्रापर्टी के अलावा सारे अधिकार हैं । मैं उसको अपोज नहीं करता । हम कहते हैं कि गरीबी अमीरी बराबर हो जाय, रुपये पैसे का भेद न हो । इसके साथ-साथ जितने और अधिकार है, राइट टु एसोशिएशन, राइट टु स्पीच, जैसा मेरा राइट है, आप कई बार रोक देते हैं, इन सबके ऊपर अंकुश हो जावेगा ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । नित्यानन्द जी ने यह आपत्ति की कि प्रस्तुत नहीं कर सकते । लेकिन वह मेरिट पर बात कर रहे हैं । यह तो डिबेट इनीशिएट कर रहे हैं । आपने डिबेट इनीशिएट करने की आज्ञा नहीं दी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपने मुझे पांच मिनट का समय दिया है । मेरे साथ इतना अन्याय न हो । आप अपनी नियमावली के नियम 86 को देखें । नियम 86 में है--"यदि मंत्री कोई संकल्प उपस्थित करना चाहें तो वे सात दिन की सूचना देंगे और उसके सात संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेंगे जो साधारणतया उसकी प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेंगे "मेरा निवेदन यह है कि पहले तो यह नियम 86 का उल्लंघन हुआ है । मैं इस लिए नहीं कहता हूं कि मैं रोकना चाहता हूं । यह आये । प्रापर्टी का समान वितरण हो । लेकिन यह जिस प्रकार आ रहा है, आप कस्टोडियन हैं । फिर नियम 88 को देखेंगे संकल्प का रूप । संकल्प का रूप क्या होना चाहिये "संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा जिससे कि शासन के किसी कार्य अथवा नीति का सदन द्वारा अनुमोदन या अननुमोदन अभिलिखित किया जाय" या कोई संदेश दिया जाय

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

या किसी कार्यवाही के लिये संस्तवन, यह अनुमोदन संकल्प है, दूसरी कैटेगरी में नहीं आता। इसके आगे भी दो तीन हैं उनमें नहीं आता। यह दिया है किसी को अथवा नीति का सदन द्वारा अनुमोदन। एक विधेयक है और उस विधेयक का यहां पर अनुमोदन कर रहे हैं। यह किसी नीति का समर्थन नहीं है। सरकार की नीति हो सकती है समाज वाद की सरकार की कोई दूसरी नीति हो सकती है उसका अनुमोदन नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप संकल्प को पढ़ें "यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान के (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 द्वारा 'भारत का संविधान, में किये जाने के लिये प्रस्ताव उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।" यह जो ऐक्ट है इसी के रेफेंस में जो बिल है उसके ऑब्जेक्ट्स को जरा देखेंगे। उसके अन्दर यह नहीं कहा है। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में पैरा 2 को आप देखें उसमें लिखा है--

"The Bill seeks to amend article 368 suitably for the purpose and? makes it clear that article 368 provides for amendment of the Constitution as well as procedure therefor. The Bill further provides that when a Constitution Amendment Bill passed by both Houses of Parliament is presented to the President for his assent, he should give his assent thereto."

इसमें आगे यह भी है जिस पर मैं एम्फेसिस देना चाहता हूं:--

"The Bill also seeks to amend article 13 of the Constitution to make it inapplicable to any amendment of the Constitution under article 368."

अब यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है वह केवल आर्टिकिल 368 के लिये किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स का पैराग्राफ २ जिस प्रकार दिया गया है उस संकल्प के अनुसार आर्टिकिल 368 की जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम आर्टिकिल 13 को नहीं बदल सकते जबकि उसमें बदलने की बात कही गयी है। लेकिन आर्टिकिल 13 के लिये यह संकल्प नहीं है। इस प्रकार यह संकल्प अधूरा है और इस रूप में यह संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और इससे नियम 86 व 88 का उल्लंघन होता है। इसलिये मैंने नियम 94 व 95 में संशोधन दिया था लेकिन उसको प्रस्तुत करने की स्वीकृति आपने नहीं दी। वह अलग बात है। आप इस पर व्यवस्था दें कि यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है यह व्यवस्थित है या नहीं है और इस संकल्प को इस रूप में लाकर आया इस बिल का जो अनुमोदन है उसको हम पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकिल 13 का जो संशोधन है वह रह जाता है। इस आपत्ति को इस रूप में न समझा जाय कि जो व्यक्तियों के बीच में असमानता है उसको दूर करने के लिये मैं यह आपत्ति पेश कर रहा हूं, हम उसके समर्थक हैं कि सममानता दूर हो।

श्री अध्यक्ष--

संविधान में संशोधनों के अनुसमर्थन की प्रक्रिया नियम 182 में है। आपने संकल्प की प्रक्रिया पढ़ भी दी। नियम 182 में यह दिया हुआ है "संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन के संचार या संदेश की प्राप्ति होने पर उसको विधेयक एवं तद्विषयक वाद विवाद की प्रतिलिपि सहित सचिव द्वारा सदन के पटल पर रखा जायगा।" तो वह रखा गया है। "अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन के संकल्प पर चर्चा के लिये दिन नियत करेंगे।" दिन सदन ने नियत किया, मैंने भी नियत किया। चाहें तो नेता सदन से पूछ लीजिये कि यह तय हुआ कि आज और कल इसके अनुमोदन पर विचार होगा। संकल्पों से संबंधित नियम एवं आदेश उक्त चर्चा पर यथोचित परिवर्तनों सहित प्रयुक्त होंगे।" और सभा द्वारा पारित हो जाने पर संकल्प की प्रतिलिपि सचिव द्वारा शासन तथा संसदे

को भेजी जायगी । संकल्प के पारित न होने की दशा में तद्विषयक सूचना भेज दी जायगी ।" 182 का प्रोसीजर प्रावियन हमारे नियमों में है और आपके संविधान में भी यह दिया हुआ है कि अनुमोदन उतना होना चाहिये आधे से ज्यादा सदस्यों द्वारा तभी कहीं वह कानून लागू हो सकता है । ऐसी अवस्था में यह चीज बिल्कुल सही है कि जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है वह प्रस्तुत किया जा सकता था । अगर किसी को मंजूर नहीं है तो वह उसका विरोध कर सकता है सिवा इसके वह कुछ और नहीं कर सकता ।

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (क्रमागत)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संविधान का 24 वां संशोधन विधेयक संसद् द्वारा स्वीकृत किया गया है और हमारी विधान सभा में स्वीकृत के लिये भेजा गया है ।

मैं इसका समर्थन करता हूं । श्रीमन्, हमारे दल ने लोक सभा में भी संशोधन विधेयक का समर्थन किया था । माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिल्कुल सही बात है और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि संविधान के आर्टिकिल 368 में जो यह संशोधन किया जा रहा है वह उतने विवाद की चीज नहीं है जितना कि विवाद की चीज हमारे देश में इसे बना दी गई है । श्रीमन् हमारा संविधान कभी भी रिजिड नहीं रहा है और इसके बनाने वाले भी इसी स्पिरिट के थे कि जिस संविधान में आवश्यकतानुसार और जैसे-जैसे जनता की आकांक्षायें और आवश्यकतायें पड़ेंगी, उसमें परिवर्तन हो सकते हैं । आपको ज्ञात है कि हमारे संविधान के दो प्रमुख निर्माता रहे हैं । राजनीतिक दृष्टि से पंडित नेहरू और कांस्टीट्यूशनल दृष्टि से डा० अम्बेदकर । पंडित नेहरू ने जबकि सारा संविधान बन गया था उस समय कांस्टीटुयेन्ट असेम्बली में कहा था कि संविधान का कौन सा रूप देश के सम्मुख दिया जा रहा है । उन्होंने आगे कहा था—

"While we want this Constitution to be as solid and permanent as we can make it. there is no permanence in Constitution. If you make any thing rigid and permanent. you stop the nation's growth."

डा० अम्बेदकर जो कि एक कांस्टीट्यूशनल पंडित थे और जिनका कि संविधान बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने कहा था—

"The Assembly has not only refrained from putting a seal of finality and infaliability upon this Constitution..... but has provided for a facile procedure for amending the constitution.

तो श्रीमन्, इस प्रकार कांस्टीट्यूशन के जो निर्माता थे जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र को चलाने के लिये संविधान दिया उनका स्पष्ट मत था कांस्टीटुएन्ट असेम्बली में कि संविधान कोई परमानेन्ट नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबुल संविधान है जो कि युग की आवश्यकतानुसार परिवर्तित होता रहेगा । संविधान के जो निर्माता थे उनकी यह इच्छा थी कि संविधान चलता रहे और आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह संविधान का 24वां संशोधन है और 23 संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं । कहीं पर भी इसके बारे में विवाद और प्रतिस्पर्धा नहीं दिखाई गई । सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं और डेमोक्रेसी को चलाने के लिये न्यायालयों की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी । किन्तु जैसा कि माननीय शर्मा जी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी 1965 तक यह निर्णय दिया कि हिन्दुस्तान का संविधान फ्लेक्सिबिल है और आर्टिकिल 368 में परिवर्तन हो सकता है । सुप्रीम कोर्ट में जो लेटेस्ट केस 1965 में रहा है सर्जन सिंह का उसमें श्री गजेन्द्र गडकर साहब ने कहा था—

That Parliament may by passing a Constitution Amendment Act, in compliance with the requirement of Article 368, amend any provision of the Constitution. within the fundamental Rights and Article, 368 itself.

[श्री कृष्णानन्द राय]

इस तरीके से जितने भी केसज सुप्रीम कोर्ट में 1965 तक आये उसको हेल्ड करते रहे। संविधान के आर्टिकिल 368 और फंडामेन्टल राइट्स में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यह हमारा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि 1967 में गोलक नाथ का केस हम लोगों के सामने आया जिस समय कि श्री सुब्बा राव साहब चीफ जस्टिस थे उन्होंने जजमेंट दिया था जिसको कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करता रहा, उन्होंने कहा था कि यह प्रोसीड्योरल है सब्सटेंटिव नहीं है। इसलिये आर्टिकिल 368 और फन्डामेन्टल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है।

(इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव, पीठासीन हुये।)

अब थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि उनका फैसला सही था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था तो आखिर उस फसले की इज्जत करते हुये यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग के खिलाफ निर्णय दे दिया है कि आर्टिकिल 368 प्रोसीजरल है। श्रीमन्, बड़ी हास्यास्पद चीज यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्जिनल नोट में लिखा है कि यह प्रोसीजरल है। पार्लियामेंट ने इस मार्जिनल नोट को बदल दिया कि यह पार्लियामेंट की पावर है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हुये, हालांकि उनका फैसला ऐसा है जिसको बहुत गम्भीरता के साथ आज के जमाने में नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान का संविधान और इस तौर से फंडामेंटल राइट्स नहीं बदले जा सकते और इनको केवल कांस्टीटुयेंट असेम्बली ही बदल सकती है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन की किस आर्टिकिल के अन्तर्गत कांस्टीटुयेन्ट असेम्बली बैठेगी। कांस्टीट्यूशन ने आर्टिकिल 368 में अधिकार दे दिया है कि जब इसके बदलने की आवश्यकता होगी तो बदल सकते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि केवल कांस्टीटुयेन्ट असेम्बली ही बदल सकती है तो उनसे पूछा जा सकता है कि हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन में कांस्टीटुयेन्ट असेम्बली के बैठने का कोई प्रोसीजर नहीं है तो जो आपके दिमाग की यह नई उपज है उसको किसके अन्तर्गत किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कांस्टीट्यूशन की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती है, फंडामेंटल राइटस की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती है अगर इस तरह से आर्टिकिल 368 में इसको बदला जा सकता है।

श्रीमन् को मालूम है कि दुनिया में जितने कांस्टीट्यूशन्स हैं उनमें सबसे रिजिड कांस्टीट्यूशन अमरीका का है। इसमें भी फंडामेंटल राइट्स की तरह से बिल आफ राइट्स का चैपटर है। इसमें कई मर्तबा कोशिश हुई कि उसमें परिवर्तन हो सकता है या नहीं। जैफरसन अमरीका के प्रेसीडेंट थे, उन्होंने प्रोनाउन्समेंट किया जो जैफरसन प्रोनाउन्सियेशन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने यह प्रोनाउन्समेंट किया कि,

"That one generation has no right to bind down the posterity with its view."

जहां का कांस्टीट्यूशन रिजिड माना जा सकता है उसमें भी कहा है कि किसी जेनरेशन को अधिकार नहीं है कि दूसरे आने वाले जेनरेशन को बांध सके।

1920 में हाकी वरसेज स्मिथ केस में यह हेल्ड किया कि—

"that Bill of Rights was not outside the pale of the amending powers confirmed by Article V of the Constitution."

श्रीमन्, अमरीकन कांस्टीट्यूशन जो बहुत रिजिड माना जाता है उसमें भी जैफरसन साहब ने कहा कि परिवर्तन हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया कि वह हो सकता है।

श्रीमन्, माननीय सुब्बा राव इस समय चीफ जस्टिस नहीं हैं लेकिन हम उनकी शान के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं और न कहना चाहते हैं। मेरा एक वकील का पेशा है और हम न्यायाधीशों की इज्जत करते हैं और हम उस पेशे को बिलांग करते हैं जिसके दिमाग में उनकी

बहुत बड़ी इज्जत है। जो न्यायालय की बात करते हैं। एक जज ने प्रोनाउंस किया और सारे देश में घूमकर उसके प्रति जन आन्दोलन कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है और नहीं करना चाहिये। श्रीमन्, हमारे हिन्दुस्तान में हर तरह के पेपर्स हैं और जिस विचारधारा को.....जानना चाहें उनसे आपको मालूम हो जायगा कि कौन सी विचारधारा है। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल में आब्जेक्शन क्या है। मैंने रास्ते में 11 सितम्बर का करेन्ट अखबार खरीद लिया। उसमें मैंने पढ़ा कि माननीय सुब्बाराव साहब की प्रेसीडेन्टशिप में बाम्बे में 10 सितम्बर को एक सेमीनार हुआ। उस सेमीनार में एक प्रस्ताव यह पास किया गया—

"If property is confiscated all other fundamental rights will be wiped-out."

श्रीमन्, सुब्बाराव जी का यह मोटिव था और उनके द्वारा यह बताया गया है कि प्रापर्टी राइट्स को चैलेन्ज कर दिया गया है और उसके द्वारा लोगों को यह बताया गया है कि अगर यह हो गया तो नागरिकों के सारे अधिकारों को ही खत्म कर दिया जायगा। सुब्बाराव जी के अलावा उस सेमीनार में और कौन बोलने वाले थे? एक थे श्री मसानी और दूसरे थे बाम्बे जनसंघ के वाइस प्रेसीडेन्ट। इन तीनों ने मिलकर एक कमेटी का निर्माण किया जो हिन्दुस्तान की जनता में इस बात का आन्दोलन करेगी।

इससे मालूम होता है कि यह सुब्बाराव जी का जो जजमेंट था वह प्योरली कास्टीट्यूशनल जजमेंट नहीं था वह पोलीटिकल बायस को लेकर था और वेस्टेड इन्टरेस्ट को समर्थन करने वाला था। यही कारण है कि श्री सुब्बाराव उस जजमेंट को देकर आराम नहीं कर रहे हैं किन्तु सेमीनार कर रहे हैं, कमेटियों का निर्माण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर प्रापर्टी के राइट्स को समाप्त कर दिया गया तो तमाम फन्डामेंटल राइट्स ही समाप्त हो जायेंगे। मैं सब तरह के विचारकों से पूछना चाहता हूं कि आज जो यह प्रापर्टी के राइट्स के खिलाफ जो अटैक किया जा रहा है इससे कौन सी दुनिया उल्टी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही फन्डामेन्टल राइट्स को कब सुरक्षित रखा है। इसी हिन्दुस्तान में रियासतों को समाप्त किया गया, जमींदारियों, को समाप्त किया गया ताल्लुकेदारियों को समाप्त किया गया। जमीन पर सीलिंग लगायी गयी लेकिन उस समय श्री सुब्बाराव और श्री मसानी को कोई तकलीफ नहीं हुई। जब आज बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, इंश्योरेंस कम्पनी का नेशनलाइजेशन होता है, तब उनको कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन जब हिन्दुस्तान के कैपिटल पर अटैक होता है तब उनको फन्डामेंटल राइट्स की सूझती है। जब तक सोसाइटी फ्यूडलिज्म से लड़ती रही, जमीन पर कब्जा करने वालों से लड़ती रही, इन कैपीटलिस्ट अखबार वालों ने सांस तक नहीं ली, लेकिन जब कैपीटल पर लड़ाई शुरू हुई, प्रापर्टी पर लड़ाई शुरू हुई तो सब मिलकर शोर मचाने लगे कि फन्डामेन्डल राइट्स पर आघात हो रहा है। मैं नेगी साहब से जो सिर हिला रहे हैं और माननीय बाजपेयी जी से अपील करना चाहता हूं कि वे अपनी दिल्ली की सरकार को लिखें। यह अमेंडमेंट जो 24वां है वह इसलिये किया जा रहा है कि 25वां अमेंडमेंट आप कर रहे हैं जिसमें आप प्रापर्टी के कम्पेन्सेशन राइट्स को आप लेना चाहते है। मैं तो कहता हूं कि यह आपका एक बहुत दबा हुआ कदम है। पूंजीवादी क्लास से डर कर यह अमेंडमेंट किया जा रहा है और उसमें 'कपेन्सेशन शब्द के बदले में 'एमाउन्ट' शब्द रखा जा रहा है। यह एमाउन्ट शब्द भी न्यायिक नहीं है। यदि आप में हिम्मत है तो आप स्पष्टतः एलान कर दीजिये कि आप प्रापर्टी राइट्स के आर्टिकिल को ही डीलिट करते हैं। हमारी पार्टी उसका सपोर्ट करेगी। प्रापर्टी फंडामेन्टल राइट नहीं हुआ करती है। फंडामेन्टल राइट होता है नागरिकों का स्वेच्छापूर्वक विचरने का, उनका स्वेच्छापूर्वक चिंतन करने का, उनका स्वतंत्रतापूर्वक एसोसियेशन बनाने का, धार्मिक संस्थानों को चलाने का। फंडामेंटल राइट यह नहीं होता कि आप करोड़ों अरबों की सम्पत्ति पर बैठे रहें और सारे देश की प्रगति को समाप्त कर दें। इसीलिये मैं हिन्दुस्तान के ला कोर्ट्स से अपील करना चाहता हूं कि आखिर आपने क्या सूरत बना रखी है। यदि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की पिछले 25 साल की कार्यवाही

[श्री कृष्णानन्द राय]

देखी जाय तो यह साबित होगा कि जहां नागरिकों के अधिकार की बात आयी तो बहुत अच्छे-अच्छे जजमेंट दिये हैं और जहां प्रापर्टी की बात आ जाती है तो उन्होंने वेस्टेड इंटरेस्टस को रेप्रेजेन्ट किया है। यही कारण है कि 1953 में बंगाल में सीलिंग ऐक्ट पास किया गया, 65 हजार सिविल सूट और रिट दाखिल कर दिये गये जिसका नतीजा यह हुआ कि आज तक बंगाल में सीलिंग ऐक्ट लागू नहीं किया जा सका क्योंकि वहां का हाई कोर्ट नित्यप्रति एक न एक अड़ंगा लगाता रहा है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को ले लें। हमारे यहां जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट पास हुआ। 5—7 वर्ष तक कम्पेन्सेशन के मामले में उसको लागू नहीं करने दिया गया। आज तक सीलिंग ऐक्ट यहां लागू नहीं करने दिया गया। अभी अभी हाल ही में माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी ने स्वयं बड़ी उदारता दिखला कर कुछ टूटी-फूटी, सड़ी हुई चीनी मिलों को अधिग्रहण करते हुये तीन करोड़ रुपये उनको पुरस्कार दिये। उन्हें तो एक पैसा भी नहीं देना चाहिये था, जबर्दस्ती कब्जा करके उनको हटा देना चाहिये था। लेकिन मैं अक्ल की तारीफ करता हूं इलाहाबाद हाई की कि उस सारे अधिग्रहण को इस प्वाइंट पर कि उनको पूरा कम्पेन्सेशन नहीं मिला उसको स्टे कर दिया।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मुकदमे की पैरवी किसने की ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मुकदमे की पैरवी करने वाले, उस पर फैसला देने वाले सब चीनी मिल वालों के नजदीक हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के हाई कोर्ट्स की जो फाइंडिंग है कम्पेन्सेशन के बारे में कि वह मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिये उसे स्वीकार किया जाय तो न तो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो सकता है, न इश्योरेंस का नेशनलाइजेशन हो सकता है न बिड़ला, टाटा और डालमिया का कभी नेशनलाइजेशन किया जा सकता है। लिहाजा आवश्यक है प्रापर्टी राइट पर हमला किया जाय और जो गवर्नमेंट कहती है कि प्रापर्टी राइट पर हमला करना देश के नागरिकों के अधिकार पर हमला है वह कायर है और डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले हिन्दुस्तान के नागरिकों में यह साहस है कि जो वास्तविक फंडामेंटल राइट्स है स्वतंत्र चिन्तन, विचारण और एसोसियेशन बनाने का उस पर जो भी सरकार हमला करेगी देश के नागरिक कन्धे से कन्धा मिला कर खड़े हो जायंगे और ऐसा हुआ भी है। चौबीसवां अमेंडमेंट करने के बाद यह गवर्नमेंट 25 वां अमेंडमेंट करेगी जिसमें "कम्पेन्सेशन" के बदले "एमाउन्ट" शब्द लाये हैं। मैंने पढ़ा है कि 26 वां अमेंडडमेंट भी ला रहे हैं जिसमें प्रीवी-पर्स और राइट्स वगैरह एबालिश हो रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया से साबित होता है कि आज की गवर्नमेन्ट प्रापर्टी राइट्स को जो कि हमारी प्रोग्रेस में बड़े इम्पेडीमेंट का काम कर रहे हैं उन्हीं को हटाने के लिये काम कर रही है और कोई दूसरी चीज नहीं कर रही है। तो मैंने पढ़ने की कोशिश की कि कौन-कौन से आब्जेक्शन्स कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के खिलाफ लाये जा रहे हैं। श्रीमन्, यह कहा गया कि यह कांस्टीट्यूशन को अपमानित किया जा रहा है। मेरी समझ में यह नहीं आया जबकि कांस्टीट्यूशन में दिये हुये आर्टिकल 368 के प्रोसीजर के अन्तर्गत ही अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उसको अपमानित करने का प्रश्न कैसे पैदा होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः जजमेंट की रिस्पेक्ट करते हुये 368 में केवल प्रोसीजर को लागू किया है कि उसके अन्तर्गत यह सब्सटैन्टिव है और पार्लियामेंट को पावर है तो उसमें अपमान कैसे किया जा रहा है और न डेमोक्रेसी का अपमान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में मेरा बहुत विश्वास है। मैं संसदीय पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में बड़ा विश्वास करता हूं। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की जननी ब्रिटिश पार्लियामेंट है। वहां पर यह कहावत मशहूर है कि—

"The British Parliament can do everything except converting a man into woman and woman into man."

यह बात मशहूर है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है सिवाय आदमी को औरत और औरत को मर्द बनाने के। मैं पांडेय जी को बतलाना चाहता हूं कि अब वह चीज खत्म हो गई है। अब साइंस इतना डेवलप कर गई है कि अब सेक्स का भी परिवर्तन हो सकता है। अगर पांडेय जी चाहें तो उनका भी सेक्स चेन्ज हो सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट कांस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी की एक स्पष्ट संस्था है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह अपने यहां कांस्टीट्यूशन में या किसी लेजिस्लेशन में जब चाहे परिवर्तन कर सकती है। इंग्लैण्ड में प्रापर्टी राइट भी चल रहा है और इंग्लैण्ड के नागरिकों की सुरक्षा भी चल रही है। इंग्लैण्ड प्रास्पर भी कर रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो अधिकार प्राप्त है उससे न तो वहां फासिज्म पैदा हुआ और न डिक्टेटरशिप पैदा हुई। हमारे यहां भी कुछ स्पेशल पावर पार्लियामेंट को दी गई है। पार्लियामेंट सिम्पुल मैजारिटी से नहीं बल्कि स्पेशल मैजारिटी से यानी दो तिहाई मैजारिटी के अन्तर्गत कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन काफी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन भी है। भारतवर्ष में एडल्ट फ्रन्चाइज से चुने हुये प्रतिनिधि दो तिहाई से इस बात को तय करते हैं तो सब लोग उसको मान लेते हैं और उस फैसले को स्वीकार किया जाता है। तो यह एतराज डेमोक्रेसी के विरुद्ध है और मैं इसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

यह कहा गया कि अन्थोनी ईडन और मुसलिम लीग के रिप्रिजन्टेटिव इब्राहीम सुलतान ने यह एतराज किया था कि यह माइनारिटी के इन्टरेस्ट के खिलाफ है। माइनारिटी को जैसे-जैसे वह चाहें अपने-अपने धर्म के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। यह उनके इन्टरेस्ट के खिलाफ नहीं है। यह तो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट आ रहा है। इसमें उनके विरुद्ध जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यहां पर तो सेक्युलर डेमोक्रेसी है। उसके अन्तर्गत वह अपने सब धर्म के काम कर सकते हैं। इस सेक्युलर डेमोक्रेसी में भारतवर्ष में मन्दिरों की प्रापर्टी को रेगुलेट कर रहे हैं। उनके लिये कानून बनाते हैं। चर्चेज को बड़ी पावर है अमेरिका में और इंलैण्ड में भी परन्तु चर्चेज की प्रापर्टी कर रेगुलेट करने के लिये वहां भी कानून बनाते हैं। और यदि हिन्दुस्तान में चर्चेज, मास्क्स और मंदिरों की प्रापर्टी के वेस्टेज को रोकने के लिये कोई कानून आये और संशोधन किया जाय तो उसको अल्प संख्यकों के अधिकारों का हनन् कहना न्यायोचित न होगा। हिन्दुस्तान के नागरिक चाहे वह मेजारिटी के हों या माइनारिटीज के हों सबको अधिकार प्राप्त है कि वह अपने फेथ, विश्वास और अकीदे के अनुसार वर्शिप पूजा और सिजदा कर सकते हैं। उनके उस हक को चैलेंज नहीं किया जा सकता लेकिन इन मजहबी इदारों की, मसजिदों, मंदिरों और चर्चेज की जो प्रापर्टी है यदि उसमें वेस्टेज होगा उसको रोकने के लिये अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वह किसी तरह से भी माइनारिटीज के राइट्स के विरुद्ध न होगा और न ऐसा कहना ही चाहिये। हमारे दोस्तों को एक चीज खटकती है कि प्रेजीडेंट को जो राइट है कि वह संसद् द्वारा पास किये बिल पर स्वीकृति दें, उसमें पहले 'में' शब्द था और अब 'शैल' शब्द रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह प्रेसीडेंट के अधिकार पर भी हमला हो रहा है। यह चीज किसी से छिपी नहीं है कि यह इस डेमोक्रेटिक फार्म आफ गवर्नमेंट की एक मान्य परम्परा है और यही परम्परा इंग्लैन्ड की भी है कि जो भी कानून संसद् पास करती है उस पर किंग या क्वीन मोहर लगाते हैं और यहां भारत में संसद् जो कानून पास करती है उस पर प्रेसीडेंट अपनी एसेंट देते हैं और जिस दिन वह उस पर अपनी एसेंट नहीं देंगे उस दिन यहां से संसदीय डेमोक्रेसी समाप्त हो जायगी। जब तक इस देश में डेमोक्रेसी चल रही है तब तक चाहे 'में' रखा जाय या 'शैल' रखा जाय, उसका मतलब 'शैल' ही रहेगा और जिस दिन प्रेसीडेंट इस 'में' और 'शैल' के चक्कर में पड़ेगा उसी दिन वह प्रेसीडेंट, शासन और सारी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी समाप्त हो जायगी।

एक चीज मैं और निवेदन करूंगा कि यह जो संविधान के आर्टिकल 368 का संशोधन है और जब संसद् ऐज ए कान्स्टीट्यूशन अमेंडिंग बाडी बठती है तो उसका रूप दूसरा हो

[श्री कृष्ण नन्द राय]

जाता है। संसद के 2 रूप हैं, एक तो वह जनरल लेजिस्लेशन, साधारण बिलों को पास करती है और उस सन्दर्भ में प्रेसीडेंट की असेंट के लिये 'में' शब्द रखा गया है और उस में यह भी है कि यदि साधारण लेजिस्लेचर दुबारा पास किया हुआ बिल अनकांस्टीट्यूशनल हो तो प्रेसीडेंट उसे सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर सकता है। वहां 'में' शब्द है। लेकिन जब संसद स्वतः अपनी कांस्टीट्यूशन मेकिंग पावर के साथ बैठती है और दो तिहाई बहुमत से किसी संशोधन को पास करती है तो यह स्वाभाविक है कि वही कांस्टीट्यूशन बन जाता है और फिर प्रेसीडेंट के लिये कोई डिसक्रीशन या आल्टरनेटिव नहीं रहता कि वह उसको सुप्रीम कोर्ट को रिफर करे क्योंकि उसमें संविधान ही दो तिहाई बहुमत से संशोधित हो जाता है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कभी राय दे नहीं सकता क्योंकि उस वक्त वह निर्णय पार्लियामेंट एज ए कांस्टीट्यूशन अमेंडिंग बाडी बैठ कर करती है। उस सन्दर्भ में प्रेसीडेंट को वह डिसक्रिशनरी पावर नहीं दी जा सकती और यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ही किया गया है। इसलिये 'शैल' रखने से प्रेसीडेंट के अधिकार के हनन की कोई बात नहीं है।

यह 24वां संशोधन कोई नई चीज नहीं है और सन् 65 तक हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की सारी रूलिंग्ज इसके अनुसार ही रही हैं और 65 तक जितने संविधान में संशोधन हुये हैं वे सब 368 आर्टिकिल के अन्तर्गत स्वीकार किये गये हैं लेकिन इस गोलाकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया उसी को आनर करते हुए यह संशोधन लाया गया है। कि केवल इस कांस्टीट्यूशन के अमेंडमेंट से ही एक चामत्कारिक प्रभाव जरूर पड़ता है। जितने इम्पैडीमैन्ट्स हैं, जितने बेरियर्स हैं ये हिन्दुस्तान में सोशल और एकानामिक ट्रांसफार्मेशन हैं, समाजवाद के बढ़ने में, उन बैयरियर्स को हटाना चाहिये और उन बैरियर्स को हटाने के लिये हम इन कांस्टीट्यूशन के अमेंडमेंट्स को लाये हैं। तो मैं आपके माध्यम से निहायत अदब से अपील करना चाहता हूं—और माननीय बाजपेयी और माननीय पंडित जी सुन लें। सन् 65 तक जो पोजीशन थी उस वक्त तक कोई बैरियर्स नहीं थे जिस तरह से कानून लाना चाहते थे लायें। लेकिन वह कोई भी इस प्रकार का कानून नहीं आया सन् 1965 तक सुप्रीम कोर्ट साथ था। जिस प्रकार का अमेंडमेंट करना चाहते थे उसको कर सकते थे। हिन्दुस्तान में आवश्यक सोशल एकानामिक ट्रांसफार्मेशन नहीं हुआ, आज तो गोलकनाथ केस में जजमेंट हो गया। यह 24वां अमेंडमेंट ऐसा अमेंडमेंट है कि उस अमेंडमेंट को फोरगो करने के लिये यह गारन्टी नहीं है कि अमेंडमेंट के होने के बाद आप इस प्रकार का कदम उठायेंगे जिससे हिन्दुस्तान में समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जो स्पीचेज पार्लियामेंट में हुई है उनमें यह है कि हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन में जो डायरैक्टिव प्रिंसिपल दिये गये हैं और जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसमें संघर्ष हो रहा है और इन दोनों के संघर्ष के समन्वय के लिये यह कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोग हृदय पर हाथ रखकर पूछें कि ये जो डायरेक्टिव, प्रिंसिपल्स दिये गये हैं जिसमें यह है कि एवरी मैन हैज राइट टु वर्क, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ दि स्टेट यह दिया गया है कि हिन्दुस्तान के जो राज्य हैं चाहे यूनियन का राज्य हो इसके अनुसार हर काम करने वाले को जिसके हाथ पैर हैं उसको काम दें। मैं पूछना चाहता हूं कि इस कांस्टीट्यूशन के अमेंडमेंट से क्या इस बात की स्पष्ट घोषणा की जायेगी पार्लियामेंट में सत्तारूढ़ कांग्रेस या सत्तारूढ़ सरकार द्वारा... ।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

यह घोषणा की जा चुकी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सामने रखकर ही यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट आया है। सारे कांस्टीट्यूशन की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आत्मा है और उसके अनुसार हम काम कर सकते हैं। गोलकनाथ केस के कारण बाधा नहीं पड़ी बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कार्यान्वित किय जा सके। यह तर्क उपस्थित किया गया कि पार्लि-

यामेंट में प्राइम मिनिस्टर की ओर से भी और ला मिनिस्टर की ओर से भी आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि वह अमेन्डमेन्ट किया ही जा रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में फंडामेन्टल राइट्स निहित हैं। और जो बाधा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पड़ती है उसको दूर कर सकें यही बात है।

श्री कृष्णानन्द राय—

हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट के हैं उसमें अधिक कार्य नहीं हो सका है और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा, इसी आशा को ही तो लेकर यह जो कांस्टीट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। हम लोग इसलिये इस अमेन्डमेन्ट का समर्थन कर रहे हैं। इसमें हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ दि स्टेट यह बताया है कि राइट टु वर्क। हिन्दुस्तान में आज जो करोड़ो नौजवान आज बेरोजगार हो गये हैं उसमें केवल यह कह देना कि इस इम्पैडीमेंट को हटा कर इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू कर देंगे, हम यह आशा नहीं कर सकते, कि सभी पार्टियों के लोग इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिये साथ देने को तैयार हैं। कांस्टीट्यूशन को आप जिस प्रकार से अमेंड करें सिवाय नागरिकों के फंडामेन्टल राइट्स के लेकिन क्या यह घोषणा करने के लिये आप तैयार हैं कि पांच साल के अन्दर हिन्दुस्तान के बेकार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यदि यह आश्वासन आप नहीं दे सकते कि पांच साल के अन्तर्गत हम हिन्दुस्तान के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कम से कम एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करेंगे यदि आप यह आश्वासन नहीं दे सकते तो हमारा जो सहयोग है उससे फिर आप फायदा नहीं उठा सकते हैं।

मैं फिर दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप के माध्यम से दिल्ली की सरकार से कि 1965 तक आपने वह नहीं किया और अब गोलाकनाथ केस के इम्पेडीमेंट हटाना चाहते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इतना समर्थन करने के बाद तो यह न कहिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

आज भी हमारे देश में फारेन कम्पनीज हैं, फारेन बैंक्स हैं क्या इनको नैशनलाइज करने जा रहे हैं। यदि ऐसा आश्वासन नहीं आता है तो यह 24वां अमेंडमेन्ट करने से ही कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। अब श्रीमन्, अंत में मैं अपने विधान सभा के सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि विधान सभा के अन्दर सभी राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक मत होकर प्रस्ताव पास हो। इसी सत्र में हमने बंगला देश पर प्रस्ताव एक मत होकर पास किया था। मुजीबुर्रहमान की मुक्ति की अपील भी एक मत से की थी।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

जो पास किया था उसका क्या हुआ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं जनसंघ के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जितनी ही इस प्रश्न पर उत्तेजना दिखलायेंगे उतना ही नुकसान होगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि हमने अनेकों प्रश्नों पर एक मत होकर प्रस्ताव पास किए हैं। यह प्रश्न हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय जीवन में इम्पेडीमेंट है। इसका भी विधान सभा यूनानिमस समर्थन कर दे जिससे यह अखबारों में निकलें कि यू० पी० असेम्बली युनानिमिसली एडाप्टस 24 था अमेंडमेंट बिल।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं पहले तो भाई कृष्णानन्द राय को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने उन चीजों का जिक्र यहां उठाया जिनकी आश्यकता थी। उन्होंने एक दो तथ्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि इस संशोधन के द्वारा भी संसद ने न्याय पालिका की अवज्ञा नहीं की है बल्कि उसको स्वीकार कर दिया है या जो न्याय पालिका ने बताया है। यहां तक बात ठीक है लेकिन यह जो संशोधन है उसमें कुछ मौलिक बातें ह जिनको सदन को समझ लेना चाहिये। मान्यवर, सत्य बात यह है कि सीधा प्रश्न उठता है कि क्या किसी देश का संविधान एक अन्तिम लक्ष्य है उस देश के सामने और वह संविधान एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है या स्वयं लक्ष्य है? यह प्रश्न कि क्या सचमुच अन्तिम बात कहने का अधिकार इस देश के मनुष्यों को है या सार्वभौम सत्ता देश की प्रतिनिधि संसद करती है। यह परिपाटी है कि देश का निर्माण संविधान द्वारा होता है। मान्यवर, संविधान बड़ा है न्याय पालिका के कार्य से और इसका तरीका हमारे संविधान की परिपाटी है।

यह सत्य है श्रीमन्, कि जहां पर हमने न्यायपालिका के निर्णय के अनुसार कुछ संशोधन किये हैं, हमन यह भी स्वीकार किया है कि संविधान के सम्बन्ध में अन्तिम बात कहने का अधिकार सावभौम सम्पन्न जनता को है जिसको सोवरेन अथारिटी आफ दी पीपुल कहते हैं। इस सिद्धान्त को स्वीकार करके सारे संसार और अपने देश में घोषित किया गया है कि इस देश की जनता सार्वभौम शक्ति सम्पन्न है। आखीर प्रश्न क्या है? आज मैं गोलकनाथ के केस की चर्चा करूं जो फरवरी, 1967 में तय हुआ था। दो मुकदमें और भी तय हुये थे श्री सज्जन सिंह और सुन्दर प्रसाद जिसका जिक्र माननीय मुख्य मन्त्री ने किया। इन दोनों के बारे में तय हुआ था कि संशोधन किया जा सकता है। यही नहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट के श्री पातंजलि शास्त्री, एस0 आर0 दास, श्री हिदायतुल्ला तथा श्री गजेंद्रगडकर जैसे न्यायाधीशों के सामने भी यह प्रश्न आया था। सब ने तय किया था कि संशोधन का अधिकार हैं और इसके अधिकार संसद को हैं। सुब्बाराव साहब ने जैसा कि कृष्णानन्द राय जी ने कहा, पता नहीं किन कारणों से उन सभी निर्णयों के विरुद्ध एक निर्णय दिया किन किन तथ्यों पर दिया? आज उन्हीं का जो निर्णय है उसके संशोधन का हम अनुमोदन कर रहे हैं। 368 में संशोधन की शक्ति की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 13(2) में कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता जोकि फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों की कमी या मुखालिफत करे। अनुच्छेद 13 (2) में इस चीज का प्राविधान है। इसलिये हम यह तय करते हैं कि माननीय सुब्बाराव ने कहा कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। सीधे शब्दों में यही नहीं इस बात की पुष्टि इसके मार्जिनल नोट से होती है। मार्जिनल नोट में यह प्रक्रिया है कि संशोधन नहीं हो सकता। पहले जिन 6 न्यायाधीशों ने अपना तर्क इस सम्बन्ध में उपस्थित किया उसको नहीं भुलाया जा सकता। इस अध्याय का नाम संविधान का संशोधन है और उन्होंने इसको स्वीकार करके कहा है कि संशोधन करने का अधिकार संसद को है। मान्यवर, हम केवल एक प्रस्ताव सारे संसार से यह कर रहे हैं कि कृपा करके वह हमारे मार्ग में सामने न आये। मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसका जिक्र किया था कि कृष्णानन्द राय की चर्चा पर। सारा संघर्ष इस बात का है कि जो हमारे नीति निदशक तत्व हैं उनके साथ संघर्ष मूल अधिकारों का होता रहेगा। नीति निर्देशक तत्व निश्चित रूप से ऐसे तत्व हैं जो स्वयं में मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों में किसी प्रकार की कमी या कोई आघात नीति निर्देशक तत्वों से नहीं हो सकता है। हमने तय किया कि 368 में कोई बाधा है और उसके मार्जिनल नोट में कोई खराबी है जिसको हम तय किये देते हैं। संशोधन की प्रक्रिया ही उसका मार्ग है और संसद उसका संशोधन कर सकती है। यह तय किया कि 13 (2) वाली बात समस्त विधि की परम्परा पर लगेगी लेकिन वह नहीं लगेगी, अमेंडमेंट आफ दि कांस्टीट्यूशन पर।

मान्यवर, प्रश्न बहुत सीधा है। सबसे पहले राष्ट्र पिता गांधी जी ने 1922 में यह आवाज उठायी थी कि इस देश को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें हम सभी लोग रहे हैं, ने आवाज उठायी और उसके बाद निरन्तर कांग्रेस के जलसों में यह आवाज उठायी जाती रही। 1940 में यहां पार्लियामेंट का प्रतिनिधि मण्डल आया और उन्होंने कहा कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सन् 1942 में जब जापान का हमला हो रहा था उस समय कोएलीशन गवर्नमेंट ने तय किया कि इस देश को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। यही नहीं सन् 1942 में जब सर स्टैफर्ड क्रिप्स यहां आए तो अपने साथ यह अधिकार लेकर आए थे कि इस देश को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जायगा। यह सब इतिहास मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि हमारा संविधान केवल कुछ थोथी बातों पर आधारित नहीं है। इसके पीछे बड़े त्याग और तपस्या का इतिहास है जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और आज भी हम संघर्षरत हैं कुछ चीजों के लिए। आज क्या केवल एक निर्णय के सामने इस देश की सार्वभौम जनता की शक्ति को झुकना पड़ेगा ? आज प्रश्न क्या है ? आखिर जमींदारी क्यों समाप्त की गयी ? रजवाड़े क्यों समाप्त किये गये ? नवाबों की राजधानियां क्यों समाप्त की गयीं ? निहित स्वार्थों को क्यों समाप्त किया गया ? इसका उत्तर मैं केवल सांकेतिक भाषा में न देकर अपने संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 पढ़ना चाहता हूं जिसमें राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं।

38—राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।

39—राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो,

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो,

(घ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो,

(ङ) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।"

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि यह दल जोकि इधर बैठता है उसका एक अंग उधर भी है। अनुच्छेद 38 व 39 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के प्रतीक के रूप में है। आज हम इस देश में क्या चाहते हैं ? आज इस देश म सामाजिक क्रांति "Social economic revolution" वाली बात कहत हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने अनुच्छेद 39 (ख) पढ़ा है। इसका हिन्दी का अनुवाद शुद्ध नहीं है। जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन होने के बजाये जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साध्य ही होना चाहिए।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

ये नागरिक शास्त्र में पढ़ाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने सही पढ़ा है। उस कन्टेक्स्ट में, उस मूल पाठ में हिन्दी के रूपान्तर म त्रुटि है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

अंग्रेजी में वह (बी) है--

"(*b*) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good ;"

तो मैं यह कह रहा था कि आज जिस परिस्थिति में यह देश है उसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है। एक चीज को मैं बहुत स्पष्ट रूप से सदन के सामने रख देना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि इस माननीय सदन के कितने सदस्यगण आज इस बात से परिचित हैं कि संसार के इतिहास में एक नवीनतम परीक्षण इस देश में हो रहा है। समाजवाद की चर्चा तो सभी करते हैं। समाजवाद के सम्बन्ध में कोई विवाद भी नहीं है। जनसंघ के सदस्यगण भी समाजवाद की चर्चा करते हैं। वे भी साधनों के न्यायोचित वितरण की बात कहते हैं। उनका यह कहना है कि प्रत्येक मनुष्य को मकान, रोटी, कपड़ा, दवा-दारू और शिक्षा के प्रबन्ध की सुविधा मिलनी चाहिए। समाजवाद को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए। हम सभी समाजवाद की चर्चा करते हैं और चाहते हैं कि इस देश में समाजवाद आये, लेकिन प्रश्न बहुत सीधा सा यह है कि समाजवाद को लाने का जो आज तक का मार्ग संसार के सामने रहा है उसके बिल्कुल विपरीत यह देश आज दूसरे परीक्षण में संलग्न है। समाजवाद को लाने में किसी को इंकार नहीं करना चाहिए। समाजवाद को जिस प्रकार से रूस, चीन या दूसरे साम्यवादी देशों में लाने की चेष्टा की गयी है उससे एक दूसरे प्रकार के शासन सूत्र की स्थापना हुयी है। इस देश में हम समाजवाद की स्थापना जनतांत्रिक तरीके से करना चाहते हैं। जनतांत्रिक मार्ग का अवलम्बन करके समाजवाद की स्थापना करने की हमारी इच्छा है। यह एक बड़ा कठिन मार्ग है और यदि इस मार्ग के अपनाने में हमको अपने संविधान में बार-बार संशोधन करने पड़ें तो शायद अनुचित नहीं होगा। मुझे मालूम नहीं कि मेरे माननीय मित्र आज इस स्थिति से परिचित हैं या नहीं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे 4-5 मिनट और दे दें। संशोधनों की व्यवस्था संसार के सभी संविधानों में है। इस सम्बन्ध में मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों को पढ़ देना चाहता हूं जोकि उन्होंने 20 जनवरी, 1947 को हमारे संविधान के सम्बन्ध में कहे थे। उनकी यह घोषणा इस स्थान पर शायद बहुत मौजूं होगी--

"Wherein all power and authority of the Sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are derived from the People of India, its ancient land contains its rightful place in the World."

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हम लोगों ने 20 जनवरी, 1947 को यह घोषणा की थी कि हमारी सारी शक्ति जनता में ही निहित होगी। आज हम जिस प्रयास में लगे हुये हैं वह तो बहुत सीधा सादा है और वह है समाजवाद की स्थापना। उसकी कई परिभाषाएं की गयी हैं, लेकिन हमारी परिभाषा के अनुसार, जिस समाजवाद की हमने कल्पना की है, यह है कि कहीं एक जगह कन्सेन्ट्रेशन आफ वेल्थ न हो सके। अन्य परिभाषाओं में यह भी

एक है। अन्य बातों की ओर हमारे मित्र कृष्णानन्द राय जी ने जिक्र किया, मैं दोहराऊंगा नहीं। एक बात बार-बार यह कही गयी कि न्यायपालिका को घृणा की दृष्टि से देखा गया', मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि यह बात बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका का अपना स्थान है, पर अन्तिम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता केवल जनता में ही निहित है। जनता को ऐसा सामाजिक स्वरूप प्रदान करने के लिये कि जिससे समाज की गरीबी, अन्याय, शोषण आदि मिट सके, अगर हमें संविधान म किसी भी संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे हम जरूर लायेंगे।

मान्यवर, इसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र आया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो बातें यहां कही गयी हैं। पंडित जी ने तो बहुत पहले कहा था कि इसके लिए निश्चित और नियमित रूप से संघर्ष चलता रहेगा। मान्यवर, लोक सभा में यह कहा गया कि आज आप फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहे हैं कल आप माइनारिटीज से सम्बन्धित जो सहूलियतें हैं उनको समाप्त कर देंगे। मैं फंडामेंटल राइट्स की अगर व्याख्या करने लग जाऊंगा, मान्यवर, तो सारा समय उसी में चला जायगा। उसमें हमें कई अधिकार दिये गये हैं जैसे विचार व्यक्त करने का अधिकार है, धर्म के सम्बन्ध में अधिकार है, छठां या पांचवा अधिकार वहीं सम्पत्ति के बारे में है। उसमें अब यह प्रयास कर रहे हैं कि वह सम्पत्ति तभी ली जा सकती है जब पब्लिक गुड के लिये उसको लेना आवश्यक हो, जनहित के लिए उसकी आवश्यकता पड़ जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

मूल अधिकार व्यक्ति से सम्बन्धित हैं, निदेशात्मक सिद्धान्त (डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स) समाज से सम्बन्धित हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

जी हां, किन्तु जब समाज सामाजिक, आर्थिक निर्माण के कार्यों को करना चाहता है तो उसके करने में यदि व्यक्ति के अधिकारों पर भी अंकुश लगाना पड़े तो वह लगाना चाहिए। उसके लिये यदि संशोधन लाना पड़े तो वह लाना चाहिए। जो हमारा ध्येय है उसे हम जरूर पूरा करेंगे और उसके लिये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन न्यायपालिका नहीं कर सकती, वह जनता की सार्वभौमिक सत्ता जो संसद में निहित है वही कर सकती है।

मान्यवर, मेरे पास आयरलैन्ड का संविधान भी है। हमने जो यह नीति निर्देशक तत्व लिये ह यह आयरलैन्ड के संविधान से लिये हैं। (व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, समाज के हित में यदि हमें उन्हें समाप्त भी करने पड़ जायें तो उन्हें समाप्त करना चाहिये। मेरे मित्र माननीय कृष्णानन्द राय जी ने फारेन कम्पनीज के सम्बन्ध में कहा। बेरोजगारी के सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ जिक्र किया। मैं उन लोगों में से हूं, और बहुत से मेरे साथी मेरी राय के हैं जो यह चाहते हैं कि विदेशी कम्पनीज को यदि सुविधा पूर्वक लिया जा सके राष्ट्र हित में तो उनको अवश्य ले लिया जाय। अनइम्पलायमेंट का जहां तक प्रश्न है, मान्यवर, उसके बारे में यहां कई बार घोषणायें की गयी हैं। उसके लिये कुछ मार्ग भी निकले हैं। मैं केवल यह कह कर समाप्त करना चाहता हूं श्रीमन्, मैं अपने मित्र श्री कृष्णानन्द राय जी से सहमत हूं कि कदाचित् यह सदन की गरिमा और गौरव के अनुरूप होगा यदि सभी हम इस संशोधन को एक मत से स्वीकार करें और यह घोषणा कर सकें कि इस देश में उस जनता की जिसको आज हम गिरी हुई जनता कहते ह, जिनकी आवश्यकतायें आम जनता से अधिक हैं, सारी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हर कीमत पर की जाएगी। हम यह घोषणा करें कि उसकी जिन आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है, उनकी पूर्ति के लिये जो भी हमें आवश्यक होगा,

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]
हम करेंगे। अगर आवश्यक होगा तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 24, 45, 56 संशोधन हम ऐसे-ऐसे करेंगे। और इसके लिये कोई भी शक्ति हमारे मार्ग में यदि बाधक बनेगी तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ में इस अपने संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय संविधान के 24 वें संशोधन विधेयक द्वारा आर्टिकिल 368 में किये गये संशोधन के अनुसमर्थन के लिये जो प्रस्ताव लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं। मैंने केवल आर्टिकिल 368 का उल्लेख किया है। हालांकि इस संशोधन विधेयक द्वारा संविधान के आर्टिकिल 13, 3 व 368 का संशोधन किया गया है। लेकिन जैसी कि व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार स्टेट्स में से कम से कम आधे का अनुसमर्थन केवल 368 के संशोधन के लिये आवश्यक है। इसलिये मैंने केवल उसी का उल्लेख किया और उसके द्वारा मैं अपने साथी स्वामी जी की तरफ से जो आपत्ति उठाई गई थी कि इसमें जो प्रस्ताव है, वह केवल 368 के अन्तर्गत जो संशोधन किया गया है, उस के लिए आया है, उसकी सफाई करना चाहता हूं। बाकी के लिये आवश्यकता है ही नहीं, केवल 368 के लिए आवश्यक है, श्रीमन्, अब तक विभिन्न समयों पर संविधान में संशोधन किये गये हैं 1951 में जब पहला संविधान का संशोधन आया और उसके बाद 55 में चौथा और सन् 1964 में सत्रहवां आया था, तब तक सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय रहा कि संसद को संविधान के संशोधन करने का अधिकार है और परिणाम स्वरूप इस तरह की एक मान्यता बन गई थी कि संसद सुप्रीम है और वह आवश्यकतानुसार—देश की प्रगति के लिए, ऐसी बाधाओं को हटाने के लिए जो जन कल्याण के रास्ते में पड़ती हों, संविधान का संशोधन कर सकेंगी। लेकिन सन् 1967 में जब गोलकनाथ केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुमत जजमेंट से यह निर्णय दिया कि—"नहीं, पार्लियामेंट को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।" तो इससे एक बड़ी बाधा, एक बड़ा अवरोध पैदा हो गया। उस अवरोध को दूर करने के लिए रूलिंग पावर की ओर से फौरन ही कोई व्यवस्था होनी चाहिये थी। इतने दिन तक सोते रहने की आवश्यकता नहीं थी। अब यह कहा जा सकता है कि रूलिंग पार्टी के पास इतनी शक्ति उस समय नहीं थी कि वह केवल अपने बल के भरोसे उस अवरोध को हटाने का प्रयत्न करती और यह बात बहुत हद तक सही है। अब इतने दिन बाद इसका ख्याल आया। यह अच्छा है कि देर सबेर ख्याल आया कि उस अवरोध को हटाया जाय और उसके द्वारा जो जन कल्याण के कार्यों में बाधा पड़ रही है, वह न रह जाए।

जहां तक फंडामेंटल राइट्स का सवाल है वे वैयक्तिक हैं और हमारे संविधान के स्टेटिक एलिमेंट्स हैं। जहां तक स्टेट पालिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स का सवाल है वे डायनेमिक हैं विकसित होने वाले हैं। एक स्वतंत्र देश के कल्याण के लिये, जन कल्याण के लिए इस बात का प्रयास किया जाता है कि उसके सामने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स हैं उनको अमली जामा पहनाया जाय। अभी तक तो जितना अमली जामा उनको पहनना चाहिए था वह नहीं पहनाया जा सका लेकिन अब अगर इस बात की भी कोशिश हो कि उनको अमली जामा मिल सके तो अच्छी बात है। जस्टिस, सोशल, इकोनामिक तथा पोलिटिकल इसकी जितनी व्यवस्था होनी चाहिये थी उतनी अब तक नहीं हो पाई, इससे बहुत आगे बढ़ना चाहिये था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स जो हैं वे किसी देश के प्रशासन के लिये मूलभूत हैं, आवश्यक हैं और उनके बिना काम नहीं चल सकता। अगर फंडामेंटल राइट्स तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स दोनों पर एक साथ विचार किया जाय और इन दोनों में संघर्ष हो तो फिर यह जरूरी न्यायोचित होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको संशोधित किया जाय ताकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स हैं उनके अनुसार कार्यवाही करने में कोई बाधा न पड़ सके। अगर यह

देखा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स इस तरह के हैं कि 10, 12 परसेंट आदमियों को उनसे लाभ होता है और 90 प्रतिशत जनता अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है, उसका कल्याण नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, उन फंडामेंटल राइट्स के किन्हीं प्राविधान के कारण देश आगे नहीं बढ़ सकता तो यह बिलकुल न्यायोचित है कि उस हद तक उन फंडामेंटल राइट्स का संशोधन किया जाय ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार कार्यवाही करने में कोई बाधा न पड़ सके।

जहां तक संशोधन का सवाल है सन् 1967 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दो-तीन प्रश्न थे। एक तो उनके सामने आर्टिकिल 13 (2) था जिसमें यह व्यवस्था है कि धारा 3 के अन्तर्गत जो अधिकार दिये गये हैं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनायेगा जिसमें उन अधिकारों का अपहरण हो सके या वह कम किये जा सकें। अब इस आर्टिकिल में आये हुए शब्द कानून की परिभाषा पर झगड़ा पड़ा। 1967 के पहले शब्द कानून की परिभाषा हाई कोर्ट ने दूसरी की थी। उसमें भेद किया था। पार्लियामेंट को साधारण अधिकार होते हैं कानून बनाने के और पार्लियामेंट को सावरेन कांस्टीट्यूएंट अधिकार होते हैं संविधान में संशोधन करने के अब उसका दोनों से मतलब है अथवा एक से मतलब है? सुप्रीम कोर्ट की राय पहिले रही कि उसका मतलब उन साधारण अधिकारों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उससे है और उनमें यह लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकती। कानून बनाने के अपने साधारण अधिकार से जिससे मूलभूत अधिकारों में कमी हो या उनका अपहरण हो।

लेकिन जहां तक उसमें रुकावट डाली गयी है, वह रुकावट जो सावरेन कांस्टीटुएंट पावर्स हैं उसके बारे में है या नहीं, उसके बारे में गोलकनाथ केस में राय यह हो गयी कि रुकावट है, कानून दोनों को इनक्लूड करता है। लेकिन जहां तक अनुच्छेद 368 है उसमें एक प्रक्रिया दी हुई है हालांकि उसके ऊपर हेडिंग यही है, संविधान में संशोधन। लेकिन उस के हाशिए पर, भूल से हुआ या जानबूझकर हुआ, उसमें लिखा हुआ है, संशोधन की प्रक्रिया, जिससे लोगों के दिल में यह शक पैदा हुआ कि इसमें संशोधन की प्रक्रिया है, इसमें संशोधन करने का वास्तविक अधिकार जो पार्लियामेंट का होना चाहिये उसका उल्लेख नहीं है। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीमकोर्ट ने यह होल्ड किया कि इसमें प्रक्रिया है, मौलिक अधिकार पार्लियामेंट का संशोधन करने का नहीं है। इसी वास्ते चूंकि इस तरह का अवरोध सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से देश की प्रगति के रास्ते में आ गया है, अगर पार्लियामेंट कांस्टीट्यूशन में संशोधन करे, इसका अर्थ यह हर्गिज नहीं होना चाहिए कि उस कार्य से सुप्रीम कोर्ट का कोई अपमान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को मान कर ही वह संशोधन किया जा रहा है न कि अपमान की दृष्टि से। अगर इस तरह के कार्य से अपमान होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में जो फैसला किया, उससे पुरानी सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले थे उनके करने वाले जजों का अपमान हो गया। कोई अपमान नहीं है। जब सरकार यह देखती है कि किसी आज्ञा से कोई व्यवधान पैदा हो रहा है प्रगति के रास्ते में और उसको तब्दील करने का अधिकार है तो उसको जरूर तब्दील करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए, उसका पूरा मान करते हुए यह संशोधन किया गया है, किसी अपमान की दृष्टि से नहीं किया गया है। अब चूंकि आर्टिकिल 13 (2) में प्राविधान है उस पर किसी के दिल में कोई शंका नहीं होती थी लेकिन चूंकि गोलकनाथ केस में इस तरह का फैसला हो गया तो पार्लियामेंट ने जरूरी समझा कि उस शंका को दूर किया जाय इसलिए उसमें तीसरा खंड जोड़ा गया जिसमें यह कहा गया कि आर्टिकिल में जो कुछ है वह 368 पर लागू नहीं होगा। जो पहले ख्याल था, जो उसके अन्दर लिखा हुआ है, उसके लिखने की वजह से, उस व्यवस्था की वजह से, 368 में जो संशोधन की व्यवस्था है वह नहीं हो सकती थी, इसलिये अब 368 में संशोधन की व्यवस्था हो सकेगी और आर्टिकिल 13 के उस प्राविधान की वजह से कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। इसलिये खंड (3) जोड़ा गया। 368 में जो आशंका हो गयी कि

[श्री जयराम वर्मा]

उसमें मौलिक अधिकार संशोधन का नहीं है बल्कि केवल एक प्रक्रिया दी हुई है, इसलिए यह आवश्यक हुआ पार्लियामेंट को कि यह शक भी दूर कर दिया जाय। इसलिए उसमें एक और खंड जोड़ करके यह अधिकार लिया गया कि पार्लियामेंट को संशोधन करने का मौलिक अधिकार है। इस तरह से यह संशोधन आर्टिकिल 13 और आर्टिकिल 368 में किया गया है। आर्टिकिल 3 का भी, कुछ रेफरेंस होता था इसलिये उसमें भी संशोधन किया गया है। वह आर्टिकिल 3 भी लागू नहीं होगा, आर्टिकिल 368 पर।

इस तरह से ऐसी व्यवस्था की गई है कि आगे चल कर के कोई इस प्रकार की शंका और सुबहा न रह जाय कि पार्लियामेंट को इसमें संशोधन करने का अधिकार है या नहीं और इस मामले में इस प्रकार के प्रश्न पैदा हों। सवाल यह है कि अगर मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने की गुंजायश न हो, संशोधन करने का अधिकार न हो तो उनका परिणाम यह होगा कि जनहित और उसकी प्रगति के लिये अगर कोई कदम उठाने की जरूरत है तो कभी भी वह कदम न उठ सकते और उनके उठने में बड़ी कठिनाई होगी। गोलकनाथ केस आया उसमें वह होल्ड किया गया कि अगर कोई प्रापर्टी ली जाती है उसका राष्ट्रीयकरण होता है तो मार्केट वैल्यू का सौ प्रतिशत दाम देना पड़ेगा। अगर इस तरह से बहुत बड़ी प्रापर्टी लेना आवश्यक हो और न्यायसंगत हो तो आम जनता के कल्याण के लिये सरकार को इतना धन इकट्ठा करके उस प्रापर्टी का राष्ट्रीयकरण करना असम्भव होगा। जैसे कि इस संशोधन के पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिये 88 करोड़ रुपये का मुआवजा देना पड़ा। अगर इस तरह का अधिकार होता कि उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना दखल न दे सकती और बचत हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो राय दे दी थी कि 100 प्रतिशत मार्केट वैल्यू का देना पड़ेगा जिसकी वजह से बैंकों के राष्ट्रीयकरण में 88 करोड़ रुपये के मुआवजे की व्यवस्था करनी पड़ी। इतनी बड़ी-बड़ी रकम इस तरह से राष्ट्रीयकरण करके दी जायेगी तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे जनकल्याण किया जा सकेगा।

इसी तरह से राज्य सरकार ने गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण तो नहीं किया किन्तु अधिग्रहण किया है और अधिग्रहण किन मिलों का किया जो बिल्कुल कम कीमत की रह गई थीं और जिनकी कोई कीमत ही नहीं रह गई थी। अगर उनका नीलाम किया गया होता तो बहुत ही मामूली कीमत पर ये मिलें मिल जाती। किन्तु नीलाम करने की कार्यवाही न करके उनके अधिग्रहण करने का निश्चय किया गया। अनुमान है कि अगर नीलाम हम करते तो लोग कोर्ट में पहुंचते और लोग अधिग्रहण में पहुंचे भी और वही हुआ मामला रुक गया। 3 करोड़ 26 लाख सरकार को ऐसी जन्वस मिलों का मुआवजा देना पड़ा तो क्या यह मुनासिब है? मैं तो यह कहूंगा कि उस समय इतनी जल्दी की जरूरत नहीं थी। हमारे संविधान में संशोधन तो आ ही रहा था और संविधान के संशोधन में कोई विरोध अथवा रुकावट नहीं डाल सकता। रूलिंग पार्टी के पास इतनी शक्ति है कि अपनी शक्ति के भरोसे संविधान में संशोधन कर लेती। तो इस प्रकार की जल्दी की जरूरत नहीं थी। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट को सोचना चाहिये था। क्या संशोधन के बाद यह गुंजाइश नहीं है कि यह जो ३ करोड़ 26 लाख रुपये की व्यवस्था कम्पेन्शेसन के लिये की गई है फिर उसमें कोई संशोधन हो सके और अगर हो सकता है तो उसे करना चाहिये। इन गन्ना मिलों के लिये इतना रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर यह संशोधन संविधान में करने का अधिकार न हो तो फिर बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी। अधिकार निश्चित हो और उसकी व्यवस्था के लिये कार्यवाही की जाय। इसमें कोई चीज संशोधित नहीं हुई है। हम क्या करेंगे कि यह बाद की चीज है, यह रूलिंग पार्टी आगे चल कर क्या करेगी यह देखने की चीज है। वह संविधान में संशोधन करके देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। यहां तो केवल पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि वह संशोधन कर सके। इसके रास्ते में जो रुकावट हो गई है वह हट सके। इस

सिलसिले में कुछ लोगों को थोड़ी सी आशंकायें भी हैं, अगर वे दूर की जा सकें तो बहुत अच्छी बात है। जब संविधान लिखित है तो आशंकाओं का जुबानी आश्वासन देना मुनासिब बात नहीं है। जुबानी आश्वासन प्रधान मंत्री जी ने दिया है कि यह अधिकार जो पार्लियामेंट को दिया जा रहा है, उनके जमाने में पार्लियामेंट कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगी जो डेमोक्रेसी कायम रखने के लिये अहितकर हों। अगर डेमोक्रेसी चलानी है तो कुछ बातें ऐसी हैं फंडामेंटल राइटस में जिनका संशोधन नहीं हो सकता है। अगर डेमोक्रेसी खत्म कर देनी है जिसका पार्लियामेंट को अधिकार होगा या नहीं। मैं समझता हूं कि नहीं होगा। इसलिये डेमोक्रेसी चलानी है तो कुछ बातें ऐसी जरुरी हैं कि जिनके बारे में लोगों को आशंकायें हैं, उनको दूर करना मुनासिब होगा कानूनी व्यवस्था करके, संविधान में व्यवस्था करके उनको दूर करना ज्यादा अच्छा होगा।

वह बातें क्या हैं जिनके बारे में आशंकायें हैं? फ्रीडम आफ एसोसियेशन, फ्रीडम आफ वरशिप, कहीं पर बसाने का अधिकार है, यह जो अधिकार है, स्वतंत्रता है या हर एक आदमी कानून की निगाह में बराबर है, कानून में जाति, मजहब, भाषा और किसी लिहाज से कोई भेद नहीं किया जा सकेगा, इन सब बातों का पार्लियामेंट को बदलने का अधिकार नहीं होना चाहिये। अपने जमाने के लिये प्रधान मंत्री कह सकती हैं कि पार्लियामेंट ऐसा संशोधन नहीं करेगा। लेकिन जब अधिकार है तो हमेशा के लिये इस तरह की बात कह कर कैसे लोगों को आश्वस्त कर सकती हैं। इस तरह से लोगों को आश्वस्त होना मुश्किल लगता है। अगर सचमुच में ऐसा करना चाहती हैं तो मायोनारिटीज आदि को आश्वासन देने में क्या हर्ज है? मैं समझता हूं कि जहां भी कोई प्रश्न उठाये, अगर दिल में यह बात है तो आश्वस्त कर देना चाहिये जिससे किसी के दिल में कोई गुंजायश अशंका की न रह जाय।

दूसरे यह कि एक ओर 368 आर्टीकिल में यह व्यवस्था है कि कुछ ऐसे संशोधन होंगे जो पार्लियामेंट करेगी उनका रैटीफिकेशन स्टेटस के लिये जरूरी नहीं है लेकिन कुछ संशोधन जिनका उल्लेख है कि किन-किन दफाओं में अगर पार्लियामेंट संशोधन करती है तो उसका रैटीफिकेशन कम से कम आधे राज्यों से होना जरूरी है और वह भाग 6 का चप्टर 5, भाग 9 का चैप्टर 1 हैं आर्टीकिल से 54, 55, 73, 162, 241 भाग का 5—क चैप्टर 4 और या 7 वीं शेड्यूल की लिस्ट या राज्यों का संसद प्रतिनिधित्व या यह आर्टिकिल की बात हैं, अगर इनमें संशोधन होगा तो राष्ट्रपति के पास असेन्ट के लिये भेजने से पहले कम से कम आधी स्टेट्स का अनुसमर्थन आवश्यक होगा, लेकिन कुछ के लिये ऐसा नहीं है। इसमें यहां तक पार्लियामेंट को अधिकार देने का सवाल है, यह मान कर कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है, यह अधिकार दिया जा रहा है। जो शक था उसको दूर किया जा रहा है। जो असली संशोधन पार्ट 3 और पार्ट 4 के हैं यानी पार्ट 3 में फन्डामेंटल राइट्स का और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिन्सिपल का, इनमें अगर संशोधन हो तो उसके लिये यह व्यवस्था नहीं है कि उन संशोधनों का रेटीफिकेशन स्टेट्स से जरूरी होगा। अगर यह व्यवस्था कर दी जाय कि पार्ट 3 और पार्ट 4 के अगर संशोधन होंगे तो उनका भी अनुसमर्थन कम से कम आधी स्टेट्स से होना जरूरी होगा। इससे बहुत से लोगों की आशंका दूर हो जायगी। इसलिये इस सरकार को केन्द्रीय सरकार को बताना चाहिये कि इस तरह की बात है। कुछ आदमियों के दिलों में, अथवा कुछ दलों के दिलों में ऐसी कोई अशंका हो तो उसको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हमें आश्वस्त करने में कोई इंकार नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा 368 में एक संशोधन और किया गया है। अब तक व्यवस्था यह थी कि जब संविधान में संशोधन होगा और उसको पार्लियामेंट के दोनों सदन स्वीकार कर लेंगे तब राष्ट्रपति के पास वह असेंट के लिये भेजा जायगा और कुछ केसेज स रेटीफिकेशन हो जाने के बाद वह असेंट के लिये जायगा। ये दोनों अलग-अलग बातें है। एक तो वह जिसमें स्टट्स से रटीफिकेशन की आवश्यकता नहीं समझी गयी है वह सीधा राष्ट्रपति क पास असेंट क लिये जायगा। यहां

[श्री जयराम वर्मा]

पर में शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह असेंट न दे और एक बार फिर उसको पुनर्विचार के लिये वापस कर दे। लेकिन जब किसी संशोधन का रैटीफिकेशन स्टेट्स से भी हो तो उसमें अब अन्तर कर दिया गया है। आधी स्टेट्स का अनुसमर्थन प्राप्त हो जाने के बाद वह राष्ट्रपति के पास भेजा जायगा तो वहां पर "शैल" शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूं यह गैर मुनासिब बात नहीं है। इसमें राष्ट्रपति का किसी प्रकार से भी असम्मान नहीं है। एक में स्टेट्स का अनुसमर्थन प्राप्त किया गया है और एक में नहीं किया गया है, इन दोनों में अवश्य ही कुछ अन्तर होना चाहिये। इसका उल्लेख गोलकनाथ केस में भी किया गया है। कि दोनों मामलों में कुछ अन्तर होना चाहिये और पार्लियामेंट ने यह अन्तर किया है कि वहां से शब्द 'में' रखा लेकिन जहां रैटीफिकेशन जरूरी है वहां शब्द 'शैल' होगा और रैटीफिकेशन हो जाने के बाद प्रेसीडेन्ट की असेन्ट हो ही जायगी। तो इसमें राष्ट्रपति का मेरे ख्याल से कोई असम्मान नहीं है। जब जनता की चुनी हुई पार्लियामेन्ट और असेम्बलियां उसको मंजूर करती हैं तो फिर राष्ट्रपति को सोचने की क्या जरूरत है, उनकी असेन्ट हो ही जानी चाहिये। इसलिये इस तरह की व्यवस्था में मुझे कोई हर्ज नहीं दिखायी पड़ता है।

जहां तक डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में कुछ बातों का सवाल है जिनका शर्माजी ने कुछ उल्लेख किया और आचार्यजी ने कुछ पढ़ा कि इस तरह की उसमें व्यवस्था है कि आर्थिक शक्ति और उत्पादन के साधनों का कन्सेन्ट्रेशन न हो सके यह बहुत जरूरी है। और दूसरे सब को समान अधिकार मिले इस संशोधन के बाद तो रूलिंग पार्टी के खासतौर से ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि जो यह खतरा है कि प्रोडक्शन के साधनों का और आर्थिक शक्ति का कुछ हाथों में कंसट्रेशन हो या सब को समान अवसर न मिले इस बात को सोच कर उनको कार्यवाही करनी पड़ेगी। समान अवसर हर व्यक्ति को मिल सके इसके लिये केवल कहने से काम नहीं चलने वाला है बल्कि उसके लिये कार्यवाही करनी पड़ेगी और अपना अमल उस तरह का बनाना पड़ेगा तब यह बात चल सकेगी। मैं तो इस सिलसिले में एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं, कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं, इस वक्त की रूलिंग पार्टी उधर जा रही है जिधर इलेक्शन बहुत कास्टली होता जा रहा है। जहां पर इलेक्शन में पहले छोटी हैसियत के लोग भी हिस्सा ले सकते थे क्योंकि उसमें रुकावट थी कि इतने से ज्यादा कोई खर्च नहीं कर सकता है लेकिन तब भी कुछ लोग उससे ज्यादा खर्च कर लेते थे लेकिन जिस पार्टी के हाथ में इसको चलाना हो पीपुल्स रेप्रेजेन्टेशन ऐक्ट ठीक-ठीक कार्यान्वित हो, उसमें दी हुई व्यवस्थायें ठीक से चलायी जा सकें इसकी सब से बड़ी जिम्मेदारी उस रूलिंग पार्टी पर होती है। और उसे अपने अमल से इस बात को सिद्ध करना चाहिये कि जो व्यवस्था पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में है उसको ठीक से मानकर चलाने की वह कोशिश करेगी। यह कोशिश करनी चाहिये कि जो चुनाव कास्टली होता जाता है 2, 4 लाख रुपया इलेक्शन में खर्च होता है, यह बन्द हो। डाइरेक्टिव प्रिन्सिपुल्स में व्यवस्था के अनुसार सब को समान अवसर देना है तो उस समान अवसर देने के लिये इलेक्शन कास्टली न होने दें। ऐसी व्यवस्था करें कि इलेक्शन उन्हीं सीमाओं के अन्दर हो जो प्युपिल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट दी हुई है। अगर इसके अनुसार कार्यवाही नहीं होती है तो फिर वह महज कहना मात्र ही रह जायगा। लोगों का विश्वास नहीं जमेगा और कहने में तथा करने में बहुत अन्तर मालूम होगा। कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिये। इस तरह की कार्यवाही करनी चाहिये जिससे लोगों के दिल में विश्वास जमे कि सब लोगों को समान अवसर देने का प्रयास हो रहा है। अगर इस तरह से इलेक्शन कास्टली होंगे तो समान अवसर नहीं मिलेगा। लोगों को डर है कि जब विधान सभा के इलेक्शन होंगे तो वे कास्टली होंगे और हमारा कदम दूसरी तरफ जाने वाला होगा। यह कदम समाजवाद की तरफ जाने वाला नहीं है। बल्कि समाजवाद से दूर ले जाने वाला कदम है। समान अवसर देने की व्यवस्था अगर नहीं है तो समाजवाद नहीं आ सकता है। समाजवाद लाने की हम पूरी कोशिश करें और उसके अनुसार पूरी कार्यवाही होनी चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह संशोधन हो जाने के बाद चूंकि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपुल को सामने रखकर यह संशोधन किया जा रहा है ठीक स कार्यवाही होनी चाहिये यह मूलभूत अधिकार संविधान की जान हैं।

उसको आत्मा मानकर संशोधन किया जा रहा है। उस आत्मा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। अगर इसके खिलाफ कार्यवाही की गई तो लोगों को विश्वास नहीं रहेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसके अनुसार कार्यवाही की जाय। समाजवाद की बात जरूर है। समाजवाद लाने की व्यवस्था उधर से जरूर है बराबर कहा जाता है प्रजातांत्रिक समाजवाद आना चाहिये जिसका निर्णय 1962 में हुआ था। प्रजातांत्रिक समाजवाद को लाने के लिये कुछ शर्तें तत्सम्बन्धित प्रस्ताव में लिखी हैं कि वह समाजवाद कैसे आयेगा। उसमें यह निश्चित रूप से उल्लेख है कि समाजवाद लाने के लिये जरूरी है कि नैतिकता हो ईमानदारी हो, न्यायप्रियता हो, मानवता की गरिमा हो। तब जाकर समाजवाद आयेगा। जिस तरह से आज अनैतिकता फैली है, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, जिस तरह से मानवता की खिल्ली उड़ाई जाती है और जिस तरह से न्याय का हनन हो रहा है अगर उसको वैसे ही होने दिया गया तो समाजवाद नहीं आ सकेगा। कितना ही शोर किया जाय, कितनी ही जोर चिल्लाया जाय लेकिन समाजवाद दूर होता जायगा। समाजवाद नजदीक नहीं आयेगा। इसलिये यह संशोधन हो जाने के बाद इस देश की प्रगति तथा आम जनता के कल्याण के लिये जो काम करना है उसके लिये कोई बाधा न पड़े इसलिये यह संशोधन किया जा रहा है। इसका हम लोग समर्थन करते हैं और वह संशोधन हो जाने के बाद इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिये। नहीं तो बात ऐसी नहीं होगी जिस से लोगों का विश्वास नहीं जमेगा। जहां तक संविधान में संशोधन की बात है उसके सम्बन्ध में मैं केवल एक बात और कहूंगा कि मुमकिन है कि कुछ लोग आगे इस बात को कहें कि संविधान में यह संशोधन का अधिकार नहीं होना चाहिये और जो संविधान है वही सुप्रीम है और पार्लियामेंट उस के अन्दर है। इसके विषय में मैं कहूंगा कि कांस्टीटुएन्ट असेम्बली जिसने इस संविधान को बनाया है वह सीमित मताधिकार के आधार पर चुनी हुई थी और वह बालिग मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। सीमित मताधिकार के आधार पर चुनी हुई कांस्टीटुएंट असेम्बली के बनाये हुये संविधान को अगर इस तरह अक्षुण्ण कर दिया जाय कि उसमें संशोधन न किये जा सकें उस संस्था के द्वारा यानी संसद के द्वारा जिस का चुनाव बालिग मताधिकार के के आधार पर हुआ है तो वह कोई फायदा मुनासिब बात न होगी। सीमित अधिकार वाली संस्था को अधिकार हो जायं और एक बार जो उसने बना दिया वह उसी रूप में रहे, वह बहुत पवित्र है उसमें कोई संशोधन हो ही नहीं सकता, यह बात कोई ज्यादा न्याय संगत और युक्ति संगत नहीं लगती। अगर वह पवित्र है और फंडामेंटल राइट्स पवित्र हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों पवित्र नहीं हैं। डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स जो संविधान की आत्मा है वे पवित्र क्यों नहीं हैं? उनकी पवित्रता को कायम रखने के लिये उनकी मंशा को अमली जामा पहनाने के लिये अगर किसी चीज से रुकावट पड़ती है और जो स्टेटिक एलीमेंट हैं जिसमें बिना संशोधन किये काम नहीं चल सकता और संविधान की आत्मा की ही रक्षा के लिये अगर कोई संशोधन किया जाता है तो वह न्याय विरुद्ध नहीं बल्कि न्याय संगत ही होगा। इस तरह का अधिकार संसद को होना ही चाहिये कि वह इस तरह का संशोधन कर सके।

मैं फिर इन शब्दों के साथ अपना और अपने दल का समर्थन इस संकल्प के अनुसमर्थन के लिये देता हूं और मैंने जो कुछ अन्य बातों की तरफ संकेत किया है और उनकी तरफ जो इशारा किया है उसका ख्याल रखा जाना चाहिये और जब यह संशोधन हो जाय और फिर संसद अन्य आर्टिकिल्स में संशोधन करे तो वह ऐसी दृष्टि से करे और इस तरह का कार्य करे कि लोगों के दिल में शंका पैदा न हो और जो शंका पैदा हों उनको दूर किया जाय और समाजवाद लाने का और सब के लिये समान अवसर प्रदान करने का जो विचार है उसका पूरा ध्यान रखा जाय जिससे लोग इस तरह से आशंकित होकर और किसी तरफ जाने की कोशिश न करें।

(डाक्टर राजेन्द्र कुमारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष जी, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि इस विवाद में दूसरे पक्ष की बाद भी आ सके, केवल समर्थकों को ही अवसर न दिया जाय, जो उसका विरोध करने वाले हों उनको भी अवसर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

विरोध करनेवाले सदस्य अपने नाम दे दें तभी तो मुझे पता चले कि कौन विरोध करेगा ।

श्री भानुप्रताप सिंह---

आप जानते हैं कि मैं तो उसका विरोध करूंगा ही ।

श्री बसन्त लाल शर्मा---

श्रीमन्, माननीय भानु प्रताप सिंह जी ठीक ही कह रहे हैं, इन्दिरा जी ने डाक्टर राजेन्द्र कुमारी जी को तो सूबे की मल्का बना ही दिया है, वह तो समर्थन करेंगी ही ।

श्री उपाध्यक्ष---

सब का दृष्टिकोण एक ही है, दल तो समर्थन कर ही रहे हैं । जो समर्थन नहीं करना चाहते हैं उनको अब मौका देंगे ।

श्री भानुप्रताप सिंह---

एक अवसर विरोध में बोलने वाले को भी मिल जाय तो वादविवाद में एक दूसरा पक्ष भी आ जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह हम बाद में अब आप को भी देगें ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

डिबेट तो अकेडेमिक है और एक दो को छोड़कर सभी उसका समर्थन करेंगे। इसलिये एकेडेमिक दृष्टिकोण से विचार आये तो दिलचस्पी से सब बातें आयेंगी । खाली हां ही करने वालों को समय न दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो कह चुके हैं । यह तो (अर्थशास्त्रीय) नान-एकाडेमिक दृष्टिकोण आपने रक्खा है ।

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सदन के सामने जो संकल्प प्रस्तुत है उस पर माननीय कृष्णानन्द राय जी तथा माननीय जयराम वर्मा जी ने जो प्रमुख विरोधी दल को रेप्रेजेन्ट करते हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया इस संकल्प का, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं । मैं इस चौबीसवें संशोधन को जनतन्त्र के इतिहास में, भारत के आर्थिक, और सामाजिक क्रांति के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम समझती हूं इसलिये इस संकल्प के समर्थन में यहां खड़ी हुई हूं । चौबीसवें अमेन्डमेंट जो कि पार्लियामेंट और राज्य सभा के द्वारा स्वीकृत हुआ है इसको पीपुल्स सुप्रीमेसी जनता की प्रभुसत्ता का यह एक बहुत बड़ा कदम है । इस रूप में मैं इसे मानती हूं । अगर हम इस बात को मान कर चलते हैं कि जनता जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है प्रभुसत्ता रखती है तो फिर उस जनता को यह अधिकार है कि वह कान्स्टीट्यूशन्स को बना सकती है, संविधान का निर्माण करती है तो जनता या चुने हुये प्रतिनिधि संविधान का निर्माण कर सकते हैं वह

संविधान का परिवर्तन या उसमें संशोधन भी कर सकती है और इस अमैन्डमैन्ट के द्वारा संविधान में परिवर्तन के द्वारा इस अधिकार को अक्षुण करने की बात कही गई है। यह जो चौबीसवां अमैन्डमेंट है और इसका जो टाइटिल है वह स्पष्ट है----पावर टु पार्लियामेंट टु अमैन्ड दि कान्स्टीट्यूशन एन्ड प्रोसीजर देयर आफ----तो इसी के द्वारा जनता के वे अधिकार जो कि गोलक नाथ केस के द्वारा 1966 में एक भ्रम पैदा कर दिया गया था इस देश की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया था। उसके खिलाफ जो रिएक्शन्स हुए और हमारे जो विधि के पंडित हैं उनकी तरफ से जो विचार व्यक्त किये गये थे उसमें भी यह शंका की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के जजमेन्ट के द्वारा जो कहा है वह कहां तक हमारे प्रजातन्त्र के लिये और जो हमारा संविधान है उसकी भावनाओं के अनुकूल है। इसके बाद लगातार यह विवाद चलता रहा। इधर जब यह सवाल आया है हम तेजी से इस देश की आर्थिक प्रगति को लाना चाहते हैं। जब यह सवाल उत्पन्न हुआ कि हमारे जो डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको अमली जामा पहनाया जाय। उसको सही रूप में ला सकें। क्योंकि इस देश की गरीब जनता को, उन लोगों को जिनको कि समान अवसर नहीं मिलता है आजादी के बाद जिनको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली है और आजादी के बाद उन सब लोगों में जिन्होंने कि अपनी शक्ति को देश के बढ़ते हुए धन को देश की बढ़ती हुई पूंजी को कुछ चन्द लोगों ने अपने साथ में समेटा और जब कभी भी अवसर आया और उसके लिए कदम उठाया गया तो उसको हमारी अदालतों ने चाहे वे हाई कोर्ट हों या सुप्रीम कोर्ट हों उन लोगों के मौलिक अधिकार के नाम पर, सम्पत्ति के अधिकार के नाम पर, मुआवजे के नाम पर उसके रास्ते में रोड़े अटकाये। तो सवाल यह उत्पन्न हुआ कि सबसे बड़ी अदालत कौन है और इस बात का फसला कराने के लिये ही पिछली लोक सभा का चुनाव हुआ और हमारी पार्टी और हमारा जो नेतृत्व है वह जनता की बड़ी अदालत में आया। इस प्रश्न को लेकर ही आखिर हमारे जो डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे जनता के अधिकार हैं उनका फसला हम कराने वाले हैं। जो यह प्रश्न उठाया जाता है कि इस तरह के संशोधन के लिये कान्सटीचुएंट असेम्बली बुलाई जाय। अब भानुप्रताप सिंह जी और जनसंघ के साथी यह कहेंगे कि इसको इस रूप में नहीं लाना चाहिये था। मैं यह समझ सकती हूं पार्लियामेंट की बहस को पढ़ने के बाद कि जो बहस इन दलों की तरफ से की गई है उसमें यही संकेत था और कोई आरगूमेंट नहीं था। तो जो यह सवाल उठाया जाता है उसका सीधा जवाब है कि हम जो कि जनता के प्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, बालिग मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं, आज उनको यह अधिकार प्राप्त है। इसमें संशोधन का अधिकार हमको जनता ने, 55 करोड़ जनता ने, दिया है। तो स्पष्ट तरीके से इसमें जो संशोधन है अगर उसको हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इस संविधान में जो कुछ भी है उसके होते हुये भी "in exercise of its constituent power amended by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this Article." और इसके साथ-साथ सवाल यह उठाया गया कि इससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। यह व्यर्थ की शंका उठाई थी। क्योंकि हम जितने दूसरे दल के लोग मौलिक अधिकारों के हामी हैं उतने ही हैं और इसके द्वारा मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया गया है। बल्कि इस देश के गरीबों को जो मौलिक अधिकार मिलने चाहिये वह सुरक्षित किये है। क्या मौलिक अधिकार दौलतमन्दों के लिये ही है। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सम्पत्ति का अधिकार थोड़े से लोगों के हाथ में ही सुरक्षित नहीं होना चाहिये, इसलिये हमें उसको समाप्त करने का अधिकार है और हमारी पार्लियामेंट को यह अधिकार मिला हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री ने इस बात की स्पष्ट घोषणा की है कि हमारा दल किसी की सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करने की बात नहीं करता है, लेकिन सम्पत्ति का तरीके से इस्तेमाल होना चाहिये। उसकी जो ताकत है वह निरंकुश नहीं छोड़ दी जानी चाहिये। समाज में वितरण की व्यवस्था सही होना चाहिये। इसी दिशा में यह कदम

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]
उठाया गया है । फिर किसी भी देश का जो संविधान होता है उसमें आवश्यतानुसार परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है । 20, 25 वर्ष पहले जब संविधान बना था तो यह नहीं सोचा गया था कि जो नीति निर्धारण के क्लाजज ह उसके कारण यह सही तरीके से देश को आगे नहीं बढ़ा सकेगा । इस दिशा में हमें समय ने सोचने का अवसर दिया है कि क्या यह लोगों को समान कार्य करने का अवसर देता है या क्या इसने लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया है । यह केवल नारों से या चुनाव के मंच पर बोलने से नहीं आने वाला है । इस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा । आज माननीय सदस्यों ने इस पर बोलते हुये जो शंका व्यक्त की है उसका यह जबाब है कि यह संशोधन कहता है कि हम इस देश से गरीबी को हटाना चाहते हैं ।

हम इस देश में यहां के नागरिकों को नौकरी, काम देना चाहते हैं लेकिन फिर भी उस तेजी के साथ उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सके । इसलिये जो व्यवस्था है उससे हमको निकलना आवश्यक है । जो कंजरवेटिव आउटलुक है उसको गिराने की आवश्यकता है और वह तभी संभव होगा जब हम दिमागी और वैधानिक तौर पर इसको स्वीकार करें, सारा देश इस बात को स्वीकार करे । सम्पत्ति का मोह मौलिक अधिकारों के नाम पर हमारे लिये कलंक है । उसकी रक्षा की बात कही जाती है परन्तु बदलते हुये जमाने में उस प्रकार की विचार धारा का कोई स्थान नहीं है । इसलिये संविधान में जो संशोधन है भारतवर्ष के इतिहास में, पिछड़ी, गरीब भूखी और नंगी जनता के उद्धार के लिये एक आशा की किरन है। डिस्कशन हम कितना भी कर लें, वादविवाद हम कितना भी कर लें परन्तु अब देश में इस प्रकार की नींव पड़ गई है जिनसे हम इस सभी रुकावटों को मिटा देंगे, जिन कारणों से हमारी प्रगति अवरुद्ध हो गई थी उन कारणों को हम मिटा देंगे और तेजी से हमारा कदम उठ सकेगा । हमने जो जनता से वायदा किया है, जिन कार्यक्रमों को रखा है उनको हमको हर हालत में पूरा करना है और जो हमारा कदम उठा है वह आगे ही बढ़ेगा। हमको यदि इसके लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है तो हम उसको करेंगे । इस प्रकार से यह संशोधन स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट शब्दों में जनता के बीच में आया है । भारत की जनता ने इस संशोधन का स्वागत किया है । अभी तक जो बातें पीछे थीं, वे सामने आ गई हैं ।

आखिर इस संशोधन के ऊपर इतनी बहस किस बात की है । हमारा संविधान हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है । नागरिकों को काम करने का, अपने बालबच्चों का पालनपोषण करने का अधिकार है। देश की भूखी नंगी जनता को काम मिले लोगों को समान रूप से अवसर मिले अपनी जीविका के साधन इकट्ठा कर सकें, हम यह चाहते हैं। अगर उस दिशा म कदम उठाया जा रहा है तो फिर इस पर बहस किस बात की । जनता को जनता के अधिकार दिये जा रहे हैं तो फिर इस पर बहस किस बात की हो रही है । क्या हम इस जनता के अधिकार को किसी दूसरे को दे सकते हैं ? चन्द लोग जो अभी तक भारतवर्ष को मोड़ दिया करते थे उन्हीं से हमारी लड़ाई हुई है । हमारा विधान सभा इसमें अगुवा बनेगी और पार्लियामेंट एक मत से इसका समर्थन करेगी । प्रजातंत्र के एक अंग होने के नाते प्रजातंत्र के अधिकारों के लिये जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसके साथ हम एक मत से ह । हम इसको सिद्ध कर देंगे । उसके लिये कोई दो आवाजें नहीं हैं और हमारी और आपकी तथा सभी की एक ही राय है। आप जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका का क्या रुख रहा है । सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर अलग-अलग जजमेंट दिये है । एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने, कई जजों ने एक चीज कही और फिर बाद में उसमें दूसरे जज ने दूसरा निर्णय दे दिया । 17 वें अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया था और फिर से उसको डिसाइड किया गया । मतलब यह है कि गोलकनाथ का केस 1966 में आया । सुप्रीमकोर्ट न समय-समय पर एक ही तरह के केसेज पर पहले एक जजमेंट दिया और फिर दूसरा निर्णय दिया । यही कारण है कि यह प्रतुख स्थिति उत्पन्न हुई । इस

प्रकार की विषम स्थिति को अमेंडमेंट के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। और वह समाप्त किया है हमारी पार्लियामेंट ने जनमत के द्वारा क्योंकि जनता ने भारी बहुमत इस दल को लोकसभा में दिया जिसके कारण हम टू थर्ड मैजारिटी से ऐसा संशोधन ला सकें। केवल यही संशोधन ही नहीं, हम इसके बाद पच्चीसवां, छब्बीसवां और भी संशोधन लाने जा रहे हैं ताकि जो हमारी कांस्टीट्यूशन की आत्मा है उसका प्रतिबिम्ब हमारे कार्यों में और हमारे कानूनों में हो। इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने आशंका जाहिर की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आज समय आ गया है कि हम लोग हाथ मिलाकर भारत के नये उत्थान और नयी क्रांति में हिस्सेदार बनें और नयी क्रांति के लिये जमीन तैयार करें। हमें अगर इस देश को खून-खराबी से बचाना है तो कांस्टीट्यूशन का अमेंडमेंट जरूरी है। अब इस देश की करोड़ों जनता को केवल शब्दों से बहला कर नहीं रखा जा सकता। केवल यह कहकर नहीं रखा जा सकता कि गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी दूर होगी। आज वक्त आ गया है कि हम जनता के सामने ऐसे कार्यक्रमों को लेकर उपस्थित हों कि जिससे उसको विश्वास हो कि सरकार ऐसे कदम उठाने वाली है जिससे उन्हें न्याय मिलेगा-आर्थिक और सामाजिक। हम सब जानते हैं कि आर्थिक न्याय के साथ सामाजिक न्याय चलता है। आर्थिक न्याय केवल कल्पना रह जाती है, सामाजिक न्याय केवल स्वप्न रह जाता है अगर हम लोगों को समान रूप से कम से कम भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनके बच्चों को दूध नहीं मिल सकता है, जहां पर एक शाम लोग घर में खाना खा लेते हैं तो दूसरी शाम नहीं खा सकते हैं और चूल्हा नहीं जलता है। तो हम कब तक इसमें रहेंगे कि सम्पत्ति की रक्षा करनी है और सम्पत्ति वालों की तरफ देखना है, मौलिक अधिकार की बात है? क्या हमारा संविधान नहीं कहता कि सबको समान अवसर देना चाहिये? अगर जीविका के साधन इकट्ठा करने के लिये सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था लाने के लिये कुछ बात करते हैं तो हम संविधान के विपरीत किस तरह से जाते है? तो इस संशोधन को हम इस दृष्टि से देखना चाहिये कि आगे आने वाले भारतवर्ष का नक्शा हम क्या बनाना चाहते हैं। जिस चीज को हमने सन् 1950 में संविधान बनाते समय स्वीकार किया था, इस देश की जनता को सार्वभौम शक्ति सम्पन्न स्वीकार किया था, इस देश को रिपब्लिक घोषित किया था, अब अगर उसको यह अधिकार दिया जा रहा है तो किसी को इसमें मतभेद होना ही नहीं चाहिये। हमारे जनसंघ के भाई अक्सर प्रजातंत्र और राष्ट्रीयता की दुहाई देते हैं। यह एक कसौटी वाला संशोधन है। फिर भी वह इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ और बातों में लगाकर इसका विरोध कर रहे हैं। यह तो ऐसा संशोधन है जिसमें कोई दल का सवाल उठना ही नहीं चाहिये। यह तो प्रजातंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के अधिकार को सुरक्षित रखने वाला संशोधन है। इसको हमें इस दृष्टि से देखना है। मुझे आशा है कि हमारे विरोधी दल के भाई चाहे जो कुछ भी कहें लेकिन अन्त में इस बात का समर्थन अवश्य करेंगे कि जन प्रतिनिधियों को जो यह अधिकार दिया गया है उसके लिये हमारी लोकसभा बधाई की पात्र है।

मैं तो इस सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इसके लिये बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने लोक सभा के चुनाव के बाद जनता का जो मैनडेट उन्हें मिला था उसका आदर करते हुए बिना समय नष्ट किये हुये इस संशोधन को ला दिया और जनता के विश्वास को, जिसको कि इस देश की जनता ने चुनाव के वक्त दिया था, और मजबूत किया है। इन शब्दों के साथ में संकल्प का समर्थन करती हूं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने जनसंघ को यह मौका दिया कि आज इस समय, जनसंघ अपना दृष्टिकोण रख सके। मान्यवर, बहिन जी ने बड़ी-बड़ी बातें कहीं।

[श्री राम गोपाल सण्ड]

वे प्रदेशीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं । उन्होंने कहा कि गरीबी मिटानी है और असमानता मिटानी है । जब संविधान बनाया गया था तब संविधान के बनाने वालों ने यह अनुभव किया था कि संसद से बड़ा संविधान है, और संसद से बड़ी 55 करोड़ जनता । वह जनता है जो भूखी व नंगी है, जिसकी 70 फीसदी की आमदनी, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आज 19 रु0 प्रति व्यक्ति है । इतनी असमानता कैसे हुई ? यह असमानता पिछले 23 सालों में हुई है । इस पर बहिन जी और उधर के बैठने वाले लोग विचार करेंगे ।

आपको स्मरण होगा गोआ की आजादी की लड़ाई लड़ी गयी थी और गोआ आजाद हुआ था । गोमन्तक पार्टी ने चुनाव लड़ा । गोआ के विलय का प्रश्न आया कि गोआ का विलय महाराष्ट्र में होना चाहिये या नहीं । उस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और विजय प्राप्त की । प्रश्न रेफ्रेंडम का उठा । यह तय हुआ कि जनमत संग्रह कराया जाये कि गोआ के लोग महाराष्ट्र में मिलना चाहते हैं या नहीं । उधर के बैठने वालों ने, जिसमें स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू भी थे, रेफ्रेंडम कराया । गोमन्तक पार्टी हार गयी । मैंने इलाहाबाद ही के अन्दर नहीं बल्कि और स्थानों पर भी बड़े-बड़े पोस्टर्स देखे । हिम्मत सिंह जी की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश के लगभग 20 निर्वाचन क्षेत्रों में जन संघ के एक सिपाही के नाते, पूरब से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण तक गया था । चुनाव में ये क्या-क्या घोषणायें करते थे ? मुझे भी उनकी कुछ बातें अच्छी लगीं । कहते थे गरीबी मिटाने के लिये, बेरोजगारी मिटाने के लिये गाय-बछड़े को वोट दो, इंदिरा जी के हाथ मजबूत करन के लिये गाय-बछड़े को वोट दो । मैं और डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी जी एक ही नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे भी अध्यापक हैं और मैं भी अध्यापक हूं । किसी पोस्टर में यह भी लिखा गया था कि संसद के अन्दर यदि माननीय इंदिरा जी को बहुमत प्राप्त हुआ तो हमारे मूलभूत अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स के अन्दर परिवर्तन किया जायेगा । वह प्रक्रिया संविधान के विपरीत है, जिसको कि डा० अम्बेदकर और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था । उनकी जो राय थी उसकी अवहेलना की गयी है । मैं भाई कृष्णानन्द राय जी का बड़ा आदर करता हूं । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने यह कहा कि जनसंघ क लोगों ने यह विरोध किया । इस प्रस्ताव का हम विरोध करने के लिये नहीं खड़े हुए हैं, हम तो केवल प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं । जन संघ एक राष्ट्रवादी दल है । जनसंघ इस देश के अन्दर आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय लाना चाहता है । जनसंघ इस देश की भाषा को हिन्दी मानता है । हम नारों से डरने वाले नहीं हैं । कृष्णानन्द राय जी अपनी राय बदल सकते हैं, भारतीय क्रांति दल वाले अपनी राय बदल सकते हैं । मैं आपको स्मरण कराऊं, सन् 1951 में न भारतीय क्रांति दल बना था और न संगठन कांग्रेस ही थी । हम 2–3 थे संसद के अन्दर और यहां विधान सभा में सन् 1952 में 2 आये थे, मगर हमने एक रास्ता बनाया भारत वर्ष के अन्दर आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय भारतीय संस्कृति की स्थापना और गरीबी अमीरी की खाई को पाटना चाहते हैं । 70 परिवारों को आपने सारा रुपया दे रखा है । टाटा, बिरला, डालमिया और राम रत्न सिंघानिया के पास जो पूंजी आयी हुई है उसको जन संघ के जन्मदाता डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने तथा हिम्मत सिंह जी ने नहीं सिमटवाया है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की मोनोपोली क्यों बना दी ? चन्द्रशेखर जी ने बिड़ला के ऊपर अनेकों आरोप लगाये आपने क्या किया ? केवल घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा । आपके सामने 55 करोड़ जनता का हित नहीं है, बल्कि चन्द लोगों का ही हित है । आपने संजय गांधी को 5 करोड़ रुपया छोटी कार का कारखाना लगाने के लिये दिया, क्या यह समाजवाद के अन्दर आता है ? आपके पास बहुमत है, जो चाहें कर सकते हैं । किस तरह से आप जीत कर आयीं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा । प्राकृति ने स्वयं आपको दंड दे दिया । जनसंघ कहता रहा है कि देश अखंड है, मुजीब ने भी बन्देमातरम का और रामायण तथा गीता का गीत गाया है, हमारी दृष्टि में कुरान भी पवित्र

है, हर धर्मग्रंथ पवित्र है, मगर हमारे बारे में आप तरह-तरह की बातें कहते रहें । म उसकी आज चर्चा नहीं करूंगा । मैं उसकी भी चर्चा नहीं करूंगा कि किस प्रकार से राजनारायण जी ने चुनाव क्षेत्र में चुनौती दी । किस प्रकार से करोड़ों रुपया पानी की तरह चुनाव में बहाया गया । एक संसद के सदस्य के लिये जो 35 हजार की खर्च की सीमा है, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां से जो संसद सदस्य चुनकर गये हैं माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा तथा अन्य लोग क्या वे 35 हजार खर्च करके ही जीत कर गये हैं ? उनके पास इतना रुपया कहां से आया जो उन्होंने पानी की तरह चुनाव में खर्च किया ? संसद में हमारे नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इसका विरोध नहीं किया, मगर एक बात इसको प्रोसीजर के बारे में ही कही । नेहरू जी के अनुयायियों से, गुप्ता जी के अनुयायियों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस जनमत संग्रह के लिये घुमायें । आपको मालूम हो जायेगा कि जनता कितनी आपके साथ है । दिल्ली के चुनाव में 2 महीने बाद ही आपने देख लिया जनता ने किसको वोट दिया । उन टेम्पों वालों ने, रिक्शा वालों ने, गरीब मजदूरों ने किसको वोट दिया ? जनसंघ को बहुमत प्रदान किया । अगर आपको यह विश्वास है कि जनता आपके साथ है, तो जनमत संग्रह के नाम से आप डरते क्यों हैं ? हिटलर भी समाजवाद की बात करता था, मगर जरमनी में उसने क्या किया ? जरमनी में 70 लाख यहूदी बेकसूर मारे गये । आज से कुछ दिन पहले माननीय कृष्णानन्द राय ने भी कहा था कि इंद्रा गांधी के अन्दर तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ी है । जो शब्द उन्होंने उनके बारे में कहे हैं, वे जरा उन पर विचार करें । इंद्रा जी अगर चाहें तो वे आज अमेरिका के खेमें में चली जायं और चाहें तो 9 अगस्त को यहांपर एक संधि कर ली जाये और उसमें बांगला देश का कोई विवरण न दिया जाये और हम रूस और अमेरिका की गोद में डाल दिये जाएं । इंदिरा गांधी पहले रूस जायें, फिर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जायें जो चाहे सो करें कोई रोक टोक नहीं है उन पर । यह सवाल हम पढ़े लिखे लोगों के सामने आता है । आजादी की बात करना, समानता की बात करना और स्वतंत्रता की बात करना एक बात है और रिफरेंडम कराना दूसरी बात है । उस मूलभूत अधिकारों में यह भी रखा गया है संगठन बनाने का, यूनियन बनाने का अधिकार । जब यह रास्ता खुल जायेगा तो यह आगे चलकर इन पर भी प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । अखबारों के बारे में बिल आ रहा है इससे आर्गनाईजर या अन्य दूसरे अखबारों, जो जनसंघ के हैं या उसकी नीतियों का समर्थन करते हैं, उस पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा । कम्युनिस्ट पार्टी के अखबारों पर भी प्रतिबन्ध लग सकता है । यह देश के सामने खतरा है, और इसी खतरे का नजरन्दाज करके हमारे लोकप्रिय नेता श्री अटलबिहारी बाजपेयी ने लोकसभा में और श्री पीताम्बर दास तथा निरंजन वर्मा ने राज्य सभा में देश की जनता को संदेश दिया था, उसे आगाह किया था । हमें बोलने का, लिखने का और अपना धर्म मानने का अधिकार फंडामेंट राइट्स में दिया हुआ है, अब उनके भी हनन का खतरा पैदा हो गया है । यदि गोवा के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है, तो क्या कारण है कि हमारे इस संशोधन को जो हम मौखिक दे रहे हैं, न स्वीकार किया जाये और तदनुसार कार्यवाही न की जाए । हम यह मांग करते हैं कि इसे जनता में प्रसारित किया जाये । यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा है, यह राम और कृष्ण की जन्मस्थली और लीला भूमि है, यह तुलसी और सूर की जन्म भूमि है, यह पूज्य स्व० टंडन जी तथा पंत जी की जन्म भूमि है यह उनका प्रदेश है । प्रजातंत्र की जो हम आज बात करते हैं....

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (टिहरी-गढ़वाल)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । अगर मान लिया जाये कि जनमत संग्रह हो तो इनकी पार्टी जनता से क्या कहेगी कि इसके पक्ष में वोट दो या इसके विरोध में वोट दो ?

श्री राम गोपाल संड —

इसको भी मैं बताता हूं । यदि प्रापरटी राईट को सीमित करना है तो हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन अरबन और रूरल प्रापर्टी जो है, उसकी सीलिंग, सीमा एक समान आपको करनी

[श्री राम गोपाल संड]
होगी । अगर नगरों में 2 लाख की सीमा रखी है, तो गांवों में भी वही सीमा रखनी होगी । हम कहेंगे कि किसी भाई के पास यदि दो लाख तक की मिल्कियत है तो उसे मार्केट वैल्यू पर मुआवजा दिया जाये, और जिस भाई के पास टाटा, बिड़ला, सिंहानिया, बड़े-बड़े मिल मालिकों के पास दो लाख से अधिक की हो उसे वैसे ही ले लिया जाये । जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं, मिले हैं, उनको कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है । चीनी की मिलों के बारे में श्री जयराम वर्मा ने कहा कि 12 मिलें नीलाम द्वारा 30 लाख रुपये में मिल सकती थीं, जिनके लिये साढ़े तीन और चार करोड़ का मुआवजा दिया गया है । जनसंघ ने मांग की है कि जितनी तेल, सिग्रेट और चाय बागान्स हैं उन सबका बिना कोई मुआवजा दिये राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये । फिर भी हमारे ऊपर प्रतिगामी होने का आरोप लगाया जाता है कि हमारे पास कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है । मालूम पड़ता है कि श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने हमारा मेनीफेस्टो पढ़ा नहीं है । इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिना मेरे संशोधन के माने हुए इस पर रबड़ की मोहर न लगाई जाये, हम कुछ ऐसा करें जिससे मालूम हो कि इस पर मौलिक चिंतन किया गया ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई--
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जनसंघ को यह भाषा सिखा दी है कि वह बिना मुआवजे के राष्ट्रीयकरण करने की बात का समर्थन करता है ।

श्री रामगोपाल संड--
हमें इंदिरा गांधी ने नहीं सिखाया है वह हमें क्या सिखायेंगी। हमें हमारे पूज्य नेताओं अटलबिहारी बाजपेयी, हिम्मत सिंह और माधव प्रसाद त्रिपाठी सरीखे नेताओं ने सिखाया है, जिन्होंने सर पर कफन बांध कर देश हित और जनहित के कार्य किये हैं और वर्षों जेल के अन्दर रहे हैं । जिन्होंने कभी अखंड भारत के लिए, कभी गोहत्या बन्दी के लिये, कभी हिंदी भाषा के लिये और कभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संघर्ष किये हैं और यातनायें सही हैं ।

(व्यवधान)

(गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी--
श्रीमन्, यह कम्युनिस्ट लोग क्यों इंदिरा गांधी का ढोल पीट रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड--
श्रीमन्, म बड़ी नम्रता से प्रार्थना करूंगा कि इस 24 वें संशोधन को आम जनता की राय जानने के लिये प्रदेश भर की जनता में प्रसारित किया जाए और जनमत कराया जाए कि वह आया फंडामेंटल राईट्स को समाप्त करना चाहती है या नहीं ?

बाबुओं के साथ दफ्तरों में, सब जगह अपनी बात कहेंगे, अगर आप को बहुमत मिल जायगा तो जनसंघ हमेशा बहुमत के सामने सर झुकाकर आगे की लड़ाई के लिये तैयारी करता है इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि यह बिल जनमत संग्रह के लिये भेज दिया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--
पुराना जो लोक सभा का चुनाव हुआ है, उस लोक सभा चुनाव के मैनिफेस्टो में वह चीज दी हुई है । उसका फल यह हुआ कि आप वहां से गायब हो गये ।

श्री रामगोपाल संड---

आप देर से आये । चुनाव जरूर हुआ लेकिन आप दिल्ली के कारपोरेशन में आप गायब हो गये । गोआ में जब चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र गोमान्तक पार्टी जीत गयी लेकिन जनमत संग्रह में वह हार गयी । प्रजातंत्र की बात करना-अखबार वाले चाहे जैसे छापें, प्रजातंत्र, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय का जनसंघ हिमायती है । मैं अन्त में प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को जन के सामने भेजा जाय राय के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आज....।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने लोक सभा के चुनाव की चर्चा कर दी लेकिन उसके बाद दिल्ली में जो वहां कारपोरेशन का चुनाव हुआ, वह उनको याद नहीं आता ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बहस नहीं है । अब आज समय नहीं है क्योंकि दूसरा और भी काम है, और एक घंटे की चर्चा है बाढ़ के ऊपर । (व्यवधान) पांच मिनट में कोई समाप्त नहीं कर सकता है । कल भी बहस है । कल बहस चलेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आज शुरू करवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आज नहीं । इस बीच में, दृष्टि किस पर पड़ी यह मैं नहीं तय करता ।

नियम 51 की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

जो नियम 51 की सूचनायें आयी हैं उनमें सर्वश्री रूपनाथ सिंह यादव और भगेलू सिंह की सूचना है लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री वीरसेन को गैर कानूनी ढंग से घर से बेदखल किया जाना । इसको मैंने अस्वीकार किया है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

एक मिनट सुन लें । समाजवाद में यह हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय श्यामसुन्दर लाल गुप्त, माननीय सुरेंद्र विक्रम, माननीय बंशीधर पांडेय, माननीय रामप्रसाद, माननीय राजेंद्रप्रताप सिंह, श्री बाबरशाह तथा श्री साबिर अली, महमूदाबाद, जिला सीतापुर के निवासियों की हत्या का मामला, इसको 17-9-71 को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । गवर्नमेंट को भेजा गया है । सूचना अगर आ सकेगी तो जवाब दिला दिया जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

यह समझ में नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री बाबरशाह तथा श्री साबिर अली, महमूदाबाद, जिला सीतापुर की हत्या का मामला है-माननीय सुरेंद्र विक्रम, माननीय बंशीधर पांडेय आदि ने सूचना दी है।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

स्वीकार किया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

स्वीकार किया है लेकिन अल्पसूचना है । जैसे पीलीभीत का कल स्वीकार किया था लेकिन पीलीभीत से सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हो सकी है । टेलीफोन पर सम्पर्क करने की कोशिश की गयी लेकिन नहीं हो सका ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अगर किसी को पीलीभीत भेज दिया होता तो आ गयी होती ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको सरकार के पास भेज दिया अगर हो सकेगा तो लिया जायगा। और जितनी हैं अस्वीकार की गयी हैं, क्योंकि वे अविलम्बनीय महत्व की नहीं हैं ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मान्यवर, हमने एक गन्ना ग्रामसेवकों के बारे में दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

आज जवाब उसका कुछ हुआ था ।

श्री बांकेलाल--

उसके बारे में आपने क्या निर्णय किया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 की सूचनायें मैं पूरी कर दूं । एक सर्वश्री बंशीधर पांडेय, सुरेंद्र विक्रम, कल्पनाथ सिंह, राम बिलास पांडेय तथा श्याम सुन्दर लाल का है । उसे भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है लेकिन शर्त यही है कि इतने अल्प समय में सूचना यदि चाही गई उपलब्ध हो जाय ।

एक श्री मोहनलाल कपूर का है मेरठ नगरपालिका के विद्युत् कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में इसे सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैंने भी एक प्रश्न वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय के श्री गोपाल त्रिपाठी द्वारा आत्मदाह की धमकी के संबंध में दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह अस्वीकार कर दिया गया है ।

श्री बांकेलाल--

मैंने एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय केवल नियम 51 की सूचना मैं दे रहा हूं । कार्य सूची में कार्य-स्थगन प्रस्ताव 7 नम्बर पर है जो पहले लिया जा चुका है । यह नम्बर 9 पर है।

एक सर्वश्री डी० पी० बोरा तथा सुखपाल पांडेय की सूचना मुख्य मंत्री के पास भेज दी है । वह जो उचित कार्यवाही समझेंगे, करेंगे ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)---

मेरा कहना यह है कि प्रदेश में छात्रों के ऊपर मुकदमें चल रहे हैं । विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास कर दिया लेकिन मुकदमें वापस नहीं हुये । अगर ऐसा हुआ तो तमाम विश्वविद्यालयों में अशांति उत्पन्न हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष- -
आप मुख्य मंत्री जी से बात कर लीजियेगा ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह- -
मैं एक सूचना लखनऊ में बाढ़ को रोकने के संबंध में दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष- -
उसे अस्वीकार कर दिया गया है । उस पर अब क्या बहस होनी है?

देहरादून में राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत उठाया गया विषय

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)- -
उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जो किसी दल का नहीं है । केवल एक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो कर मैं सदन का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो अपने प्रदेश के अन्दर । मैं यह घटना संक्षेप में सदन के सामने आपकी अनुमति से रखता हूं । 15 अगस्त, 1971 को देहरादून में ध्वजारोहण होना था । गुलाब सिंह उपमंत्री वहां उपस्थित थे । यह दैवी दुर्घटना हुई कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर की गिर्री टूट गयी । इसमें मनुष्य का दोष नहीं हो सकता । कोई भी रस्सी पानी से गल कर कभी टूट सकती है।

(इस समय 5 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

उसकी रस्सी टूटने से ध्वज नीचे गिर गया । और उस के बाद वहां पर क्या-क्या हुआ उसके बारे में मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं कि कुछ लोग बड़ी बेशर्मी के साथ तेजी से उस समय हंसे। इस बारे में देहरादून के सभी समाचार-पत्रों में छपा है कि एक ऐसे मौके पर लोगों को हंसना नहीं चाहिये बल्कि शांति से उसे सम्हालना चाहिये । श्रीमन्, मैं किसी पर इस संबंध में व्यक्तिगत आक्षेप कभी नहीं करता हूं यह तो आप जानते ही हैं किन्तु इतना कहता हूं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कि इस प्रदेश के एक उपमंत्री हैं वे उस समय हंस रहे थे जिस समय कि राष्ट्रीय ध्वज नीचे गिरा था । तो इस प्रकार की बातें कोई सराहनीय नहीं है । इसके साथ ही इसके बाद उस ध्वज को चढ़ाने के लिये एक व्यक्ति नियुक्त किया गया और उस व्यक्ति ने बजाय इसके कि उस राष्ट्रीय ध्वज को अपने कंधों में वहां पर ऊपर ले जाय, अपने पैरों में उसे लपेट कर उसे ऊपर चढ़ाया । इस संबंध में मेरे पास तीन-चार फोटोग्राफ्स हैं । मैंने इस संबंध में जिलाधीश से पूछा और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि पैरों के अंगूठे में लपेटकर राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर पहुंचाया गया । उन्होंने यह भी कहा कि यह गलत है किन्तु उन्होंने प्वाइन्ट आउट नहीं किया । उनको प्वाइन्ट आउट करना चाहिये । मैं किसी कारण वश उस दिन देहरादून में नहीं था मैं दिल्ली में था हमारा 12 तारीख को दिल्ली में सत्याग्रह चल रहा था उसी सिलसिले में मैं वहां गया हुआ था । फोटो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पैरों के नीचे उस झंडे को लपेटा गया और ऊपर चढ़ाया गया । इसके अलावा मान्यवर, कुछ और छोटी-मोटी और भी बातें हैं, ध्वज पूरा नहीं चढाया गया था, वह हाफ मास्ट था सब लोग खड़े थे और माननीय उपमंत्री जी का परिवार बैठा है । मैं उनके ऊपर इस दृष्टि से नहीं कहता हूं ये बातें अनजाने में हो सकती हैं । मुझे इस बात का दुख है मुझसे गल्ती हो सकती है । अगर मैं गल्ती में हूं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं किन्तु आज जिन लोगों के द्वारा गल्ती हुई उनके बारे में कहता हूं कि वे अपना खेद प्रकट कर लेते कि गल्ती हुई है । इस तरह का एक बयान दे देते । दूसरे जिस व्यक्ति द्वारा वह ध्वज पैर के अंगूठे से ऊपर चढ़ाया गया उसके संबंध में जांच की जाय । यह तो राष्ट्रीय ध्वज था, एक राष्ट्र के सम्मान का प्रश्न था, दहरादून के जितने प्रमुख समाचार-पत्र है उन सब में छापा गया और डी०एम० ने प्रेस

[नित्यानन्द स्वामी]

कांफरेंस में प्रश्न उठाया किन्तु माननीय मंत्रीजी ने, एक महीना हो गया और ये समाचार पत्र-निरन्तर छाप रहे हैं किन्तु उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ । एक बयान ही वे दे देते कि हमारी भूल हो गई । श्रीमन्, भूल किससे नहीं होती इसे हम स्वीकार करते हैं । मैं देहरादून में मंत्री जी से मिला था किन्तु वे बीमार थे अस्पताल में थे इसलिये उस समय वहां पर इस संबंध में कुछ कहना मैंने उचित नहीं समझा। किन्तु अगर ऐसे प्रश्न और मसले रह जायेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो श्रीमन्, मैं संक्षेप में यह बात कह दी है मैं इस बात को फिर से स्वीकार करता हूं कि अगर कहीं पर मेरी भूल हो तो मैं इस सदन में इसे स्वीकार कर लूंगा और क्षमा प्रार्थना कर लूंगा और अपनी गल्ती में सुधार कर लूंगा किन्तु मैं यह चाहता हूं कि उधर से भी इसी प्रकार का रुख होना चाहिये । वे भी अपनी गल्ती को स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विषय को रखता हूं ।

(समाज कल्याण उपमंत्री) श्री गुलाब सिंह--

अध्यक्ष महोदय, कल इस आदरणीय सदन में माननीय श्री नित्यानन्द स्वामी ने 15 अगस्त, 1971 को देहरादून में राष्ट्रीय झंडे के गिरने की दुर्घटना का जिक्र किया और उसी के सिलसिले में मेरे ऊपर कई एक आरोप लगाये । मैं माननीय स्वामी जी का आभारी हूं कि उन्होंने कहा कि वे मेरा बड़ा सम्मान करते हैं । मैं इसके लिये भी उनका आभारी हूं कि उन्होंने कहा कि मेरे सम्मान से बड़ा सम्मान राष्ट्रीय झंडे का है । मान्यवर, मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने इस विषय पर चर्चा के लिये आधा घंटे का समय दिया है, इससे मुझे इस दुर्घटना से संबंधित तथ्यों को आपके तथा इस आदरणीय सदन के सामने रखने का सुअवसर मिला है ।

मान्यवर, मैं भी माननीय स्वामी जी का बड़ा सम्मान करता हूं । लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि उन्होंने मेरे ऊपर सर्वथा निराधार आरोप लगाये हैं जिसकी मुझे उनसे कभी आशा नहीं थी ।

मान्यवर, सचिव विधान सभा के नाम लिखे अपने पत्र में स्वामी जी ने तीन स्थानीय समाचार-पत्रों का जिक्र किया जिनमें उक्त घटना के निराधार समाचार को उछाला गया है ।

मुझे विश्वास है कि अगर झंडारोहण के अवसर पर माननीय स्वामी जी प्रत्यक्षदर्शी होते तो मेरे विरुद्ध जो आरोप उन्होंने इस आदरणीय सदन में लगाये हैं वे न लगाते ।

मान्यवर , 15-8-71 के दिन राष्ट्रीय ध्वज के तथाकथित अपमान के विषय में मुझे निवेदन करना है कि झंडारोहण से पूर्व अत्यधिक वर्षा होने के कारण राष्ट्रीय ध्वज एवं उससे बंधी डोरी काफी भीग गयी थी जिसके फलस्वरूप डोरियां आपस में चिपक गई थीं । जब मैंने ध्वज फहराने के लिये रस्सिया खींची तो ध्वज की डोरी खुलने के बजाय अकस्मात् पुली समेत टूट कर गिर गई ।

राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तुरन्त व्यवस्था की गयी । एक नागरिक इसको लगाने हेतु तुरन्त पोल पर चढ़ा परन्तु पाइप गीला था । जिससे वह चढ़ने में असफल रहा । उपस्थित जन समूह को काफी खेद हो रहा था और सभी चिंतित थे कि किस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाय। तब एक कांस्टेबिल को ऊपर चढ़ाया गया। पोल के भीगने से वह कांस्टेबिल भी पाइप से फिसल कर कभी ऊपर आता और कभी नीचे फिसल जाता, पर वह अन्ततः पोल पर चढ़ने में सफल हुआ जिस समय कांस्टेबिल पोल के मध्य भाग तक चढ़ गया उस समय रस्सी में ध्वज उसके पास पहुंचाया गया । इस प्रकार ध्वज को पोल के सिरे पर पूरी तरह फहराया गया ।

जिस फोटो का प्रदर्शन माननीय स्वामी जी ने किया है उससे कतई यह आरोप साबित नहीं होता कि वह नौजवान झंडे को पैर पर बांध कर पोल पर चढ़ने के लिय गया, क्योंकि झंडा कदापि पैर पर बांध कर नहीं ल जाया गया ।

मुझे सबसे अधिक खेद इस असत्य आरोप पर है कि जब गुंठित झंडा गिरा तो मैं हंस रहा था। मान्यवर, जो घटना अशोभनीय व खेदजनक हो उस पर कोई भी हंस सकता है, इसकी तो कल्पना भी नहीं हो सकती है।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि जिस समय राष्ट्रीय गान हो रहा था उस समय मेरा परिवार बैठा हुआ था, यह भी नितान्त असत्य है। जैसा कि उपस्थित जनसमूह ने भी देखा, राष्ट्रीय गान शुरू होने की माइक द्वारा सूचना मिलते ही अन्य लोगों के साथ-साथ मेरे परिवार के लोग भी खड़े हो गये और सबने उस राष्ट्रगान में खड़े होकर ही भाग लिया।

मान्यवर, मैं यहां पर यह निवेदन करना भी आवश्यक समझता हूं कि उक्त आकस्मिक घटना के कारणों की जांच के लिये मैंने घटनास्थल पर ही जिलाधीश को आदेश दे दिये थे।

मैं, श्रीमन्, आपको व सम्मानित सदन को यह विश्वास दिलाना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि राष्ट्रीय झंडे की प्रतिष्ठा व मान मर्यादा प्रतिक्षण बनाये रखने में मैं अपना धर्म समझता हूं देश के एक नागरिक होने के नाते भी व सरकार का एक सदस्य होने के नाते भी। मुझे आशा है कि माननीय श्री स्वामी जी अपने आरोपों को अब वापस ले लेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, हमारे माननीय स्वामी जी ने एक आरोप नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि एक ऐसी घटना का उल्लेख किया जो अत्यन्त आवश्यक थी कि सदन के सामने रखी जाती और सबका ध्यान आकृष्ट किया जाता इसलिए कि हम समझते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे और हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, हमारे इस देश के सम्मान का प्रतीक ह। उसके लिए हम मर मिटते है। हम जीतत हैं तो हम अपना झंडा गाड़ देते हैं हम हारते हैं तो हमारा झंडा ले लिया जाता है। इतना बड़ा महान उसका महत्व है हमारे सामने। आज जो यह कहते हैं ऐसे ही उदाहरण होते हैं जिसमें हंसना, भी बहत बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। यह बहुत बड़ी दुर्घटना है कि किसी राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान होते समय हमारा मुंह हंसने की मुद्रा में हो—न भी हसें तब भी वह बड़ा अपमान है देश के लिए राष्ट्र के लिए। यह मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत प्रश्न नहीं लेना चाहिये। लेकिन जो आरोप लगाये हैं वह सही हैं या गलत हैं, यह प्रमाणित कैसे हो। माननीय नित्यानन्द जी उपस्थित नहीं थे तो कान सी चीज हो सकती है कि सत्यता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाय और आप उस पर विश्वास करें। मान्यवर वह फोटो है, वह बनाये नहीं जा सकते हैं, जो सत्य होगा वही आयेगा। इसको देखने से मैं देख रहा हूं कि जो राष्ट्र ध्वज वह पैर से लगा हुआ है और आदमी उसको लेकर ऊपर चढ़ रहा है। फोटो से ऐसा दिखाई देता है।

दूसरी बात सही है। मैं इनके परिवार वालों को पहचानता नहीं हूं। जो फोटो में दिखाया गया है वह यह है कि परिवार बैठा हुआ है, बच्चे बैठे हुये हैं और हंसी भी उनके मुख पर है। यह इस तरह से है। झंडा ऊपर ले जाया जा रहा है। जो वह कहते हैं वह जैसे सांचे में बैठती हैं, इस तरह से बैठती हैं। यह चरित्र पर आक्षेप नहीं है ईमानदारी पर आक्षेप नहीं है। हो सकता है कि यह घटना ऐसी हो कि उनका ध्यान इसके महत्व पर न गया हो। लेकिन यह नहीं कहना चाहिये कि ऐसी बात नहीं हुई, यह बात निराधार है। हम भी चाहेंगे कि इस पर ज्यादा विवाद न हो। लेकिन यह फोटो कहां ले जायं और कैसे कहें कि यह असत्य है। कैसे पोल गाड़ा गया, कैसे झंडा ऊपर ले जाने वाला गया। यह बहुत ठीक बात है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता। अगर आप आज्ञा दें तो फोटोज़ को मैं आपके पास भेज दूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं सब देख चुका हूं। माननीय नित्यानन्द जी और गुलाबसिंह जी दोनों मेरे कमरे में आये थे और डिसकशन हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि यह खाली ऐसी बात नहीं है। मैं दो दफा देख चुका हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आप देख चुके हैं तो किस परिणाम पर पहुंचे। मैं परिणाम पर पहुंचने की खामियों को पूरी कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

गुलाब सिंह जी प्रत्यक्षदर्शी ही हैं लेकिन निर्णय करने वाला व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

आपने फोटो देखा तो आपका विवेक क्या कहता है?

श्री अध्यक्ष—

मैं बता दूंगा। अगर आपको जिद होगी तो आप विवेक की बात नहीं मानेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, सत्य बात जानने के लिये हो सकता है कि कोई बात मुझे सूझे आपको न सूझे या कोई बात आपको सूझे और मुझे न सूझे। इसका जवाब क्या है, जो फोटो रखें हैं उनको कैसे झुठलाया जाय। फोटो झूठे होने का कोई कारण नहीं है। इसलिये इसकी जांच करा ली जाय।

श्री बांकेलाल—

मान्यवर, वह राष्ट्र ध्वज का सम्मान क्या करते वह तो आजादी की लड़ाई में नहीं थे।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दूंगा। इस पर डिसकसन नहीं होगा। दो बातें हैं। एक तो हंसते हुये दिखाया है। हमारे माननीय कृष्णानन्द राय जी बैठे हुये थे, वे कहते थे कि हम यह दिखता था कि कोई आश्चर्य हो रहा है, इस तरह की उनकी भावना थी। हंसते हुये की भावना वह नहीं समझते थे। फोटो देखकर इस तरह का एक्सप्रेशन दिखाना था कि उन्हें आश्चर्य मालूम होता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

पैर में क्यों बांधा है?

श्री अध्यक्ष—

एक चीज मैं बताता हूं। वह हंसते थे तो यह भी हो सकता है माननीय कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि वह बात कर रहे हो और हंसी आई हो और उसी समय झंडा गिरा हो और फोटो ले लिया गया हो एक चीज यह हो सकती है। इसके बाद आइये पैर में बांधने की बात पर। आपका एक्सप्लेनेशन था कि झंडा गिरा, सब लोग घबरा गये। यह हुआ कि अब चढ़ें कैसे। इतनी ऊंचाई तक उसको चढ़ना था, कुछ दूर तक जब वह चढ़ गया तब उसको झंडा दिया गया। उसने उसको अपना कमर में बांध लिया, लकिन झंडा चूंकि बड़ा था इसलिये पैर तक आ रहा है इसलिय पर पर दिखाई पड़ रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं एक सुझाव देता हूं कि मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास फोटो भेज दूंगा और देहरादून के अखबारों की कटिंग भी भेज दूंगा और वह जो इस सम्बन्ध में निर्णय दे देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको यहां इंक्वायरी के लिये नहीं रखा है। यहां का तरीका यही है। उन्होंने कह दिया कि यह चीज नहीं है। वे प्रत्यक्षदर्शी हैं और आप प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। अगर सबेरे आपने इस बात को कहा होता तो मैं उसको मान लेता । कल तो आपने कहा था कि आप मन्त्री जी की बात को मान लेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी --

उनसे जो बात सम्बन्धित है उसको मैं मान लेता हूं लेकिन झंडे की बात का उनसे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री गुलाब सिंह--

अध्यक्ष महोदय, दो बातों का तो स्पष्टीकरण आपने कर दिया। झंडे के सम्बन्ध में और हंसने के सम्बन्ध में आपने कह दिया। तीसरी बात और कही गयी कि मेरा परिवार जिस वक्त राष्ट्रीयगान हो रहा था बैठा हुआ था। मेरे माननीय मित्र स्वामी जी और त्रिपाठी जी खासतौर से इस बात को जानते हैं कि जिस समय राष्ट्रध्वनि होती है, उस समय सभी लोग खड़े होते हैं, अपने स्थान पर ही खड़े रहना हर व्यक्ति का कर्त्तव्य होता है। जो जिस स्थान पर होता है वह वहीं खड़ा रहता है। क्या उस समय वह फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था वाकया यह है कि जब राष्ट्रध्वज का सम्मान गान होता है तो उसमें सब खड़े होते हैं। फोटो खींच सकना उस समय सम्भव नहीं। इससे पता चलता है कि तथ्य स पर की बात है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, यह बयान बिलकुल गलत है । सब लोग खड़े हैं और उनका ही परिवार बैठा है। मु ा दुःख है कि मैंने जो अपनाया वह माननीय मन्त्री जी ने नहीं अपनाया। इसलिये मैं मांग करूंगा कि इस मामले में जांच की जाय। यह सरासर गलत बात है। इसमें उनकी नग्लीजेंस है। मुझे वह केवल इतना कह देते कि गलती हो गयी है तो मैं मान लेता। दूसरा मैंने सुझाव दिया मुख्य मन्त्री जी को इस बात के देने का उसको कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

जब उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं है तो वह बात यहां खत्म हो गयी। जब प्रत्यक्षदर्शी है और कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो उनकी बात माना जायगा। कल आपने भी कहा था कि वे जो कह देंगे, उसको मैं मान लूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैंने कहा था कि अगर वे खेद प्रकाशन कर देंगे। यह एटीट्यूड ठीक नहीं है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणासी)--

माननीय मन्त्री जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया कि वह फोटोग्राफर फोटो क्यों खींच रहा है, यह इस सवाल का उत्तर नहीं है कि उनको परिवार क्यों बैठा हुआ है और फिर उनकी बात पर कांग्रेस (आर) के लोग हंसते हैं और ताली बजाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि यह किसी दूसरे समय का फोटो है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसमें उनका ही परिवार क्यों बैठा है और सब लोग क्यों खड़े हैं। आखिर किसी चीज की हद भी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

बाजा बज रहा है और गान हो रहा है, यह कैसे मालूम होगा। केवल कारों पर से।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

गान तो फोटो में आयेगा नहीं लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि सब लोग खड़े हैं और उनका परिवार बैठा है।

श्री अध्यक्ष—

जब कोई डिनाई करता है कि यह बात नहीं हुई तो उसको मान लेना चाहिये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष जी, सम्बन्धित मन्त्री जी अगर कहें कि मैं था और ऐसा नहीं हुआ...

श्री अध्यक्ष—

आपने देखा नहीं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आपने भी तो नहीं देखा। इसीलिये तो जांच की मांग है।

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं यह मान लेता कि यह मन्त्री मान मर्यादा नहीं करते हैं तो मैं कह देता...

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या मैं यह मान लूं कि मन्त्री जब भी कोई बयान देते हैं तो वह सही होता है।

श्री अध्यक्ष—

जो आप बयान देते हैं वह भी सही मान लिया जाता है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

स्वयं मन्त्री जी उसके साथ सम्बन्धित हैं।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री झंडे की इज्जत करते हैं। मन्त्री जी झूठ बोलेंगे यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

लखनऊ नगर गाजीपुर तथा बलिया के ग्रामीण क्षेत्र, में बाढ़ के प्रकोप से हुई क्षति के संबंध में चर्चा

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जब लखनऊ की बाढ़ के सिलसिले में सदन के समक्ष बोलने के लिय खड़ा हुआ हूं तो केवल आलोचना करने ही नहीं खड़ा हुआ हूं परन्तु कुछ जानकारियां प्राप्त करने के सिलसिले में भी खड़ा हुआ हूं। जो योजना १९६१ से प्रारम्भ हुई थी, ११ वर्ष जिसके पूरा करने में व्यतीत हो गयी वह अभी तक पूरी नहीं हो पा ी और इंजीनियर्स स्वतः मुझे ऐसा बताते हैं कि उसी का मुख्य कारण है कि लखनऊ में जो यह भीषण बाढ़ इस अवसर पर आयी उसका यही मुख्य कारण है। यदि वह योजना पूरी हो गयी होती तो लखनऊ बाढ़ से बचाया जा सकता था। यों तो बाढ़ों का दैवी प्रकोप है। इस वर्ष सारे प्रदेश में बाढ़ें आयी हुई हैं और भीषण रूप से आयी हुई हैं। शहरी क्षेत्र ही क्या, प्रदेश के बहुत से

क्षेत्रों में बाढ़ों ने भारी नुक्सान किया है। सरकार ने और जनता ने उन बाढ़ों से लड़ने का प्रयत्न भी किया है और सब ने अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से उसमें योगदान भी दिया है। परन्तु जहां तक लखनऊ की बाढ़ का सम्बन्ध है, यदि यह कहा जाय कि यह मैन मेड फ्लड था तो यह कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अभी दिल्ली के ही एक बड़े इंजीनियर और आपके केन्द्रीय मन्त्री आये थे। उन्होंने प्रदेश के एक प्रमुख व्यक्ति से बातें भी की थीं जिसने मुझसे भी कुछ बातें बतायीं। वह स्वतः भी बहुत नाराज थे और कहते थे कि यह तो मैन मेड फ्लड है। यदि इंजीनियर्स ने कार्य पूरा कर दिया होता उस योजनाके अनुसार जो 1960-61 में स्वीकृत हुई थी तो कदाचित लखनऊ को इस बाढ़ से काफी मात्रा में बचाया जा सकता था और इस नगरी की जनता को जो असुविधा जगह-जगह पर हुई और जो नुकसानात हुए उससे बचाया जा सकता था। मैं नहीं जानता कि कौन अड़चनें और दिक्कतें पैदा हुयीं।

1960 में बाढ़ आयी। नवम्बर में फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक हुई और फिर फरवरी में उसकी बैठक हुई और उसमें 2 करोड़ 40 लाख रुपये की एक योजना स्वीकार की गयी। और उसी के दो महीने बाद 1961-62 के बजट में 1 करोड़ 20 लाख रुपया का प्राविधान कर दिया गया कि इन तीन पुलों को शीघ्र ही बना दिया जाय। बांध के बनने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। यों तो योजना में पांचों पुलों के बनने की बात थी परन्तु उस वक्त रेलवे वाले ने उस पुल के लिये कुछ आपत्ति की और हार्डिंग ब्रिज के विषय में भी कुछ आपत्ति थी। तो उस समय की सरकार ने यह कहा कि चाहे डिटेल्ड एस्टीमेंट आये या नहीं, 61 से ही एस्टीमेट के आधार पर काम शुरु कर देना चाहिये। इस दृष्टि से बिना डिटेल्ड एस्टीमेंट मंजूर हुये ही धनराशि की स्वीकृति दे दी गई और कार्य जैसा मैंने कहा प्रारम्भ किया गया। परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या अड़चन और आपत्ति इस बीच में उत्पन्न हो गई जिसके कारण वह योजना पूरी नहीं हो पाई। क्या कारण थे कि बांध तो बना परन्तु जो गेट्स बनने थे वह क्यों नहीं बनाये गये? बांध तो बना दिया लेकिन जो स्लूस गेट बनने थे वह नहीं बने तो लाजिमी होगा कि पानी उन गेट्स से शहर के अन्दर आयेगा जैसाकि वह आया और जिसने भारी नुकसान शहर को पहुंचाया। क्या कारण था कि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने जो पक्की दीवार बननी थी और डेरी के सामने जो पक्की दीवार बननी थी क्यों नहीं बनी? जैसी पक्की दीवार मोती महल के सामने बनी वह नहीं बन सकी।

मुझे मालूम हैकि जब सरकार बदली तो उस सरकार का भी दृष्टिकोण बदला और कुछ ऐसा दृष्टिकोण अपनाया कि लखनऊ शहर में रुपया क्यों खर्च किया जाय और यह रुपया देहात में खर्च होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि वह दृष्टिकोण सही था क्योंकि एक योजना जो स्वीकार थी और विशेषज्ञों की राय से स्वीकार की गई थी, प्रदेश के सारे प्रमुख इंजीनियरों ने स्वीकार कर ली गई की थी जिनमें हमारे उस समय के चीफ इंजीनियर मित्रा साहब भी थे उसको कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया। उस समय के चीफ इंजीनियर मित्रा साहब का उस योजनाको बनाने में बहुत हाथ था और उनकी बहुत भारी सहमति थी क्योंकि 1961 में जब फ्लड बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें कुछ ऐसे भी इंजीनियर थे कि जो ऐसा कहते थे कि बांध नहीं बनना चाहिए परन्तु 95 फीसदी इंजीनियरों की ऐसी राय थी जिनमें मित्रा साहब भी थे कि बांध बनना चाहिए और उनकी राय को मानकर सरकार ने बांध को बनाने की नीति अपनाई थी। इसकेलिए एक लम्बी रकम खर्च करने के लिये स्वीकार की थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य इस अवसर पर यह है कि वह कौन सी बाधायें उत्पन्न हो गई और क्या कमी और खामी रह गई जिनके कारण यह मुसीबत आई। अगर वह कमी और खामी पूरी कर दी गई होती तो पानी शहर में हजरतगंज में न बहता और बटलरगंज को भी परेशान न करता। उस कार्यवाही के न करने के कारण जो दिक्कत लोगों के बीच में शहर में उत्पन्न हुई वह उत्पन्न न होती। तो मैं इस बात की जानकारी सरकार से करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ?

यह मेरा स्वतः का तजुर्बा रहा और मैंने समय समय पर इंजीनियरों का ध्यान इस ओर आमंत्रित किया और जब यह बहिया आई इसके 10 रोज पहले मुझे इत्तफाक से बांध पर

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

जाने का अवसर मिला तो मैंने चीफ इंजीनियर का ध्यान इस ओर आमंत्रित किया। मैंने कहा कि जो बांध आपने बनाया है वह कट रहा है और उसमें से काफी ईंटा भी चोरी होता चला जा रहा है। और काफी स्थानों पर बांध में गढ़ढे से दिखाई पड़ते हैं और अगर फिर बाढ़ आई तो सारे शहर को लेने के देने पड़ जायेंगे और आप के विभाग को एक भारी जोखिम उठाना पड़ेगा और बहुत बड़ी शिकायतों का शिकार आपके विभाग को होना पड़ेगा। मैं तो उसके बाद दिल्ली चला गया था और इस बाढ़ के दो तीन दिन के बाद आया, मैंने लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि उन बेचारों ने काम तो उसी दिन शुरू कर दिया था लेकिन पूरा काम तो इतने कम समय में हो नहीं सकता था। अगर कोई चीज बनती है और उसकी मेनटेनेंस और देखरेख अगर ठीक से नहीं की जाती और उस पर इंजीनियर्स ध्यान ही न दें तो ऐसी दुर्घटना होना लाजमी है जो इस बाढ़ को लेकर इस हमारे नगर में हुई। मेरा आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से नम्र निवेदन है कि यदि इस नगर की इस बाढ़ की विभीषिका से बचाना है तो जो योजना सन् 61 में स्वीकार की गई थी जिसके लिये उस समय धनराशि भी उपलब्ध कराई गई थी और जिस की स्वीकृति इस सदन ने भी दी थी क्योंकि वह योजना का हिस्सा बन गई थी, उस योजना को वार फुटिंग पर पूरा किया जाय और कोई टालमटोल या आनाकानी उस में न की जाय। कभी वित्त सचिव को, कभी वित्त मन्त्री जी को, वित्तीय साधनों की उपलब्धि की दिक्कत होती है, कभी प्लानिंग मिनिस्टर अपनी कोई आपत्ति जोड़ देते हैं, मैं चाहता हूं कि इस योजना के सम्बन्ध में इस तरह की आपत्तियां नहीं जोड़ी जानी चाहिए। जिन्होंने उठाई है मैं उन व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इस समय कोई यहां कटुता का वातावरण पैदा करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि लखनऊ निवासियों की जो यह समस्या है उनका निवारण होना चाहिये और हम ने सन् 61 में जिस योजना का श्रीगणेश किया था वह योजना पूर्ण रूप से पूरी की जाय और जल्द से जल्द पूरी की जाय। तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

अभी भी बाढ़ के आने के जमाने में कई भूलें हैं। मुझे ऐसा बताता गया है, कहां तक उस में सत्यता है इसका इम्तहान मैंने अभी नहीं किया है और उस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं की है लेकिन नदी पर वेयर है उसके शटर्स बाढ़ के समय गिराये ही नहीं और इसके माने यह हुये कि चार-पांच फुट पानी तो यों ही नदी में बढ़ा रहा और उसका लाजमी नतीजा यही था कि चार पांच फुट पानी तो नगर में जरूर आयेगा। मुझे बताया गया है कि यहां ऐसा वाकया गुजरा है और अगर ऐसा है तो जिस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी थी कि वह वेयर के शटर्स को बाढ़ में नीचा करे उस को पूरी सजा मिलना चाहिये, जब तक ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा नहीं दी जाती तब तक वह अपने उत्तरदायित्व को और जिम्मेदारी की सही मात्रा में नहीं समझ सकते। मेरा आग्रह कि अगर इस बाढ़ की समस्या को लखनऊ नगर के निवासियों के कष्ट निवारण के लिये जिस योजना को हमारे विशेषज्ञों ने तैयार किया था और जिस में हमारे ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की पूरी मात्रा में राय थी उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाय तभी लखनऊ नगर को बाढ़ के भावी प्रकोप से बचाया जा सकता है। वैसे मेरी पूरी सहानुभूति प्रदेश के सभी जिलों की जनता के साथ है जहां भी बाढ़ आई है और बांध टूटे हैं और जहां भी जनता के इस कष्ट निवारण के लिये योजना बनना आवश्यक है वहां वह बनाई जानी चाहिए जिससे लाखों और करोड़ों रुपए की सम्पत्ति हर वर्ष बाढ़ से नष्ट न हो सके चाहे वह किसानों की हो या शहर वालों की हो, चाहे वह किसी कस्बे के रहने वाले की सम्पत्ति हो, हमें उस सब को राष्ट्र की सम्पत्ति समझ कर उसको बचाने की चेष्टा करना चाहिए। और वह तभी सम्भव हो सकता है जब हमारे इंजीनियर और हमारे मन्त्रीगण हमारे सचिवगण सब एकजुट होकर समस्या के समाधान में अपनी कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दें और उस दिशा को दिखाने में मुख्य मंत्री और उसके मंत्रीगण नई दिशायें दिखायें। तब प्रदेश की

आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं और उन दिशाओं को हम पकड़ सकते हैं जिससे कि प्रदेश की आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं। मैं फिर से लखनऊ के नागरिकों के प्रति जिन्ह तकलीफों से गुजरना पड़ा जिन्हें बहुत से नुक्सानात सहने पड़े मैं उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सदन और सरकार भी उनके प्रति पूरी सहानुभूति रखती है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिये वह प्रत्यक कदम उठायेगा जायगा जिससे कि इस नगरी को बार-बार इन दुर्घटनाओं से न गुजरना पड़े।

श्री अध्यक्ष—

आपका काम रोको प्रस्ताव था। आप संक्षेप में कह लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, दस मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आप बोलें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा है उन बातों को दुहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा और यह प्रासंगिक है कि माननीय कमलापति जी, मुख्य मंत्री ने परसों जो बयान दिया उसमें इस बात को कह कर टालने की कोशिश की कि बाढ़ को मैन मेड कहा जा रहा है। केवल डा0 के0 एल0 राव ने ही, जो कि बड़े प्रसिद्ध इंजीनियर भी हैं, हमारा तो नहीं आपका तो भरोसा उन पर होना चाहिये दो तीन बातों की ओर संकेत किया कि यदि छः करोड़ रुपया लग जाता तो दस करोड़ रुपये की हानि बच जाती। इसमें दो राय नहीं है कि रुपये को नहीं लगाया गया। केवल दो करोड़ रुपया ही व्यय किया गया। छः करोड़ रुपये की योजना को पूरा नहीं किया गया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे के बन्धों में गैप्स रक्खे गये। उनको क्यों रक्खा गया, क्या कारण था, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई बताने को तैयार नहीं है। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि कुछ अड़चनें आई हों परन्तु लखनऊ जैसे शहर को जो कि प्रदेश की राजधानी है और उस पर इस खतरे से एक तलवार सी लटकती रहे ऐसी स्थिति में उसे नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पुल जो बनाये गये हैं अगर वे चौड़े होते तो यह बाढ़ का जो स्तर है वह दो फुट नीचे आ जाता। यह के0 एल0 राव ने कहा है। मैं समझता हूं कि इस पर भी थोड़ा गौर होना चाहिये। कुछ ऐसी योजनायें हैं जसे शहर के पास नदियों के गेट हैं वे चौड़े हों। इनकी तरफ गौर नहीं किया गया। यह एक्सपर्ट ओपीनियन है। यह मिलिटरी इन्जीनियर्स की भी राय है। उन्होंने यह कहा कि जो बटलर बांध है या दूसरे बांध हैं इनके अन्दर जो इरोजन है जिस तरह से पेवमेन्ट होना चाहिये था बहुत बड़ा दबाव करके उसे मजबूत करना चाहिये था वह नहीं हुआ। हुआ यह कि यह बन्धे ब्रीच तो नहीं हुए। लेकिन यह तो सबने माना कि इस बन्धे के बीच से पानी निकलना शुरू हो गया था और ऐसी दुर्घटना हो सकती थी और अधिक जोर पड़ता तो ब्रीच भी हो सकता था। इस मौके पर जो कमी रही उसको सुधारा जा सकता था। साथ ही भैंसा कुन्ड के पास वेथर-बाल के पास बालू रुक जाती हैं उससे नदी की सतह उलट जाती है।

एक्सपर्ट तो हम भी नहीं है। जो राय एक्सपर्ट ने प्रकट की है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठा दें अगर मुख्य मंत्री ठीक समझें जो कि सारे प्रदेश के क्षेत्रों की जांच करें। यहां अपना रिन बांध होना चाहिये। चारों तरफ अलग-अलग राय है। श्री प्रकाशबीर शास्त्री आये, बी0 के0 डी0 के जनरल सेक्रेटरी उन्होंने बड़े आरोप लगाये। मैं उनके अन्दर नहीं जाना चाहता। ब्रिजेज जो तीन चार साल पहले बनाये गये थे वे सब बह गये। उन्होंने मार्ग साफ कर दिये। यह जो शंका व्यक्त की गई कि नानक सागर का पानी रामगंगा में आ गया होगा उसकी वजह से पलड़ आ गई थी इन तर्कों के पीछे कोई क्या एक्सपर्ट ओपीनियन नहीं हो सकती ?

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यह हम समझ रहे हैं कि जैसी दुर्घटना इस बार हुई है आगे भी हो सकती है। इसलिये हम समझदारी से कामलें। यह गांव वर्सेज शहर के बात नहीं है। आप लखनऊ को बचावें, गांवों में भी बचावें। यहां ऐसे बध बनाये जायं कि जिससे आगे ऐसी दुर्घटना न हो। जो रिलीफ का काम हो रहा है उस में बड़ी खामियां हैं। मुझे बतलाया गया है कि बदशाहनगर कालोनी में पुलिस ने 50 रुपये प्रति परिवार लेकर निकाला है अगर मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो हम इस बात का सबूत देंगे। डालीगंज में एक दरोगा पांडे थे उन्होंने ज्यादती की है। वहां के एक जनसंघ कार्यकर्त्ता की मूंछें उखाड़ने की बात की। जनता में जो चना बांटा जा रहा है वह यह चना है। कोई इसको काट कर दिखा दे तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। एक रिपोर्ट राजस्व मंत्री ने रक्खी कि सरकार ने यह कार्य किया है। जो प्राइवेट संस्थायें हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा कार्य किया है और इसका इसमें जिक्र आना चाहिये था। जनसंघ के नेता माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, श्री कपूर आदि ने बहुत काम किया है। साथ ही गुप्ता जी ने भी बहुत काम किया है और बोरा जी भी इसमें लगे रहे हैं। माननीय गुप्ता जी ने जो कार्य किया है उस का जिक्र इस रिपोर्ट में आना चाहिये था। सरकार ने तो लोगों को राहत देने के बदले अत्याचार किया है। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। एक्सपर्ट की जो ओपीनियन अ है सको ध्यान में रख कर लखनऊ शहर की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय क्योंकि इसकी गंभीरता हम दो तीन बार देख चुके हैं। रिलीफ काम में अभी सफाई नहीं हुई है। शहर में गन्दगी है और इसको साफ करने की जरूरत है। महानगर में दो तीन केस हैजे के हो भी चुके हैं। इसके लिये मैं अपील करूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय जिससे इस आपत्ति से छुटकारा मिल सके।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस आम मसले पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, खास तौर से लखनऊ में जो बाढ़ आई है उसका 80 प्रतिशत असर मेरे ही क्षेत्र पर पड़ा है। मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी सरकार की जिम्मेदारी थी सहायता करने की उतनी यह कर नहीं सकी है। इसका कारण यह था कि नावों की बहुत कमी थी इस लिये रेस्क्यू का काम ठीक से नहीं हो सका। उसको मिलिटरी ने आकर किया। मैं यह नहीं कहता हूं कि सिर्फ मिलिटरी ने ही काम किया है। पी० आर० डी०, होमगार्ड, पी० ए० सी० सभी ने काम किया है। मैं यह बात अपनी खुद की जानकारी पर कह रहा हूं। जो खामियां रह गई थी उसकी ओर मैं अखबार के जरिये ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। एक घैला गांव ऐसा था जहां पर कि चारों ओर 7 मील पानी था। वहां एयर ड्रापिंग की जाती थी वह काफी नहीं थी। वहां जाने में भी अत्यन्त कठिनाई थी। इसी तरीके से जब मैंने सुना कि कुकरैल में 50 हजार जानवर है तो मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि एनीमल हसबैन्ड्री के मिनिस्टर ने वहां तुरन्त चारे आदि की सुविधा देने के लिये आदेश दिये हैं।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब 1960 में लखनऊ में बाढ़ आई थी जिसको अब 11 साल व्यतीत हो गये हैं उसके बाद अबकी जो बाढ़ आई है तो इसमें अधिकारी और पूर्व मंत्री जिम्मेदार हैं जिन्होंने बंधे को नहीं बनने दिया। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक हाई पावर्ड कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये। इस कार्य में रुकावट डालने के लिये हो सकता है कि मंत्री भी हों या मुख्य मंत्री भी हों। जिन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण इसकी सन् 67 से 70 तक मीटिंग नहीं होने दी। इसमें वे लोग भी हो सकते हैं जो अपनी प्रापररी की रक्षा के लिये जैसे कि मोती महल आदि इसके बनने के मार्ग में रोड़ा अटकाते रहे हैं। अगर एक हाई पावर कमेटी बन जायेगी तो वह चाहे चीफ इन्जीनियर पी० डब्लू० डी०, इर्रीगेशन या एलेक्ट्रिसिटी कोई भी क्यों न हो अथवा कोई बड़े नेता हों उनके खिलाफ पूर्ण रूप से जांच करगी और अपना कार्य करेगी। इसकी बहुत अधिक

आवश्यकता है। आज भी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग, एलेक्ट्रिसिटी विभाग लगा हुआ है, नगरमहापालिका के लोग दवाइयां छिड़कने में लगे हैं परन्तु जिस स्तर पर काम होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि गन्दगी के कारण एपीडमिक बीमारी फैल जाय जिसको रोक होना जरूरी है। बहुत से स्थानों पर अब भी समुचित रूप से मदद का काम नहीं हो पा रहा है जिससे बीमारी का उग्र स्वरूप सामने आ सकता है।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी अब भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जायें तो देखेंगे कि वहां के रहने वाले गरीब लोग तबाही के शिकार हो गये हैं। चम्मरपुरवा, गऊघाट, घैला आदि गांवों में भीषण तबाही हुई है। मुकारिम नगर, मसालचीटोला आदि स्थानों पर अब एक भी मकान नहीं बचा है। इन स्थानों पर रिलीफ का काम तुरन्त ही होना चाहिये। उनको इतना धन दिया जाय जिससे वे कम से कम अपने झोपड़ों की मरम्मत कर सकें, छप्पर डाल सकें। बाढ़ हटने पर जब लोग अपने गांवों की तरफ जायेंगे तो उनके पास कोई साधन नहीं है कि न तो पैसा है और न साधन, न ईट है और न कोई चीज, तो किस प्रकार से वह लोग अपने रहने की व्यवस्था करेंगे। अगर गये तो फिर बीमारी के प्रकोप में मर जायेंगे। धनपुरवा में 12 आदमी पेड़ों पर टंगे थे। एक रेस्क्यू करने वाली पार्टी ने उनमें से 7 आदमियों को बचाया। जब वे उनको ला रहे थे तो बीच में उनकी नाव उलट गई मदेगंज के पास। 5 तो बचा लिये गये और दो आदमी डूब गये। 15 मिनट में ही मैंने मुख्य सचिव तथा डिप्टी कमिश्नर से सम्पर्क स्थापित कर लिया और 40 मिनट के अन्दर ही मिलिट्री को बुला लिया गया और जो 5 आदमी पेड़ों पर बैठे थे उनको बचा लिया गया। यह दोषारोपण करना कि मिलिट्री ने काम नहीं किया, पी0 ए0 सी0, होम गाडस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम नहीं किया यह गलत है। ऐसा कहने से लोगों का मोरेल गिरता है। जो कमियां हैं उनको मैं भी मानता हूं परन्तु यह कि बिलकुल काम ही नहीं किया, ठीक नहीं है। मैंने जब कभी कन्ट्रोल रूम या कमिश्नर को इत्तिला दी एक घंटे के अन्दर ही राहत कार्य पूरा किया गया है। मैं तो पुनः यही कहता हूं कि आज गोमती की बाढ़ से लखनऊ पर जो आफत आई है उसका कारण तथा जिम्मेदार वे इन्जीनियर्स हैं, मंत्री हैं अथवा वे बड़े नेता हैं जिन्होंने बंधा बनने नहीं दिया तथा उसको बनने में रुकावटें डालीं तथा बंधा बनने के कार्य की उपेक्षा की है। यह कह कर कि लखनऊ में ही क्या सारा रुपया लगा दिया जाय, गांवों में न लगाया जाय। यह कह कर कि अभी बंधे को पूरा करने की जरूरत नहीं है। वह लोग जिम्मेदार हैं इस विकराल बाढ़ के लिए और आने वाले दिनों में उनकी जिम्मेदारी होगी जो इस बंधा स्कीम को पूरा नहीं करेंगे। उस वक्त जो स्कीम बनी थी, उसकी जो लागत थी आज 11 वर्ष बाद उसकी लागत दुगुनी हो गयी है। कौन उसका जिम्मेदार है ?

इस वक्त जब लोग घरों की तरफ वापस जा रहे हैं तो कम से कम उनके लिये इतने रूपये, टिनों या ईटों और दूसरे सामान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वह अपना घर छाकर, छप्पर से, खपड़ैल से या टिन से अपना सिर ढक सके। इस ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, केवल सरकार ने ही नहीं बल्कि न जाने कितनी समाजसेवी संस्थाओं और राजनैतिक दलों ने आगे आकर कार्य किया है, चाहे वह चौपटिया के लोग हों, चाहे यूथ फोरम के हों, चाहे यूथ कांग्रेस के हो, चाहें कांग्रेस पार्टी के हों, या भारतीय जनसंघ के कुछ लोग हो। मैं यह कतई नहीं कहना चाहता हूं स्वामी जी से कि आप के नेता कारों में घूम रहे थे। मैं तो कहना चाहता हूं कि उन्होंने कार्य अवश्य किया है और इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। क्षेत्र तो मेरा था, मेरी जिम्मेदारी थी।

श्रीमन्, लाजपतनगर कालोनी में रिफ्यूजी बसाए गए थे। सन् 60, 61 में बाढ़ आयी, 62 में आयी, 71 में आयी। वह कालोनी ध्वस्त हो गयी है। सन् 1947 में जो रिफ्यूजी आय थ उनको वहां बसाया गया था। उनको जरूर ऐसी धनराशि मिलनी चाहिये जिसस वह मकान बना सके। इस लखनऊ नगर को बाढ़ से बचाने के लिये परमानेन्ट रेनडी की

[श्री डी० पी बोर]—
व्यवस्था होनी चाहिये। यदि 11 साल तक बाढ़ नहीं आयी इसलिए बंधा स्कीम पूरी नहीं की गयी तो कहीं ऐसा न हो कि यह सोच कर कि 10 साल तक बाढ़ नहीं आएगी इसलिए बंधा स्कीम पूरी न की जाय।

मैं उन सब समाजसेवी संस्थाओं को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बाढ़ में काम किया हिन्डैलको ने भी प्रचुर मात्रा में मदद की है। साथ ही मैं उन पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर घैला जैसे स्थान में जाने की हिम्मत की जो कि चार मील के रेडियस में पानी से घिरा था। मैं उन सब लोगों के प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस शहर को बचाने में कार्य किया और माननीय मुख्य मंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ के लिए परमानेन्ट रेमेडी होनी चाहिए। यह बंधा स्कीम पूरी हो जाने के बाद और बरौलिया के हरिजनों के बस जाने के बाद, वह ऐसा कार्य करेंगे जो इतिहास में अमर रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस महा प्रकोप में हमारी सहायता की।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला आजमगढ़)—
व्यवस्था का प्रश्न है। इस चर्चा में गाजीपुर ग्रामीण क्षेत्र भी है। इसके लिये केवल 1 घन्टे का ही समय है।

श्री अध्यक्ष—
ठीक है, उसके लिये मैं समय दूंगा, गाजीपुर वाले खड़े तो हों।

श्री बंश गोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—
मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे लखनऊ की बाढ़ के सम्बन्ध में बोलने का अधिकार दिया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मैं तो सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि इस बाढ़ के संबंध में कार्य किया। वास्तव में यहा के जिलाधिकारियों ने बड़ी ही लगन से कार्य किया है। मैं पंडित कमलापति त्रिपाठी तथा डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे आठ आठ घंन्टे नाव पर बैठ कर जगह-जगह जाते थे जहां पर कि काम हो रहा था यह देखने के लिये कि वहां पर काम ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं मैं भी जाता था और जहां-जहां पर जो खामियां और कमिया मैंने बतायी थी उनके ऊपर विचार किया जाता था। बटलर बान्ध की समस्या बड़ी ही जटिल समस्या है। सन् 1961 में माननीय चन्द्र भानु गुप्त जी मुख्य मंत्री थे। सन् 1960 में यहां पर बाढ़ आयी थी। उन्होंने उस समय यह सोचा कि लखनऊ को बाढ़ से कैसे बचाया जाये। उन्होंने सुझाव मांगे थे। सुझाव आये रुपया भी पास हुआ। गुप्ताजी ने जो बताया वह बिल्कुल सत्य है। श्री राम कुमार भार्गव ने कोई भी रिट दाखिल नहीं की। इनका नाम गलत लिया गया है। मैं इस क्षेत्र का निवासी हूं और इसी क्षेत्र से चुनकर आया हूं, मुझे सारी परिस्थितियों का ज्ञान है और मैं यह भी जानता हूं कि यह प्रश्न क्यों उठाया गया है। इस के बारे में मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि श्री राम कुमार भार्गव और उन लोगों ने जिनकी कि वहां पर जमीन थी, कोई रिट दाखिल नहीं की। इसको आप दर्यापत कर सकते है और मेरा सुझाव तो यह है कि इसके लिये आप एक हाई पावर कमेटी बना दें। जो लम्बी, चौड़ी बातें करते है, बड़े-बड़े भाषण देते है, उन्हीं में से एक को उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाये। मेरे क्षेत्र का लगभग 50 फीसदी भाग बाढ़ की चपेट में आया है। मार्टिनपुरवा तथा जिया मऊ जो गांव है वे पानी में डूब गये है। वे अब भी डूबे हुये है। सरकार को इस समस्या के समाधान के लिये कुछ अवश्य करना चाहिये और उन लोगों को सहायता देनी चाहिये जिनके कि मकान गिर गय है। अगर उन्हें सहायता मिल जायेगी तो वे अपने मकान बनवा सकेंगे।

एक बड़ी समस्या मवेशियों की है। बहुत से मवेशी पानी में बह गये हैं। बहुत से मवेशी मार्टिन पुरवा गांव के पास मरे हुए पाये गये। बहुत सा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। पीपला घाट अब भी पानी में डूबा हुआ है। मार्टिनपुरवा के पास 5–6 मवेशी बह गये थे। मवेशियों के चारे के लिये सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध होना चाहिये। अभी तक कोई भी प्रबन्ध मवेशियों के चारे का नहीं हुआ है। बहुत से लोग सड़कों पर खड़े हैं और जहां कहीं घास मिलती है उसे छील कर ले जाते हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस समस्या की ओर ध्यान दें और इसे सुलझाने की कोशिश करें। मोहन ब्रीवरीज में 2 करोड़ रुपये की शराब बह गयी। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने उस शराब को वहां से हटाने की इजाजत नहीं दी। उन अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिए जिन्होंने कि ऐसा नहीं होने दिया। इतना बड़ा नुक्सान हो गया है। जियामऊ और मार्टिन पुरवा के पीड़ित लोगों को अधिक से अधिक धन देकर उनकी सहायता करना चाहिये। साथ ही मवेशियों के लिये चारे का तुरन्त प्रबन्ध करना चाहिये जिससे कि मवेशी मरने न पायें। मैंने माननीय मुख्य मंत्री से लोगों को जगह दिलाने के लिये कहा था, उन्होंने तुरन्त उसका इन्तजाम किया। ठहरने के लिये जगह दिलवायी। इसलिये और जो जरूरत की चीजें हैं उनकी ओर भी वे ध्यान दें। माननीय स्वामी जी ने पुलिस के बारे में जो यह कहा उन लोगों ने रकम लेकर लोगों को निकाला, यह गलत है। किसी पुलिस वाले ने बाढ़ के समय किसी से पैसा नहीं लिया, मैं स्वयं वहां मौजूद था, लोगों को निकाल रहा था। इस तरह लम्बी बात कहने से कोई फायदा नहीं। अखबार वालों को देने के लिये इस तरह की बात कह देना ठीक नहीं है। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो लखनऊ के साथ गाजीपुर का प्रश्न जोड़ा है, केवल गाजीपुर का ही प्रश्न नहीं है, सारे प्रदेश का और प्रदेश के समस्त ग्रामीण अंचलों का प्रश्न है। हमारे पड़ोसी जिले बलिया और आजमगढ़ में तो बाढ़ की विभीषिका अभी तक ज्यों की त्यू बनी हुई है। माननीय शुक्ल जी ने माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्य अधिकारियों को बधाई दी, मगर मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि सरकार के किसी भी व्यक्ति को बधाई दे सकूं। गाजीपूर, आजमगढ़, बलिया तथा पूर्वान्चल में जो बाढ़ आयी है वह बड़ी ही भयानक है और वहां के मूक लोगों के हृदय के दर्द का प्रतीक है। किसी-किसी जगह तो बाढ़ आयी और एक सप्ताह बाद चली गयी, मगर इन जिलों में और पंडित की तक के क्षेत्र में पिछले डेढ़ महीने से बराबर बाढ़ का प्रकोप, है और वहां के लोग दर्दनाक स्थिति से गुजर रहे हैं और वहां की मूक लोगों की आवाज, यहां सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। 24 जुलाई को पूर्वान्चल में बाढ़ आयी। उसके बाद से उसका प्रकोप बराबर बढ़ता ही गया। मिर्जापुर के कई पुल टूट गये। गाजीपुर के कई पुल टूट गये। बकसर का पुल टूट गया। और श्रीमन्, 5-6 आदमी मिर्जापुर में और 7 नौजवान लड़के गाजीपुर में 24 जुलाई की बाढ़ में डूब गये। उनकी आत्मा, जो पांच साढ़े पांच सौ आदमी मर गये हैं, आज कराह रही है मैं मुख्य मन्त्री जी से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में आपकी तरफ से राहत कार्य बिलकुल नहीं हुआ है, लाखों मवेशी भूसे के एक-एक तिनके के लिए भूखों से मर रहे हैं। उदित नारायण जी ने सदन में भाषण दिया। आज का नेशनल हेराल्ड देखकर तो हमें नींद नहीं आई, जिसमें लिखा था—

मैसिव एफर्ट्स बाई गवर्नमेंट न जाने क्या क्या लिखा था। उसको पढ़कर हमारा दिमाग खराब हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप कहते हैं उसका छठा हिस्सा भी यदि कहीं भूसे का पहुंचा हो तो मैं कुछ समझूं। आप कहते हैं बाहर से भूसा आ रहा है। लेकिन आज न तो हरियाणा से भूसा आया, न पन्तनगर से भूसा आया है न पंजाब से

[श्री कृष्णानन्द राय]

भूसा चला है। बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर के जिलों में एक मन भूसा भी हमारे जानवरों के लिये नहीं पहुंचा है यदि जानवरों और आदमियों को थोड़ी भी राहत मिली होती तो हम आपकी प्रशंसा करते। सारे पशु-गाय, भैंस बैल वगैरह भूखों मर रहे हैं। एक टेलीग्राम आया था। हमारे यहां यह गहमर गांव है, जहां 25 हजार की करीब आबादी है, वह बुरी तरह से मीलों के घेरे में पानी से महीनों से घिरा पड़ा है। उदित नारायण जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई गाजीपुर में बाढ़ नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हमारे यहां जो शेरपुर का गांव है 22 हजार की आबादी वाला, वह 10 मील के रेडियस में पानी से घिरा हुआ है। लेकिन उस गांव में सरकार का कोई अधिकारी नहीं गया है।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--
मैंने तो कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया।

श्री कृष्णानन्द राय--

यह जो बाढ़ सम्बन्धी रिपोर्ट आती है, वे गलत आती है। हमारे यहां टोंस नदी की बाढ़ से बहादुर गंज, रामगढ़ और सूरत के बीसों गांव घिरे हुए हैं। आप गाजीपुर गये थे, तो क्या टोंस नदी के किनारे गये थे। सुरहा गांव के आस पास के 6-7 गांवों का बाढ़ के कारण पूरे प्रदेश से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है, और वे सारे के सारे कटकर बिहार में शामिल हो गये हैं। आपको ग्रामीण अंचलों की बाढ़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों के बारे में जो रिपोर्ट आई है वह 50 प्रतिशत कम करके यहां पर प्रदर्शित करके दिखाई गई है। जहां एक हजार एकड़ की बर्बादी दिखाई गई है, वहां वास्तव में, 2 हजार एकड़ की बर्बादी हुई है। इस लापरवाही के लिए मैं उदित नारायण शर्मा जी को चार्ज करना चाहता हूं, और मैं मांग करता हूं कि लखनऊ के लिए जो इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाय वैसा ही एक कमीशन इसकी जांच के लिए बिछाया जाय जो ग्रामीण अंचलों में पशु और आदमी खाने के बिना मरे हैं, और सरकार उनको राहत पहुंचाने के मामले में असफल हुई है। और इस जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों को क्या सजा दी जाय, इस पर भी वह निर्णय दे।

(श्री मैनेजर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री त्रिवेणी राय--

अध्यक्ष महोदय, सब से ज्यादा पीड़ित हम हैं, आजमगढ़ के लिये भी आप हमें एक मिनट का समय दे दें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

त्रिवेणी राय जी कह कर क्या करेंगे, उनके बहनोई कृष्णानन्द जी तो अपनी ससुराल के बारे में चर्चा करेंगे ही।

श्री त्रिवेणी राय--

बहनोई तो उनके होंगे, मुझे रिश्ता मालूम नहीं है। आजमगढ़ भी उससे सम्बन्धित है, वह भी काफी बर्बाद हुआ है, उसके लिये आप हमें अवश्य समय दें।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह सही कहा कि बाढ़ की विभीषिका पर जब हम विचार करें तो राजनीति मतभेदों और आपसी मतभेदों को भुला कर विचार करें। लेकिन मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की इस राय से इत्तिफाक नहीं करता हूं कि यह न कहा जाय कि बहुत से जिलों में बाढ़ की विभीषिका मानवकृत है। बलिया के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि बलिया का जो बेरिया बांध टूटा वह प्रशासनिक कमजोरी के कारण टूटा। वह मानवकृत विभीषिका है, इसमें दो राय नहीं होंगी।

श्री अध्यक्ष--

एक बांध और टूटा है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

बलिया बेरिया का बांध 1948 की बाढ़ से ढाई फिट ऊंचे पर बनाया गया। आज उसकी हालत यह है कि गंगा का पानी 1948 से कम है, लेकिन ओवरफ्लों कर रहा है यह मैन मेड नहीं कहा जायगा तो क्या कहा जायगा ? श्रीनगर तुरतीपार बंधा जहां पर कटा है जिससे जिले का आधा भाग प्रभावित हुआ है उस खतरे की सूचना माननीय बच्चा पाठक ने 13 तारीख को जिला अधिकारी को दी। जिला अधिकारी ने एग्जिक्विटिव इंजीनियर को बुलाया, यह और कहा गया कि खतरा नहीं है। यह बिलकुल वाहियात बात है। बांध सुरक्षित है। बच्चा पाठक 13 तारीख को यह सूचना दी और 14 तारीख को बांध टूट जाता है। इसको मैन मेड न कहें तो क्या कहें ? माननीय मुख्य मन्त्री जी इसके विषय में समझायें। आपको इंजीनियर की लापरवाही से आपके अधिकारियों की लापरवाही से, श्रीनगर तुरतीपार बांध टूटा है। बच्चा पाठक की सूचना पर यदि अधिकारी काम किये होते तो बांध नहीं टूटता। हमारे जिले का आधा भाग घाघरा क्षेत्र का तबाह नहीं होता। अधिकारियों की बेईमानी से, अकर्मण्यता से, हमारे यहां यह सारी तबाही आयी। जितने सड़ेगले अधिकारी होते हैं छांट कर प्रोमोशन वाले, सजायाफ्ता गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में भेजे जाते हैं। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि चार आदमियों की मौत हुई है। मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बैरिया में एक बच्चा डूबा, चांदपुर चरजपुर में एक लड़की डूबी, मुआल छपरा नौरंगा में एक आदमी डूबा बकुलहा में एक लड़की डूबी जगदेवां में दो आदमी डूबे और श्रीनगर में दो लड़के डूबे। 8 मेरी कांस्टीटुएंसी में डूबे हैं। जिले की रिपोर्ट आपके अधिकारी देते हैं कि केवल चार मौते हुई।

आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि पांच किलो प्रति परिवार दो दिन के इंटरवल पर दिया जा रहा है। यदि यह बात एक गांव में साबित हो जाय तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। आप चलें हमारे साथ यदि यह बात गलत हो तो नालायक जिला अधिकारी जो फर्जी रिपोर्ट देता है उसको जहां से वह आया है नवाब रामपुर की स्टेट से उसी स्टेट में उसको भेज दिया जाय वहां जा कर हवा खाये।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)--

हम को पांच मिनट दे दें। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कढ़ौड़ा रिंग बांध आज टूटा है, यह सूचना आयी है। बारह-चौदह गांव में पानी घुस रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आम तौर पर सब जगह की बाढ़ों पर चर्चा नहीं है। सब पर तो हो चुकी। मन्त्री जी बोलें।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। दो दिन तक बाढ़ पर बहस हुई है और आज यह 1 घंटे की बहस लखनऊ के लिये रखी गयी थी। आपने थोड़ा सा विस्तार उसमें कर दिया गाजीपुर को लेकर क्यों कि गाजीपुर शहर में भी बाढ़ आ गयी है। पूरे प्रदेश की बाढ़ के सम्बन्ध में 12 घंटे बहस हो चुकी है और उसका जवाब भी दिया जा चुका था। अगर सारे जिलों पर फिर बहस खोल दी जाये तो वही राम गाथा शुरू हो जायगी जो दो दिन तक हुई है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने व्यवस्था दे दी कि मुख्य मंत्री बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा।

एक सदस्य---

आजमगढ़ जिले के बारे में मुझे एक मिनट का समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, जो आपने विवाद 1 घंटे का लखनऊ शहर के सम्बन्ध में रख दिया यह अच्छा ही हुआ। मैं आपका कृतज्ञ हूं इसलिये कि यह हमारे प्रदेश की राजधानी थी और यहां बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया था जिसका प्रभाव लखनऊ पर तो पड़ा ही था किन्तु हमारे प्रदेश के अन्य भागों में भी यह सोचा जाने लगा था कि जब लखनऊ में इतनी बड़ी बाढ़ आ गयी और वहां कुछ नहीं किया जा सका तो मालूम नहीं अन्य लोगों की क्या गति होगी? लिहाजा इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक था। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने कल भी कहा था मैं इसे नहीं मानता कि जितनी कमियां रहीं हैं, जिनके बारे में मैं अभी निवेदन करूंगा, वे सारी कमियां अगर पूरी कर दी गयी होतीं तो फिर लखनऊ में बाढ़ न आती। मेरा यह पक्का विश्वास है कि इतनी जलवृष्टि और अतिवृष्टि हुई है जो साधारण दृष्टि से दूनी अथवा ड्योढ़ी थी, उससे बाढ़ की संभावना किसी प्रकार कम न होती। यह संभव है कि जो कमियां रहीं वे पूरी हुई होतीं तो इतनी बड़ी क्षति न हुई होती जितनी बड़ी क्षति हुई है। गुप्ता जी का यह कहना मैं स्वीकार करता हूं कि जो स्कीम सन् 60-61 में बनी थी वह पूरी नहीं की गयी। अगर वह पूरी हो गयी होती तो जितनी क्षति लखनऊ की हुई है बाढ़ आती भी तो कदाचित् उतनी क्षति न होती और कुछ लोग अधिक सुरक्षित रहते। मान्यवर, मैं यह भी मानता हूं जैसा अभी मैनेजर सिंह जी ने कहा था कि हमारे जो बांध इत्यादि रहते हैं देहाती इलाकों में उनकी भी अगर देख-रेख वैसी की गयी होती तो इतनी भयंकर क्षति न होती। गुप्ता जी कह रहे थे कि बराबर मेनटिनेन्स का इन्तजाम न होगा तो इसी प्रकार यकायक आकस्मिक संकट आ जायगा और फिर बांध काम नहीं देता और वह टूट जाता है। यह मैं मानता हूं कि बलिया का तुरती पार का बांध टूटा है। यह आशंका नहीं थी कि वह टूटेगा। इतनी बड़ी आशंका के न रहते हुए भी अगर उसकी देखभाल की गयी होती तो कदाचित हजार फुट की टूट न हुई होती और 400, 500 वर्ग मील का जो इलाका पानी में डूबा हुआ है, तुरती पार बांध टूटने से जो और नुकसान हुआ है वह न हुआ होता।

मैं कृष्णानन्द राय जी को बतलाना चाहता हूं कि भूसा वैगन के वैगन पहुंच गये हैं। तीन चार दिन से गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, बनारस आदि सब जिलों को बराबर भूसा भेजा जा रहा है। सैकड़ों वैगन्स भूसे के हमें अब एवेलेबिल हो गये हैं। लखनऊ में शुक्ला जी ने हमसे कहा था कि पशुओं के लिये चारा नहीं है किन्तु हमारे चक गजरिया फार्म से काफी चारा उपलब्ध हो गया है और हम हरियाणा, पंतनगर यूनिवर्सिटी और दिल्ली से ला रहे हैं। भूसा हमको अब इतना मिल गया है कि उसे लोड करने की दिक्कत हो रही है। रेलवे के वैगन्स के वैगन्स भूसे के आ रहे हैं और इसमें जो कुछ घंटों की और दिनों की देरी हो रही है वह केवल उसके लोडिंग और अनलोडिंग की हो रही है। हमारा ख्याल है कि जितने पशुओं के चारे की कमी है, जितने इन्सानों के लिये खाने की कमी है और जितने मकान ध्वस्त हुये हैं उन सबकी हम पूर्ति कर देंगे यह कहना सम्भव न हो सकेगा किन्तु हम पूरी शक्ति भर उसे पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम एक बहुत बड़ी सीमा तक सफल हो जायेंगे।

जहां तक लखनऊ का सम्बन्ध है यह बात सही है कि डा० के० एल० राव साहब यहां आये थे और उन्होंने देखा तो उन्होंने इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें हमें बताईं। जो भी बातें उन्होंने हमें बताईं वह बिल्कुल सत्य थीं किन्तु उन बातों को किसी एक्सपर्ट को दिखाने की जरूरत नहीं

थी। मैंने तो उनसे कहा भी कि आप तो स्वयं एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं। लेकिन जिस दिन 6 तारीख को मैं यहां आया तो बाढ़ शुरू हो गई थी। मैं यहां आकर उन जगहों पर घूमा तो जब मैं शाम को बैठा तो मैंने उन दो-तीन चीजों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। और सोचा कि आखिर ये दो-तीन चीजें रह कैसे गईं। सबसे पहली बात तो यह थी कि हमारे जो बांध बने हुये थे वे पूरे क्यों नहीं बंधे थे उनमें गैप क्यों रह गया था जिसके माध्यम से पानी आया। दूसरी बात मैंने उस दिन यह भी शाम को पूछा था कि वियर के ऊपर जो 6 फिट का फाटक लगा हुआ है अगर वही गिरा दिया गया होता तो कम से कम 6 फिट ही पानी कम हो जाता किन्तु मुझे इसका जवाब मिला कि यदि वह गिरा दिया जाता तो वाटर सप्लाई की जो लेबिल है वह 4/5 फिट नीचे हो जाता और पीने के पानी दिक्कत हो जाती। इसके ऊपर भी पानी आ गया। जब तक उसमें बराज न बना दिया गया तब तक ऐसा ही रहेगा। मैंने तो यह भी कहा कि बराज बनाने की योजना होनी चाहिए जिससे जब उसे चाहें गिरा दें और जब चाहें फिर चढ़ा दें। तीसरे, जो पुराने पुल रह गये थे और नये पुल बनाये गये थे तो वे पुराने पुल डिमालिश नहीं किये गये। उनमें जो स्पेन बने हैं वे भी बहुत चौड़े-चौड़े बने हैं जो कि पानी के बहाव को रोकते हैं इसलिये पानी बढ़ा। जब मैंने इस बात को इंजीनियर्स से पूछा कि आखिर ये पुल क्यों नहीं गिराये गये तो उन्होंने कहा कि यह तो गिराये जाने चाहिए थे किन्तु इन पुलों से होकर वाटर और बिजली की लाइन जाती हैं इसलिये वे पुल नहीं गिराये गये। दूसरी तरफ एक बांध गऊ घाट की तरफ बनना चाहिए था, नहीं बना। योजना रखी गयी थी। अगर वह बन गया होता तो उससे भी यह परेशानी कम हो जाती। डा0 के0 एल0 राव साहब ने कहा था अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता।

जहां तक मेहनत करने की बात है मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे आप कितना ही कहें किन्तु मेरा यह कर्तव्य है और अपनी आंखों से मैंने देखा है बराबर 24सों घंटे दूसरे-दूसरे जिलों से वायरलेस और टेलीफोन से सम्पर्क रखता रहा हूं और जहां-जहां बाढ़ आती रही है वहां-वहां से मेरे पास खबर आती रही है। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी शक्ति भर पूरा काम किया। गलतियां जो हो गयी हैं उनका परिहार तो इस वक्त हो नहीं सकता पर बाढ़ आ जाने के बाद जो विपत्ति आयी है उसमें अपनी पूरी शक्ति से उन्होंने काम किया। यह हो सकता है, जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी कहता हूं कि सबकी वकालत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। हो सकता है कि बहुत सी गलतियां इसमें हों, लापरवाही हुई हो। सरकारी आदेशों के अनुसार काम न लिया गया हो या ईमानदारी से और सेवा की भावना से न लिया गया हो। लेकिन आन दि होल तमाम जिला मैजिस्ट्रेटों की जहां-जहां से रिपोर्ट आयी है उनके सरकारी कर्मचारियों ने और दूसरे विभाग के लोगों ने काम किया है। बाढ़ आती रही है। इस बीच में लाद-लाद कर बनारस से और इलाहाबाद से नावें भेजी गयीं। यह करते रहे हैं और आगे भी सोचना होगा जब फ्लड रिलीफ का मामला होगा कि वह क्षेत्र जो बाढ़ से पीड़ित होने वाले हैं वहां 30–30, 50–50 नाव विभाग के संरक्षण में रखी जायं ताकि नाव भेजने में देरी न हो। लखनऊ में हमारे अधिकारियों ने चाहे वह फौज के रहे हों या सिविल के हों, पुलिस, होमगार्ड, पी0 ए0 सी0, पी0 डब्लू0 डी0, एल0 एस0जी0 डी0 ने, मैजिस्ट्रेसी, हमारे पूरे बी0 डी0 ओज0 सबने खूब काम किया। हम जानते हैं। 3-4 दिन रात को बहुत देर-देर तक मैं बैठा रहा हूं कंट्रोल रूम में और एक-दो बजे रात को घर से टेलीफोन किया है कंट्रोल रूम को तो वहां के अधिकारी, कलेक्टर, एस0 पी0 मिले हैं और पूरी मेहनत की है, उन्होंने खतरा उठाकर की है। जिस दिन बटलर बांध में ब्रीच हुई और रोकने की कोशिश हुई और खतरे में रात को रोकने की कोशिश की तो इवेकुएशन की फिक्र पहले से की यह सोचकर कि ऐसा मौका आ सकता है। लोगों को हटाया जिसे मैंने उस वक्त भी कहा था स्टेटमेंट में कि "हरक्यूलियन एफर्ट" अगर वैसे न किया गया होता तो न मालूम कितने धन-जन की हानि हुई होती।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

गुप्ता जी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदर कौन है, तो मेरे पास रिपोर्ट है। कल भी यह सवाल किसी ने उठाया और नित्यानन्द जी खड़े थे उन्होंने कहा कि मैंने टाला। ठीक है, मैंने जानबूझ कर टाला, क्योंकि ऐसे अवसर पर कोई कटुता का वातावरण मैं उत्पन्न करना नहीं चाहता था। मैं यह कहूं कि फलां व्यक्ति जिम्मेदार है, हम सरकार में आज बैठे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे देखना चाहिए चाहे चार ही महीने से सरकार हो और 10 वर्ष वालों ने कुछ न किया हो। लेकिन हमने इसलिए नहीं कहा कि अकारण कटुता उत्पन्न होती है जब किसी के ऊपर दोष दिया जाता है। हमारे पास कागज मौजूद है सन् 1960 से। सन् 60 में भीषण बाढ़ आयी है। यहां के इंजीनियरों ने 210 लाख रुपये की एक अनुमानित लागत की योजना बनायी जिसके अन्तर्गत नदी के किनारे बांध बनाने का और लखनऊ के 4 पुलों को चौड़ा करने का व शहर की उन नालियों में रेगुलेटर लगाने का विचार था जो गोमती में गिरती हैं।

सन् 1961 में फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने सैद्धान्तिक रूप से इस योजना को स्वीकृत किया और सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस योजना के विस्तृत आगणन बना कर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। सन् 1961 में सिंचाई विभाग की राजाज्ञा द्वारा विस्तृत आगणन की प्राप्ति की प्रत्याशा में डालीगंज पुल, ब्रस पुल और काठ के पुल के स्थान पर नये पुलों का निर्माण करने के लिए 89.70 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा था ए० सी० मित्रा चीफ इंजीनियर की देख रेख में काम शुरू किया गया था।

अब सन् 1962 आया। बंधों के निर्माण के लिए 23.22 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी। स्कीम पहले 210 लाख की थी, 23 लाख दिये गये और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सिंचाई विभाग की राजाज्ञा द्वारा यह आदेश दिये गये कि इस योजना पर होने वाले कुल व्यय की सीमा 150 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। जबकि 210 लाख की स्कीम और 89 लाख रुपये की स्कीम स्वीकार की जा चुकी थी। पैसे की कमी के कारण समझबूझ कर खर्च किया जाय। जो कुल 150 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा जबकि 206 लाख रुपये और 33 लाख रुपये की स्वीकृति पहले दी जा चुकी थी। अब आप देखिये 1966 तक योजना पर जो 1960 से शुरू हुई 124.97 लाख रुपया खर्च हुआ था। इसके बाद यह मामला ठप्प रहा और कोई काम शुरू नहीं हुआ। 1967 में फिर यह योजना पेश की गई कि और रुपया मिलना चाहिये क्योंकि 210 लाख रुपये स्वीकार हो गये हैं और 124 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। उस समय वित्त मंत्री ने बाढ़ सुरक्षा योजना के ठीक होने में शंका व्यक्त की और अपने मिनट में कहा कि, "मेरे विचार से गोमती की बाढ़ से लखनऊ की रक्षा करने की योजना जो पिछली सरकार ने 3 करोड़ रुपये से करने का निश्चय किया वह स्वमेव अत्यन्त अदूरदर्शितापूर्ण और सहज ज्ञान से परे हैं।" माननीय गुप्ता जी ने सवाल उठाया था कि ओथ आफ सीक्रेसी को तिलांजलि दे दी है।

श्री अध्यक्ष--

मैं 15 मिनट सदन का समय बढ़ाये देता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जनवरी, 1967 में फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई और उसमें कहा गया कि उतनी धनराशि व्यय की जाय जितनी आवश्यक हो क्योंकि बाढ़ के लिये उपलब्ध धन कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा में लगा कर खाद्य उत्पादन में वृद्धि किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। बाढ़ सुरक्षा योजना की जांच के लिये सानवाल कमेटी नियुक्त हुई। यह 1968 में नियुक्त हुई थी। सानवाल कमेटी ने रिपोर्ट दी। उस पर विचार हुआ और कमेटी की संस्तुति आई। उस समय कौन थे मुझे नहीं मालूम।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

नाम बतला दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कमेटी की संस्तुति स्वीकार की गई कि बाढ़ योजना की पूरी रूपरेखा कार्यान्वित करने के लिये 668.67 लाख रुपये की आवश्यकता होगी लेकिन फ्लड बोर्ड ने कहा दिया कि इसको दो फेज में बांट दिया जाय क्योंकि इतना रुपया खर्च नहीं किया जा सकता है। पहले फेज का कार्य 1972-73 तक पूरा किया जाय और इसके लिये 1968-69 तक प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50 लाख रुपये का प्राविधान किया जाय। समिति ने पहले फेज के लिये पुनरीक्षित लागत 369.9 रुपये बताई। दूसरे फेज की व्यवहारिकता और उपयोगिता पर विचार करने के लिये और पहले फेज की कुछ मदों में कमी की सम्भावनाओं को जांचने के लिये मंत्रि-स्तर पर एक उप समिति गठित की गई।

कुछ वर्षों के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं जिससे स्पष्ट होगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितने रुपयों की मांग की और कितना रुपया उन्हें बाढ़ नियंत्रण परिषद् से उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय वर्ष	मांग (लाख रुपयों में)	बोर्ड द्वारा आबंटन
1964-65	64.00	36.50
1965-66	42.00	30.49
1966-67	40.00	21.90
1968-69 तथा 69-70 ..	50.00	16.00

1970-71 में 52 लाख की मांग की गयी थी और 13 लाख रुपया मिला। 1971-72 का अभी तक सूचित नहीं किया गया है।

नदी के दाहिनी तरफ पूर्वोत्तर रेलवे से हार्डिग ब्रिज तक बांध का निर्माण स्वीकृत ही नहीं हुआ। हार्डिग ब्रिज से गऊघाट तक भी बांध का निर्माण स्वीकृत नहीं हुआ। कुछ अन्य गैप (शहीद स्मारक के पास, चाइना बाजार के पास) शहर की ड्रेनेज योजना स्वीकृत होने के कारण छोड़ने पड़े।

कुछ अन्य गैप (सी० डी० आर० आई०) भवन के पास, निशातगंज पुल से प्रमोषिनी स्कूल तक, भैंसाकुंड के पास हो डालीगंज पुल से हनुमान सेतु तक, पयागपुर घाट से कालविन के पास, निशातगंज पुल से भीकमपुर गांव तक)" भूमि प्राप्त न होने के कारण छूटे रहे।

नदी का स्तर नीचा होने पर शहर की पूरी सुरक्षा तब तक न मिल सकती थी जब तक पूरी योजना कार्यान्वित न होती। यदि चर्चित गैप्स को पूरा भी कर दिया गया होता तो नदी के दोनों ओर जहां बंधे निर्माण नहीं हुआ है वहां से पानी का प्रवाह नगर के भिन्न अंशों को प्लावित करता।

पुराने पुलों पर पेयजल की लाइन, बिजली की लाइन टेलीफोन की लाइन व सीवर की लाइनें संबंधित विभागों द्वारा हटाई नहीं जा सकीं और न ही इनको नये पुलों पर लगाया जा सका। इसी कारण से पुराने पुलों को तोड़ा नहीं जा सका।

2 सितम्बर से लेकर 8 सितम्बर तक बाढ़ की सुरक्षा कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किया। 8 तारीख से सेना से सहायता मांगी गयी और 13 तारीख को सेना से फिर बन्धों

[कमलापति त्रिपाठी]

की रक्षा का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ले लिये। बंधों की देखरेख तथा मरम्मत में विभाग के अधिकारी चौबीसों घंटे व्यस्त रहें। स्लीउस गेटों की देखरेख और मरम्मत तथा पुलों की एप्रोच रोड की सुरक्षा में प्रशंसनीय कार्य किया गया।

इसमें सभी विभागों ने मिल कर काम किया। इर्रीगेशन विभाग, एल० एस० जी० ई० डी० विभाग, पुलिस, होमगार्ड्स, पी० ए० सी० तथा हमारी सिविल आथोरिटीज ने मिल कर, जी तोड़ कर काम किया है।

बटलर बांध के जहां पर टूटने का डर था, जैसा कि अखबारों में आपने पढ़ा होगा, वहां पर बालू से भरी हुई दो ट्रकों को डाल दिया गया। पता नहीं वे कहां चली गयीं और बांध को उस समय टूटने से बचा लिया गया। वे ट्रकें अभी तक उसके भीतर मौजूद हैं।

यह ठीक है कि अगर अधिक पैसा खर्च कर दिया गया होगा तो संभव है परेशानी कुछ कम हो जाती, बाढ़ कम आती, कम नुकसान होता। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब विपत्ति टल जाती है तो आदमी उसको कुछ भूल जाता है। कदाचित यही भूल हो गयी और काम पूरा नहीं हो पाया। के० एल० राव जी से इस बात का जिक्र मैंने किया कि लखनऊ के लिये वे अपने कुछ एक्सपर्ट आदमी दे दें, कुछ मिलिटरी इंजीनियर्स और हमारे यहां के लोग मिल कर कोई योजना बनायें और देखें कि उस पर क्या खर्चा होगा और फिर हम उसको पूरा करने की चेष्टा करें।

इसके साथ ही साथ मैंने उनसे यह भी निवेदन किया है कि सेन्ट्रल वाटर पावर कमीशन की भांति ही एक फ्लड कंट्रोल कमीशन की भी स्थापना केन्द्र में कर दी जाय। वह एक आटोनामस बाडी हो, जिसमें टेकिनीकल और प्रशासकीय आदमी हों और उसकी शाखा तमाम प्रदेशों में हों। उसके लिये अलग से फंड रखा जाय, हम भी उसमें अपना योगदान करें। इस प्रकार से यह काम किसी कमीशन के माध्यम से हो। वही डिजाइन भी बनाये, मेन्टेनेन्स भी वही करें और अगर कभी प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो वही प्रोटेक्ट भी करे। और जब कभी फ्लड आ जाय तो दूसरे इंजीनियरिंग विभाग उसके आदेशों के अनुसार कार्य करें तथा उनको सहायता प्रदान करें। और यह चेष्टा की जाय कि इस योजना में सफल हो जायं। ऐसी हमने योजना रखी है।

अब हम कोशिश यह कर रहे हैं कि जो टूट फूट हो रही है उसको फिर से दुरुस्त करें। क्योंकि जो तो टूट गया है वह तो टूट गया है, उसे फिर दुरुस्त करना है और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो डिजाइनिंग हो वह एक्सपर्ट्स के जरिये हो और जो काम शुरू किया जाय उसका कांस्ट्रक्शन तो पूरा हो ही, उसके मेंन्टिनेंस का भी इन्तजाम हो क्योंकि चीज बना कर छोड़ दें और उसके रख रखाव का कोई इन्तजाम न हो तो उससे कोई लाभ नहीं होता। जो सुझाव गुप्ता जी ने दिये हैं उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं और जो इस आदरणीय सदन ने इस बहस में भाग लेकर विचार व्यक्त किये हैं उन सब को हम ध्यान में रखेंगे। श्रीमन्, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं अपनी शक्ति भर इन चीजों को पूरा करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बज कर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
16 सितम्बर, 1971।

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 618 पर)

हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम फैक्टरी मिर्जापुर के श्रमिकों की मांगे

1---प्रोडक्शन बोनस संस्थान में लागू किया जावे।

2---ग्रेचुटी स्कीम लागू की जाये।

3---महंगाई भत्ते में वृद्धि की जावे।

4---कैन्टीन की ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाये तथा कैन्टीन सेवायोजकों द्वारा चलाई जाये।

5---सभी श्रमिकों को 12 रु० प्रतिमास की दर से तदर्थ (एडहाक) वेतन वृद्धि।

6---स्थायी आदेशों का पुनरीक्षण।

7---छुट्टी की सुविधा।

8---निकास की सुविधा (हाउस रेन्ट)।

9---कारपोरेशन अस्पताल में श्रमिकों की मुफ्त चिकित्सा।

10---कारखाने के भीतर श्रमिकों को बाथरूम, लंचरूम तथा लाकरों की व्यवस्था।

11---ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति।

12---चपरासियों, ड्राइवरों और क्लर्कों इत्यादि को ओवर टाइम दिया जाना।

13---अस्थायी श्रमिकों का स्थायीकरण।

14---प्रशिक्षणार्थियों का स्थायीकरण।

15---समान कार्य के लिये समान वेतन।

16---निलम्बित तथा निकाले गये श्रमिकों की बहाली।

17---पाटरूम में ड्यूटी वाले श्रमिकों को मिलने वाले मुफ्त कूपनों का मूल्य 40 पैसे से बढ़ा कर 80 पैसे कर दिया जाय।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 622 पर)

राजकीय आदर्श विद्यालय अध्यापक समिति की मांगों की तालिका

1—राजकीय आदर्श विद्यालयों में भी ग्रीष्मावकाश समस्त राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के समान ही एक सा होना चाहिये।

2—प्रधान अध्यापकों को रु० 150-350 का वेतन-क्रम दिया जाना चाहिये।

3—समान वेतन राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों को राजकीय इन्टर कालेजों/हायर सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों के समान ही सी० टी० ग्रेड दिया जाय।

4—निःशुल्क शिक्षा राजकीय आदर्श विद्यालय के अध्यापकों के आश्रित विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा समस्त संस्थाओं मे प्रदान की जाय।

5—ज्येष्ठता-ग्रेड के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जाय न कि नियुक्ति तिथि के आधार पर।

6—माडल स्कूल सम्बन्धी जो आदेश पारित हो उनकी एक प्रति समिति के महामंत्री को भी भेजी जाय।

7—राजकीय आदर्श विद्यालय में सेवारत स्नातक अध्यापकों को सेवा अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु भेजा जाय।

8—विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों के पद पर राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को 30 प्रतिशत पदोन्नति दी जाय तथा इसके लिये 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा हटा दी जाय।

9—प्रदेश के समस्त मण्डलों के राजकीय आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों के लिये एक ही सेवा नियम लागू किया जाय।

10—एच० टी० सी० अध्यापकों को 5 वर्ष के अध्यापन कार्य का अनुभव होने पर उन्हें जे० टी० सी० ग्रेड दिया जाय।

11—आवास भत्ता—प्रदेश के कुछ राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को हाउस एलाउन्स मिलता है कुछ को नहीं मिलता, अतः समस्त प्रधान अध्यापक/सहायक अध्यापक को हाउस एलाउन्स मिलना चाहिये।

12—अन्य मांगें—

(1) भूतपूर्व (मण्डलीय) उप शिक्षा निदेशक बरेली के आदेश संख्या-ह/81, दिनांक 18 सितम्बर, 1968 तथा आदेश संख्या 94, दिनांक 11 अक्टूबर, 1968 के सम्बन्ध में जांच शासन ने कराई थी उसका निर्णय शीघ्र प्रकाशित किया जाय।

(2) निदेशालय आदेश निरीक्षण/124035550/67-68, दिनांक 15 जनवरी, 1968 तथा निरीक्षण/10045-54, दिनांक 15 नवम्बर, 1967 का भूतपूर्व स्टेट के अध्यापकों के सम्बन्ध पूर्णतः पालन हो।

(3) सभी अध्यापकों को उनके जिले में नियुक्त किया जाय तथा उनका स्थानान्तरण न किया जाय।

अपने जिले में नियुक्ति न मिलने पर उन्हें वेतन का 25 प्रतिशत असुविधा भत्ता के रूप प्रतिमास दिया जाय।

(4) जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा में परीक्षक पद पर राजकीय आदर्श विद्यालय के अध्यापकों को नियुक्त करने का आदेश निर्गत हो।

(5) चिकित्सा एलाउन्स के साथ जोड़ा जाय।

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 633 पर)

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् के पदाधिकारियों को आनरेरियम, भत्ता आदि सम्बन्धित प्रदान की गई सुविधायें

(1) कार्यकारी अध्यक्ष, श्री राम कुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा को वही दैनिक अथवा यात्रा भत्ता देय है जो विधान मण्डल के सदस्यों को देय होता है। उनको दैनिक भत्ता केवल लखनऊ में परिषद् की मीटिंग में आने के लिये ही नहीं वरन् उसे संपूर्ण अवधि में जब कि वे परिषद् के कार्य से लखनऊ में रहते हैं देय है किन्तु उन दिनों के लिये दैनिक भत्ता देय नहीं है जब कि विधान सभा से दैनिक भत्ता देय होता है।

(2) परिषद् के महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष, श्री राम नारायण त्रिपाठी को 350 रु० प्रतिमाह का मानदेय परिषद् के फण्ड से दिया जाता है। जब वे परिषद् के कार्य से लखनऊ से बाहर दौरे पर जाते हैं तो उन्हें वही यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता परिषद् से प्राप्त होता है जैसा कि प्रथम श्रेणी के राज्य कर्मचारी को प्राप्त होता है।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यकारी अध्यक्ष तथा महामंत्री को कार्यालय एवं निवास पर टेलीफोन की सुविधा भी प्रदान की गई है तथा एक सरकारी गाड़ी भी परिषद् के अधीन रखी गई है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 637 पर)

मोतीलाल नेहरु रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के अशैक्षणिक कर्मचारी कल्याण संघ की मांगें

1--राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से मिलने वाली 10 रु० मासिक की अन्तरिम सहायता का भुगतान सदैव की भांति तुरन्त किया जाय।

2--जूनियर टेक्निकल असिस्टेन्ट, लैब बियरर, कैश दफादार, बुक असिस्टेन्स, जेनिटर, डुप्लीकेटिंग मशीन आपरेटर, लैब असिस्टेन्ट, ड्राफ्ट्समैन तथा मेक० ग्रेड सी का वेतन मान 1 अप्रैल, 1965 से उचित रुप से पुनरीक्षित किया जाय।

3--रिक्त पदों पर पदोन्नतियां शिक्षा निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय तथा अन्य तकनीकी राजकीय विभागों में लागू पद्धति के अनुसार प्रत्येक पद की पदोन्नति की सीम निर्धारिता करते हुए उच्च पद के लिये निर्धारित शैक्षिक या प्राविधिक योग्यता के प्रतिबन्ध बिना वरीयता के आधार पर अविलम्ब किया जाय।

4--कालेज सेवा नियम अविलम्ब लागू किया जाय और सबके लिए एक समान हो।

5--जिन कर्मचारियों की सेवाएं एक वर्ष से अधिक हो चुकी हैं उनकी सेवाएं स्थायी की जाएं।

6--चौकीदार तथा विद्युतीय देख-रेख के कर्मचारियों का कार्य समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया जाय।

7--चौकीदार, विद्युतीय देख-रेख आदि के जिन कर्मचारियों को रविवार या अन्य किसी दिन साप्तहिक अवकाश नहीं दिया जाता उन्हें अविलम्ब दिया जाय तथा उनकी भर्ती की तारीख से अब तक जितनी छुट्टियां, रविवार आदि में उनसे कार्य लिया गया है उतने दिन के बराबर पूरक अवकाश दें अथवा उतने दिन का वेतन दिया जाय।

8--लेखा अधीक्षक, प्लम्बर मेकैनिक ग्रेड सी, आदि पदों पर अनियमित ढंग से की गई नियुक्तियों को रद्द किया जाय और उत्तरदायी अधिकारियों को अनियमित कार्य करने के लिये दंडित किया जाय।

9--अनियमित कार्यों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का व्यभार कालेज के ऊपर न लादा जाय, बल्कि उसको संबंधित अधिकारी वहन करें।

10--सभी वर्ग के गैर-अध्यापक कर्मचारियों का कार्य समय यथासंभव 10 बजे दिन से सायं 5 बजे तक किया जाय।

11--नर्स, फर्रास, हेड असिस्टेन्ट, जमादार, हेड चौकीदार, हेड माली, हेड स्वीपर सीनियर ड्राफ्ट्समैन आदि पदों का सृजन व पूर्ति अविलम्ब की जाये।

12--टेक्निकल स्टाफ के लिए निर्मित उप समिति की बैठक सीधे बुलायी जाय, पदों की संख्या व वेतन-क्रम के संबंध में संघ की सलाह ली जाय।

13--शिक्षेणत्तर कर्मचारियों के बच्चों के लिये कालेज कालोनी में स्थित विद्यालय में नियुक्त शिक्षक की व्यवस्था की जाय। उच्चतर शिक्षा के लिये राज्य कर्मचारियों की भांति सहायता दी जाय।

14--वर्तमान चैकितिसक अवकाश के दूषित नियमों को शुद्ध किया जाय।

15--पुस्तकालय की दूसरी पाली में जिम्मेदार अधिकारी की व्यवस्था की जाय।

16--चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में विस्तार किया जाय ।

17--रिटायरमेन्ट बेनिफिट रिटायर हुए तथा होने वाले कर्मचारियों को दिया जाय जो कि राज्य सरकार के नियमों पर आधारित हों ।

18--कैडर ग्रेडेशन सूची व प्रत्येक पद के कार्य की घोषणा की जाय ।

19--ट्रायल बेसिस पर नियुक्ति की प्रथा का अन्त किया जाय और स्थायी पदों पर स्थायी नियुक्ति तथा अस्थायी पद पर अस्थायी नियुक्तियां की जाएं । अवकाश कालीन रिक्तियों में स्थानापन्न पदोन्नतियां की जायं ।

20--दैनिक मजदूरी पर स्वीकृत पद की पूर्ति न की जाय ।

21--60 रु० व 80 रु० वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाय ।

22--प्रशासकीय परिषद् के निर्णय के अनुसार समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक समान वर्दी दी जाय ।

23--कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड स्कीम के अन्तर्गत कालेज कन्ट्रीब्यूशन 8·1/3 % से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया जाय ।

24--कर्मचारियों का उत्पीड़न बन्द किया जाय । अनियमित ढंग से रोके गये इन्क्रीमेन्ट की स्वीकृति दी जाय तथा अवैतनिक अवकाशों को शेष सवेतन अवकाश में बदला जाय ।

25--आनरेरिया तथा अन्य पारिश्रमिक में निष्पक्षता बरती जाय ।

26--कालोनी टाइप 8 भवनों में आंगन, पंखा तथा तार के घेरे आदि की व्यवस्था की जाय ।

27--टाईप 7 के भावनों में आलमारी, वास बेसिन व कर्टेन राड आदि की व्यवस्था की जाय । टाइप 7 व 8 के भवनों के लिये स्वीकृत समस्त धन का सदुपयोग उन्हीं भवनों में किया जाय ।

28--जल एवं विद्युत्, चिकित्सा, सुरक्षा एवं सफाई विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक सेवा में समझा जाय और उनसे 5 प्रतिशत की दर से किराया वसूल किया जाय ।

29--जलकर एवं साइकिल स्टैन्ड कर समाप्त किया जाय ।

30--कर्मचारियों के खेल कूद एवं मनोरंजन की पूर्ण व्यवस्था की जाय ।

31--चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से निजी तथा घरेलू काम न लिया जाय ।

32--प्रैक्टिकल परीक्षा में प्रयोगशाला तथा वर्कशाप के कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाय ।

33--कलम व यंत्र बन्द हड़ताल की अवधि को कार्य की अवधि समझा जाय ।

34--हड़ताल करने वाले किसी कर्मचारी को दंडित न किया जाय ।

नत्थी "ङ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 649 पर)

मुरादाबाद जिले में निम्नलिखित सब-इन्सपेक्टरों को वर्ष 1970 में थाना-ध्यक्ष बनाया गया

सर्वश्री---

1---आर० डी० वर्मा
2---अमन सिंह
3---ओम प्रकाश उपाध्याय
4---राजेन्द्र पाल सिंह
5---होरी लाल सागर (परिगणित जाति)
6---बदन सिंह तेवतिया
7---सूरज मल
8---भुल्लन सिंह
9---जयचन्द त्यागी
10---प्रहलाद सिंह
11---मटरू सिंह
12---शिव दयाल तिवारी
13---मुरलीधर बे .वाल
14---गोविन्द लाल शाह
15---मनोहर सिंह
16---टी० डी० उपरेती

वर्ष 1971 में बनाये गये थानाध्यक्षों के नाम

सर्वश्री---

1---विश्वनाथ वर्मा
2---बालक राम (परगणित जाति)
3---राजेन्द्र पाल सिंह
4- - चन्द्र किरण शर्मा
5- -कुंवर पाल सिंह
6---पी० सी० चतुर्वेदी
7---हाकिम राय
8---ओम प्रकाश उपाध्याय

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "च"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृ० 650 पर)

नदेशालय में क्रय किये जाने वाले समाचार-पत्रों एवं उनके वितरण की सूची

समाचार-पत्र के नाम	संख्या जितने क्रय किए जाते हैं	प्रतियां कहां-कहां भेजी जाती हैं
1--पायनियर, लखनऊ	16	सूचना सचिव-1, निदेशक-1, सहायक निदेशक-2, पत्रकार-1, और निरीक्षा शाखा-10, समाचार सम्पादक-1।
2--नेशनल हेराल्ड, लखनऊ	32	निदेशक-1, सहायक निदेशक-5, समाचार सम्पादक-1, पत्रकार-14, समाचार अधिकारी -1 तथा निरीक्षा शाखा-10।
3--नवजीवन, लखनऊ	13	सूचना सचिव-1, निदेशक-1, पत्रकार-1 तथा निरीक्षा शाखा-10।
4--स्वतंत्र भारत, लखनऊ	14	सहायक निदेशक-1, समाचार अधिकारी-2, प्रचार अधिकारी-1 तथा निरीक्षा शाखा-10।
5--तरुण भारत, लखनऊ	10	निरीक्षा शाखा-10।
6--हिन्दुस्तान टाइम्स-दिल्ली	18	निदेशक-1, पत्रकार-5, समाचार अधिकारी-1 तथा निरीक्षा शाखा-11।
7--टाइम्स आफ इंडिया	26	सूचना सचिव-1, अनुसचिव-1, सम्पादक उत्तर प्रदेश पंचायत राज-1, पत्रकार-9, समाचार अधिकारी-3, तथा निरीक्षा शाखा-11।
8--इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली।	11	निरीक्षा शाखा-11।
9--स्टेट्समैन, दिल्ली	17	सूचना सचिव-1, निदेशक-1, समाचार सम्पादक-1, राज्य वार्षिक रिपोर्ट अधिकारी-1, पत्रकार-2 तथा निरीक्षा शाखा-11।
10--नवभारत टाइम्स, हिन्दी, दिल्ली।	13	सहायक निदेशक-1, पत्रकार-1, तथा निरीक्षा शाखा-11।
11--हिन्दुस्तान, हिंदी, दिल्ली।	11	निरीक्षा शाखा-11।
12--आज, हिंदी, वाराणसी	8	सहायक निदेशक-1, संपादक उत्तर प्रदेश पंचायत-राज्य-1, तथा निरीक्षा शाखा-6।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय

समाचार-पत्र के नाम	संख्या जितने क्रय किए जाते हैं	प्रतियां कहां-कहां भेजी जाती हैं
13---नेशनल हेराल्ड, दिल्ली	11	निरीक्षा शाखा--11 ।
14---मदर लैंड, दिल्ली	11	निरीक्षा शाखा--11 ।
15---पेट्रियट, दिल्ली	11	निरीक्षा शाखा--11 ।
16---वीर अर्जुन, हिंदी, दिल्ली	2	निरीक्षा शाखा--2 ।
17---फाईनेन्शियल ऐक्सप्रेस, दिल्ली ।	2	निरीक्षा शाखा--2 ।
18--एकोनामिक टाइम्स, दिल्ली	2	निरीक्षा शाखा--2 ।
19--प्रताप, उर्दू, दिल्ली	2	निरीक्षा शाखा--2 ।
20---मिलाप, हिंदी, दिल्ली	2	निरीक्षा शाखा--2 ।
21---अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता ।	2	निरीक्षा शाखा--2 ।
22---नार्दर्न पत्रिका, इलाहाबाद	4	निरीक्षा शाखा--4 ।
23---जन मोर्चा, हिंदी, लखनऊ ।	3	निरीक्षा शाखा--3 ।
24---कौमी आवाज, उर्दू, लखनऊ ।	4	निरीक्षा शाखा--4 ।
25---सियासत जदीद, उर्दू, कानपुर ।	3	निरीक्षा शाखा--3 ।
26--जागरण, हिंदी, कानपुर	2	निरीक्षा शाखा--2 ।
27--हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड, कलकत्ता ।	1	निरीक्षा शाखा--1 ।
28---कौमी जंग, उर्दू, रामपुर	2	निरीक्षा शाखा--2 ।
योग ..	253	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "छ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 655 पर)

उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें 1-7-70 से 1-7-71 के बीच में रिवाल्वर लाइसेंस प्रदान किये गये

जिला देवरिया

क्रमांक	लाइसेंसी का नाम व पिता का नाम		ग्राम, स्थान
1	2		3
1	श्री श्याम नरायन सिंह	रिवाल्वर	चकबन्दी अधिकारी, सलेमपुर।
2	श्री इन्द्रजीत प्रसाद पुत्र फेकू प्रसाद	,,	तमकुही ।
3	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामाआश्रेय	,,	हरैया थाना गौरी बाजार, सहायक रजिस्ट्रार, हाटा ।
4	श्री त्रिभुवन दत्त शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मन	,,	102, माल हाउस, लखनऊ, वर्तमान तहसीलदार, देवरिया ।
5	श्री महंथ दिग्विजय गिरी	,,	लाहिल पार, थाना कोतवाली ।
6	श्री कामेश्वर उपाध्याय पुत्र श्री रामचन्द्र	,,	जसुई, थाना खाम पार ।
7	श्री कुंवर विरेश्वर सिंह	,,	खण्ड विकास अधिकारी, पडरौना।
8	श्री कुंवर मुन्नी लाल गुप्ता पुत्र महादेव प्रसाद ।	,,	मालवीय रोड, कोतवाली देवरिया ।
9	श्री शंकर प्रसाद तिवारी	,,	इंजीनियर, जिला परिषद्, देवरिया ।
10	श्री सांवर प्रसाद सरोजी पुत्र मथुरा प्रसाद ।	,,	अग्रवाल स्टोर, पडरौना।
11	श्री श्रीकान्त सिंह पुत्र श्री फुलेना सिंह	,,	अहिरोली बाघेल।
12	डा० बेनी माधव केडिया	,,	मेडिकल आफिसर, सलेमपुर ।
13	श्री चन्द्रहास शर्मा	,,	परगना अधिकारी, देवरिया।
14	श्री विनोद कुमार गुप्ता	,,	ठठेरी गली, देवरिया।
15	श्री हबीबुल्लाह रहमान पुत्र हाजी अब्दुल हमीद ।	,,	लार, थाना लार ।

1 जुलाई, 70 से 1 जुलाई, 71 तक के बन्दूक लाइसेंस स्वीकृति की सूची जिला देवरिया, तहसील देवरिया

क्रमांक	नाम एवं पता		ग्राम/स्थान
1	2		2
1	श्री गुलाब चन्द पुत्र राम जियावन	..	भलकौली
2	श्री हरिशंकर मिश्र पुत्र भुलई मिश्र	..	फिपपिर पाती
3	डा० रविन्दनाथ हलधर पुत्र निरोधचन्द	..	देवरिया
4	श्री सुखनारायन शाही पुत्र प्रमहंश शाही	..	नौतार
5	श्री रामअधार शुक्ल पुत्र महादेव शुक्ल	..	वैदा
6	श्री चन्द्रावली चौधरी पुत्र बन्द्र चौधरी	..	शंकरा पार
7	श्री चन्द्र शन्कर यादव पुत्र हरि प्रसाद	..	वांस पार
8	श्री बास देव मिश्र पुत्र प्रयागदत्त मिश्र	..	फुलबरिया खास
9	श्री राजबली पुत्र सहदेव ..	..	रतनपुर
10	श्री केदारनाथ पुत्र भगवान	..	तदेव
11	श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव	..	एस० पी० कार्यालय
12	श्री मोती साही पुत्र भगवती शाही	..	देवरिया कोतवाली
13	श्री रामेश्वर तिवारी पुत्र अज्ञात	..	एस० डी० एम० कोर्ट देवरिया
14	श्री तपेश्वर राय पुत्र राम प्रयाग राय	..	गौरा खास
15	श्री रामेश्वर मिश्र पुत्र मुनेश्वर मिश्र	..	पोखरभिण्डा
16	श्री रामदुलारे द्विवेदी पुत्र यदुनन्दन	..	बलटिकरा
17	श्री दिवाकर सिंह एस० ओ० ..	..	रामपुर कारखाना
18	श्री रामकेवल पुत्र रामस्वरूप	..	गौरा
19	श्री अमला सिंह पुत्र महावीर सिंह	..	खेदनी
20	श्री राम आसरे सिंह पुत्र बुजलाल सिंह	..	अर्जुन डिहा
21	श्री चन्द्रिका सिंह पुत्र शिवमंगल सिंह	..	तदैव
22	श्री भृगुनाथ सिंह पुत्र लखन सिंह	..	करौदा
23	श्री प्रेम शंकर मणि त्रिपाठी पुत्र रघुवंश	..	अवधपुर
24	श्री चन्द्रभान मल पुत्र बच्चा मणि	..	बांसपार बुजुर्ग
25	श्री दयाशंकर सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह	..	खैरटिया
26	श्री मुहम्मद तैमुरमीर पुत्र सदीक	..	चरियांव खास
27	श्री मुमताज पुत्र गुजेश्वर ..	..	महिला
28	श्री गौरीशंकर त्रिपाठी पुत्र रमाकान्त	..	महराजगंज
29	श्री सत्यनरायन सिंह पुत्र गनपति सिंह	..	पचलरी

1	2		3
30	श्री श्यामबिहारी पुत्र बदेरु यादव	..	पिसरा खैरववां
31	श्री हरिशंकर यादव पुत्र देवकी यादव	..	डढ़िया
32	श्री चन्द्रभान पुत्र यदू ..	..	पिल्हनी
33	श्री गोपीचन्द पुत्र सीताराम	..	समोगर
34	श्री दिवाकर प्रसाद यादव पुत्र बच्चा यादव	..	हड़हा
35	श्री विन्ध्या प्रसाद पुत्र शिवपूजन	..	मदनपुर
36	श्री राममिलन गुप्ता पुत्र कन्हैया लाल	..	तदेव
37	श्री गोपाल जी पुत्र विश्वनाथ	..	तदेव
38	श्री रामसूरत सोनार पुत्र सत्यनारायन	..	तदेव
39	श्री अकबरअली खां ..	..	सी० पी० एम० 74
40	श्री वंशीधर पुत्र मिठ्ठू ..	..	चकिया
41	श्री अब्दुल कालिम पुत्र सेज जुल्फान	..	गरुलपार
42	श्री मोहनलाल गुप्ता पुत्र लाल जगदेव	..	देवरिया
43	श्री अवधेश सिंह पुत्र नगनरायन सिंह	..	एक्साइज
44	श्री रामनवल यादव पुत्र अज्ञात	..	सी डब्ल्यू० ओ० 446 पी० पी० आफिस, देवरिया
45	श्री शिवनाथ प्रसाद श्रीवास्तव	..	एच० सी० पुलिस आफिस देवरिया।
46	श्री बासदेव दास पुत्र त्रिवेनी दास	..	धनौती
47	श्री अमीरउल्लाह शेख पुत्र रहमतउल्लाह शेख		भटवालिया
48	श्री बैजनाथ गुप्त पुत्र रामकिशुन गुप्त	..	सिधुआ
49	श्री समसुद्दीन अंसारी पुत्र सिगारउद्दीन	..	किशुनपाली
50	श्री मुहम्मद किताब पुत्र दिमुहम्मद	..	रामपुर धौलाल
51	श्री भूलन राव पुत्र बैरिस्टर राय	..	पकड़ी बाबू
52	श्री पारस नाथ तिवारी पुत्र शम्भूनाथ	..	धर्मगत एट्टी
53	श्री भोज प्रसाद पुत्र सुन्द प्रसाद	..	पिपरा खास
54	श्री अवधेश प्रसाद पुत्र दुखी प्रसाद	..	भगवानपुर
55	श्री गुप्तेश्वर पुत्र लाल जी ..	..	तदेव
56	श्री रामदास भारती पुत्र जागेश्वर भारती	..	पकड़ी गोसाई
57	श्री बृजनाथ यादव पुत्र सुखदेव	..	लक्ष्मीपुर
58	श्री रामदेव प्रसाद पुत्र चतुरगुन	..	भेगुंखरी
59	श्री विजयबहादुर मल्ल पुत्र रामसुन्दर मल्ल	..	मछरोहवा
60	श्री दया शंकर शुक्ल पुत्र बबन शुक्ल	..	सरांव

विधानसभा

1	2	3
61	श्री श्याम बिहारी सिंह पुत्र हीरा सिंह ..	पचखड़ी कृतपुरा
62	श्री बृजराज पुत्र सहादेव	गायघाट
63	श्री राम वदन पुत्र किशुन दत्त ..	अग्रघाट
64	श्री कैलाशपति सिंह पुत्र लखन सिंह ..	खैरवा
65	श्री रामकरन सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह ..	तिघरा खैरवा
66	श्री प्रेम नारायन पांडे पुत्र छेदी पांडे ..	एकौना
67	श्री रामकृष्ण तिवारी पुत्र सीताराम तिवारी ..	अकटहीया उर्फ भटीयरा
68	श्री मोहन साहु पुत्र मथुर साहू ..	कुसम्हां
69	श्री पारसनाथ मिश्रा पुत्र लाल बिहारी ..	निवही गढ़ी
70	श्री त्रिलोकीनाथ मिश्र पुत्र राजाराम ..	सरांव
71	श्री रामदयाल पांडे पुत्र छेदी पांडे ..	समदा
72	श्री अग्रसेन राव पुत्र विशुनाथ राव ..	ग्राम सेवक रुद्रपुर
73	श्री विदेशी पुत्र तिलक	देवकुंआ
74	श्री इमामुद्दीन पुत्र अलीसआत ..	सी० पी० नं० 14 गौरी बाजार

विधान सभा सचिवालय गढ़वा

माह 1 जुलाई, 70 से 1 जुलाई, 71 तक के बन्दूक लाइसेंस स्वीकृति की सूची जिला देवरिया, तहसील हाटा

क्रमांक	नाम एवं पिता	ग्राम / स्थान
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	ललीतमोहन तिवारी पुत्र कृपानारायन तिवारी . .	ए० डी० ओ०, हाटा
2	रामधनी सिंह पुत्र मुख्तार दास . .	बैनुआ सुदामा
3	गंगा प्रसाद पुत्र मारकन्डे प्रसाद . .	ठाठा बुर्जुर्ग
4	भगेशर प्रताप राव पुत्र राम लखन . .	लगड़ी
5	अदया प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद . .	मछुई रहीम
6	जगदीश सिंह पुत्र भवानी सिंह . .	अहिरौली
7	असरफ अली पुत्र जुनाव अली . .	जगदीश पुर
8	जगदीश प्रसाद राव पुत्र भगवती प्रसाद . .	भुड़ीया हरपुर
9	राम किशुन तिवारी पुत्र धर्मराम तिवारी . .	कुसम्हां
10	लालतम सिंह पुत्र विन्देश्वरी सिंह . .	विशुनपुरा
11	बदरी प्रसाद यादव पुत्र सुखारी . .	लाल छपरा
12	बेचन सिंह पुत्र यमुना सिंह . .	अहिराली नौका टोला
14	कृष्णा प्रताप सिंह पुत्र राम प्यारे सिंह . .	करहा
14	काशी प्रसाद पुत्र नोहर	खानु छपरा
15	रामहरी प्रसाद पुत्र जदू प्रसाद . .	तदेव
16	महन्थ राव पुत्र चन्द्रदेव राव . .	पिरावाजार (पी0)
17	सुरेश चौबे पुत्र महातम चौबे . .	सिगौड़ा
18	बंशगोपाल सिंह पुत्र गजराज दास . .	भुजहना
19	डा० सुरेश लाल पुत्र बेचन लाल . .	देवला कदम पिपरा
20	लाल बहादुर सिंह पुत्र जयपाल सिंह . .	बेलवा सुदामा
21	प्रकाशेन्द्र सिंह पुत्र तेज प्रताप सिंह . .	लक्ष्मीपुर
22	बागी दत्त तिवारी पुत्र जमुना प्रसाद तिवारी . .	बाघनाना
23	झीनकू सिंह पुत्र दौला सिंह . .	भाखेन गोपाल
24	रामअथा सिंह पुत्र भागवत सिंह . .	भगवानपुर बुजुर्ग
25	केदार नाथ तिवारी पुत्र सतदेव तिवारी . .	भलुआ
26	डा0 स्वामी नाथ मिश्र पुत्र राम लगन मिश्र . .	बोदरबार
27	लक्ष्मी सिंह पुत्र पारस नाथ सिंह . .	भरसाड़ खास

1	2		3
28	मदन किशोर सिंह पुत्र राम सरन सिंह	..	भ सोड़ खाश
29	दरोगा पुत्र मेखा ..	..	पारीतीन
30	रालगन पुत्र जिवयन गुप्ता	..	छितौनी
31	किताब अली पुत्र फिरंगी मियां	..	गुलरियां
32	बदरी विहाल तिवारी पुत्र सरजू प्रसाद	..	करहा
33	केदार नाथ सिंह पुत्र गुल्ली सिंह	..	जिदा छपरा
34	चन्द्रिका चौबे पुत्र सुन्दर चौबे	..	खहेसरा
35	सत्यनारायन सिंह पुत्र राम दास सिंह	..	असना
36	रामअसार सिंह पुत्र राम कुमार सिंह	..	भदिया बुजुरहा
37	शिवभुजन गिरि पुत्र सुन्दर गिरि	..	सिधावे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माह 1 जुलाई, 70 से 1 जुलाई 71 तक के बन्दूक लाइसेंस स्वीकृति की सूची जिला देवरिया, तहसील पडरौना

क्रम संख्या	नाम एवं पिता		ग्राम/निवास स्थान
1	2		3
	सर्वश्री—		
1	कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र गनेश प्रसाद	..	तमकुही रोड
2	बुबुली प्रसाद पुत्र जद्धू	..	गोठा श्री राम
3	चन्द्र भूषण पांडे पुत्र सिपाही नं० 186	..	सतरया सुतान
4	जनार्दन राय पुत्र फीदी राय	..	तदेव
5	गोपाल पाठक पुत्र सूर्यदेव	..	बसडीला बुजूर
6	उमा शंकर पांडे पुत्र शिव पुजन पांडे	..	पांडे का सरया
7	जैजै राम चौधरी	..	कृषि फार्म गजीया
8	श्रीधर शर्मा	..	कृषि फार्म हाटा
9	बांके लाल यादव	..	तरया सुजान
10	सारदानंद पुत्र चन्डि प्रसाद	..	लवकुश
11	बांके बिहारी सिंह पुत्र रामस्य सिंह	..	कदवलीया
12	मुरवलाल प्रसाद गुप्ता पुत्र रामचरन	..	पिपरा राज रामपुर
13	जैकिशुन गुप्ता पुत्र रामचरन	..	तदेव
14	सत्यदेव मल्ल पुत्र रघुबीर मल्ल	..	वेलवा खुर्द
15	अमीन खां पुत्र सरल खां	..	सेरववनीया बुजूर्ग
16	स्वामीनाथ सिंह पुत्र राधाकृष्ण सिंह	..	सुहीया
17	अकलू अंसारी पुत्र बरटलाल	..	कृचीया मटिया
18	रामचन्दर सिंह पुत्र खरदन सिंह	..	लछियां
19	वजीर अहमद खां पुत्र हलीम खां	..	लोहरौली
20	भुरत्तवार सिद्दीकी	..	बुधई
21	मलकल वल्ली	..	सन्दीय
22	रामचन्द्र लेखपाल	..	कसया
23	राजवली सिंह पुत्र रामप्रसाद सिंह	..	ठोहा भार
24	कपिलदेव तिवारी पुत्र सूर्यनाथ तिवारी	..	परसोया बौर
25	नवल किशोर सिंहपुत्र बिन्ध्याचल सिंह	..	साओ पार
26	हिरा तिवारी पुत्र मुद्दर तिवारी	..	सिधुवां स्थान
27	कौदई शुक्ला पुत्र पदुम शुक्ला	..	तदेव

1	2		3
28	श्रीकृष्ण शुक्ला पुत्र विंध्याचल	..	बेलही
29	काशी प्रसाद पुत्र सरजू प्रसाद	..	अहीरौली बाजार
30	गौरीशंकर पुत्र पृथ्वीनाथ	..	पारसहवा
31	मकसुदन राव पुत्र अवधनायन राव	..	करमैली पैनसली
32	शिवशंकर मिश्र पुत्र बालगोविन्द मिश्र	..	परवलिया
33	हसिया प्रसाद तिवारी पुत्र रामलखन	..	देवरिया पान्डे
34	लालसा राम पुत्र विदेशीराम	..	नायब तहसीलदार, पडरौना
35	बलवन्त सिंह गिल	..	एन० सी० सी० पडरौना
36	रघुरण सिंह	..	कृषि फार्म रामपुर
37	कृष्ण मनि पुत्र राम लोचन मनि	..	सिधुवां बाजापार

संसद पुस्तकालय

माह 1 जुलाई, 70 से 1 जुलाई, 71 तक के बन्दूक लाइसेंस स्वीकृति की सूची जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर

क्रमांक	लाइसेंसी का नाम व पिता का नाम		ग्राम/स्थान
1	2		3
	सर्वश्री—		
1	अब्दुल बहाल लारी पुत्र बरकतउल्लाह	..	लारी
2	हबीबुल रहमान पुत्र हाजी मोहम्मद	..	लारी
3	रामप्रसाद मिश्र पुत्र पुजारी मिश्र	..	अमौना
4	मनकेश्वर पांडे पुत्र जगन्नाथ पांडे	..	सजाव
5	मासुव हुसेन पुत्र मातम	..	लारी
6	अब्दुल कालम पुत्र हाजी अब्दुल रज्जाक	..	लारी
7	मोतीलाल यादव पुत्र रामवली	..	बुन्दौली
8	तामेश्वर सिंह पुत्र कौलेशर सिंह	..	रोपन छपरा
9	गोविन्द तिवारी पुत्र लालजी तिवारी	..	बढ़या फुलवरीय
10	हंसनाथ सिंह पुत्र विन्देश्वरी सिंह	..	जरार भानिक
11	महेश्वर मिश्र पुत्र जलेश्वर मिश्र	..	पिपरामान मनि
12	राम सनेही सिंह पुत्र कामता सिंह	..	लखना
13	सूर्य नारायण पांडे पुत्र भूस पांडे	..	गरौना
14	राम आसरे पुत्र राम स्वरूप	..	पना
15	सूय नारायण पुत्र रामनरेश मिश्र	..	अभाव
16	पारसनाथ सिंह पुत्र बैजनात सिंह	..	डैवढ़ी
17	रामऔतार उपाध्याय पुत्र सहदेव	..	कुसम्भा
18	घुपदेव पांडे पुत्र भगवना पांडे	..	सयान छपरा
19	जेम्स जी लालू पुत्र बाढ़ लाल	..	फार्म मैनेजर चकिया
20	गोपाल जी प्रसाद पुत्र शिवपुजन	..	मैगरीबाजार
21	चन्द्रशेषरनाथ तिवारी पुत्र परमेश्वर नाथ	..	नरथन
22	राम नगीना सिंह ..	..	तहसीलदार सलेमपुर
23	उदय नारायन चन्द पुत्र आदितनारायन चन्द	..	भटनी
24	रामनरथन सिंह पुत्र मगरान सिंह	..	डैगुसा
25	मातादीन उपाध्या पुत्र विन्ध्याचल उपाध्याय	..	भटनी
26	डा० यास मनि दुबे पुत्र लालजी	..	बनकटीया बाबू
27	भगवान प्रसाद पांडेय पुत्र रामरघुवीर पांडे	..	मुहईया
28	विश्वनाथ पांडे पुत्र शिवसुन्दर पांडे	..	तिवनीपुर

1	2	3
	सर्वश्री—	
29	कृष्ण सिंह पुत्र राय साहब विसराम सिंह ..	भाटपार
30	कामेश्वर नाथ तिवारी पुत्र ववननाथ तिवारी ..	नदौली
31	उदयमान सिंह पुत्र दुव्वर सिंह ..	देवरिया
32	सुग्रीव सिंह पुत्र रामसेर सिंह ..	कौसड़
33	शकील अहमद पुत्र हाजी अब्दुल माजीद ..	लार
34	केदार दुबे राम चरित्र दुबे ..	वमनी पाक
35	गौरी शंकर तिवारी पुत्र परसुराम तिवारी ..	बढ़या फुलबरीया
36	शेषमनि त्रिपाठी पुत्र जटाशंकर ..	तदेव
37	हीरा लाल जैसवाल पुत्रश्री कृष्ण जैसवाल ..	बरहज
38	गौरी शंकर गुप्ता पुत्र अलगू साहू ..	तेलीया कला
39	राम लखन मिश्रा पुत्र ध्रुव नारायन ..	नरकरा
40	सत्यवर्त यादव पुत्र लालवचन ..	सतरांव
41	राम नरूद राव पुत्र हिराम राव ..	भइया बिजौली
42	गोरखनाथ सिंह पुत्र राजकुमार सिंह ..	सतरांव
43	घनश्याम दास गुप्ता पुत्र कामता प्रसाद ..	भाटपार रानी
44	सत्यव्रत दूबे पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद ..	बढ़या बाबू
45	योगेन्द्र सिंह पुत्र फुलवचन सिंह ..	धर्मवीर
46	चन्द्र भूषण प्रताप सिंह पुत्र बजरंग बहादुर ..	जसुई
47	आफताब आलम पुत्र इनायत उल्लाह खां ..	नवलपुर
48	शारदा प्रसाद गुप्ता पुत्र रामदास गुप्ता ..	प्रकाश जनरल स्टोर सलेमपुर
49	दुर्गा प्रसाद मिश्र पुत्र कमला प्रसाद ..	देवरिया कसया बैंक सलेमपुर
50	श्याम नारायण सिंह पुत्र राजकुमार सिंह ..	ए०सी०ओ० सलेमपुर
51	अवधनारायन पाठक पुत्र मंगल पाठक ..	रौनीगंज चक
52	पारसनाथ सिंह पुत्र वनवारी सिंह ..	सलेमपुर
53	गिरधारी सिंह पुत्र हरिकृष्ण सिंह ..	बैदौली बुजुर्ग
54	श्रीकान्त पुत्र विन्ध्याचल सिंह ..	वगस्शा

नत्थी "ज"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 657 पर)

1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1971 तक जिला आजमगढ़ के मधुबन, दोहरीघाट तथा घोसी थानों के अन्तर्गत कत्ल, डकैती, नकबजनी व राहजनी के अपराधों का विवरण

क्रम-संख्या	अपराध का नाम	घटनाओं की संख्या	जिनमें नामजद रिपोर्टें की गईं	जिनमें चार्जशीट भेजी गई	जिनमें फाइनल रिपोर्टें लगाई गईं	जिनमें नामजद रिपोर्टें होते हुए भी फाइनल रिपोर्टें लगाई गईं
1	कत्ल	20	15	18	4	..
2	डकैती	11	9	10	1	1
3	नकबजनी	249	84	57	186	9
4	राहजनी	8	7	5	3	2

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—194 एल० ए०—1972—845 (मैग०) ।